नवम माला, खंड 5, अंक 36

सोमवार, 7 मई, 1990
17 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 62
Date 29-11-91

(खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 7 मई, 1990/17 वैशाख, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
(i)	4	"23-195" के स्थान पर "23-177" पढ़िये।
(ii)	नीचे से 10	"243-247" के स्थान पर "244-247" पढ़िये।
	नीचे से 4	"256-258" के स्थान पर "256-257" पढ़िये।
	नीचे से 3	"258-256" के स्थान पर "258-259" पढ़िये।
	नीचे से 2	"श्री विजय कुमार मल्होत्रा" के स्थान पर "प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा" पढ़िये।
(iii)	1	"261-264" के स्थान पर "261-262" पढ़िये।
	नीचे से 3	"श्री एम०एस०गुरूपदस्वामी" के स्थान पर "श्री एम०एस० गुरूपादस्वामी" पढ़िये।
33	4	"(छ)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
78	7	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
	8	"(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
	नीचे से 7	जिला सैनिक बोर्डों से पहले "(क)" भी पढ़िये।

) 100) 102) 104) 124		"क्र०सं०" के स्थान पर "सूत्र सं०" पढ़िये
) 102) 104		"उपलब्धि" के स्थान पर "उपलब्धि" प
104		"फर०" के स्थान पर "प्रतिशत (क- 20)" पढ़िये
106	3	"सूत्र सं०" के स्थान पर "क्र०सं०" पढ़िये
117	6	"(4)" के स्थान पर "(3)" पढ़िये ।
129	10	"7742" के स्थान पर "7743" पढ़िये
132	नीचे से 4	"श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडि के स्थान पर "श्री श्रीकान्त दत्त नरसि वाडियर" पढ़िये ।
197	15	"सरकाक" के स्थान पर "सरकार" पढ़ि
) 228) 229	नीचे से 14	"श्री एम०एस०गुरुपदस्वामी" के स्थान पर "श्री एम०एस०गुरुपादस्वामी" पढ़िये ।
268	नीचे से 3	"श्री जे०पी०अग्रवाल" के स्थान पर "श्री जे०पी०अग्रवाल" पढ़िये ।
270	2	"श्री सुबोध कान्ति सहाय" के स्थान प "श्री सुबोध कान्त सहाय" पढ़िये ।
	6	"श्री निर्मल कान्त चटर्जी" के स्थान पर "श्री निर्मल कान्ति चटर्जी" पढ़िये ।

विषय-सूची

नवम माला,	खंड 5,	दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)
अंक 36,	सोमवार, 7 मई	1990/17 वैशाख, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 719, 721 और 723 से 726	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—193
तारांकित प्रश्न संख्या : 718, 720, 722, 727 से 735, 737, 738 और 637।	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7651 से 7682, 7684 से 7710, 7712 से 7717, 7719 से 7765 और 7767 से 7793	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	193—196
नियम 377 के अधीन मामले	196—199
(एक) केरल में चित्रलोन में विशेष रिफ्रेक्टरी परियोजना स्थापित किये जाने हेतु मंजूरी दिए जाने की मांग	
श्री एस० कृष्ण कुमार	196—197
(दो) ईसाई धर्म अपनाने वाले हरिजनों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की मांग	
प्रो० के० वी० थामस	197
(तीन) किसानों को, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की मांग	
श्री हरपाल सिंह पंवार	197
(चार) राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित "मेवाड़ काम्प्लेक्स स्कीम" को कार्यान्वित किए जाने की मांग	
श्री गुलाब चन्द कटारिया	198

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ

(पांच) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के शहतूत उत्पादकों को पूर्णतया बर्बाद होने से बचाने हेतु शहतूत की बीमारी की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा 198

(छ:) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की मांग

श्री अजय मुखोपाध्याय 198--199

नियम 193 के अधीन चर्चाएं 199—214

(एक) देश में मूल्यों में वृद्धि

श्री के० डी० सुल्तानपुरी 200—202
प्रो० प्रेम कुमार धूमाल 202—203
श्री वाई० एस० महाजन 203—204
प्रो० राम गणेश कापसे 204—205
कुमारी मायावती 206—207
श्री युवराज 207—208
श्री पीटर जी० मरबनिआंग 208—209
श्री सुधीर गिरि 209—210
श्री गोपी नाथ गजपति 210—211
श्री हुकमदेव नारायण यादव 211—212
प्रो० के० वी० थामस 212—213
श्री रामेश्वर प्रसाद 213—214

(दो) दिल्ली में हाल ही में हुई आग लगने की घटनाएं 238—271

प्रो० रासा सिंह रावत 239—243
श्री पी० आर० कुमारमंगलम 243—247
श्री बालगोपाल मिश्र 247—248
श्री अजय मुखोपाध्याय 248—250
श्री जे० पी० अग्रवाल 250—252
श्री मदन लाल खुराना 252—255
श्री लोकनाथ चौधरी 255—256
कुमारी मायावती 256—258
श्री युवराज 258—256
श्री विजय कुमार मल्होत्रा 259—260
श्री गुलाब चन्द कटारिया 260—261

विषय	पृष्ठ
श्री एम० एस० पाल	261—264
श्री सुधीर गिरि	264—266
श्री सैयद मसूदल हुसैन	266
श्री सुबोध कान्त सहाय	266—271
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91	214—223
जल संसाधन मंत्रालय	229—238
और	
कृषि मंत्रालय	
श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर	216—222
श्री गोविन्दभाई कानजीभाई शेखड़ा	229—231
प्रो० महादेव शिवनकर	231—233
श्री के० एस० राव	233—237
श्री प्रताप सिंह	237—238
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	223—229
(एक) तेल उद्योग के अधिकारियों द्वारा अपने वेतनमानों और महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के प्रश्न पर 8 मई, 1990 को हड़ताल पर जाने की धमकी	
श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी	223—229
(दो) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरीक्षा	262—264
श्री चिमनभाई मेहता	262—264

लोक सभा

सोमवार, 7, मई 1990/17 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आधुनिक प्रौद्योगिकी

[अनुवाद]

*719. श्री कैलाश मेघवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, जहां पुरानी प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास की प्रगति में बाधा का मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय) ने नेशनल रजिस्टर ऑफ फॉरिन कॉलेबोरेशन्स तथा टेक्नोलॉजी एब्जॉरप्शन एण्ड एडेप्टेशन स्कीम नामक दो विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से उद्योग विशेष में प्रौद्योगिकी के स्तर (स्टेटस) का पता लगाने के लिए कई अध्ययन किए थे। पूरे हो चुके अध्ययनों में से कुछ में स्टील, सीमेंट, सिन्थेटिक रेशे, फर्टिलाइजर्स, टायर्स मैटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, मोपेड्स, बैटरीज, कुछ निश्चित औषधियां व विशिष्ट रसायनों जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन अध्ययनों में उद्देश्य संबंधित उद्योग में प्रौद्योगिकी अंश, एडेप्टेशन माँग, प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने के प्रयासों व इस प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए वांछित उपायों का मूल्यांकन करना था ताकि हमारे आर्थिक विकास में योगदान मिल सके।

इन अध्ययनों ने प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों व सुधारात्मक कदमों पर प्रकाश डाला है जिन्हें ऊर्जा बचतों, उत्पादकता व कार्य क्षमता सुधार जैसे विशिष्ट पहलुओं के संबंध में प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए उठाया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रौद्योगिकी स्तर के बेहतर परिबोधन (एप्रीसिएशन) तथा उद्योग में प्रौद्योगिकी अप्रचलन के स्थिरीकरण को दूर करने के लिए इन अध्ययनों को संबंधित सरकारी विभागों, उद्योगों तथा अन्य संगठनों को प्रकाशित-प्रसारित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया में सम्पूर्णता आंकलन के दो आधार हैं। मैं बिना भूमिका बनाए विकासशील और विकसित राष्ट्रों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हिन्दुस्तान विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो, इसके लिए प्रौद्योगिकी दृष्टि से जो तकनीकें सारे विश्व में अपनाई जा रही हैं और देश विकास की ओर बढ़ रहे हैं। क्या उस तकनीकी ज्ञान को आप हिन्दुस्तान में लागू करने का विचार रखते हैं, जिससे कि आम आदमी की खुशहाली बढ़ सके? आपने जिन क्षेत्रों में प्रौद्योगिक अध्ययन किए हैं, वे क्या आप अपर्याप्त मानते हैं? क्योंकि उनमें मानवीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और उपभोक्ता वस्तुयें पैदा करने वाले जो उद्योग हैं, उन उद्योगों के बारे में आपने कोई अध्ययन नहीं किया है। क्या आप इसको करने का विचार रखते हैं और दुनिया में जो तकनीकें चल रही हैं आधुनिकीकरण की, उनको अपनाने का विचार रखते हैं?

[अनुवाद]

डा० राजा रमन्ना : महोदय, सदस्य द्वारा उठाई गई समस्याओं से सरकार पूरी तरह अवगत है। यहां तक कि वर्ष 1983 से पूर्व भी सरकार ने प्रौद्योगिकी नीति सम्बन्धी वक्तव्य जारी किया था। इसके परिणामस्वरूप दो निकाय बनाये गए हैं। पहला निकाय नेशनल रजिस्टर ऑफ फारेन कोलेबोरेशन तथा दूसरा टेक्नोलॉजी एबजोर्पशन एंड एडापटेशन स्कीम है। इन दोनों समितियों ने, जिनमें विषय संबंधी विशेषज्ञ होते हैं, यह विश्लेषण किया है कि विदेशों से सूचना कैसे मंगाई जाए तथा हमारी प्रौद्योगिकी क्षमता तथा गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार किए जाएं तथा इन सबसे ऊपर यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इन प्रौद्योगिकी का आयात करना अनिवार्य है अथवा उन्हें कैसे स्वदेश में विकसित किया जा सकता है। अतः ये मंत्रालय के अत्यन्त शक्तिशाली निकाय हैं तथा विभिन्न पक्षों पर विभिन्न रिपोर्ट दे रहे हैं। इस समय मैं अपने देश को यथासम्भव आधुनिक बनाने के लिए नये क्षेत्रों का पता लगाने सम्बन्धी उन रिपोर्टों के बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। ये रसायन पैट्रो-रसायन, औषधि, फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिकी, इंजीनियरिंग उद्योग, मौसम-विज्ञान, परिवहन तथा अन्य विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। देश में इस समय वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर संबंधी रिपोर्टों की सूची है। वे हाथ के औजार तथा फाइबर ग्लास इत्यादि से संबंधित हैं। यह सूची काफी लम्बी है। यदि वह चाहते हैं तो मैं इसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री कैलाश मेघवाल : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पुरानी और आउट डेटिड टेक्नॉलोजी के आधार पर कुछ पूंजीपति घराने इस देश में उत्पादन कर रहे हैं और उनका यह प्रयास रहता है कि आधुनिक तकनीक का आयात इस देश में न हो जिससे कि उनके उद्योगों पर कोई प्रभाव न पड़े। सीमित विदेशी मुद्रा कोष होने और एन०आर०आई० से प्राप्त कोष का उपयोग उपभोक्ता सामग्री के आयात में किये जाने के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा कोष में और आधुनिक तकनीक के आयात में कमी आती है। क्या इसको आप बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे ?

[अनुवाद]

डा० राजा रमन्ना : सदस्य का कहना सही है कि अक्सर आयातित औद्योगिकी बहुत जल्दी ही पुरानी हो जाती है। परन्तु मैं सोचता हूं कि यह काम हमारे विशेषज्ञों का है कि वे प्रौद्योगिकी को अध्ययन करें ताकि इसकी तुलना अन्य देशों की प्रौद्योगिकी के साथ की जा सके। इसी उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने इन समितियों का गठन किया है जहां पर अव्याव-हारिकता का पता लगाया जा सके। कुछ ऐसे उद्योगपति भी हो सकते हैं जो यह चाहेंगे कि यही पुरानी प्रौद्योगिकी चलती रहे। परन्तु यह हमारा कार्य है कि हम उन्हें बतायें कि अततः उन्हें नुकसान होगा।

श्री एम०एम० पल्लम राजू : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में प्रौद्योगिकी को अनुकूल बनाए जाने के बारे में उल्लेख किया है। परन्तु कम्प्यूटर जैसे क्षेत्र में क्या हो रहा है। यद्यपि प्रौद्योगिकी अन्तरण से संबंधित हमने समझौते किये हैं, परन्तु इस प्रौद्यो-गिकी को अपनी आवश्तकताओं के अनुरूप विकसित करने से पूर्व ही यह पुरानी हो जाएगी। लेकिन, मैं समझता हूं कि इसका कारण अनुसंधान और विकास की अपर्याप्त सुविधाओं और इन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की धीमी गति है। आप इस बारे में क्या कर रहे हैं ?

डा० राजा रमन्ना : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि कुछ प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रोनिक्स बहुत जल्दी पुरानी पड़ जाती है। यहां तक कि हमारे किसी देश से कोई प्रौद्योगिकी ग्रहण करने से पूर्व ही प्रौद्योगिकी की एक नई श्रृंखला आ जाती है। प्रश्न यह है कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि हम इस समस्या को अपने देश में अनुसंधानों द्वारा सुलझा सकते हैं। देश में अनेक अनुसंधान एकक हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, हमारे अनुसंधानों का सबसे अधिक योगदान सोफ्टवेयर्स के क्षेत्र में रहा है। हार्ड-वेयर्स में हम अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। सभी समस्याओं को समझा जा चुका है। मैं समझता हूं कि आगामी 10 वर्षों में हम जान पाएंगे कि हमने अपने बनाये हुए विभिन्न आयोगों द्वारा क्या खोया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विदेशी प्रौद्योगिकी को अपनाने के सुझाव की प्रशंसा करते हुए मेरा प्रश्न अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति के सम्बन्ध में है। माननीय मन्त्री महोदय ने अपने

उत्तर में कहा कि वह अपनी अर्थ व्यवस्था को आधुनिक रूप देना चाहते हैं। मैं इस विचार का कड़ा विरोध करता हूं। हमारी अर्थ व्यवस्था की समस्या को किसी भी कीमत पर आधुनिकीकरण की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए मेरा प्रश्न है कि आर्थिक विकास की क्या आवश्यकताएं हैं ? क्या आपने इस दृष्टि से प्रौद्योगिकी की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है ? आर्थिक विकास देश की जनता के विकास से सम्बन्धित है और इसका इससे कोई संबंध नहीं है कि हम कुछ विशेष क्षेत्रों में अन्य विश्व से कितने आधुनिक और उनकी तुलना में कहां हैं ?

डा० राजा रमन्ना : महोदय, मैं समझता हूं कि जीवन स्तर और आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सीधा संबंध है। यह कहना गलत है कि हम पुरानी प्रौद्योगिकी अथवा अप्रचलित प्रौद्योगिकी द्वारा ही कार्य कर सकते हैं। इससे जीवन स्तर नहीं सुधारा जा सकता। हमें भी अन्य विकसित देशों की भांति आधुनिक प्रौद्योगिकी को निरन्तर अपनाते रहना चाहिए। आप देखेंगे कि स्वतः ही हमारी अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा।

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत की प्रतिभायें विदेशों में जाकर एक चमत्कार कर रही हैं और इसलिये यहां की प्रतिभाओं को ठीक प्रकार से प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इस कारण से, भारत में आने के बावजूद भी विवश होकर वापिस लौट-लौट करके विदेशों में जाने के लिये मजबूर होना पड़ता है। क्या हमारी प्रतिभाओं को केन्द्र सरकार ने प्रोत्साहन देने हेतु कभी कोई विशेष योजना और पुरस्कृरित योजनायें बनाई हैं, जिससे हमारी प्रतिभायें विदेशों को पलायन न करें ? भारतीय जो विदेशों में जाकर चमत्कार दिखा रहे हैं, वे भारत में ही रह कर और अपने चमत्कार दिखाकर देश का नाम ऊंचा करें, ऐसी मेरी कामना है।

[अनुवाद]

डा० राजा रमन्ना : महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि देश से प्रतिभा पलायन हो रहा है। इन प्रतिभाओं के देश में न रहने के कारण विकास की दृष्टि से काफी हानि होती है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या इसका कारण हमारे द्वारा जुटाई गई सुविधाएं हैं या इस प्रतिभा पलायन का कारण हमारा सामाजिक ढांचा है ? मैं यहां यह अवश्य बताना चाहूंगा कि घरों, स्कूलों यहां तक कि माता-पिता उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं 'कि तुम सक्षम हो और अमरीका जाओ।' वह इसे अन्तिम लक्ष्य समझकर अमरीका चला जाता है। वास्तव में माननीय सदस्य महोदय सहित बहुत कम लोग, इस बात को बढ़ावा देते हैं कि उन्हें अपने देश में ही रहना चाहिए। यह कमी है।

श्रीमती उमा गजपति राजू : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि तृतीय विश्व देश निरन्तर विकसित प्रौद्योगिकी के रूप में विदेशी सहयोग के लिए भंडारण के रूप में प्रयोग किए जाते है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार

द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि हम केवल मूल प्रौद्योगिकी ही आयात करें ? इसके लिये क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं जिसके अनुसंधान और विकास कार्यों में प्रतिभाओं से ही काम लिया जाए और उन्हें अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए देश की सहायता के लिए देश में बने रहने के लिए बाध्य किया जा सके ?

डा० राजा रमन्ना : महोदय, प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर यह है कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रणालियां हैं जिसके द्वारा पुरानी व अप्रचलित प्रौद्योगिकी का यहां मन्डारण नहीं हो सकता। हमारा उनके स्तर पर ध्यान रहता है। इसका मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया है। सरकार द्वारा दो निकायों का गठन किया गया है जिनका मुख्य कार्य यह देखना है कि क्या आयातित प्रौद्योगिकी पुरानी व अनावश्यक तथा मंहगी है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें देश के विशेषज्ञों पर निर्भर करना होगा।

श्री गिरिधर गोमांगो : अपने देश में हमने पुरानी, आधुनिक और उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी को अपनाया है। हमने अनुसंधान और विकास कार्यों को भी अपनाया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी हम अपना रहे हैं। प्रौद्योगिकी में विकास के लिए यह सभी बातें आवश्यक हैं। उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी को अपनाना आवश्यक है। अनुसंधान और विकास के लिए उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी को अपनाने का लक्ष्य उत्पादन की ऊंची लागत को कम करना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए विचार कर रही है जिससे हम आयात के कारण उत्पादन की अधिक लागत को कम करने में सफल हो सकें अथवा प्रौद्योगिकी जिसे अपनाया और विकसित किया जाएगा उसे इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें।

डा० राजा रमन्ना : मैं समझता हूं कि सदस्य महोदय ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है क्योंकि अनुसंधान और विकास प्रत्येक उद्योग के लिए अत्यन्त आवश्यक है यदि इसकी कार्य-कुशलता में सुधार करना है और उत्पादन लागत कम करनी है। किन्तु दुर्भाग्यवश सरकारी उद्योगों को छोड़ कर गैर सरकारी उद्योगों में अनुसंधान और विकास इतना प्रभावशाली नहीं रहा है संभवत: इसीलिए अधिक लागत आती है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी उद्योगों में चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में एक अनुसंधान और विकास एकक होना चाहिए जो मुख्यत: लागत कम करने की ओर ध्यान दें। मेरा विचार है कि सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि सभी प्रौद्योगिक संगठनों में अनुसंधान और विकास इकाइयां होनी चाहिए।

श्री गिरिधर गोमांगो : यदि प्रौद्योगिकी विकास के लिए अधिक पूंजी निवेश अपेक्षित है तो भारत सरकार अनुसंधान और विकास के लिए धनराशि आबंटित करने में प्राथमिकता देने के लिए क्या कर रही है ?

डा० राजा रमन्ना : यह देखा गया है कि उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास पर 4 प्रतिशत से कम राशि खर्च की जा रही है। सम्भवत: यह अभी बहुत थोड़ी है। वास्तव में

अधिक पूंजी निवेश करना होगा और अच्छे लोगों से सहायता लेनी होगी जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास कर सकें।

श्री ए०के० राय : हम में से जो लोग प्रौद्योगिकी संस्थानों से आए हुए हैं उन्हें देश की स्थिति पर बहुत दुःख हो रहा है। एक-तरफा विकास चाहे अर्थव्यवस्था में हो या कृषि में यही देश के राजनीतिक असंतुलन का मूल कारण है।

और इसमें केवल आयात ही नहीं परन्तु प्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी का प्रश्न आत्म-निर्भरता और देशज विकास के महत्व पर निर्भर करता है क्योंकि 80 करोड़ लोगों का देश आयात पर निर्भर नहीं कर सकता है। हमें स्वयं सारा कुछ तैयार करना है। आप देखेंगे कि आज टमाटर की चटनी से लेकर टूथ पेस्ट तक के लिए विदेशी सहयोग पर निर्भर करते हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार सभी विदेशी कम्पनियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ 5 वर्ष के लिए सहयोग के लिए रोक लगाएगी और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को प्रौद्योगिकी तैयार करने के लिए करेगी ताकि हम इस आधुनिक विश्व में मुकाबला कर सकें।

डा राजा रमन्ना : सम्भवतः माननीय सदस्य ने देश के विकास के संबंध में अत्यन्त निराशावादी दृष्टिकोण अपनाया है। देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पूर्ण रूप से देशी हैं और हमारे युवाओं, युवा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों की प्रतिभा से बनी हैं। अतः माननीय सदस्य द्वारा गम्भीर चेतावनी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि विदेशी जानकारी के आधार पर बहुत सा आयात किया जा रहा है जो देश में भी उपलब्ध है। किन्तु, उद्योगपतियों के प्रयास से भारतीय जानकारी का प्रयोग किया जा सकता है जो कभी-कभी अच्छी किस्म का होता है और कभी-कभी नहीं होता है। विश्व सिकुड़ता जा रहा है जिसमें मेरे विचार से विश्व व्यापार न केवल आत्म-निर्भरता पर किन्तु परस्पर निर्भरता पर निर्भर है।

वन संरक्षण

*721. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वनों के संरक्षण के लिए किये गये कानूनी तथा विकास संबंधी उपाय अब तक कितने सफल रहे हैं; और

(ख) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) वन (संरक्षण अधिनियम, 1980 के बनने तथा 1988 में इसमें संशोधन करने से वनेत्तर उपयोग के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने की वार्षिक दर 1.5 लाख हैक्टेयर

(1951-1980 के 30 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर) से कम होकर 15,400 हैक्टेयर (1980-1989 के आंकड़ों के आधार पर) हो गई है। उपग्रह प्रतिबिंबिकी का प्रयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार 1981-83 तथा 1985-87 के बीच सघन वन आवरण में 16,456 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। विकास उपायों में विभिन्न वनरोपण स्कीमें शामिल हैं जिनके जरिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 1.77 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर वन रोपण करना संभव हुआ है जबकि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति-वर्ष 0.93 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर वनरोपण किया गया था।

(ख) वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों के संरक्षण पर और अधिक बल दिया गया है। चराई, आग और अवैध कब्जों से वनों की सुरक्षा के लिए इसमें विशेष उपबंध हैं।

2. गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया था। 1988 में इसमें संशोधन करके इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है।

3. वनों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपबंधों को लागू करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों की सहायता हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

4. घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के स्थान पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

5. पैकिंग, रेलवे स्लीपरों, भवन निर्माण, फर्नीचर आदि में लकड़ी के बदले वैकल्पिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

6. इमारती लकड़ी के लिए आयात-नीति को उदार बना दिया गया है।

7. झूम खेती को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

8. ग्रामीण समुदायों को ईंधन, चारा और इमारती लकड़ी के वैकल्पिक स्रोत मुहैया कराने के लिए सामाजिक वानिकी और परती भूमि विकास पर जोर देना।

9. वनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ दिशा-निर्देश नीचे दिये जाते हैं :—

   1. प्राकृतिक वनों की कटाई से बचना और जहां फसलों की बहाली अथवा अन्य वन-वर्धन कार्यों के लिए इस प्रकार की कटाई जरूरी हो, वहां पहाड़ों

पर इसका क्षेत्र 10 हैक्टेयर और मैदानों में 25 हैक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. पहाड़ों पर 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की कटाई पर कम से कम कुछ सालों के लिए प्रतिबंध लगाने पर विचार करना।

3. पहाड़ियों और पर्वतों पर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना, जिनमें वनों की कटाई से सुरक्षा करने और तत्काल व्यापक वनरोपण की जरूरत है।

4. देश में 4 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीवमंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षा क्षेत्रों के रूप में अलग रखना।

5. दावानल से वनों की सुरक्षा के लिए उपाय करना।

10. अवक्रमित भूमि पर पुनः वनरोपण और परिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करके परती भूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

11. सरकार भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन्यजीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैंने विवरण पढ़ लिया है। इसमें नीति संबंधी मामलों में कुछ परिवर्तन है। मैं पूछना चाहता हूं कि वनों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा और अन्य रियायती उपायों को देखते हुए जो 1962 से 1988 तक समाविष्ट किए गए हैं किन्तु लागू नहीं किए जा रहे हैं जिसके कारण जनजातीय लोगों को बहुत कठिनाइयां हो रही हैं।

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, वन (संशोधन) अधिनियम, 1980 और 1988 में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बदले सरकार अब तक व्यापक वन कानून लाने का विचार कर रही है जिसमें 1927 के पुराने अधिनियम में कुछ धाराओं में संशोधन किया जाएगा जो अब सरकार के विचाराधीन हैं। यह सभी मामले अन्तर्मंत्रालय समिति को भेजे गए। उन्होने इसे पढ़ लिया है और कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है और अब यह मंत्रीमण्डल के समक्ष है।

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय वनों को नष्ट कर दिया गया अथवा जनजातीय लोगों द्वारा वनों में झूम खेती करने के कारण वन क्षेत्र में कमी आ गई है। इन क्षेत्रों में लगभग 5000 वन ग्राम है। महोदय, सरकार कभी राष्ट्रीय उद्यान का नाम देकर वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों की ओर ध्यान दिए बिना वनों को सुरक्षित रखती है। ऐसा हाल ही में हुआ

है जब वे खेती करना चाहते थे। 1952 का अधिनियम लागू होने से पूर्व जनजातीय लोग यही समझते थे कि वनों पर उनका अधिकार है। अतः यहां यह प्रश्न उठता है, जनजातीय लोगों को कैसे बसाएं, जो झूम खेती करते हैं और जो ग्रामों में रहते हैं। उन लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप किस प्रकार के उपाय कर रहे हैं।

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, वन क्षेत्र में जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में इन मामलों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इसके लिए अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा के संबंध में कुछ सिद्धान्त निर्धारित किए हैं।

श्री बालगोपाल मिश्र : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र की कुल प्रतिशतता क्या है और नैशनल रिमोट सेंसिग एजेन्सी की वन क्षेत्र के संबंध में क्या रिपोर्ट है ? दूसरा, अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां हम स्वयं वन विभाग के अधिकारियों से ही वनों को बचाना है क्योंकि इन से वनों को बहुत खतरा है। क्या सरकार ग्रामीण लोगों और जनजातीय लोगों को वनों के संरक्षण के काम पर लगाने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार उन्हें वनों की सुरक्षा करने का अधिकार और इसका लाभ उठाने देगी ?

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय रिपोर्ट के अनुसार देश का वन क्षेत्र 751.80 लाख हैक्टेयर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 22.8 प्रतिशत है। भारतीय सर्वेक्षण और नेशनल रिमोट सैंसिग एजेन्सी द्वारा लगाए गए अनुमान से वास्तविक वन क्षेत्र 642 लाख हैक्टेयर है जो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.52 प्रतिशत है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने प्रश्न का दूसरा भाग दोहराएं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वनों को वन विभाग के अधिकारियों से कैसे बचाया जाए और जनजातियों के अधिकारों की किस प्रकार जमानत दी जाए ?

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, इस बारे में भी विचार किया गया है। मंत्रीमंडलीय समिति ने भी इस पर विचार किया है और उन्होंने भी वन-क्षेत्रों के लोगों, खासकर वहां रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीणों को सहायता पहुंचाने के तरीके सुझाये है, और इसकी तुरन्त बारीकी से जांच की जायेगी।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवणकर : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र का जो भू-भाग है और विशेष रूप से नागपुर, भण्डारा, चन्द्रपुर और गांव चिरोली के इलाके है, इन जिलों में जो चरागाह की भूमि है, इसको शासन ने वन विभाग की भूमि घोषित किया है। उसके कारण

वन संरक्षण कानून लागू हुआ जिसके वजह से सिंचाई के प्रकल्प और बाकी सारे प्रकल्प हैं, वे रुके हुए हैं। गत वर्ष केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी घोषित की थी, उसकी कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए तो अलग से नोटिस चाहिये।

प्रो० महादेव शिवनकर : इसके संबंध में मेरा सवाल यह है कि यह जो चरागाह की भूमि है और जिसे भुड़पी दंगल कहा जाता है, उसके संबंध में वन संरक्षण कानून को उस भूमि से निकालने के संबंध में क्या सरकार कोई विचार करेगी या इसके संबंध में क्या कोई कमेटी गठित करने का विचार है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उनके प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दीजिये।

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, झुरपी दंगल के संबंध में फिलहाल कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। उसके लिये मैं एक पृथक् नोटिस चाहता हूं।

प्रो० के०वी० थामस : महोदय, केरल की सरकार देश के पर्यावरण तथा वन से संबंधित अधिनियमों का निरन्तर उल्लंघन कर रही है। चिमिनी परियोजना, जिसका भारत सरकार के पर्यावरण विभाग ने अभी अनुमोदन नहीं किया है (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

प्रो० के०वी० थामस : भारत सरकार का इस मामले से संबंध है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री जी उत्तर दे सकें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० के०वी० थामस : चिमिनी परियोजना को भारत सरकार के पर्यावरण विभाग का अनुमोदन नहीं मिला है और केन्द्रीय वन आयुक्त, बंगलौर का यह स्पष्ट निर्देश है कि वृक्ष काटे न जायें। केरल उच्च न्यायालय के एक स्थगन आदेश के अनुसार भी वृक्षों को काटा नहीं जाना चाहिये। किन्तु वृक्षों को काटा जाना बेरोकटोक जारी है।

अध्यक्ष महोदय : इस विशिष्ट प्रश्न के विषय में मंत्री जी को जानकारी नहीं होगी। वह आपको कैसे उत्तर दे सकते हैं ?

प्रो० के०वी० थामस : मेरा विशिष्ट प्रश्न चिमिनी परियोजना के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप राज्य सरकार के साथ पत्राचार के विषय में जानना ही चाहते हैं तो आप एक पृथक नोटिस दीजिये। वह उत्तर कैसे दे सकते हैं ? वह नोटिस चाहते हैं।

प्रो० के०वी० थामस : महोदय, यह केरल की एक प्रमुख समस्या है। दूसरी बात, ऐसा एक फैसला है कि 1974 के पश्चात् यदि वन क्षेत्र पर कोई अतिक्रमण का मामला हो तो

अनुमति नहीं दी जायेगी और पट्टा नहीं मिलेगा। अब इस मुद्दे को फिर से उठाया गया है और भारत सरकार के पास भेजा गया है। भारत सरकार द्वारा अनुमति दिये बिना ही, उन्होंने सभी अतिक्रमणों को अनुमति देना प्रारम्भ कर दिया है। यह बड़ी गम्भीर बात है। यदि अतिक्रमण चलता रहा तो केरल एक और मरुस्थल बन जायेगा। अतः भारत सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनके प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे सकते हैं ?

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, यदि सदस्य महोदय मुझे कोई विशिष्ट उदाहरण दे सकें तो मैं निश्चय ही उस पर गौर करूंगा और जांच करूंगा कि क्या कार्रवाई की गई है। किन्तु जहां तक प्रश्न के अन्य भागों का संबंध है, मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि वे इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होते।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही ऐसी व्यवस्था दी है।

[हिन्दी]

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के दो पक्ष हैं। एक तो वन संरक्षण का है और दूसरा उसके विकास का है। जंगलों की कटाई और कारणों के साथ-साथ इस कारण से भी हो रही है कि जो गैर-पारम्परिक ऊर्जा है उसका विकास बहुत तेजी के साथ नहीं हो रहा है और लोग सामान्य तौर पर जलाने के लिए जंगलों की कटाई करते हैं। अध्यक्ष जी, जहां तक विकास का सवाल है, हर साल वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा जंगल लगाये जाते हैं। विश्व बैंक से पैसा भी मिलता है लेकिन दूसरे साल यदि आप वहां पर देखेंगे तो पता चलेगा कि लगाये गए वनों का मुश्किल से 5-10 प्रतिशत भाग का ही बच पाता है। इसके रख-रखाव के न होने से जंगल लगाने का विकास कार्य नहीं हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जहां तक संरक्षण का सवाल है, उसके चलते जो जंगल की कटाई हो रही है, उसमें क्या दूसरे संबंधित विभाग या मन्त्रालय से को-आर्डिनेट करके गैर-पारम्परिक ऊर्जा का विकास करेंगे जिनमें गोबर गैस सौर ऊर्जा या दूसरे जो अन्य तरीके हैं, उनके विकास के लिए को-आर्डिनेट करके काम करेंगे ? और दूसरा जंगल को बचाने के लिए अर्थात् जो जंगल लगाने का कार्य विकास के रूप में नहीं हो रहा है और उसमें जिस प्रकार की लापरवाही होने से उसका विकास नहीं हो पा रहा है। पौधे नष्ट हो जाते हैं, इसके लिए सरकार की ओर से दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या ऐसे कुछ प्रकरण माननीय मंत्री जी की जानकारी में आये हैं कि जंगल लगाने के बावजूद, पौधे लगाने के बावजूद, उचित रख-रखाव के अभाव में पौधे नष्ट हो जाते हैं। यदि मन्त्री जी के पास जानकारी है तो अब तक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो जिम्मेवार हैं, कुल कितने लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, यह एक तथ्य है कि कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार के उल्लंघन किये जा रहे हैं और यह भी एक तथ्य है कि जलाने की लकड़ी व चारे की कमी है

और ग्रामीण जनसंख्या में इनकी बड़ी मांग है और उसके लिए वानिकीकरण नितान्त आवश्यक है और सरकार इस लक्ष्य की ओर ध्यान दे रही है। इस हेतु हमने सामाजिक वानिकी कार्यक्रम अपनाया है। मेरे विचार से इससे उन क्षेत्रों में लोगों को वनों के पालन-पोषण में मदद मिलेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ए० नरंग साय : सर, यह प्रश्न हम लोगों से संबंधित है, मैं काफी देर से हाथ उठा रहा हूं, इसलिए आप मुझे भी प्रश्न पूछने का मौका दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ आप से ही नहीं, सारे देश से संबंधित है।

श्री ए० नरंग साय : वनों का हमसे ज्यादा सम्बन्ध रहा है। इसलिए हमें प्रश्न पूछने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इससे आपका अधिकार ज्यादा तो नहीं बढ़ जाता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, वनों की रक्षा विधिनिर्माण और वर्तमान वानिकी-अधिनियमों में संशोधन करके की जाएगी। वन, जो पहले राज्य-सूची के अन्तर्गत था, को समवर्ती सूची के अन्तर्गत लाया गया था। उसे समवर्ती सूची में लाने के बाद, सरकार देश में वन-रक्षा नहीं कर पा रही है। जब वन थे, तब वन-विभाग नहीं था और जब वन-विभाग अस्तित्व में आया, तो वन नहीं बचे। वन उजाड़े जा रहे हैं। अतः, किसी समन्वित कार्यक्रम का विकास किया जाना चाहिये क्योंकि वन-रक्षा का अन्येतर आर्थिक तथा सामाजिक समस्या से संबंध है। क्या मन्त्री जी बतलाएंगे कि क्या अधिनियम में व्यापक संशोधन प्रस्तुत करने का कोई प्रस्ताव है ताकि वन बचाये जा सकें और हमारे देश के वन-क्षेत्र का विस्तार भी किया जा सके? सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे भू-क्षेत्र का कुछ प्रभावी प्रतिशत वन-क्षेत्र के अन्तर्गत हो। मेरा विचार है कि अभी वह लगभग 13% है और वह 35% के आसपास होना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार हमारे देश में वनों की रक्षा हेतु आई०आर०डी०पी०, एन०आर०ई०पी०, 'गरीबों को सस्ता ईंधन' जैसा कोई समन्वित कार्यक्रम विकसित करेगी और आदिवासियों, संबन्धित क्षेत्रों के वासियों को वन की रक्षा करने का अधिकार देगी और क्या उन्हें वन-क्षेत्रों की वन्य-उपज का कोई निश्चित प्रतिशत हिस्से के रूप में मिल सकेगा।

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, मैं सदस्य महोदय की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इस समस्या के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, लिहाजा समन्वित प्रयास ही करने होंगे। जहां तक वन अधिनियम और उसके अमल का संबंध है, कई स्थानों पर वे ठीक विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसलिये, यह समीचीन समझा गया है कि 62 वर्ष

पुराने 1927 के अधिनियम ने अब इस अर्थ में भ्रान्ति उत्पन्न कर दी है कि इस बीच कुछेक राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने राज्यों में कानून बना लिये हैं और वे केन्द्रीय कानून के खिलाफ पड़ते हैं। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि विभिन्न मुद्दों को एक समन्वित रूप में लाया जाए ताकि 1927 के वन अधिनियम में संशोधन हो सके। मूल अधिनियम ही 62 वर्ष से अधिक पुराना है। कुछ राज्यों में दूसरे समानान्तर कानून हैं, कुछ अन्य राज्यों ने मूल अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किया है। अतएव, एक ऐसे व्यापक विधान का होना परमावश्यक है जो सभी जगह समान रूप से लागू किया जा सके ताकि उपयुक्त प्रावधान रखे जा सकें क्योंकि इस बीच बहुत से सामाजिक परिवर्तन हो चुके हैं। वे बातें पुराने अधिनियम में नहीं हैं। पुराने कानून में इन सब बातों को ध्यान में रखकर व्यापक रूप से संशोधित किया जाना चाहिये। इसी मध्य हमने कई राज्यों से भी सलाह-मशविरा किया तथा एक समिति का गठन किया। समिति में उस पर विचार हुआ और उन्होंने कई राज्यों से इस बारे में मशविरा किया कि संशोधन किस प्रकार का हो जो लोगों, खासकर आदिवासियों और वन-प्रदेशों में रहने वालों, के अनुकूल हो ताकि वे लोग वनों की देखभाल, पालन-पोषण और रक्षा कर सकें और स्वैच्छिक संगठनों की मदद से एक-दूसरे के एक-जैसे हितों की रक्षा भी की जा सके।

[हिन्दी]

श्री ए० लरंग साय : अध्यक्ष महोदय, वनों का विकास हो और उसमें हम सब भागीदार बनें, यह सब चाहते हैं। उन पहाड़ी इलाकों में जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वनों का विकास तो हो रहा है पर आदिवासियों का विनाश हो रहा है, उनका विकास अवरुद्ध हो रहा है। एक छोटा सा बांध बनना है, अगर वहां पर आधा एकड़ जमीन भी जंगल के रूप में आ रही है तो वहां यह स्कीम लागू नहीं हो रही है। रोज एक गांव से दूसरे गांव में जाना है और उसके बीच में अगर जंगल है तो वहां एक से दूसरे गांव में सड़क नहीं जा सकती है। क्योंकि बीच में जंगल पड़ जाता है। मैं आपके माध्यम से, मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन पहाड़ी क्षेत्रों में, उन आदिवासी गांवों में, उन इलाकों को में एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए जो रास्ता जाएगा, उसे वे छोड़ेंगे? छोटी-छोटी स्कीम जिसके अन्तर्गत आधा एकड़ जमीन डूबी हो, ऐसी जमीन को छोड़ दें ताकि आदिवासी गांवों का भी सिंचाई और आवागमन के साधन की दृष्टि से विकास हो सके। ऐसा कोई क्राइटेरिया करें कि उनको छूट हो।

[अनुवाद]

श्री गोलमणि राउतराय : महोदय, यही बातें मैंने भी पहले कही हैं, किन्तु लोगों खासकर आदिवासियों की कठिनाइयों और उन्हें परेशान किये जाने के कारण, हम एक ऐसी व्यापक योजना प्रस्तुत करने की बात सोचते रहे हैं जिसके द्वारा उनकी खासकर आदिवासियों की रक्षा की जा सके (व्यवधान)। आदिवासियों के लिए हमने यह विशेष सावधानी बरती है कि उनकी कठिनाइयों का, खासकर उनकी परम्पराओं का, उनके वनोपयोग के तरीकों तथा

वनोत्पादों खासकर छोटे-मोटे जंगलों के उत्पादों को उपयोग में लाने के उनके तरीकों का, और विशेष रूप से वहां बिछाई गई सड़कों के बारे में, विशेष ध्यान रखा जाए। इन चीजों में बाधा उत्पन्न की जा रही है और उनकी कठिनाइयों को हल करने के लिए, वह समिति नियुक्त की गई थी और उस समिति ने एक रिपोर्ट दे दी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मन्नलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान के आदिवासी इलाके में जो सिंचाई का बांध बना, जिससे आदिवासी प्रभावित हुए हैं, उनकी जमीन डूब गई है। वर्तमान में वह जंगलात की जमीन लम्बे समय से काबिज है। जब तक उनका कोई निर्णय नहीं हो और वन विभाग की कोई नीति स्पष्ट नहीं हो, क्या तब तक भारत सरकार राज्य सरकार को यह आदेश देगी कि उन लोगों को बेदखल नहीं किया जायेगा ? आदिवासी इलाकों में उन लोगों के झोंपड़े जलाये जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती अमानवीय व्यवहार करके भगाया जा रहा है। जगलों का विकास हो इस बारे में आदिवासी की साझेदारी क्या होगी और इस मामले में क्या निर्णय लेंगे, यह भी बताएं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राउतराय जी, उन्होंने आदिवासियों के सहयोग के संबंध में प्रश्न किया है।

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, नीति आदिवासियों का सहयोग लेने की रही है और उनका सहयोग कैसे प्राप्त किया जाये, प्रश्न के इस पहलू की जांच की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 722—श्री शान्ताराम पोटदुखे—अनुपस्थित। श्री दिलीप सिंह जू देव—अनुपस्थित।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार होना चाहिये। कोई पिछला उदाहरण होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज, आप उन्हें यहां उपस्थित रहने को कहिये। अब, प्रश्न संख्या 723--श्री श्रीकान्तय्या।

हसन (कर्नाटक) में कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा केन्द्र

*723. **श्री एच०सी० श्रीकान्तय्या** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी चयन आयोग कर्नाटक में किन-किन स्थानों पर अपनी परीक्षाएं आयोजित करता है;

(ख) क्या कर्नाटक में हसन में कर्मचारी चयन आयोग का एक परीक्षा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कर्मचारी चयन आयोग कर्नाटक में 6 स्थानों अर्थात्—बंगलूर, शिमोगा, धारवाड़, मंगलूर, मैसूर तथा गुलबर्गा में अपनी मुख्य परीक्षाएं आयोजित करता है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं ।

श्री एच०सी० श्रीकान्तय्या : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वह हसन को भी एक केन्द्र बनाने पर विचार करें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, हमने इसे नोट कर लिया है ।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी चयन आयोग के राजस्थान में कितने परीक्षा केन्द्र हैं ? क्या हमें इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कर्नाटक का सवाल है । यह कहां से कहां तक आ गये हैं ?

[अनुवाद]

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

स्तनपान संबंधी संहिता को तेजी से कार्यान्वित करना

*724. **श्रीमती सुभाषिनी अली :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्तनपान के संबंध में काफी समय पूर्व स्वीकृत की गई संहिता को तेजी से और कारगर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी निकायों में उच्च पदों पर नियुक्तियों की पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : (क) 19 दिसम्बर, 1983 को स्वीकार की गई 'स्तनपान संरक्षण और संवर्धन के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहिता' के कार्यान्वयन हेतु कोई नियुक्तियां करने का विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मैंने इसलिये पूछा था क्योंकि 1981 में डब्लयू०एच०ओ० ने इनफेंट कोड को पास किया था और उसके अन्तर्गत एक

स्पष्ट नीति बनाई गई थी कि जो बेबी फूड के मैन्यूफैक्चरर्स हैं, उनके विज्ञापनों पर सरकार को नियंत्रण लगाना चाहिये ताकि कहीं भी यह भ्रम न फैलाया जा सके कि आर्टिफिशली मैन्यूफैक्चर बेबी फूड जो हैं, वह भी छोटे बच्चों के लिये उतना ही लाभदायक है जितना कि मां का दूध। इसके अलावा इसकी जरूरत हमारे जैसे गरीब देश में कहीं ज्यादा है विकसित देशों से। इसका कारण एक यह है कि हमारे यहां ईंधन की कमी है, पानी को उबालने की समस्या है, बोतलों को साफ रखने की समस्या है। हमारे यहां गरीब परिवार के लोग हैं—जैसे वे गरीब परिवार के लोग दाल में पानी डाल-डाल कर बच्चों का पेट भरते हैं उसी तरह से पाउडर को डैल्यूट करके गरीब माता-पिता समझते हैं कि वह बच्चों के पेट को भर सकते हैं। इसलिये ऐसे फूड को हिन्दुस्तान में एडॉप्ट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन यहां हुआ क्या? 1986 में इस बारे में एक विधेयक राज्य सभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया, उसको लैप्स करने की इजाजत दे दी गई। हमको यह भय है कि जो मल्टीनेशनल कारपोरेशन्स हैं, जो बेबी फूड के मैन्यूफैक्चरर्स है, उनके दबाव की वजह से इस बिल को लैप्स करने दिया गया, जानबूझकर पिछली सरकार की तरफ से।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करिये।

(व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बिल को रिवाइव करके जल्द से जल्द इसको पारित करेगी या नहीं? क्योंकि ये है "बिटियों का वर्ष"······(व्यवधान)···सुन लीजिए जरा, हम लोग दरिया दिल हैं। हम कहते हैं कि बिटियों के साथ बेटों का भी फायदा हो, लेकिन इस बिल को पारित करना जरूरी है, इस देश की शिशुओं की जान को बचाने के लिये। सरकार क्या इसको बना कर पास करेगी या नहीं?

श्रीमती उषा सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना से हम सब वाकिफ हैं और इसका स्वागत भी करते हैं। सरकार की मंशा यह कतई नहीं थी कि जानबूझकर इस बिल को लैप्स कर दिया जाये।

श्रीमती सुभाषिनी अली : पिछली सरकार की थी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुभाषिनी अली, यह मंत्री जी द्वारा दिया गया पहला उत्तर है। उसे सुनिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती उषा सिंह : बच्चों आहार और दूध पिलाने वाली बोतल, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण संबंधी बिल 1986 में संबंधित मंत्रालय और विभागों से परामर्श करके तैयार

किया गया और 18 नवम्बर 1986 को राज्य सभा में पारित भी किया गया, यह बात सही है। परन्तु उसके बाद यह विधायिका सूची में बार-बार आया और बहुत नीचे रहने के कारण यह पारित नहीं किया जा सका। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है और हम इस बिल को लाने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष महोदय जो कुछ भी माननीय मंत्री महोदया जी ने यहां बताया उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। उनका यह पहला जवाब अच्छा था और मेरे तमाम मित्रों को अच्छा लगा, लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहूंगी कि वह बिल कितनी देर में और कितने समय में हमारे सामने आयेगा। हमारे देश के अन्दर जिस तरह के विज्ञापन ये बेबी फूड की कम्पनी यहां पर छपवा रही हैं यह बे-मिसाल है। दूसरे देशों में ऐसे विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं जहां पर यह दावा किया जाता है कि—

[अनुवाद]

बेबी मिल्क फूड मां के दूध जितना ही, बल्कि उससे भी अधिक उत्तम है।

[हिन्दी]

इसलिये मैं जानना चाहूंगी कि कितने समय में यह हमारे सामने नया कानून आयेगा।

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्या जानती हैं कि···(व्यवधान)···

श्री बी०एम० बनातवाला : लेडीज मामले में यह क्यों पड़ रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्रीमती सुभाषिनी अली : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जैसा कि माननीय सदस्या जानती हैं कि जब विधेयक पास होगा तो उसमें जो प्रावधान होंगे उसमें पैनल्टी क्लॉज भी रहेगा और इन सारी चीजों के लिये पिन पाउंटस पर भी विचार करना पड़ेगा। कौन मिनिस्ट्री रिस्पोंसिबल है यह भी देखेंगे ? हैल्थ मिनिस्ट्री का मामला है तो वह इस सम्बन्ध में कानून बना सकती है। इसका इम्पलीमैंटेशन कैसे हो यह लॉ मिनिस्ट्री का भी मामला है। इन सारी चीजों में तो समय लगेगा। इन कामों में 3-4 महीने का समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से सरकार की मंशा इसको लाने की है।

श्रीमती सुभाषिनी अली : 1990 खत्म होने से पहले यह बिल हमारे सामने आयेगा ?

श्री राम विलास पासवान : 1990 के खत्म होने से पहले आ जायेगा।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को और इस सदन की इतनी लम्बी राह देखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यही बिल मैंने नॉन आफिशियल प्राइवेट मेम्बर्स बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। गत सप्ताह वह बैलट में नम्बर दो पर रहा इसलिये चर्चा के लिये नहीं आ सका। मेरा सवाल यह है कि वही बिल अपना बिल करके शासन उसे एडॉप्ट कर लें। क्या सरकार इसी सैशन में यह बिल लेकर उसे मंजूर कराने की कोशिश करेगी ?

श्री राम विलास पासवान : चाहे इनका बिल हो, चाहे किसी दूसरे माननीय सदस्य का बिल हो, सरकारी जो बिल होता है वह पहले एग्जामिन होता है, फिर उसे संसद में रखा जाता है। एग्जामिन करने में थोड़ा समय तो देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होटा : मैं मूल प्रश्न का हवाला देना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार विधेयक के लोक-सभा में प्रस्तुत होने व पारित होने के कार्य को अन्तिम रूप दिये जाने तक के काल में कोई कार्यपालिका आदेश जारी करेगी। यह संहिता विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1981 में स्वीकृति की गई थी और बाद में 1983 में भारत सरकार द्वारा इसे अपनाया गया था। क्या इसी कार्यपालिका आदेश द्वारा प्रभावी किया जा सकता है।

दूसरे बेबी मिल्कफूड के उत्पादकों तथा सरकार का परस्पर संबंध है। बेबी फूड का प्रमुख उत्पादक राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड खुद है। अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी हैं जैसे नेसले, हिन्दुस्तान लीवर, वोल्टाज आदि। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के बीच भी संबंध है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार विधेयक को अन्तिम रूप दिये जाने तक बेबी मिल्कफूड की निर्मात्री कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, कोड तो कोड होता है, कोड आफ कंडक्ट होता है। जब कुछ नहीं बनता है तो कैसे इनफोर्स कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव आर्डर आप कर सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : अभी उस सम्बन्ध में विचार नहीं है, लेकिन हम जल्द से जल्द वह बिल लायेंगे और उसको पास करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : मैं सोचता हूं कि मंत्री जी को इस तथ्य का अहसास नही है कि 1981 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिषद ने स्तनपान पर तत्कालीन प्रधान-मंत्री,

स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी के जोर देने व व्यक्तिगत समर्थन देने के कारण इस संहिता को अंगीकृत किया था। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि 24 मार्च, 1988 के दिन, इसी सदन में, मुझे सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर आश्वासन दिया था कि कार्यवाही की जायेगी संहिता का प्रारूप बनाया जायेगा और विधेयक सभा पटल पर रखा जाएगा, दोनों सदनों में पेश किया जाएगा और उसी वर्ष, 1988, में उसे कानून बना दिया जाएगा। अब बदली हुई सरकार भी मुझे यही आश्वासन दे रही है। किन्तु दुर्भाग्यवश उस वक्त जो शक्तियां काम कर रही थीं वही अभी भी प्रभुत्व जमाये हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे प्रकरण उन शक्तियों का नियन्त्रण होने की बात है जिनका इस क्षेत्र में एकाधिकार है। बात इतनी साधारण नहीं है कि कोई इतना भर ही समझे कि कोई साधारण सा अधिनियम पास हो गया है अथवा वापस ले लिया है अथवा यह स्तनपान या दुग्ध-पान कराने वाली बोतलों को लेकर कोई वाक्‌चपलता का मामला है। ऐसा नहीं है। हम एक ऐसी मौलिक आवश्यकता की वस्तु में सरकारी तौर पर मिलावट होते हुए देख रहे हैं जो प्रत्येक बालक-बालिका के लिये जरूरी है और यह मिलावट सर्वाधिक शक्तिशाली सहकारी क्षेत्र अर्थात डेरी सहकारिता क्षेत्र, जहां अमूल महाराजा का एकछत्र राज्य है, के आशीर्वाद से की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत व पारित होने के बाद नौकरशाही में मौजूद लॉबी तथा बहुपक्षीय निगम के बीच मिलीभगत होने के कारण, कार्यान्वित ही नहीं किया गया (व्यवधान) क्या आप अमूल महाराजा को समर्थन दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिए।

(**व्यवधान**)

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : दुर्भाग्यवश उन्हें समझ भी नहीं आता। मुद्दा यह है कि सदन के भीतर यह आश्वासन मिलने का कोई लाभ नहीं कि इस वर्ष विधेयक प्रस्तुत होगा। मूल प्रश्न जो पूछा गया था यह था कि क्या सरकार, स्तनपान के संबंध में काफी समय पूर्व स्वीकृत की गई संहिता को तेजी से और कारगर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी निकायों में उच्च पदों पर नियुक्तियों की पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है। इसका उत्तर यह दिया गया था कि "....कोई नियुक्तियां करने का विचार नहीं है। उन्हें प्रश्न समझ आ जाना चाहिये था। आपसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूछा गया प्रश्न यह था कि कुछ अधिकारी-गण तथा बहुराष्ट्रीय निगम आपस में सांठ-गांठ करके यह सुनिश्चित करने में लिप्त हैं कि यह विधेयक, यह संहिता, विधेयक बनने न पाये। हमें ज्ञात है कि अमूल महाराजा कौन है। कोई नाम नहीं लेता है। क्या सरकार उन अधिकारियों को हटाने के कदम उठाएगी जो भारत में दूध में मिलावट जारी रखने के कार्य में लगे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि 1988 में ही यह जवाब दे दिया गया था। मैंने कई बार सदन में कहा है कि पहली सरकार ने क्या

किया, यदि हम उसमें जायेंगे तो विवाद का विषय बनेगा। इसलिए पहली सरकार ने क्यों नहीं किया, क्या किया, वह माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं अपनी सरकार के लिए जिम्मेदार हूं और इस सरकार की तरफ से मैंने बताया है कि 1990 तक विधेयक आ जायेगा। जब तक विधेयक आयेगा तो निश्चित रूप हम उस में पेनल्टी क्लाज भी लगायेंगे। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि बहुत से आफिसर मल्टीनेशनल के चंगुल में फसे हुए हैं और इस कारण यह विधेयक नहीं आ रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि यदि ऐसी कोई जानकारी माननीय सदस्य के पास है, तो वे लिख कर दें, हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश कापसे : सरकार सोचती है कि अधिनियम बनाने में कुछ समय लगेगा। किन्तु क्या वह बेबी फूड वगैरह के संबंध में टी०वी० तथा रेडियो पर होने वाले विज्ञापनों को रोकेगी ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हमने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को लिखा और उनकी तरफ से आपत्ति आई है, लेकिन मैं उसको दिखवा रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव : हम सभी को ज्ञात है किसमाज में माता व शिशु के बीच ममत्व तथा पारिवारिक प्रेम ही हमारी संस्कृति की शक्ति है। विकसित देशों में भौतिक विकास व समृद्धि के होते हुए भी सर्वाधिक धनीजन भी माता व शिशुओं के बीच के उसी प्रेम व ममता के लिये लालायित रहते हैं। इस पृष्ठभूमि में, क्या सरकार अब स्तनपान के प्रवर्धन के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सोच रही है ? यह किया जाना चाहिये बशर्तें कि माता के स्वास्थ्य को हानि न पहुंचे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जब विधेयक आएगा, तो उस पर हम लोग विस्तार से विचार करेंगे।

अमेरिका से सुपर कम्प्यूटर की खरीद

*725. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका से कितने सुपर कम्प्यूटर खरीदे जा रहे हैं ; और

(ख) इन्हें किस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जायेगा ?

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) मध्यम दूरी के लिए मौसम के पूर्वानुमान तथा मौसम विज्ञान संबंधी अन्य प्रयोजनों के लिए संख्यात्मक मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पहले ही खरीदे गए एक सुपर कम्प्यूटर के अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका से एक और सुपर कम्प्यूटर खरीदने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जिस सुपर कम्प्यूटर प्रणाली को खरीदने का प्रस्ताव है वह बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में लगाया जाएगा और इसका उपयोग वायुमंडल विज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, जैव इंजीनियरी आदि जैसे विभिन्न अग्रणी क्षेत्रों व अनुसंधान की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सुपर कम्प्यूटर खरीदने हेतु क्या टेण्डर दिए गए थे, अगर दिए गए थे, तो किस-किस देश ने टेण्डर दिए और क्या अमरीका ने भी टेण्डर दिया था ?

[अनुवाद]

डा० राजा रमन्ना : महोदय, उत्तर सकारात्मक है। एक निविदा जापान और एक अमरीका से प्राप्त हुई थी। जापान द्वारा अपनी निविदा पर अग्रेतर कार्यवाही न किए जाने के कारण अब हम अमरीका की निविदा पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जब रूस, जापान और फ्रांस जैसे देशों ने टेण्डर दिए और ये अच्छे कम्प्यूटर बनाते हैं और इनका नाम सारे संसार में है, तो इनसे क्यों सुपर कम्प्यूटर नहीं खरीदे गए और अमरीका से ही क्यों खरीदा गया ?

[अनुवाद]

डा० राजा रमन्ना : यह सही है कि बहुत से देश कम्प्यूटर का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि हमें किस प्रकार के कम्प्यूटर की आवश्यकता है। हमें ऐसा कम्प्यूटर चाहिए, जो हमारी मौसम विज्ञान तथा उच्च अनुसंधान संबंधी समस्याएं, जो हमारी मुख्य वैज्ञानिक समस्याएं हैं, उनका समाधान कर सकें। अन्य देश ऐसे कम्प्यूटरों का निर्माण नहीं करते हैं। इनका निर्माण केवल अमरीका और जापान में ही होता है। यही मुख्य बात है

(व्यवधान)।

श्री एम०एस० पल्लम राजू : महोदय, हमारे सुपर कम्प्यूटर की सबसे बड़ी कमी है—पर्याप्त साफ्टवेयर की कमी और यह उसकी संरचना के कारण है। मैं माननीय मन्त्री महोदय

से यह जानना चाहूँगा कि उचित एवं पर्याप्त साफ्टवेयर के विकास हेतु क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं, जिनसे हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। क्योंकि यह प्रश्न रक्षा विभाग से संबंधित है अतः मैं एक और प्रश्न करना चाहूँगा। सवाल यह है कि ये सुपर कम्प्यूटर रणनीति तैयार करने के अच्छे साधन हैं। विभिन्न रणनीतियों को तैयार करने के लिए साफ्टवेयर के विकास के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

डा० राजा रमन्ना : जहां तक किसी कम्प्यूटर के लिए साफ्टवेयर का प्रश्न है, मैं समझता हूँ इस देश की इस संबंध में अच्छी साख है। यदि भारत की ओर किसी वस्तु के लिए देखा जाता है तो वह साफ्टवेयर है, भारत को एक बेहतर साफ्टवेयर तैयार करने वाले राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। यदि कई सुपर कम्प्यूटरों के लिए हमें साफ्टवेयर विकसित करने पड़ें तो हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास प्रतिभावान व्यक्तियों की एक टीम है। मानवशक्ति की कमी का कोई सवाल ही नहीं है। जहां तक रक्षा से संबंधित प्रश्न का सवाल है, जो कि मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत उन्होंने पूछा है। यह साफ्टवेयर से संबंधित प्रश्न है। यह इसके विकास से संबंधित है। जब हम अन्य देशों के लिए साफ्टवेयर तैयार करेंगे, तो हम निश्चित रूप से अपने देश के लिए भी करेंगे।

उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए पुरस्कार

*726. **प्रो० रासा सिंह रावत** :

श्री मान्धाता सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने वर्ष 1988 में अपने शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए कुछ वार्षिक पुरस्कार शुरू किए थे।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुरस्कार प्राप्त करने वालों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) शिक्षकों के (i) विषय वस्तु (विषय) और (ii) शिक्षण की विषयवस्तु के क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए 3 पुरस्कार संस्थापित किए गए थे। इन पुरस्कारों का मूल्य क्रमशः 1000 रु०, 750 रु० और 500 रु० था।

(ग) शैक्षिक वर्ष 1988-89 के लिए 12 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। राष्ट्रीय स्तर की समिति द्वारा इनमें से मूल्यांकन करने पर किसी को भी वांछित कोटि के अनुरूप नहीं पाया गया और इसलिए इस वर्ष के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया गया।

प्रो० रासा सिंह रावत : महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इन पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए जो नियम बनाए गये हैं वे स्पष्ट नहीं हैं। यह पुरस्कारों की अवधि और किसी

प्रकाशन का उक्त अवधि में मुद्रण से संबंधित नहीं है। मुख्य विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है। क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि पांडुलिपि पर किए गये कार्य को विचारणीय विषय के अन्तर्गत क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री चिमनभाई मेहता : इन पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी और इसके लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं। बारह प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं और प्रारम्भिक चरण में ही उन्हें पुरस्कारों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। इसीलिए ये पुरस्कार नहीं दिये गए।

प्रो० रासा सिंह रावत : मेरा प्रश्न यह है कि पांडुलिपियों पर विचार क्यों नहीं किया गया ?

श्री चिमनभाई मेहता : सभी बारह प्रविष्टियों को विचारार्थ स्वीकार किया गया था। यदि वे सभी प्रविष्टियों की सूची चाहते हैं, तो मैं उन्हें दे सकता हूँ। पहली प्रविष्टि श्री डी० ओझा, पी०जी०टी० (संस्कृत) केन्द्रीय विद्यालय, राजकोट की है—पत्र-पत्रिकाओं में छपे चार लेख। दूसरी प्रविष्टि श्रीमती के० कलावती, पी०जी०टी० (रसायन शास्त्र) केन्द्रीय विद्यालय, मीनाम्बक्कम—एक पत्रिका में प्रकाशित वैज्ञानिक लेख है। तीसरी प्रविष्टि श्री के० अप्पूकुट्टन, पी०जी०टी० (अंग्रेजी) केन्द्रीय विद्यालय, पट्टम—एक रेखाचित्र है। इस प्रकार बारह प्रविष्टियां हैं। जांच समिति ने इन सब की समीक्षा की थी। इनके अलावा कोई प्रविष्टि नहीं थी और चूंकि अन्य कोई पांडुलिपि प्राप्त ही नहीं हुई थी, अतः कुछ पांडुलिपियों को स्वीकारने और कुछ को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गंगा में प्रदूषण

[हिन्दी]

*718. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गंगा के उद्गम स्थलों गंगोत्री और गोमुख में औद्योगिक एककों और इंजीनियरों द्वारा कई टन कोयले का चूरा फेंका जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो एकक और इन्जीनियर गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कोई ऐसा कानून है जिसमें गंगा में प्रदूषण फैलाने के दोषी पाए गए व्यक्तियों को सजा देने का प्रावधान हो; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रयोजन के लिए कानून बनाने के बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे लोगों के विरुद्ध, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एवं भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े राज्यों में महिला साक्षरता

[अनुवाद]

*720. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में साक्षर महिलाओं की संख्या का प्रतिशत क्या है;

(ख) गत दशक के दौरान साक्षर महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ग) महिला साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है तथा करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में महिलाओं की साक्षरता दर दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) साक्षरता आंकड़े दशवार्षिक जनगणना द्वारा एकत्र किए जाते हैं। महिला साक्षरता की दर 1971 में 18.69 प्रतिशत से बढ़कर 1981 में 24.82 प्रतिशत हो गई। चूंकि पिछली जनगणना 1981 में हुई थी अतः 1981 की जनगणना के बाद महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता में किस हद तक वृद्धि हुई है, इस बारे में 1991 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर मालूम होगा।

(ग) महिलाओं को शैक्षिक सुविधाओं की प्राप्ति में बरती जा रही असमानताओं को दूर करने की नीति को ध्यान में रखते हुए समूचे राष्ट्र में महिला शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए हाल ही में अनेक नीतियां शुरू की गई हैं, जिनमें ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं पर बल दिया गया है। इनमें से कुछेक निम्नलिखित हैं :—

(1) **महिला समाख्या** :—इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसा तन्त्र तैयार करना है जिनके द्वारा महिलाओं को उनकी अपनी शिक्षा की योजना तैयार करने और उसका निरीक्षण करने तथा ज्ञान का एक नया आयाम प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सके। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर शैक्षिक आयोजना की प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करना और शैक्षिक निवेश प्रदान करना है जैसे गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र, ग्रामीण स्कूल शिक्षकों का प्रशिक्षण और शैक्षिक सामग्री तैयार करना। इस परियोजना का शुभारम्भ 10 जिलों में, गुजरात और कर्नाटक, प्रत्येक में तीन-तीन तथा उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में किया गया है।

(2) **स्कूल शिक्षा** : स्कूल शिक्षा में, लड़कियों की शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल है—प्राथमिक स्कूलों के लिए और अधिक अध्यापिकाओं की भर्ती, पाठ्य-पुस्तकों तथा वर्दियों का निःशुल्क वितरण जैसी प्रोत्साहन योजनाएं, सभी सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में viii कक्षा तक और अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कक्षा x तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा।

(3) **गैर-औपचारिक शिक्षा** : शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित करने के वास्ते केन्द्र सरकार द्वारा 90% सहायता दी जाती है। शेष 10% सम्बन्धित राज्य सरकार पूरा करती है।

(4) **प्रौढ़ शिक्षा** : प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में महिलाओं को अधिक संख्या में शामिल करने के लिए जो विशिष्ट उपाय किए गए हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

— प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कम से कम 50% महिलाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए वातावरण तैयार करने के वास्ते महिला शिक्षकों को जुटाना;

— मौजूदा न्यूनतम अहर्ताओं में छूट देकर भी बड़ी संख्या में महिला प्रौढ़ शिक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे अनुदेशक और प्रेरक;

— बड़ी संख्या में स्वैच्छिक एजेन्सियों को, विशेष रूप से जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, शामिल करना;

— श्रमिक विद्यापीठों द्वारा महिला श्रमिकों पर अधिक ध्यान देना;

— महिला समानता बढ़ाने के प्रभावी एजेंटों के रूप में अनुदेशकों का विशेष अनुस्थापन और प्रशिक्षण;

— साक्षरता कौशल बनाए रखने के लिए अवसर प्रदान करना तथा उनकी जीवन स्थिति में सुधार लाने के लिए इस अध्ययन का प्रयोग;

— प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के साथ केन्द्रीय तथा राज्य समाज कल्याण बोर्डों को शामिल करना; और

— महिला साक्षरता तथा उनके अधिकार पर फिल्में तैयार करना और दूर-दर्शन के माध्यम से उन्हें प्रसारित करना;

— राज्य सरकारों को तदनुसार कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

विवरण

शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में महिलाओं की साक्षरता दर

क्रम सं०	राज्य	महिला साक्षरता दर
	भारत	24.82
राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	20.39
2.	असम	***
3.	बिहार	13.62
4.	जम्मू व कश्मीर	15.88
5.	मध्य प्रदेश	15.53
6.	उड़ीसा	21.12
7.	राजस्थान	11.42
8.	उत्तर प्रदेश	14.04
9.	पश्चिम बंगाल	30.25
10.	अरुणाचल प्रदेश	11.32

*** असम में उस समय की अशान्त परिस्थितियों के कारण जनगणना नहीं हो पाई।

नई शिक्षा नीति की समीक्षा

*722. **श्री शान्ता राम पोतदुखे :**

श्री दिलीप सिंह जू देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति की समीक्षा करने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित समीक्षा के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है तथा क्या इसमें शिक्षा के सभी स्तरों, अर्थात् प्राथमिक से कालेज तक, को शामिल किया जायेगा; और

(ग) यह मामला इस समय किस चरण में है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा करने के लिए प्राविधियां तैयार की जा रही हैं।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले किसानों को सुविधाएं

[हिन्दी]

*727. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले किसानों को दी जा रही राज्य-वार सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : सामाजिक वानिकी कार्यक्रम सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम का प्रमुख विषय फार्म वानिकी को बढ़ावा देना है। किसानों को पौध उगाने, और पौधशालाएं स्थापित करने, वृक्षारोपण इत्यादि के लिए मुफ्त अथवा रियायती दर पर पौध प्रदान की जाती है और तकनीकी सलाह एवं अन्य सहायता तथा प्रशिक्षण दिए जाते हैं। किसानों को पौधशालाएं लगाने और निजी परती भूमि पर वृक्षारोपण के लिए रियायती दरों पर कर्ज देने के लिए बैंकों को, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक पुर्नवित्त व्यवस्था करने की सुविधा प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।

(क) विकेन्द्रित जन पौधशालाओं के लिए केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के अधीन छोटे एवं सीमांत किसानों को पौध उगाने की लागत को पूरा करने के लिए अंशदान (सबसिडी) दिया जाता है।

(ख) लक्ष्य के अन्तर्गत निर्धारित समूह वाले (लघु एवं सीमान्त) किसानों की भूमि पर पौध उगाने और वृक्षारोपण के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) एकीकृत परती भूमि विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत निकृष्ट फार्म भूमियों को शामिल किया जाता है।

(घ) वृक्ष उत्पादक एवं फार्म वानिकी सहकारिताओं को प्रायोगिक आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ङ) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किसानों, विशेष रूप से लघु और सीमान्त किसानों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को निजी पौधशालाएं स्थापित करने और वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(च) सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निजी किसानों को फार्म वानिकी, चरागाह विकास और पौधशालाएं उगाने के लिए निकृष्ट भूमि का सुधार करने हेतु अंशदान (सबसिडी) दिया जाता है।

(छ) "नदी घाटी प्रायोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में भू-संरक्षण" कार्यक्रम के अन्तर्गत पहचान किए गए कल-संग्रहण क्षेत्रों की श्रेणी में आने वाली निजी किसासों की भूमि पर वृक्षारोपण के लिए सहायता दी जाती है।

यूरेनियम की तस्करी

*728. **श्री राम प्रसाद चौधरी :**

श्री जनार्दन तिवारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से नेपाल के रास्ते चीन और अमरीका को यूरेनियम की तस्करी की जा रही है;

(ख) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों में भारत से नेपाल को यूरेनियम तथा अन्य सामान की तस्करी के मामलों का पता लगा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(घ) जादूगुडा में सम्पूर्ण खान और मिल काम्पलैक्स की सुरक्षा पहले से ही केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा की जाती है जो कि रात-दिन ड्यूटी पर रहते हैं। जिस

स्थान पर उत्पाद संयंत्र से बाहर आता है, उसके चारों ओर तार लगे हुए हैं तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक सभी तीनों पारियों में उस स्थान की रखवाली करते हैं ताकि जादूगुडा से यूरेनियम सांद्र की चोरी न हो पाए।

महोत्सव पर किया गया खर्च

*729. श्री बान सिंह जाटव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1988 और 1989 के दौरान भारत द्वारा विदेशों में आयोजित कला और संस्कृति से संबंधित विभिन्न महोत्सवों और भारत में आयोजित किए गए अन्य देशों के सांस्कृतिक महोत्सवों पर मद-वार किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन महोत्सवों पर किए गए खर्च की इस बीच लेखापरीक्षा की जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो लेखा-परीक्षा की मुख्य टिप्पणियां क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) अभी तक केवल जापान में आयोजित भारत महोत्सव पर हुए व्यय की अप्रैल-मई, 1989 में लेखा-परीक्षा की गई है। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

सोवियत संघ में भारत महोत्सव
(जुलाई 1987—जुलाई 1988)

		(रुपयों में)
1.	उद्घाटन	92,77,182.00
2.	प्रदर्शनियां	3,54,09,535.00
3.	सेमिनारें	1,25,000.00
4.	यात्रा एवं आकस्मिक व्यय	4,09,76,021.66
5.	प्रचार	1,12,43,972.62
6.	समापन कार्यक्रम	49,16,633.00
7.	अन्य विभागों द्वारा किया गया खर्च	4,30,00,000.00
	कुल	14,49,48,344.28

जापान में भारत महोत्सव
(अप्रैल 1988—अक्तूबर 1988)

(रुपयों में)

1.	प्रदर्शन कलाएं, उद्घाटन एवं समापन कार्यक्रम	60,16,505.00
2.	आदिवासी कला, लोक कला एवं शिल्प प्रदर्शनी	30,00,000.00
3.	भारतीय वस्तुकला प्रदर्शनी	5,00,000.00
4.	दरबारी पोशाक प्रदर्शनी	15,00,000 C0
5.	भारतीय कला में पशुओं और पक्षियों पर प्रदर्शनी	22,25,000.00
6.	सम-सामयिक कला और टैगोर प्रदर्शनी	31,63,650.00
7.	वस्त्र प्रदर्शनी	17,00 000 00
8.	घर के लिए शिल्प पर प्रदर्शनी	15,00,000 00
9.	फिल्मोत्सव	25,00,000 00
10.	प्रचार एवं यात्रा	42.68,454 00
11.	आकस्मिक व्यय	8,04.460 00
12.	टोकियो स्थित भारतीय दूतावास द्वारा किया गया व्यय	20,00,000 00
	कुल	2,91,78,069.00

भारत में सोवियत संघ महोत्सव
(नवम्बर 1987—नवम्बर 1988)

(रुपयों में)

1.	उद्घाटन	6,80,00,000.00
2.	यात्रा, आवास एवं आकस्मिक व्यय	12,65,00,000.00
3.	प्रदर्शनियां	66,00,000.00
4.	सेमिनारें	9,80,000.00
5.	प्रचार	78,00,000 00
	कुल	20,98,80,000 00

भारत में फ्रांस महोत्सव
(फरवरी 1989 --जनवरी 1990)

		(रुपयों में)
1.	उद्घाटन	1,65,23,000.00
2.	प्रदर्शनियां	44,08,000.00
3.	प्रचार	28,84,000.00
4.	समापन कार्यक्रम	56 00,000.00
5.	सेमिनारें	4,80,000.00
6.	फिल्में	19,28,000.00
	कुल	3,18,23,000 00

नेहरू युवा केन्द्र में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें

*730. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधान मंत्री नेहरू युवा केन्द्रों को धनराशि के आवंटन के बारे में 23 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6106 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नेहरू युवा केन्द्रों के नाम क्या हैं; जिनके बारे में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) नेहरू युवा केन्द्रों के नाम हैं : दाप्रोजी, जहानाबाद, बान्दा, महेन्द्रगढ़, दतिया, बाड़मेर तथा शिवगंगा। दाप्रोजी, जहानाबाद, बान्दा, महेन्द्रगढ़ और दतिया के युवा समन्वयकों और बाड़मेर के लेखा लिपिक को बर्खास्त कर दिया गया है। शिवगंगा के युवा समन्वयक व लेखा लिपिक से गबन की गई धनराशि बरामद कर ली गई है।

पंजाब में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग

[अनुवाद]

*731. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में शिक्षा की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक पिछड़ा जिला है;

(ख) वहां कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तथा पिछड़ेपन के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोई विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है;

(घ) क्या इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अब कोई विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि ऐसा कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) 1981 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार साक्षरता दर को शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के मानदंड के रूप में अपनाते हुए भटिण्डा जिला, जिसकी साक्षरता दर 27.72% है, पंजाब में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है।

(ख) जिले में शैक्षिक सुविधाओं में महत्वपूर्ण कमियां जोकि पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (भटिण्डा पर जिला रिपोर्ट) में दर्शाई गई है, निम्नलिखित है :—

— अपर्याप्त कक्षा कक्ष सुविधाएं।

— जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 16% जनसंख्या के लिए 3 कि०मी० की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक स्कूलों का अभाव।

— 17% ग्रामीण जनसंख्या के लिए 4 कि०मी० दूरी के अन्दर माध्यमिक स्कूलों का अभाव; और 85% ग्रामीण जनसंख्या के लिए 8 कि०मी० की दूरी के अन्दर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का अभाव।

— प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी।

— पुस्तकालय और प्रयोगशाला की अपर्याप्त सुविधाएं।

(ग) जहां तक शैक्षिक कार्यक्रमों का संबंध है, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, केन्द्रीय सरकार के पास शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में कुछ विशेष कार्यक्रम थे। तथापि, किसी राज्य के अन्दर शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में कोई विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किए गए थे। तथापि, पंजाबी सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने भटिण्डा के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों की व्यवस्था की है :—

1. 20 माध्यमिक स्कूलों को सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में स्तरोन्नत करना।

2. माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए अनुस्थापन पाठ्यक्रम प्रदान करने के वास्ते एक सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

3. उच्च शिक्षा और उच्च अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान करने के वास्ते दमदम साहिब में एक क्षेत्रीय शिक्षा केन्द्र की स्थापना।

4. जुलाई, 1987 में इंजीनियरी कालेज की स्थापना।

(ख) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार के पास शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं :—

1. शिक्षकों के सेवापूर्ण और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए और प्रौढ़ शिक्षा के पदाधिकारियों के लिए एक जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

2. और अधिक माध्यमिक स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत करना।

3. उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक विषय शुरू करना।

4. अतिरिक्त कक्षा-कक्षों और विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण।

5. और अधिक स्कूलों को पर्याप्त संख्या में पुस्तकों, प्रयोगशाला उपकरण और फर्नीचर की आपूर्ति।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इलैक्ट्रानिकी नीति में संशोधन

*732. श्री कल्पनाथ राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इलैक्ट्रॉनिकी नीति बनाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) सरकार की नीति का मूल आधार इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में एक सुदृढ़ एवं आत्म निर्भर स्वदेशी आधार को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का विकास करना और उसके स्तर को बढ़ाना तथा समुचित मूल संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करना रहा है। फरवरी, 1966 की भाभा समिति की रिपोर्ट से लेकर जिसमें इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग की महत्ता और इस क्षेत्र में भारत द्वारा आत्म-निर्भरता हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था, इसके उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने की योजना को वर्ष 1970-71 में इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और

इलैक्ट्रॉनिकी आयोग की स्थापना करके मूर्त रूप दिया गया। वर्ष 1975 में भारत में इलैक्ट्रॉनिकी पर एक परिप्रेक्ष्य रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस पृष्ठभूमि में इलैक्ट्रोनिकी उद्योग का आविर्भाव हुआ और उसमें प्रगति होने के साथ-साथ विकास-कार्यों के फलस्वरूप देश में अनुसंधान तथा विकास का आधार सुदृढ़ हुआ। विकास की इस प्रक्रिया में नीति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे; जो मील के पत्थर साबित हुए :—

(1) इलैक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जों से संबंधित वर्ष 1981 की नीति।

(2) रंगीन दूरदर्शन सैटों के लिए वर्ष 1983 की प्रौद्योगिक एवं लाइसेंसिंग नीति।

(3) कुछ दूर-संचार उपस्करों के विनिर्माण से संबंधित नीति के संबंध में मार्च, 1984 में घोषित छूट, जो पहले केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हुआ करते थे।

(4) नई कम्प्यूटर नीति के संबंध में नवम्बर, 1984 में जारी किया गया प्रेस नोट।

(5) मार्च, 1985 में घोषित एकीकृत नीतिगत उपाय।

(6) दिसम्बर, 1986 की सॉफ्टवेयर विकास नीति।

इनके साथ ही साथ, वित्तीय कर संबंधी और आयात/निर्यात नीतियाँ तैयार की गई, जिसके फलस्वरूप इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग का आशानुरूप स्वस्थ विकास हुआ।

नीति संबंधी की गई इस पहल में इलैक्ट्रॉनिकी के व्यापक क्षेत्र शामिल थे और इन पर आगे कारंवाई की जाती रही। ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों से संबंधित नीतिगत तत्वों के विभिन्न पहलुओं को लगातार विकसित किया जा रहा है और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। जहां कहीं आवश्यक होता है उनमें यथोचित संशोधन/परिवर्तन किए जाते हैं। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया गया है जैसे कि सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी, सॉफ्टवेयर विकास, सामग्रियों तथा संघटक-पुर्जों का उत्पादन, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों का निर्यात और जन-शक्ति का विकास इन क्षेत्रों में विशेष रूप से लगातार पहल की जा रही है।

इस दिशा में, प्रौद्योगिकी विकास परिषद्, राष्ट्रीय रेडार परिषद्, राष्ट्रीय सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी परिषद् तथा इलैक्ट्रॉनिकी सामग्री विकास परिषद जैसे संवर्धनात्मक तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा उत्पादों का लगातार पता लगाते रहते हैं और उन्हे विकास संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराते रहते हैं ताकि इस बात का सुनिश्चिय हो सके कि हमारी प्रौद्योगिकी का स्तर अद्यतन बना रहे। उद्योग को नए उत्पादों तथा प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये उपाय किए जाते हैं।

आम जनता की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता की स्थिति में सुधार लाने की अपनी घोषित नीति के सिलसिले में किए जाने वाले प्रयासों के ही एक अंग के रूप में इलैक्ट्रॉनिकी के विशिष्ट अनुप्रयोग के क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। इनमें शामिल हैं : अलग-अलग ढंग से कृषि क्षेत्र में इलैक्ट्रॉनिकी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना जिनमें पांच इलैक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र के प्रयास शामिल हैं : खाद्य संसाधन तथा जल प्रबंध के लिए इलैक्ट्रॉनिकी सहकारी संस्थाओं तथा अन्य संस्थानों द्वारा इलैक्ट्रॉनिकी उपस्करों के संयोजन के लिए योजनाएं बनाकर उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना; विकलांगों की सहायता के लिए इलैक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण; तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीशियन प्रशिक्षण में प्रवीणता हासिल करने के उद्देश्य से जनशक्ति कार्यक्रम आदि।

अब तक किए गए उपायों के फलस्वरूप, इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग ने पिछले 5 वर्षों में कुल मिलाकर वार्षिक 35 प्रतिशत की औसत प्रगति हासिल की है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इलैक्ट्रॉनिकी के अनुप्रयोग, खासकर प्रक्रिया नियंत्रण तथा औद्योगिक उपस्कर के क्षेत्र में काफी बढ़ गए हैं। सभी संगत तथा समुचित क्षेत्रों में कम्प्यूटरों का प्रयोग आरम्भ हो गया है, जिसमें व्यवसाय, शिक्षा तथा कार्यालय स्वचालन शामिल हैं। इनके फलस्वरूप एक ओर उत्पादकता में सुधार होगा तो दूसरी ओर रोजगार की आवश्यकताओं का भी पूरा-पूरा सुनिश्चय हो सकेगा। इलैक्ट्रॉनिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में न केवल अनुसंधान तथा विकास का आधार बल्कि मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मूलसंरचनात्मक सुविधाएं भी तैयार कर ली गई हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में जिस गतिशीलता का परिचय दिया है उसे वह मांग तथा प्रौद्योगिकी आदि में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाकर और समुचित कार्रवाई करके बरकरार रखने का प्रयास करेगी : साथ ही सरकार इन दिशाओं में ऐसे प्रयास करेगी जिसमें उत्पादन की दर, उत्पादकता, रोजगार में वृद्धि, आत्म निर्भरता आदि को कायम रखा जा सकेगा।

कैला देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रभाव

[हिन्दी]

***733. श्री राजवीर सिंह :**

श्री सूर्य नारायण यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में कैला देवी (करौली वाली माता) मंदिर में प्रदूषित पर्यावरण के कारण वहां जाने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) कैला देवी मन्दिर के आस-पास कोई पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं है और पिछले तीन वर्षों में कोई महामारी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त स्थान

[अनुवाद]

*734. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों में कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और दिल्ली प्रशासन के सभी स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए शिक्षक कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे; और

(ग) क्या नियमित आधार पर शिक्षकों के पद भरे जाने तक, इन पदों पर अस्थाई आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न स्कूलों में रिक्त पदों की संख्या श्रेणीवार 1-5-90 की यथास्थिति के अनुसार निम्नानुसार है :—

	शिक्षकों की श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या
(I)	प्राइमरी शिक्षक	9
(II)	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा समकक्ष श्रेणियां	1776
(III)	स्नातकोत्तर शिक्षक तथा समकक्ष श्रेणियां	120
(IV)	उप-प्रधानाचार्य	116
(V)	प्रधानाचार्य	50
	कुल	2071

तथापि 3-5-1990 को प्रधानाचार्यों के 39 पद पदोन्नति द्वारा भरे जा चुके हैं। इन 2071 रिक्त पदों में से, 711 पद 27-3-1990 को ही सृजित किए गए हैं। इसके अलावा, 144 योगा शिक्षकों के रिक्त पद दिल्ली प्रशासन द्वारा लिए गए नीति निर्णय के अनुसार भरे नहीं गए हैं।

शेष पदों को भरने के लिए, दिल्ली प्रशासन ने पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली नगर निगम को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पदों पर पदोन्नति के लिए निगम के प्राइमरी शिक्षकों के लिए आरक्षित कोटे को दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में भरने के लिए पात्र शिक्षकों की सूचियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली प्रशासन के शिक्षकों के लिए आरक्षित स्नातक शिक्षिकों के कोटे को भरने के लिए प्रात्रता सूची भी तैयार की जा रही है।

सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, स्कूलों के द्विशाखित होने तथा नए पदों के सृजन के कारण समय समय पर शिक्षकों की रिक्तियों में वृद्धि होती रहती हैं। इस प्रकार के रिक्तियों का होना तथा इनका भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। इन रिक्त पदों को भरने के लिए सर्वव सतत् प्रयास किए जाते हैं।

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो, शिक्षण स्टाफ में से उपयुक्त आन्तरिक तालमेल किए जाते हैं। दिल्ली प्रशासन में रिक्त पदों पर अस्थाई आधार पर शिक्षण को नियुक्त करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है इन पदों को नियमित आधार पर भरा जाना होता है।

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के लिए बीमा योजना

*735. श्री रामजीलाल यादव :

श्री रामजी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षिकों का दिल्ली और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में इनके समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम राशि का बीमा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में पुनर्विचार कर रही है, जैसाकि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने मांग की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई पटेल) : (क) और (ख) जी हां, दिल्ली प्रशासन तथा संघ शासित प्रदेशों के शिक्षक केन्द्रीय सरकार की सामूहिक बीमा योजना द्वारा अभिशासित होते हैं जबकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक, जो एक

स्वायत्त संगठन है, जीवन बीमा निगम की सामूहिक बचत सम्पर्क बीमा योजना द्वारा अभिशासित होते हैं। जीवन बीमा निगम, दिल्ली तथा अन्य संघ शासित प्रदेशों के अध्यापकों के समान जोखिम को शामिल करने लिए सहमत नहीं था।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

अनुसंधान पोत "गवेषणी"

*737. श्री डी० पंडियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अनुसंधान पोत "गवेषणी" जिसे 13 वर्ष की उपयोगी सेवा के पश्चात चलाना बन्द कर दिया गया था और जिसे पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से "तैयार हुआ संग्रहालय" के रूप में रखने के लिए वर्ष 1989 में गोवा सरकार को सौंप दिया गया था, को अभी तक घाट तक नहीं लाया गया है और इसका उपयोग निर्दिष्ट कार्य के लिए नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पोत के रख-रखाव पर कितना खर्च होगा और उसे कौन वहन करेगा; और

(घ) क्या सरकार उक्त "गवेषणी" पोत का लाभप्रद उपयोग करने तथा उस पर हो रहे आवर्ती व्यय से बचने के लिए शीघ्र कदम उठाने का विचार है; यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमण्णा) : (क) और (ख) यद्यपि अनुसंधान पोत गवेषणी जहाज का चलाना बन्द कर दिया गया था और अक्टूबर, 1989 में इसे गोवा सरकार को सौंप दिया गया था लेकिन तकनीकी कठिनाइयों के कारण समुद्री घाट पर नहीं लाया जा सका।

(ग) वर्तमान में, जहाज का रखरखाव शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा किया जा रहा है और इसके रखरखाव की लागत 24,000/- रुपये प्रतिदिन है।

(घ) जहाज को अनुसंधान पोत के रूप में प्रयोग करने के लिए इसका नवीनीकरण और पुनः चालू करने की संभावनाओं का सी०एस०आई०आर० द्वारा पता लगाया जा रहा है।

मझगांव डाक लिमिटेड की डीपी यार्ड परियोजना

*738. श्री ए०आर० अन्तुले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मझगांव डॉक लिमिटेड की दीपी यार्ड परियोजना कब से स्थगित पड़ी हुई है;

(ख) इस परियोजना को प्रारंभ करने से पूर्व पर्यावरण के दृष्टिकोण से मंजूरी प्राप्त करने तथा अन्य अपेक्षाओं से संबंधित औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का पर्यावरण के दृष्टिकोण से, संबंधित विभाग से तत्काल मंजूरी लेने तथा नौसेना तथा तट रक्षकों की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) लंबित पड़ी अधूरी डीपी यार्ड परियोजना दोबारा कब प्रारम्भ की जाएगी तथा यह पूरी बन कर कब तक चालू हो जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) 1984 ।

(ख) पर्यावरण की दृष्टि से परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने का प्रश्न सबसे पहले 1984 में उस समय उठा था जब महाराष्ट्र सरकार ने यह सलाह दी थी कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति न मिलने तक निर्माण-कार्य रोके रखा जाए ।

(ग) भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित कोंकण क्षेत्र पश्चिमी तट विशेष स्थाई समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है । इस विषय में उनके साथ बराबर लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

जहां तक नौसेना और तटरक्षक संगठन की भावी आवश्यकताओं का संबंध है, ये आवश्यकताएं उनकी संदर्श योजनाओं पर निर्भर करती हैं ।

(घ) उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर कोई पक्की वचनबद्धता नहीं की जा सकती ।

उत्तर बंगाल में केन्द्रीय पूंजी-निवेश

*637. श्री ए०के० राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर बंगाल में केन्द्रीय सरकार द्वारा, सेक्टर-वार, कितना पूंजी-निवेश किया गया;

(ख) अन्य राज्यों में सभी पंचवर्षीय योजनाओं में किये गये प्रतिव्यक्ति केन्द्रीय पूंजी-निवेश की तुलना में उत्तर बंगाल में प्रतिव्यक्ति कितना केन्द्रीय पूंजी-निवेश किया गया; और

(ग) इस क्षेत्र के विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) केन्द्रीय योजना निवेश की व्यवस्था राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश के लिए की जाती है। ये केन्द्रीय कार्यक्रम/परियोजनाएं अधिकांश मामलों में राज्य सीमाओं को पार कर जाते हैं। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं से प्राप्त लाभ भी पूरे देश को मिलते हैं। योजना आयोग राज्यों के हिस्सों के अनुसार केन्द्रीय निवेश के संबंध में आंकड़े नहीं रखता है और इसलिए उत्तर बंगाल के विषय में इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है लेकिन इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक यह होगा कि राज्यों के बीच और राज्यों के भीतर अपेक्षाकृत अधिक सतुलित विकास हो।

दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत टेन्टों में चल रहे स्कूल

7651. **श्री रामजीलाल सुमन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली प्रशासन के कितने राजकीय माध्यमिक और उच्चतम माध्यमिक विद्यालय हैं;

(ख) प्रत्येक जोन में कितने विद्यालय टेन्टों में चल रहे हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने विद्यालयों को दिल्ली प्रशासन द्वारा बनाये गये भवनों में स्थानान्तरित किया गया;

(घ) टेन्टों में चल रहे विद्यालयों को भवन उपलब्ध न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कोई विद्यालय भवन जे०बी०टी० प्रशिक्षण संस्थान को दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस भवन को, संबंधित विद्यालय जिसमें नौ सौ से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, पुनः सौंपने का विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (छ) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्कूलों की संख्या क्रमश: 169 और 532 है।

प्रत्येक क्षेत्र में चलाए जा रहे स्कूलों की संख्या निम्नलिखित है :—

क्षेत्र	तम्बुओं में चलाए जा रहे स्कूलों की संख्या
क्षेत्र I	3
क्षेत्र II	4
क्षेत्र III	2
क्षेत्र IV	4
क्षेत्र V	3
क्षेत्र VI	1
क्षेत्र VII	12
क्षेत्र VIII	4
क्षेत्र IX	2
क्षेत्र X	4
क्षेत्र XI	—
क्षेत्र XII	—
क्षेत्र XIII	—
क्षेत्र XIV	—
क्षेत्र XV	—
क्षेत्र XVI	1
क्षेत्र XVII	2
क्षेत्र XVIII	—
क्षेत्र XIX	4
क्षेत्र XX	2
क्षेत्र XXI	—
क्षेत्र XXII	2
क्षेत्र XXIII	2
क्षेत्र XXIV	3
क्षेत्र XXV	2
क्षेत्र XXVI	—
क्षेत्र XXVII	4
क्षेत्र XXVIII	—

पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली प्रशासन द्वारा बनाए गए भवनों में स्थानान्तरित स्कूलों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
पक्का भवन	8	10	12	13	11
अर्ध पक्का—	—	800	1200	1000	300

(प्रा-फॅब)

दिल्ली प्रशासन समय-समय पर नये स्थानों में तम्बुओं में नय स्कूल खोलता है। भवनों के निर्माण में समय लगता है और इसलिए स्कूलों के लिए पक्के भवन प्रदान करने में भी समय लगता है। स्कूलों के लिए शीघ्र से शीघ्र पक्के भवन प्रदान करने के लिए सदा लगातार प्रयास किये जाते हैं।

लारेंस रोड, पुराना राजेन्द्र नगर और मोतीलाल नेहरू कालेज, दिल्ली के तीन भवन रा०शै०अ०प्र०प० को सौंपे गए थे जो शिक्षकों के पूर्व सेवा और सेवारत प्रशिक्षण के लिए सोसायटी पंजीकृत अधिनियम के अन्तर्गत सोसाइटी के रूप में स्थापित दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय है। रा०शै०अ०प्र०प० जैसे ही अपने भवनों का निर्माण कर लेगी तभी ये भवन संबंधित स्कूलों को लौटा दिए जाएगे।

सेना में आदिवासियों की भर्ती

[हिन्दी]

7652. **श्री नन्दलाल मीणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में राजस्थान के आदिवासियों को भर्ती करने के लिए कोई विशेष अभियान आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जिलावार ऐसे कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों के चेयरमैनों द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

7653 **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के अनेक चेयरमैनों ने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसे मामलों के ब्यौरे जिनमें दिसम्बर, 1989 तथा उसके बाद त्यागपत्र दिए गए, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम तथा पदनाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	टिप्पणी
	सर्वश्री		
1.	रतन टाटा, अंशकालिक अध्यक्ष	एयर इंडिया	त्यागपत्र दे दिया
2.	राहुल बजाज, अंशकालिक अध्यक्ष	इंडियन एयर-लाइन्स	त्यागपत्र दे दिया
3.	जे०के० मेहरा, अंशकालिक अध्यक्ष	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	त्यागपत्र दे दिया
4.	बी०के० करंजिया, अंशकालिक अध्यक्ष	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	त्यागपत्र दे दिया
5.	सर्वजीत सिंह अंशकालिक अध्यक्ष	सेन्ट्रल वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन	त्यागपत्र दे दिया
6.	एन०पी० चन्दन, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन (एफ०ए०सी०टी० के भी अध्यक्ष)	त्यागपत्र दे दिया
7.	भूपिन्दर सिंह, प्रबन्ध निदेशक और कार्यवाहक अध्यक्ष	राज्य व्यापार निगम	त्यागपत्र दे दिया
8.	आई०पी० हजारिका, प्रबंध निदेशक और कार्यवाहक अध्यक्ष	मिनिरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन	त्यागपत्र दे दिया
9.	वी० कृष्णामूर्ति, अंशकालिक अध्यक्ष	मारुति उद्योग लिमिटेड	त्यागपत्र दे दिया
10.	पी०एम० देवग्र, अंशकालिक अध्यक्ष	इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलौजी डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	त्यागपत्र दे दिया

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण

7654. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण में अनेक खामियां हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नये वैज्ञानिक और शैक्षिक दृष्टिकोण के अनुसार प्रशिक्षण में सुधार लाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऐतिहासिक स्मारकों की फोटो लेने पर प्रतिबंध

7655. **श्री अजीत पांजा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐतिहासिक और पुरातत्वीय स्मारकों की फोटो लेने पर प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यमान प्रतिबन्धों में छूट देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध में कितनी छूट दी जाएगी और क्या इसके परिणामस्वरूप निश्चय ही और अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) बाहर से केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की वीडियो-फिल्मिंग की अनुमति प्रस्तावित है बशर्ते कि (i) यह गैर-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए हो (ii) जिसमें कोई पात्र न हो और उसमें कोई स्टेण्ड न लगाए और (iii) किसी भी प्रकार से परम्परागत तथा धार्मिक प्रथाओं तथा किसी मरम्मत कार्य में कोई खलल न हो। चुनिन्दा स्मारकों के मामले में, जिनमें टिकट द्वारा प्रवेश की अनुमति है, उनमें फोटोग्राफी के लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाएगा। आशा है इस छूट से ज्यादा पर्यटक आकर्षित होंगे।

पालिटेक्निकों का विकास

7656. श्री अनादि चरण दास :

श्री गंगाराम गोलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान पोलिटेक्निकों का मूल्यांकन और विकास करने तथा प्रौद्योगिकी और तकनीकी दक्षता का ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली ढंग से अन्तरित करने के लिए क्या कदम उठाए गये है अथवा उठाने का विचार है; और

(ख) विभिन्न राज्यों, विशेषकर उड़ीसा में जनशक्ति को कम्प्यूटर विज्ञान, इलैक्ट्रानिक्स, इन्स्ट्रूमेन्टेशन और बायो-विज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) तकनीकी शिक्षा संबंधी कार्यकारी ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर देश में 118 पालिटेक्निकों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के माध्यम से वैज्ञानिक रूपरेखाओं पर सामुदायिक/ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए सामुदायिक पालिटेक्निक की योजना के अन्तर्गत चुना गया है । इस योजना का एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसमें इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा इसका विस्तार करने और इस प्रणाली की कोटि तथा कवरेज में वृद्धि करने के लिए उपाय सुझाये हैं।

(ख) तकनीकी शिक्षा का विकास करना मोटे तौर पर राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । राज्यों से प्राप्त तकनीकी शिक्षा के विकास के प्रस्तावों पर इस प्रायोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समितियों के सिफारिशों के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विचार किया जाता है । इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा सुविधाएं

7657. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तकनीकी शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु ऐसे कुछ अन्य रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस सम्बन्ध में क्या प्रावधान किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से और (ग) सामुदायिक पालिटेक्निक की योजना के अन्तर्गत आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओं के रूप में कार्य करने के लिए जानी पहचानी पालिटेक्निकों को चुना जाता है। ग्रामीण लोगों को पालिटेक्निकों के परिसरों में औपचारिक प्रशिक्षण देने के अलावा उन्हें ठीक उनके घरों में ही निपुण प्रशिक्षण की पेशकश करने के लिए दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार केन्द्रों की स्थापना करने का इस योजना में प्रावधान है। प्रशिक्षण का मुख्य बल उन्हें लाभकारी रोजगार और स्वतः रोजगार प्रदान करना है। दिया गया प्रशिक्षण दक्षता पर आधारित होता है और यह ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं तथा रोजगार अवसरों की उपलब्धता पर केन्द्रित होता है। आठवीं योजना अर्थात् 1990-91 के पहले वर्ष के लिए योजना का योजनागत आवंटन 200.00 लाख रुपये और योजनेत्तर आवंटन 165.00 लाख रुपये है।

ए०एस०एल०वी०-3 का विकास

7658. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण राकेट-3 को विकसित करने पर कितनी धन-राशि खर्च की गई;

(ख) क्या यह पूरी तरह स्वदेशी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए प्राप्त की गई तकनीकी तथा अन्य सहायता का, देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके प्रक्षेपण के निर्धारित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए०एस०एल०वी०-डी०-3 और ए०एस०एल०वी-डी०-4) की तृतीय और चतुर्थ विकासात्मक उड़ानों के विकास पर 17.98 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

(ख) ए०एस०एल०वी० पूरी तरह स्वदेशी है। इसमें कोई भी विदेशी सहायता नहीं ली गई है। फिर भी, कुछ इलेक्ट्रोनिकी उपस्कर/साज-सामान, जिनका देश में उत्पादन नहीं किया जाता है, का आयात किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ए०एस०एल०वी० पूरी तरह स्वदेशी है।

(घ) ए०एस०एल०वी०-3 (डी०-3) की तृतीय विकासात्मक उड़ान का प्रक्षेपण 1991 के पूर्वार्ध के लिए निर्धारित है।

बम्बई की केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठ के पास विचाराधीन मामले

7659. **श्री बसंत साठे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठ, बम्बई को पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त निपटाये गये और लम्बित मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) लंबित मामलों के निपटान के लिये क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को नागपुर, औरंगाबाद और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों पर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठ स्थापित करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 31-3-1990 को समाप्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यू बम्बई न्यायपीठ में 1075 नये आवेदन (विविध याचिकाओं को छोड़कर) दायर किये गये और 679 आवेदनों का निपटान किया गया। 31-3-90 की स्थिति के अनुसार न्यू बम्बई न्यायपीठ में 2439 मामले लम्बित पड़े हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यू बम्बई न्यायपीठ में एक उपाध्यक्ष तथा एक सदस्य (न्यायिक) की विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए पहले से ही कारंवाई आरम्भ की जा चुकी है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यू बम्बई न्यायपीठ महाराष्ट्र में औरंगाबाद तथा नागपुर जहां पर बम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थित हैं, सर्किट बैठकें आयोजित करती हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थाई न्यायपीठें उन स्थानों पर गठित की जाती हैं जहां पर कार्यभार तथा प्रशासनिक अपेक्षाएं न्यायसंगत होती हैं।

स्वयंसेवी युवा संगठनों को वित्तीय सहायता

7660. **श्री एम०एम० पल्लम राजू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विद्यमान स्वयंसेवी युवा संगठनों की संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्रीय वित्तीय सहायता की पात्रता के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार स्वयंसेवी युवा संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) वर्ष 1981 में प्रकाशित युवा संगठनों की निर्देशिका में देश के लगभग 547 युवा संगठनों को सूचीबद्ध किया है ।

(ख) केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए स्वैच्छिक संगठनों की पात्रता के लिए निर्धारित मानदंड निम्न प्रकार हैं :—

(1) स्वैच्छिक संगठनों को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या अनुरूपी राज्य अधिनियम या उस समय लागू किसी कानून के अधीन स्थापित सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिए । तथापि, उन स्वैच्छिक एजेंसियों पर भी सहायता के लिए विचार किया जा सकता है जिनका कानूनी अस्तित्व नहीं है, बशर्ते कि कलैक्टर, उपायुक्त इन संगठनों की प्रमाणिकताओं को सत्यापित करें;

(2) यह अपने कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए अनुभवी व्यक्तियों को शामिल करने की स्थिति में हो;

(3) इसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह के लाभ के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए; और

(4) यह लिंग, धर्म, जाति और रंग के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह के विरुद्ध कोई भेदभाव न करता हो ।

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान स्वैच्छिक युवा संगठनों को दी गई सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1987-88	1,57,48,436/- रुपये
1988-89	2,42 91,314/- रुपये
1989-90	2,13,87,131/- रुपये

सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों में स्थानीय जनता को शामिल करना

7661. श्री पीयूष तीरकी :

श्री कैलाश मेघवाल : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों में स्थानीय जनता को पूरे तौर पर शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानीय जनता को इनमें पूरे तौर पर शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या स्थानीय जनता को पेड़ों के चयन क्षेत्र के चुनाव, इसकी देखभाल और अन्ततः उत्पाद के वितरण संबंधी मामलों में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (घ) परती भूमि विकास कार्यक्रम, जिसमें सामाजिक वानिकी भी शामिल है, का लक्ष्य कार्यक्रम के सभी स्तरों जैसे उसकी आयोजना, कार्यान्वयन, अनुवीक्षण, सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों में लाभों की हिस्सेदारी, वृक्ष उत्पादक/फार्म वानिकी सहकारिताओं जैसे प्रारम्भिक स्तर के संगठनों को बढ़ावा देने, महिलाओं और ग्रामीण निर्धनों के हितों का पता लगाने तथा उनकी सुरक्षा करने, वृक्ष प्रजातियों का चयन करने, प्रायोजना क्षेत्र की सुरक्षा तथा उसकी देखभाल आदि में लोगों तथा उनके संगठनों और स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करके सक्रिय जन-सहभागिता का विकास करना है।

परती भूमि विकास कार्यक्रम के अधीन तैयार की जा रही कार्यप्रणाली सूक्ष्म आयोजना (माइक्रोप्लानिंग) करने से संबंधित है जिसमें आयोजना तथा प्रायोजना कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर स्थानीय समुदाय के पूर्ण सहयोग से स्थान की अवस्थाओं के अनुसार भूमि का उपयोग किये जाने के प्रयास किए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुस्तक प्रकाशन उद्योग

7662. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुस्तक प्रकाशन उद्योग में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो देश के पुस्तक प्रकाशन उद्योग की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वर्तमान स्थिति क्या है और पांच वर्ष पहले इस क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या थी;

(ग) क्या सरकार का पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए पुस्तक प्रकाशकों को कोई प्रोत्साहन/सहायता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई सामान्य वक्तव्य नहीं दिया जा सकता और किसी विशेष वर्ष अथवा समयावधि के संदर्भ में अन्य देशों की तुलना में भारत में पुस्तक प्रकाशन उद्योग के स्तर के संबंध में कोई संपूर्ण मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) पुस्तक प्रकाशन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा निम्नलिखित योजनाएं/कार्यकलाप शुरू किए गए हैं :—

(1) पुस्तकों के इमदादी प्रकाशन की योजना;

(2) नव-साक्षरों और स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की सतत शिक्षा के लिए पठन-सामग्री तैयार करने के वास्ते निजी प्रकाशकों और स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करने की एक अन्वेषक योजना।

(3) बच्चों के लिए पुस्तकें तैयार करने के वास्ते निजी प्रकाशकों और स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करने की एक अन्वेषक योजना;

(4) एक राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र स्थापित करने की योजना;

(5) पुस्तक मेलों, पुस्तक उत्सवों और राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन;

(6) भारतीय प्रकाशनों के निर्यात को प्रोन्नत करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेना;

(7) पुस्तक संवर्धन कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए पुस्तक प्रदर्शनियों/पुस्तक उत्सवों/पुस्तक मेलों के आयोजन के लिए पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की परियोजनाएं; और

(8) "पाठक" क्लब आन्दोलन।

(ङ) राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के अनुसार, जो भारत में आंकड़े एकत्रित करता है, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित शीर्षकों की संख्या, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, निम्न प्रकार हैं :—

1985-86	15,720
1986-87	16,970
1987-88	16,886

आयुध भण्डारों का आधुनिकीकरण

7663. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध भण्डारों के कार्यकरण को आधुनिक बनाए जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) इन योजनाओं में, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, अग्नि-शमन के सम्बन्ध में बेहतर व्यवस्था करना, पेटियां तथा पट्टिकाएं आदि रखने की शुरुआत करना, बेहतर संचार सुविधा, कम्प्यूटरीकृत डाटा प्रक्रिया और सामान की बेहतर सार-संभाल के उपकरणों में उत्तरोत्तर वृद्धि करना शामिल है।

पांडिचेरी के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के वेतन-मान

7664. श्री माणिक सान्याल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी प्रशासन के शिक्षा विभाग के कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में चिरकाल से चली आई असंगतियों के बारे में चर्चा करने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल ने अक्तूबर, 1989 में पांडिचेरी का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या पांडिचेरी प्रशासन ने तत्संबंधी सूचना उपलब्ध करा दी है;

(ग) क्या सरकार ने इन असंगतियों को दूर करने के लिये आदेश जारी कर दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के वेतन में व्याप्त असंगतियों पर चर्चा करने के लिए सितम्बर, 1989 (अक्तूबर 1989 में नहीं, जैसाकि प्रश्न में उल्लेख किया गया है) अधिकारियों के एक दल ने पाण्डिचेरी का दौरा किया था जिसके दौरान प्रासंगिक आंकड़े तथा सूचना एकत्र की गई। बाद में, उनसे कुछ और स्पष्टीकरण/सूचना 5-2-90 को मांगी गई थी जो 24-4-90 को प्राप्त हुई।

(ग) जी, अभी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए तिरूमाला में अनुसंधान संस्थान

7665. **श्रीमती जे० जमुना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए तिरूमाला में एक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या तिरूमाला-तिरूपति देवस्थानम ने इस प्रयोजन हेतु कोई वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन के लिए तिरूमाला में एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि तिरूपति स्थित केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ को राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसे विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्था का दर्जा दिया गया है। सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि क्या तिरूमाला-तिरूपति-देवस्थानम् को अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई पेशकश की गई थी।

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डोरनियर-228 विमानों का निर्यात

7666. **श्री बनवारीलाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डोरनियर-228 विमानों के निर्यात के लिए विदेशों से क्रयादेश प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन विमानों को खरीदने में रुचि दिखाई है;

(ग) अनुमानतः कितने मूल्य के विमानों का निर्यात किया जाएगा; और

(घ) सरकार डोरनियर-228 विमानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को मॉरिशस से एक डोरनियर-228 विमान की सप्लाई के लिए आर्डर प्राप्त हुआ है। इस निर्यात आर्डर की लागत अनुमानतः 10 करोड़ रुपये आएगी। इस विमान की खरीद में जिन अन्य देशों ने अपनी रुचि दिखाई है, वे हैं—अल्जीरिया, बंगलादेश और नेपाल।

(घ) डोरनियर-228 विमान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार तथा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेकर, इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए दौरों का आयोजन करके, प्रचार करके और इस विमान में रुचि रखने वाले ग्राहकों के साथ सम्पर्क स्थापित करके इसकी खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार

7667. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री दिग्विजय सिंह जू देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त एक उच्चस्तरीय समिति ने रोजगार के स्थान पर उत्पादकता पर ध्यान केन्द्रित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए इस समिति द्वारा दी गई मुख्य सिफारिशों/सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इन पर किस प्रकार कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

समुद्री विकास के लिए विदेशों से समझौता

7068. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने समुद्री विकास के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के दौरान क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का समुद्री विकास के क्षेत्र में कुछ देशों के साथ सहयोग समझौता करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और किन-किन देशों से ऐसे समझौते किये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्र तल के जीव और निर्जीव संसाधनों के अन्वेषण में काफी प्रगति की गई है। अतः

(क) **बहुधात्विक पिण्ड कार्यक्रम** ·

व्यापक सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य के बल पर भारत को संस्तर पिण्डिकाओं के आगामी अन्वेषण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण के संयुक्त राष्ट्र विरचन आयोग द्वारा अगस्त 1987 में मध्य हिन्द महासागर में 1,50,000 वर्ग कि०मी० का एक खान स्थल आबटित किया गया था।

गहरे समुद्र सस्तर में खनन-कार्य तन्त्र के अभिकल्प तथा विकास के उद्देश्य से एक परियोजना देश में विभिन्न विशेषज्ञों तथा मुख्य अभिकरण के रूप में केन्द्रीय यांत्रिक अनुसंधान संस्थान (दुर्गापुर) की सहायता से तैयार की गई है।

बहुधात्विक पिंडों से तांबा, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुओं के निष्कर्षण के लिए और प्रयोग करने हेतु तीन प्रक्रम मार्ग निर्धारित किए गए हैं ताकि इनमें से दो मार्गों का उन्नयन करके उन्हें पायलट संयंत्र की अवस्था तक लाया जा सके।

(ख) अन्टार्कटिक :

भारत ने अब तक अंटार्कटिक को नौ अभियान दल भेजे हैं और इस बर्फीले महाद्वीप के बारे में बहुत अधिक सूचना एकत्र की है।

अंटार्कटिक की क्रांतिक तराइयों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक ज्ञान तथा सूझबूझ विकसित करने के प्रयोजन से एक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक विशेष अन्वेषक अभियान अंटार्कटिक के वेडल सागर क्षेत्र के लिए नवम्बर, 1989 में भेजा गया था कि, यदि बाद में अंटार्कटिक में एक दूसरा स्थाई केन्द्र स्थापित करने का कोई निर्णय लिया जाता है तो उससे उसके लिए एक उचित स्थल का चयन करने में हमें मार्गदर्शन मिल सके।

(ग) महासागर सूचना तन्त्र-प्रारम्भिक आंकड़ा आधार :

गणितीय प्रतिरूपण के लिए आई०एस०आर०ओ० और सी०एस०आई०आर० केन्द्र की सहायता से तैयार, समुद्र सत्य के लिए उपग्रह सम्बन्धी, एक परियोजना अब कार्यान्वयन के लिए तैयार है। इस परियोजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण समुद्री प्राचलों के नियमित प्रसार के लिए एक वास्तविक या अर्ध-वास्तविक समयबद्ध संक्रियात्मक सेवा बनाना है।

(घ) महासागरीय परिसंचरण तथा वायु-समुद्र के पारस्परिक प्रभाव प्रक्रमों के प्रतिरूपण में अनुसंधान और प्रशिक्षण :

यह स्वीकार करते हुए कि महासागरीय परिसंचरण अन्य सभी महासागरीय प्रक्रमों के निर्धारण में एक प्रमुख भूमिका और मौसम के नियंत्रण में वायु-समुद्र विनिमय प्रक्रमों की क्रांतिक भूमिका अदा करता है, इसलिए महासागरीय परिसंचरण तथा वायु-समुद्र अन्तरापृष्टि प्रक्रमों का अध्ययन करने के वास्ते प्रतिरूपण तथा प्रयोगात्मक अभिकल्प में उच्च स्तरीय सुविज्ञता विकसित करने के प्रयोजन से एक परियोजना तैयार की गई है। इसे भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूर स्थित वायुमंडलीय विज्ञान केन्द्र में एक कक्ष स्थापित करके क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ङ) समुद्र में प्रदूषण प्रवृत्तियों की मानिटरिंग तथा प्रतिरूपण :

ज्वारनदमुखों के जरिए महत्वपूर्ण रासायनिक तत्वों और विभिन्न जैव-भूरासायनिक जलाशयों और अन्ततः समुद्र में उनके आदानों की परिवहन दरों का परिमाण निर्धारित करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, बम्बई के क्षेत्रीय केन्द्र का, समुद्री प्रदूषण के प्रतिरूपण तथा मानिटरिंग के लिए एक स्टेट-ऑफ दि आर्ट के प्रथम श्रेणी केन्द्र के रूप में, उन्नयन करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(च) समुद्र स्तर में घट-बढ़ :

हमारे देश के तट तथा द्वीपों के साथ लगभग 8 स्टेट ऑफ दि आर्ट ज्वार मापन केन्द्रों का एक नेटवर्क बनाने के सम्बन्ध में एक कार्यक्रम, समुद्र स्तर में घट-बढ़ के बारे में उच्च स्तर की निश्चित सूचना के प्रमाणन में लिए, अब तैयार किया जा रहा है ।

(छ) महासागर विकास के लिए द्वीप केन्द्र :

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के कमजोर पारितंत्र के संघटक का संरक्षण करने के साथ-साथ, सामान्यतः द्वीप वासियों के जीवन स्तर और मानव प्रयास में सुधार लाने की दृष्टि से पोर्ट ब्लेयर में एक महासागर विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए उपाय शुरू कर दिए गए हैं ।

(ज) लहरों से ऊर्जा निष्कर्षण :

त्रिवेन्द्रम के निकट विझिंजम में 150 कि० वाट के प्रायोगिक तरंग शक्ति संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है ।

(झ) जलकृषि—गरीबी दूर करने के लिए कार्य योजना :

अर्ध गहन झींगा जल कृषि पर भली-भांति तैयार की गई एक कार्य योजना शुरू की गई है । इसका उद्देश्य तटीय आर्द्र भूमि में विशेष परिसम्पत्तियों को काम में लाने के लिए, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके नये संसाधनों का विकास करना है जिससे इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके ।

(ग) महासागर विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में किसी भी दूसरे देश के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कानूनी शिक्षा का आधुनिकीकरण

7669. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति ने अगले शैक्षिक वर्ष से देश के सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में नये विषय और शाखाएं आरम्भ करके कानूनी शिक्षा के आधुनिकीकरण की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कानूनी शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यचर्या विकास समिति ने विधि पाठ्यक्रमों के लिए आदर्श पाठ्यचर्या तैयार की है जो एल०एल०बी० पाठ्यचर्या के लिए पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने की दृष्टि से मौजूदा और प्रतिरिक्त पाठ्यक्रमों को एकीकृत और फिर से वर्गीकृत करती है। इन पाठ्यक्रमों को निम्न प्रकार से पुन: वर्गीकृत किया गया है—

विधि तथा औद्योगिक विकास, विधि और ग्रामीण विकास, विधि तथा राज्य न्यायिक शक्ति तथा प्रक्रिया, सिविल और अपराधिक न्याय प्रशासन, परिवार विधि, विधि और सामाजिक परिवर्तन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विधि, विधि और शहरीकरण।

आदर्श पाठ्यचर्या विश्वविद्यालयों को विचारार्थ और अपनाने के लिए भेज दी जाएगी।

राष्ट्रीय कैडिट कोर शिविर, गाजियाबाद में अनियमितताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय कैडिट कोर के कैडिटों द्वारा प्रदर्शन

7670. **श्री सी०एम० नेगी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 सितम्बर, 1989 के दैनिक जागरण (मेरठ) में "एन०सी०सी० कैडिटों ने किया उपमहानिदेशक का घेराव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की क्या मांगें हैं; और

(ग) सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का पता लगाया जा रहा है और अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कानपुर छावनी क्षेत्र में अवैध निर्माण

7671. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर छावनी परिषद और रक्षा सम्पदा कार्यालय के अधिकारियों ने रक्षा विभाग की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए निर्माण-कार्यों को पूर्णरूप से गिरा देने के लिए नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कानपुर में रक्षा विभाग की भूमि पर बने अवैध निर्माणों के गिराने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) हाल में भवनों को पूर्ण रूप से गिराने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, यदि अवैध निर्माण को नियमित करा लिया जाता या उसे गिरा नहीं लिया जाता तो छावनी अधिनियम 1924 के अन्तर्गत उस सम्बन्ध में नोटिस जारी किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जैसे ही अवैध निर्माण या अवैध कब्जे का पता चलता है, छावनी अधिनियम, 1924 और सरकारी परिसर (अवैध कब्जों को हटाना) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई की जाती है।

कर्नाटक में विद्युत परियोजनाएं

7672. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बहुत सी विद्युत परियोजनाएं वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मंजूरी हेतु बहुत समय से लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं किस-किस तारीख से स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) विद्युत परियोजना का केवल एक प्रस्ताव अर्थात् "शिवपुरा गांव में मोरुका विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण" वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा है।

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव कर्नाटक राज्य सरकार से सर्वप्रथम 9-11-1989 को प्राप्त हुआ था। क्योंकि प्रस्ताव अपूर्ण था इसलिये राज्य सरकार से अपेक्षित अनिवार्य ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने ब्यौरे 19-4-1990 को भेजे हैं। इस प्रस्ताव में शामिल भूमि "ग" और "घ" श्रेणी की है और वन विभाग के कब्जे में है। चूंकि अन्तर्निहित क्षेत्र वन भूमि के रूप में दर्ज नहीं है, इसलिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी आवश्यक नहीं है।

परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव

7673. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ पाठ्यक्रमों की विशेषकर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की परीक्षा पद्धति में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों से इस विषय में प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार के विचाराधीन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग विश्वविद्यालयों को कई वर्षों से परीक्षाओं में सुधार करने के लिये सलाह देता रहा है। आयोग द्वारा सुझाये गये उपायों में मुख्यतः सतत आन्तरिक मूल्यांकन, प्रश्न बैंक विकसित करना, ग्रेड और सेमेस्टर प्रणालियां शुरू करना शामिल है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, परिषद ने भी इंजीनियरी पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के आयोजन के लिए मानदंड निर्धारित किये है ।

अनेक विश्वविद्यालयों, सम-विश्वविद्यालयों और कृषि/प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं में सुधार कार्यान्वित किये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 93 विश्वविद्यालयों ने सतत आन्तरिक मूल्यांकन शुरू किया है, 31 विश्वविद्यालयों ने प्रश्न बैंक विकसित किये हैं, 5 विश्वविद्यालयो ने ग्रेड देने की पद्धति शुरू की है तथा 83 विश्वविद्यालयों ने सेमेस्टर पद्धति शुरू की हैं।

रूपनारायण नदी की सफाई करना

7674. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा की एक सहायक नदी, रूपनारायण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : रूपनारायण नदी के लिए, प्रदूषण निवारण उपायों को गंगा कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया है।

गुजरात के वन

7675. **श्री गोविन्द भाई कानजीभाई शेखड़ा** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में वन क्षेत्र की कुल प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में वन क्षेत्र में बड़ी तेजी से कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) गुजरात में दर्ज वन क्षेत्र 18,777 वर्ग किलो मीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.6% है।

(ग) से (घ) 1981-83 और 1985-87 के मध्य गुजरात में वास्तविक वन क्षेत्र 70 वर्ग किलो मीटर कम हुआ है जो अधिक कम नहीं है।

वनों के संरक्षण/सुरक्षा के लिये किये गये/किये जाने वाले उपाय नीचे दिये जा रहे हैं :—

(1) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों के संरक्षण पर अधिक बल दिया गया है। इसमें चराई, अग्नि और अवैध कब्जों से वनों की सुरक्षा के लिये विशेष उपबन्ध हैं।

(2) गैर वन प्रयोजनों के लिये वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिये 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। 1988 में संशोधन करके अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है।

(3) वनों की सुरक्षा के लिये आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिये राज्यों को सहायता देने के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है।

(4) घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ऊर्जा के लिये ईंधन की लकड़ी के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(5) पैकिंग, रेलवे स्लीपरों, भवन निर्माण और फर्नीचर आदि में लकड़ी के विकल्पों का उपयोग किया जा रहा है।

(6) इमारती लकड़ी के लिये आयात नीति को उदार बना दिया गया है।

(7) वनों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये गए हैं इनमें से कुछ दिशा निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं :—

(1) प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई से बचना और जहां फसलों की बहाली अथवा अन्य वनवर्धन दृष्टिकोणों से, इस प्रकार की कटाई जरूरी हो वहां पहाड़ों में 10 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) पहाड़ों पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की कटाई पर कम से कम कुछ सालों के लिये प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।

(3) पहाड़ियों और पर्वतों पर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें कटाई से वनों की सुरक्षा करने और तत्काल व्यापक वनरोपण की जरूरत है।

(4) 4 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीवमंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षा क्षेत्रों के रूप में अलग रखना।

(5) वनों की आग से सुरक्षा के लिये उपाय करना।

(8) अवक्रमित भूमि पर पुनः वनरोपण और पारिस्थितिकीय संतुलन के पुनरुद्धार के के लिये राष्ट्रीय परती विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई है।

विदेशी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद

7676. **श्री ए०के० राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्य पुस्तकों का विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने वाली कोई संस्था है;

(ख) यदि हां, तो कार्य-निष्पादन सहित तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या इन अनुवादित पुस्तकों का देश के किन्हीं विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के रूप में उपयोग किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी पाठ्य पुस्तकों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय पाठ्य पुस्तकों का विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में तत्परता से अनुवाद करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसा कोई संगठन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार के विश्वविद्यालयों के लिये समान संहिता

[हिन्दी]

7677. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या प्रधान मन्त्री कालेजों और विश्वविद्यालयों के लिये समान संहिता के बारे में 16 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4885 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कोई ऐसी संहिता लागू की गई है जिससे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र शुरू करने, परीक्षाएं लेने, परीक्षा परिणाम घोषित करने के मामले में समयबद्ध कार्यक्रम समान रूप से अपनाये जायें और उन सभी में न्यूनतम दैनिक शिक्षण घंटे समान हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाये जाने के लिये एक आदर्श शैक्षिक कैलेण्डर को मार्गदर्शी रूपरेखाएं भेज दी हैं। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं में शैक्षिक वर्ष प्रारम्भ करने के लिए समय ढांचे, दाखिलों की अन्तिम तिथि, परीक्षाएं पूरी होने और परिणाम घोषित होने की तारीखें दर्शाई गई हैं। शैक्षिक कैलेण्डर 1990-91 के शैक्षिक सत्र से कार्यान्वित किया जाना है। और इसलिये बिहार में विश्वविद्यालयों द्वारा इसके कार्यान्वयन के स्तर का पता शैक्षिक वर्ष समाप्त होने के बाद ही चल पायेगा। वि०अ०आ० ने एक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 180 शिक्षण दिवसों और शिक्षकों के लिये न्यूनतम कार्यभार के लिए भी विनियम तैयार किये हैं। वि०अ०आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, बिहार के विश्वविद्यालय एक कैलेण्डर वर्ष के शिक्षण-दिवसों की न्यूनतम संख्या के बारे में सूचना नहीं भेज रहे हैं।

केन्द्रीय विद्यालय में पुस्तकालय सेवाओं में सुधार

7678. **श्री बलवन्त मणवर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ कुछ वर्षों से केन्द्रीय विद्यालयों के पुस्तकाध्यक्षों और पुस्तकालयों की कार्य स्थितियों में सुधार करने के लिए जोर दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालयों में पुस्तकालयों तथा पुस्तकाध्यक्षों की सेवा शर्तों में सुधार के संबंध में अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ से अगस्त 1989 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। संघ द्वारा दिये गये सुझाव और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मत निम्नलिखित हैं :—

सुझाव	केन्द्रीय विद्यालय संगठन का मत
(1) केन्द्रीय विद्यालय में पुस्तकालय सेवाओं का सुधार	(1) पुस्तकालय सेवाओं का सुधार एक सतत कार्य-कलाप है और इस उपलक्ष्य में प्राप्त सभी सुझावों पर संगठन उचित ध्यान देता है।
(2) पुस्तकाध्यक्षों के लिए उच्च बुनियादी वेतनमान (1640-2900 रुपये)	(2) केन्द्रीय विद्यालयों में संशोधित वेतनमान 1-1-1986 से लागू किये गये है, जिनमें मूल वेतनमान (1400 2600 रुपये) की व्यवस्था की गई है तथा मूल वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा

	के बाद सीनियर वेतनमान (1640-2900 रुपये) तथा सीनियर वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा के बाद प्रवरण वेतनमान (2000-3500 रुपये) का प्रावधान है। इसके अलावा पुस्तकाध्यक्षों को 100/- रु० प्रतिमाह का शिक्षण भत्ता भी दिया जाता है। पुस्तकाध्यक्षों के लिए 1640-2900 रुपये के मूल वेतनमान को स्वीकार करना सम्भव नहीं है क्योंकि इसमें अन्य वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रभार निहित हैं।
(3) प्रति 3 वर्षों में पुस्तकाध्यक्षों के लिए सेवारत प्रशिक्षण	(3) वेतन संशोधन आदेशों के अंतर्गत शिक्षकों के मामले की तरह, पुस्तकाध्यक्षों के लिए भी 6 वर्षों में एक बार सेवारत प्रशिक्षण का प्रावधान है।
(4) प्रत्येक पुस्तकालय के लिए एक पुस्तकालय सहायक	(4) प्रत्येक पुस्तकालय के लिये पुस्तकालय सहायक के पद का सृजन करना आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि पुस्तकालय पीरियडों में संबंधित अध्यापकों से छात्रों की सहायता करने के लिए हर हालत में पुस्तकालय ड्यूटी पर होने की आशा की जाती है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन/बिक्री

[अनुवाद]

7679. श्री के०एस० राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने वर्ष 1989-90 के लिए निर्धारित बिक्री और लाभ के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1988-89 की तुलना में 1989-90 के दौरान इस कम्पनी की बिक्री और लाभ कितना था;

(ग) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का विचार नए क्षेत्रों में कारोबार आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रामन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) 1988-89 में 498.26 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी जब कि 1989-90 में 645.78 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। कर लगने से पूर्व 1989-90 के दौरान 42.69 करोड़ का लाभ हुआ जबकि 1988-89 के दौरान 29 71 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। (1989-90 के आंकड़ों की लेखापरीक्षा नहीं हुई है)।

(ग) और (घ) उत्पादन में विविधता लाने के उद्देश्य से कम्प्यूटर पैरीफरल्स, आटोमेटिक टैस्ट इक्युपमैंट, प्रोसेस आटोमेशन, सैटलाइट कम्यूनिकेशन रोबोटिक्स, सिम्पुलेटर्स, कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमैंट, मेडिकल इलैक्ट्रोनिक्स आदि के बारे में प्रारम्भिक अध्ययन और बाजार विश्लेषण किया जा रहा है।

दिल्ली अध्यापक परिषद द्वारा धरना

[हिन्दी]

7680. **श्री महावीपक सिंह शाक्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली अध्यापक परिषद के सदस्यों ने 13 मार्च, 1990 को बोट क्लब पर धरना दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली अध्यापक परिषद ने 9.3.1990 तथा 28.3 1990 के अपने ज्ञापनों में मिश्रित रूप से निरन्तर चलने वाले वेतनमान और चिकित्सा देख रेख के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करने की मांग की है। सरकार ने एकल निरन्तर रूप से चलने वाले वेतनमान की मांग मंजूर नहीं की है क्योंकि ये शैक्षणिक स्तरों को उत्तम रूप से बनाये रखने के हित में नहीं होगा और उच्चतर अर्हता प्राप्त अध्यापकों के लिए एक हतोत्साह के रूप में काम करेगा। जहां तक पर्याप्त चिकित्सा देख रेख की मांग का संबंध है दिल्ली स्कूलों के अध्यापक इस समय हस्पतालों में पुरानी बीमारियों/गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति की सुविधा के अतिरिक्त प्रतिमाह 15 रु० का नियत चिकित्सा भत्ता ले रहे हैं। अध्यापकों की चिकित्सा देख-रेख में और आगे सुधार करने के लिए अध्यापकों को एक स्वास्थ्य बीमा योजना की पेशकश की गई है जिसे उन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया है।

"गरीबी और बच्चे" पर गोष्ठी

[अनुवाद]

7681. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री जी०एस० बासवराज : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान द्वारा "गरीबी और बच्चे" पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में की गई टिप्पणियों और दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में बच्चों के शोषण को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) :

(क) जी, हां। "गरीबी और बच्चे" पर एक गोष्ठी 27-28 मार्च, 1990 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा आयोजित की गई थी।

(ख) इस गोष्ठी में की गई टिप्पणियों और दिये गये सुझावों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) बच्चों का शोषण रोकने के लिए सरकार विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

जहां तक आठवीं पंचवर्षीय योजना में बच्चों के शोषण की रोकथाम का सम्बन्ध है, इस योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

1. आर्थिक विकास का सम्बन्ध कम विकसित वर्गों और क्षेत्रों का विकास करने और निर्धन वर्गों की आय बढ़ाने से होना चाहिए।

2. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार की आय में पर्याप्त वृद्धि हो जानी है और रोजगार की योजनाएं इस प्रकार तैयार की जानी हैं जिससे कि दीर्घावधि आधार पर रोजगार प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके।

3. सरकार को चाहिए कि वह गरीबी निवारण कार्यक्रमों में कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करे और स्वयसेवी संगठनों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन निर्धारित किए जाएं।

4. सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए मौजूदा कार्यक्रमों विशेषकर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों और समेकित बाल विकास सेवा योजना के बीच समन्वय करने दृष्टिकोण बदलने तथा समुचित रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है।

5. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की आर्थिक स्थिति, उन्हें वित्तीय सहायता देकर बेहतर बनाई जाये जिससे उनकी आय में निरन्तर आधार पर स्वतः वृद्धि होती रहे।

6. पुत्राधिमानवाद की रूढ़िवादी वैचारिकता को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि यह वैचारिकता लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करती है जो बाल विकास

में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं के दर्जे में सुधार लाने के रास्ते में रुकावट पैदा करती है।

7. लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभ केवल मुट्ठी भर ग्रामीण धनी लोगों तक ही सीमित न रहें बल्कि ये लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को प्राप्त हो सके।

8. राजस्व प्रशासन, पुलिस संस्थाओं, विधिक सुविधाओं और बैंकिंग प्रणाली जैसे मौजूदा संसाधनों और अवसंरचना से ग्रामीण समुदाय को सुपरिचित कराने के लिए सरकारी कार्यकर्त्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विशेष जागृति कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि लोग इनसे अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकें।

9. भूक्षरण रोकने के लिए स्थानान्तरण खेती (शिफ्टिंग कल्टिवेशन) की तकनीकों पर पाबन्दी लगाई जाए जिन्हें आदिवासी लोग पीढ़ियों से अपनाए हुए हैं।

10. सामाजिक-वाणिकी कार्यक्रमों में पौधों की ऐसी प्रजातियों का रोपण करने पर ध्यान दिया जाए जो आदिवासी लोगों के सीधे उपयोग और लाभ की हो।

11. आदिवासी लोगों के विकास कार्यक्रमो की नीति निर्धारण, नियोजन और कार्यान्वयन में उन लोगों को शामिल किया जाये।

महिलाओं के बारे में विचार गोष्ठी का आयोजन

7682. **श्री जी०एस० बासवराज :**

श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महिलाओं के बारे में एक विचार गोष्ठी जयपुर में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वहां किन-किन विषयों पर चर्चा की गई?

(ग) क्या इसमें भाग लेने वाले सदस्यों ने सृजनात्मक कार्यों को महिलाओं के लिये ही आरक्षित किये जाने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : (क) राजस्थान सरकार ने अभी हाल में जयपुर में कोई विचार गोष्ठी आयोजित नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एक पीठ की स्थापना

7684. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एक पीठ स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं। एर्नाकुलम में पहले से ही केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की एक पीठ है, जो केरल उच्च न्यायालय का स्थान है जिसके क्षेत्राधिकार में केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप आते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय संवर्ग में सहायक

7685. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय संवर्ग में कितने सहायक कार्य कर रहे हैं और क्या उन्हें समूह "ख" का अधिकारी माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो समूह "ग" में ऐसे अन्य लिपिकीय तथा कार्यकारी पदों के नाम क्या हैं जो सहायकों से अधिक वेतनमान ले रहे हैं; और

(ग) इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1 मई, 1989 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के विभिन्न सहभागी मंत्रालयों तथा विभागों में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों की संख्या लगभग 4460 थी उन्हें 1400-2600 रुपए के वेतनमान में समूह "ख" के अधिकारी माना जाता है।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (के०स०आ०से०) तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (के०स०लि०से०) में समूह "ग" का कोई भी कर्मचारी सहायकों से अधिक वेतनमान नहीं ले रहा है। तथापि, बहुत से अधीनस्थ कार्यालयों में केन्द्रीय उत्पाद निरीक्षक, उप-निरीक्षक, पुलिस तथा स्टाफ नर्सों जैसे पद हैं जिनका वेतनमान 1640-2900 रुपए है तथा जिन्हें समूह "ग" पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन पदों के कार्य तथा उत्तरदायित्व सहायकों से भिन्न प्रकार के हैं।

(ग) वेतनमान, अर्हताओं, उन पदों से संबद्ध कार्यों तथा उत्तरदायित्वों और अन्य सुसंगत तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं।

काले हिरन का संरक्षण

[हिन्दी]

7686. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काले हिरन की जातियों के लुप्त होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्ष 1980 और जनवरी, 1990 में काले हिरनों की अनुमानित संख्या, पृथक-पृथक कितनी थी;

(घ) सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान करने और उनकी संख्या में वृद्धि करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) काले हिरणों की अनुमानित संख्या 1982 में लगभग 23,000 थी अब वह बढ़कर 43,500 हो गई है। इस प्रकार इस प्रजाति को हमारे देश में लुप्त होने का अब कोई खतरा नहीं है।

(घ) काले हिरण के संरक्षण एवं प्रजनन के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) काले हिरण को वन्यप्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है, इस प्रकार कानून के तहत इसको अधिकतम सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) काले हिरण और इसके वासस्थलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों तथा वन्य क्षेत्रों की स्थापनों की गई है।

(3) काले हिरण और उससे बने उत्पादों का व्यापार और वाणिज्य निषिद्ध है।

(4) राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की सुरक्षा एवं विकास और वन्यजीव के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें आरम्भ की गई हैं। इनमें वे अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हैं जिनमें काले हिरण पाये जाते हैं।

(5) काले हिरण जैसी प्रजातियों के परिरक्षण सहित प्रकृति के सरक्षण के प्रति जन जागरूकता पैदा करने तथा लोगों को उसमें शामिल करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरम्भ की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक आधार पर आरक्षण

7687. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी सेवा में आरक्षण नीति को कार्यान्वित करते समय इसमें आर्थिक आधार को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोर्टल्लम में महिला महाविद्यालय को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना

[अनुवाद]

7688. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कोर्टल्लम स्थित श्री पराशक्ति महिला महाविद्यालय को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने से सम्बन्धित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या तामिलनाडु सरकार ने भी यही सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार को, श्री पराशक्ति महिला कालेज, कोर्टल्लम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सम-विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को

परामर्श के लिए भेज दिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग ने प्रस्ताव की जांच करने हेतु एक निरीक्षण समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली छावनी बोर्ड के उप-नियमों का जनता को उपलब्ध होना

7689. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी बोर्ड के उप-नियमों की प्रतियां समाप्त हो गई हैं तथा क्षेत्र की जनता को उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन उप-नियमों को आम जनता को उपलब्ध कराने हेतु बोर्ड द्वारा इनका प्रकाशन कब तक करा लिया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) दिल्ली छावनी बोर्ड के उप-नियमों को छापा नहीं जाता है बल्कि इन्हें साइक्लोस्टाइल किया जाता है। इन उप-नियमों की साइक्लोस्टाइल प्रतियां वहां के निवासियों को भुगतान पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

फसल कटाई के दौरान धूल तथा अणु वनस्पति के कारण प्रदूषण

7690. **श्री मनोरंजन भक्त** :
श्री इरा अम्बारासु :
श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फसल कटाई के दौरान धूल तथा अणु वनस्पति के कारण फैलने वाले प्रदूषण के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास इस प्रकार फैलने वाले प्रदूषण को रोकने की कोई वैज्ञानिक योजना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) सरकार को ऐसे किसी अध्ययन के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई वैज्ञानिक योजना विचाराधीन नहीं है।

अनाधिकृत कब्जे वाली अन्य भूमि को नियमित करना

7691. श्री छविराम अर्गल :

श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव पाटिल : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 मई, 1989 को हुए वन मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि वन भूमि पर 24 अक्तूबर, 1980 तक किये गये अनाधिकृत कब्जों को नियमित कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आशय का कोई निर्णय लिया है यदि नहीं, तो ऐसा निर्णय लेने में क्या बाधाएं हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने 31 दिसम्बर, 1976 तक के अनधिकृत कब्जे वाले मामलों को तय करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) 11-12 मई 1989 को हुए वन मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि पूर्वकाल में किए गए अवैध कब्जों के नियमन के उन प्रस्तावों पर शीघ्रता से मंजूरी देने के लिए उपयुक्त रूप से विचार किया जाना चाहिए जिनके सम्बन्ध में आदेश जारी करने के अलावा सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। इस सम्बन्ध में यह विचार उन मामलों तक सीमित रखा जाना था, जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने 1980 से पूर्व लाभभोगियों का निर्धारण कर लिया था और उन्हें आबंटित किए जाने वाले क्षेत्र का सीमांकन कर लिया था। राज्य सरकारों से अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पूर्व हुए अवैध कब्जों के नियमन हेतु प्रस्ताव मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य-वार की गई कार्यवाही निम्नलिखित है :--

(1) मध्य प्रदेश : राज्य सरकार से अपेक्षित अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए हैं।

(2) केरल : इडुक्की जिले में पट्टा जारी करने अथवा आबंटित करने के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में पूर्ण स्थगन आदेश दिया है।

(3) **कर्नाटक** : राज्य सरकार से जिलेवार समेकित प्रस्ताव मांगे गए हैं ।

(4) **महाराष्ट्र** : केवल धुले जिले के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । राज्य सरकार से कतिपय अनिवार्य अपेक्षित ब्यौरे मांगे गए हैं ।

एम०ई०एस० में कार्यरत सिविल कर्मचारियों की सेवा-शर्तें

[हिन्दी]

7692. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (एम०ई०एस०) में सिविल कर्मचारी भी कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी सेवा-शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम०ई०एस० में एक ही पद पर कार्य करने वाले रक्षा और सिविल कर्मचारियों पर पृथक-पृथक सेवा नियम लागू होते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सिविल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां ।

(ख) मिलिटरी इंजीनियरी सेवा (एम०ई०एस०) में कार्य कर रहे सिविलियन कर्मचारी, सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) मिलिटरी इंजीनियरी सेवा के कर्मचारियों के कुछ संघों से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नियुक्ति और स्थानांतरण संवर्ग समीक्षा, लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान में संशोधन करना, आयकर में छूट, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से सम्बन्धित मुद्दों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । इस सम्बन्ध में मौजूदा आदेशों/अनुदेशों के अनुसार इन मुद्दों की जांच की जा रही है ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उच्च लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति

[अनुवाद]

7693. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही चयन पद पर पदोन्नति के नियमों में यह व्यवस्था है कि "फीडर" संवर्ग से पदोन्नति के लिए पांच व्यक्तियों पर विचार किया जाना चाहिए;

(ख) क्या नियमों में यह भी व्यवस्था है कि जहां "फीडर" संवर्ग में एक ही पद हो तो चयन के लिए संयुक्त प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें सलेक्शन पद पर नियुक्ति के लिए एकल समिति द्वारा विभागीय और गैर-विभागीय उम्मीदवारों पर विचार किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उच्च लेखा अधिकारी और उच्च लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों पर नियुक्ति के मामले में उक्त प्रक्रिया न अपनाये जाने के क्या कारण हैं;

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार निवेश संवर्ग में चयन का क्षेत्र पदोन्नति द्वारा एक रिक्त को भरने के लिए 5 पात्र व्यक्तियों तक सीमित किया जाना होता है।

(ख) इस प्रकार का प्रावधान भारत सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं में विद्यमान है।

(ग) चयन की मिश्रित प्रविधि सम्बन्धी भारत सरकार की मार्गदर्शी रूपरेखाएं केन्द्रीय विद्यालय सगठन में वरिष्ठ लेखाधिकारी और वरिष्ठ लेखा परीक्षक अधिकारी के पदों के लिए समान भर्ती नियमों के अनुरूप नहीं है। संगठन में वरिष्ठ लेखाधिकारी और वरिष्ठ लेखा परीक्षक अधिकारी के पद एस०ए०एस० उत्तीर्ण लेखा/लेखा परीक्षक/लेखा एव निरीक्षण अधिकारियों वाले निवेश संवर्ग में भर्ती नियमों में निर्धारित प्रविधि के अनुसरण में पात्र अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरे गये हैं।

योग शिक्षकों के वेतनमान

7694. **श्री राम अंगल मिश्र : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका जैसे संगठनों, राज्य सरकार के विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालय आदि में कार्यरत योग शिक्षकों के वेतनमानों में कोई अंतर है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका और केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत योग शिक्षकों के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :—

संगठन का नाम	वेतनमान
(1) दिल्ली प्रशासन	1400-2600 रु०
(2) केन्द्रीय विद्यालय संगठन	1400-2300 रु०

(3) नई दिल्ली नगर पालिका

(i)	प्राथमिक स्कूल	1200-2040 रु०
(ii)	मिडिल/माध्यमिक स्कूल	1400-2300 रु०
(iii)	सीनियर माध्यमिक स्कूल	1400-2600 रु०

योग शिक्षकों के लिए निर्धारित अर्हताओं और शिक्षण स्तर के आधार पर विभिन्न संगठनों द्वारा अलग-अलग वेतनमान निर्धारित किए गए हैं।

योग शिक्षकों के वेतनमान निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों के अपने-अपने मानदण्ड हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार कोई आंकड़े नहीं रखती है।

जामनगर स्थित भारतीय वायुसेना के विमान की दुर्घटना

7695. **श्री आर०एन० राकेश :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 अप्रैल, 1990 को जामनगर हवाई अड्डे का भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो जान और माल की हुई हानि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटना होने के कारण क्या हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई जांच आरम्भ की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमण्णा) : (क) जी, हां।

(ख) 9-4-90 को एक "मिग-21 एम" विमान नैमी प्रशिक्षण उड़ान के लिए जामनगर से रवाना हुआ। इसके पन्द्रह मिनट पश्चात् विमान जामनगर के नजदीक काम्बालिया शहर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में चालक की मृत्यु हो गई और विमान क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें चालक को छोड़कर जान-माल का अन्य कोई नुकसान नहीं हुआ।

(ग) जांच अदालत द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है।

(घ) जी, हां।

गुजरात के आदिवासियों के कब्जे वाली वन भूमि

[हिन्दी]

7696. **श्री चंदूभाई देशमुख :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के आदिवासियों के कब्जे में इस समय कुल कितनी वन भूमि है;

(ख) क्या सरकार का उन्हें कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1978-79 में ऐसा कोई कानून बनाया था जिसमें उन लोगों को वन भूमि का मालिकाना अधिकार देने का उपबंध था जिनका उस पर वर्ष 1971 से पहले से कब्जा था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पेड़ों का काटा जाना

[अनुवाद]

7697. **श्री शिलिहो सेमा** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन विभाग/निगमों ने संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में हाल ही में पेड़ों को फिर से काटना आरम्भ कर दिया है; यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संघ राज्य क्षेत्र में वनों की कटाई बनाम औद्योगीकरण के बारे में अपनी नीति को स्पष्ट करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) इमारती लकड़ी का निष्कासन अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन विभाग और वन विकास निगम द्वारा स्वीकृत कार्य योजनाओं के आधार पर किया जा रहा है।

(ख) (1) वननाशक को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

1. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिक बहाली तथा शेष बचे प्राकृतिक वनों का परिरक्षण करके प्राकृतिक विरासत के संरक्षण एवं वनों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करके ग्रामीण व आदिवासी लोगों की ईंधन, चारा, लघु वन उत्पादों और छोटी इमारती लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने आदि पर अधिक जोर दिया गया है। इसमें चराई, आग और अवैध कब्जों से वनों की सुरक्षा के लिए विशेष उपबन्ध हैं।

2. वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए 19 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया था। इस

अधिनियम में 1988 में संशोधन करके इसे अधिक कठोर बनाया गया है।

3. वनों की सुरक्षा के लिए आधार-भूत ढांचा विकसित करने के लिए राज्यों की सहायता के वास्ते एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

4. पैकिंग, रेलवे स्लीपरों, भवन निर्माण, फर्नीचर आदि के लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग किया जाता है।

5. इमारती लकड़ी की आयात नीति को उदार बना दिया गया है।

6. राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वनों की सुरक्षा के बारे में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए। इनमें से कुछ दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं :—

— प्राकृतिक वनों की कटाई से बचना और जहां फसलों की बहाली अथवा अन्य वन वर्धन कार्यों के लिए इस प्रकार की कटाई अनिवार्य हो, वहां पहाड़ों में 10 हैक्टेयर, मैदानों में 25 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कटाई नहीं की जानी चाहिए।

— पहाड़ों और पर्वतों में ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना जहां कटाई से वनों की सुरक्षा की आवश्यकता हो और तत्काल व्यापक वनरोपण की जरूरत हो।

— वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल रिजर्व आदि जैसे सुरक्षित क्षेत्र के रूप में 4 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को अलग रखना।

(2) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों पर आधारित उद्योगों के बारे में निम्नलिखित उपबन्ध निर्धारित किए गए हैं :—

1. जहां तक सम्भव हो, वन आधारित उद्योग को अधिमानतः उस फैक्टरी और व्यक्तियों के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित करके ऋण अनवरत तकनीकी सलाह और अन्तिम रूप से कटाई और परिवहन सेवाओं सहित निवेशों के साथ जो व्यक्तियों की सहायता के लिए कच्चा माल पैदा कर सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चा माल पैदा करना चाहिए।

2. गांव अथवा कुटीर उद्योग स्तर के अलावा, किसी भी वन आधारित उपक्रम को भविष्य में तब तक अनुमति न दी जाए जब तक कि कच्चे माल की आश्वासित उपलब्धता के सम्बन्ध में सावधानी पूर्वक जाँच पड़ताल के बाद इसको स्पष्ट न किया गया हो। इस प्रयोजन के लिए किसी भी हालत में स्थानीय जनता की ईंधन, चारे और इमारती लकड़ी की जरूरतों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।

3. वन आधारित उद्योग न केवल स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के रूप में रोजगार प्रदान करें अपितु उनको पेड़ उगाने और कच्चा माल पैदा करने में भी शामिल करें।

4. प्राकृतिक वन जीन पूल संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। अतः उद्योगों की इस प्रकार के वनों को पौधरोपण और किन्हीं अन्य गतिविधियों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

5. विशेषरूप से छोटे और सीमान्त किसानों को उनके पास उपलब्ध सीमान्त/अवक्रमित भूमि पर उद्योगों के लिए अपेक्षित काष्ठ प्रजातियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इन्हें ईंधन और चारा प्रजातियों के साथ सामुदायिक भूमि, जिसकी चारागाह प्रयोजनों के लिए आवश्यकता नहीं है, तथा वन विभाग/निगमों द्वारा अवक्रमित वन जो प्राकृतिक पुनर्जनन के लिए निर्धारित नहीं है, में भी उगाया जाए।

6. उद्योगों को रियायती दरों पर वन उत्पादनों की आपूर्ति की परम्परा को बन्द किया जाना चाहिए। उद्योगों को वैकल्पिक कच्चे माल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों के आयात को उदार बनाया जाए।

7. तथापि, उपरोक्त धारणाएं भूमि की अधिकतम सीमा और भूमि कानूनों से सम्बन्धित चालू नीति के अधीन होंगी।

बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव

7698. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पश्चिमी चम्पारन जिले में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और क्या सरकार का पश्चिम चम्पारन जिले में वर्तमान विद्युत उत्पादन इकाई के स्थान पर नया एकक लगाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) वर्तमान में बिहार के पश्चिमी चम्पारन जिले में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है ।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

(घ) पूर्वी विद्युत क्षेत्र में, जिसका बिहार भी एक हिस्सा है, कोयले के भंडार उपलब्ध होने की वजह से परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी गई है;

जहां तक बिजली का उत्पादन करने वाले किसी यूनिट को स्थापित करने का प्रश्न है, इस बारे में ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) से जानकारी ली जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

[हिन्दी]

7699. **श्री हरि शंकर महाले :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या का जिलेवार ब्योरा क्या है, जिनका अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इन सबका पुनर्वास कब तक कर दिया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : जिला सैनिक बोर्डों द्वारा रखे गए रजिस्टरों के आधार पर 1-1-1990 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में उन भूतपूर्व सैनिकों की राज्यवार संख्या, जिन्हें पुनः रोजगार पर लगाया जाना है, संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार में समूह "ग" और समूह "घ" के पदों के लिए क्रमशः 10% और 20% के आरक्षण की व्यवस्था है । राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और समूह "घ" के पदों के लिए क्रमशः 14½ प्रतिशत और

24½ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। उपयोग में न लाई गई आरक्षित रिक्तियों के सम्बन्ध में आरक्षण को एक वर्ष के लिए अग्रेनीत किया जा सकता है। अधिक रोजगार की क्षमता वाले मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे रिक्त पदों को एक साथ मिलाकर और रिक्त पदों की अग्रिम सूचना देकर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करने के लिए, विशेष अभियान चलाएं।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार के अन्तर्गत समूह "ग" और समूह "घ" के पदों में प्रत्येक के लिए, 15 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की है।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए गए आरक्षण के अतिरिक्त, स्व-रोजगार के लिए सेमफेक्स-1 और सेमफेक्स-2 जैसी योजनाएं भी महाराष्ट्र राज्य में लागू हैं।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के मामले में कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। यह एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

विवरण

1-1-1990 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में भूतपूर्व सैनिकों का
जिला-सैनिक बोर्डवार ब्यौरा

क्रम संख्या	जिला सैनिक बोर्ड का नाम	रजिस्टर में संख्या
1.	बम्बई	1349
2.	रायगढ़	342
3.	नासिक	487
4.	धूले	105
5.	जलगांव	239
6.	रत्नगिरि	668
7.	पुणे	569
8.	अहमदनगर	706
9.	सतारा	3267
10.	सांगली	976
11.	कोल्हापुर	1270
12.	सोलापुर	995
13.	औरंगाबाद	843
14.	उस्मानाबाद	643

15.	बुलढाणा	1049
16.	अकोला	332
17.	अमरावती	456
18.	यवतमल	196
19.	नागपुर	216
20.	सिंधुदुर्ग	383
21.	लातूर	520
22.	वर्धा	134

उर्दू भाषा में कम्प्यूटरों का विकास

[अनुवाद]

7700. श्री बी० एम० बनातवाला : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उर्दू भाषा में कम्प्यूटरों के विकास और उर्दू में कम्प्यूटर विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने की कोई योजना/परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना/परियोजना के अन्तर्गत किये गये कार्य के विवरण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उर्दू भाषा में कम्प्यूटरों का विकास करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 'भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम' तैयार किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उर्दू भाषा में भी सूचना-संसाधन के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी का विकास करना शामिल है।

भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (टी डी आई एल) में मुख्यतः निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्य कलाप शामिल होंगे :

(1) ज्ञानार्जन प्रणालियां

(2) मशीनी अनुवाद प्रणालियां तथा

(3) मानव-मशीन इंटर फेस प्रणालियां

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

7701. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) असम और नागालैंड में नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कानून लागू किया गया है । कोई नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड

7702. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** :

श्री यशवंतराव पाटिल :

श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "ग्रेट इंडियन बस्टर्ड" पक्षियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस जाति के पक्षियों के संरक्षण और इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्सम्बन्धी उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के किसी भी भाग में बस्टर्ड अभयारण्य स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) बम्बई नेचरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण जो 1989 में उनकी रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए थे, के आधार पर भारतीय सोहन चिड़ियों की अनुमानित वर्तमान सं० 770 से 1920 के बीच है ।

(ख) 1. इस प्रजाति के संरक्षण और प्रजनन के लिए जिन उपायों पर विचार किया गया है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) विद्यमान अभयारण्यों के प्रबन्ध को सुधारना और इस पक्षी तथा इसके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए नए अभयारण्य स्थापित करना ।

(2) उन अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता में वृद्धि करना जिनमें यह प्रजाति पाई जाती है।

(3) भारतीय सोहन चिड़िया सहित संकटापन्न वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार पर कड़ा नियंत्रण रखना।

(4) इस प्रजाति और इसके वासस्थलों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना।

(5) इस प्रजाति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में जागरूकता लाना।

2. मुख्य उपलब्धि यह है कि यह प्रजाति अपने मूल स्थान पर दिखाई देने लगी है जबकि विगत समय में इसकी संख्या में भारी कमी आई थी।

(ग) और (घ) अभयारण्य स्थापित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, बम्बई नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी ने दिसम्बर, 1989 में गुजरात राज्य सरकार को कच्छ जिले में नलिया, जाखन पोर्ट, सुथरी गांव और कोठारा के बीच की घास वाली भूमि को भारतीय सोहन चिड़िया अभयारण्य के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था। आगे की कार्रवाई गुजरात सरकार द्वारा की जानी है।

जोलजिबी मदकोट-मुनसयारी राजमार्ग

[हिन्दी]

7703. **श्री हरीश रावत :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोलजिबी मदकोट और मुनसयारी राजमार्ग की दशा उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में मदकोट-मुनसयारी के बीच बहुत खराब है,

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1990-91 के दौरान राजमार्ग की मरम्मत पर कुछ धन-राशि व्यय किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जोलजिबी और मुनसयारी के बीच की सड़क केवल अच्छे मौसम में इस्तेमाल की जा सकने वाली कच्ची सड़क के रूप में बनाई गई है और इसमें केवल हल्के वाहन ही चलाये जा सकते हैं।

(ख) और (ग) इस सड़क के रख-रखाव/मरम्मत के लिए 1990-91 के लिये 11.78 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान आदेश जारी करने में विलम्ब

[अनुवाद]

7704. **श्री राम सागर (सैदपुर)** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०डी०ए० इलाहाबाद सैन्य कार्मिकों की पेंशन में संशोधन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में वर्ष 1987 के पश्चात् पेंशन में संशोधन किया गया है और कितने समय पश्चात् पेंशन भुगतान आदेश भेजे गये/जारी किये गए थे;

(ग) यथासम्भव कम समय में पेंशन भुगतान आदेश जारी करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कितने मामलों में अभी पेंशन भुगतान आदेश जारी किए जाने शेष हैं और विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1987 के बाद लगभग 2.4 लाख मामलों में पेंशन संशोधित की गई थीं। अफसर रैंक से नीचे के सेना के जिन कार्मिकों के रिकार्ड पहले से ही कम्प्यूटर में उपलब्ध हैं उनकी सैन्य पेंशन की मंजूरी और उनके पेंशन के संशोधन की स्वीकृति के लिए एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली लागू की गई है। इससे दो-तीन सप्ताहों के बीच ऐसे कार्मिकों के पेंशन आदेश जारी किए जा सकेंगे।

मांट्रियल संधि

7705. **श्री मोरेश्वर सावे : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मांट्रियल सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति प्रकट की है;

(ख) क्या इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई शर्त रखी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है।

भारतीय सांख्यकीय सेवा

7706. **प्रो० शैलेन्द्र साथ श्रीवास्तव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यकीय सेवा ग्रुप "ए" केन्द्रीय सेवा है;

(ख) क्या भारतीय सांख्यकीय सेवा के अधिकारी योजना आयोग में सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रशिक्षित भारतीय सांख्यकीय सेवा में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को सांख्यकीय विभाग के कम्प्यूटर केन्द्र अथवा योजना आयोग के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र में पदों पर नियुक्त किया जाता हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) योजना आयोग में सलाहकार के पद; योजना आयोग के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र तथा सांख्यिकी विभाग के संगणक केन्द्र में पद (कार्यकारी निदेशक) के पद को छोड़कर) भारतीय सांख्यिकीय सेवा (भा०सां०से०) के संवर्ग में शामिल नहीं है। अत:, इन पदों को भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नहीं भरा जा सकता। तथापि, भा०सां०से० के अधिकारी, जो आवेदनपत्र देते हैं तथा जो अन्यथा इन पदों के सम्बन्ध में मापदंड तथा अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, भी अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ-साथ पदों पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र हैं। सांख्यिकी विभाग के संगणक केन्द्र के कार्यकारी निदेशक का पद भा०सां०से० के संवर्ग में शामिल है, अत: उक्त पद पर नियुक्ति हेतु केवल भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी ही पात्र हैं ।

सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा भत्ता सुविधाएं

7707. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को शनिवार/रविवार से पहले या बाद में पड़ने वाली राजपत्रित छुट्टियों, के दौरान कम अवधि की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा भत्ता स्वीकार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) किसी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी यात्रा रियायत की अनुज्ञेयता जैसा कि स्वत: इसके नाम से स्पष्ट है, किसी भी स्वरूप की छुट्टी लेने से जुड़ी है। अत: किसी सरकारी कर्मचारी को यह रियायत केवल तभी अनुज्ञेय होती है जब कि वह राजपत्रित छुट्टियों, शनिवारों और रविवारों के अतिरिक्त किसी भी स्वरूप की छुट्टी लेता है। किन्तु उसके परिवार के सदस्य छुट्टी यात्रा रियासत की सुविधा अलग से ले सकते हैं और इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि क्या सरकारी कर्मचारी कोई छुट्टी लेता है अथवा नहीं।

अनुवाद]

राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग न किया जाना

7708. श्री राम कृष्ण कोंताला : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा उन्हें विशेष प्रयोजन के लिए दिये गये अनुदानों/निधियों का दुरुपयोग किया है अथवा इन्हें अन्य कामों में लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

पुरुषों के चौथे एशियाई साफ्ट बाल चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर किया गया खर्च

7709. श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 में जापान में आयोजित पुरुषों के तीसरे एशियाई सॉफ्ट बॉल चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का सारा व्यय सरकार ने वहन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अप्रैल-मई, 1990 में मनीला (फिलीपीन्स) [आयो]जित किए जाने वाले पुरुषों के चौथे एशियाई सॉफ्ट बॉल चैम्पियनशिप में भाग लेने [वाले खि]लाड़ियों पर होने वाला व्यय भी वहन करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पुरुषों के चौथे एशियाई सॉफ्ट बॉल चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों [का] ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) 1985 में जापान में आयोजित तीसरी एशियाई सॉफ्ट बॉल पुरुष चैम्पियनशिप में भाग लेने वाली सॉफ्ट बॉल टीम को केवल अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी।

(ख) और (ग) टीम के 1985 में जापान में आयोजित पिछली एशियाई सॉफ्ट बॉल पुरुष चैम्पियनशिप में प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए मनीला में होने वाली चौथी एशियाई

सॉफ्ट बॉल पुरुष चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय सॉफ्ट बॉल संघ के प्रस्ताव को, बिना सरकारी सहायता के मंजूर कर दिया गया है और यह वास्तविकता है कि न तो यह आगामी एशियाई खेल का पता लगाया गया खेल विषय है और न ही यह भारत में काफी खेला जाने वाला।

(घ) जैसा कि संघ द्वारा सूचित किया गया है कि मनीला में चौथे एशियाई सॉफ्ट बॉल पुरुष चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. श्री जैकब चांडी
2. श्री अतुल शिंदे
3. श्री महेन्द्र सोलंकी
4. श्री पवित्र सिंह
5. श्री एस० चक्रवर्ती
6. श्री संजय रेवाडी
7. श्री प्रकाश सिंह
8. श्री आर०के० टिकू
9. श्री उमेश शर्मा
10. श्री विरेन्द्र सिंह
11. श्री सुबोध पाटनकर
12. श्री एस०के० सेन
13. श्री अरुण कुमार
14. श्री ए०जे० अल्वी
15. श्री एस० महेश
16. श्री वाई०के० शर्मा
17. श्री दयानंद जाबालकर

पंजाब को केन्द्रीय सहायता

7710. **श्री कमल चौधरी** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वन रोपण के लिए पंजाब तथा अन्य राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान वनीकरण कार्यकलापों के लिए धनराशि का राज्यवार आबंटन तथा उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है। इसमें पंजाब राज्य भी शामिल है।

विवरण

वनीकरण हेतु धनराशि का राज्यवार आबंटन और उपयोग

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	राज्य	1986-87 (आ०)	1986-87 (उ०)	1987-88 (आ०)	1987-88 (उ०)	1988-89 (आ०)	1988-89 (उ०)	1989-90 (आ०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3312.60	3436.01	3582.55	3172.03	3538.00	3538.00	1580.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	431.00	386.56	428.50	396.77	451.75	451.75	699.00
3.	असम	1725.75	1616.51	1892.75	1628.54	2188.00	2128.00	1655.00
4.	बिहार	4066.37	2363.12	4178.95	3841.96	5298 00	5298.00	1997.00
5.	गोवा	119.50	110.35	131.65	112.20	118.00	118.00	129 00
6.	गुजरात	2837.97	2997.31	3469.50	2989.86	3168.00	3168.00	3355.00
7.	हरियाणा	1288.27	1395.27	1459.75	1343.43	1921.50	1921.50	1735.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1762.30	1675.47	1932.75	1952.48	2257.50	2257.50	2396.00
9.	जम्मू व कश्मीर	892.00	851.68	1007.50	960.76	1124.63	1124.63	1060 00
10.	कर्नाटक	2372.24	2259.54	2353.25	1713.95	2710.50	2710.50	1667.30
11.	केरल	1757.50	1789.26	2003.00	1703.55	2374.00	2374.00	1290.00
12.	मध्य प्रदेश	4269.99	4650.82	4687.75	4059.17	4672.00	4672.00	3457.00
13.	महाराष्ट्र	3955.37	2158.63	4062.50	3401.37	4194.25	4194.25	3135.50

1		2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	246.25	226.07	303.50	307.41	703.50	403.50	464.00
15.	मेघालय	557.00	413.88	670.50	623.59	756.00	756.00	942.00
16.	मिजोरम	497.00	531.49	512.50	535.48	658.00	658.00	570.00
17.	नागालैंड	352.50	387.13	506.75	492.86	518.00	518.00	482.50
18.	उड़ीसा	1964.59	2051.12	2637.70	2538.51	2667.25	2667.25	2939.50
19.	पंजाब	696.00	863.85	873.75	859.20	1035.25	1035.25	725.00
20.	राजस्थान	2723.17	3376.13	2939.25	2847.84	3202.00	3202.00	1616.50
21.	सिक्किम	199.75	171.06	233.25	199.20	235.00	235.00	276.00
22.	तमिलनाडु	3299.40	2703.21	3606.00	3167.20	3479.50	3479.50	1991.00
23.	त्रिपुरा	435.50	369.73	395.50	424.34	462.75	462.75	476.00
24.	उत्तर प्रदेश	6617.14	5582.39	7717.25	6023.12	7589.75	7589.75	4254.30
25.	पश्चिम बंगाल	2559.79	2796.26	2609.20	2025.56	3292.88	3292.88	1612.50
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	122.00	127.54	143.50	153.36	259.50	259.50	245.00
27.	चंडीगढ़	23.25	21.25	24.35	23.55	23.50	23.50	26.25
28.	दादर व नागर हवेली	46.50	52.09	68.25	97.97	111.25	111.25	108.50
29.	दिल्ली	82.75	100.35	108.80	88.10	85.50	45.00	14.17
30.	दमन व द्वीप	0.00	0.00	0.00	12.48	45.00	85.00	97.50
31.	लक्षद्वीप	4.25	7.98	4.75	6.56	7.25	7.25	0.00
32.	पांडिचेरी	31.00	36.82	38.50	43.63	48.00	49.00	14.17
	योग	49248.70	45508.88	54083.50	47746.03	59196.01	58836.01	40011.39

आ०—आवंटन उ०—उपयोग

मंजूरी के लिए लंबित पड़ी इलेक्ट्रानिकी योजनाएं

[हिन्दी]

7712. **श्री वसई चौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास से सम्बन्धित लम्बित पड़ी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान बिहार में कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स सम्बन्धी योजनाओं के नाम क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिकी विकास निगम (बेल्ट्रॉन) के जरिए बिहार राज्य के लिए ग्रामीण इलेक्ट्रोनिकी रोजगार उपलब्ध कराने की (प्रायोगिक) योजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

खनन इलेक्ट्रोनिकी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसे इलेक्ट्रोनिकी विभाग, कोयला तथा खान विभाग द्वारा संयुक्त रुप से सहायता उपलब्ध कराई जाती है, सरकार ने रांची स्थित केन्द्रीय खान आयोजना तथा डिजाइन संस्थान के जरिए खानों में सुरक्षा सम्बन्धी प्रचालन-कार्यों में सुधार लाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रोनिकी उपस्करों तथा प्रणालियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

बिहार राज्य में एक इलेक्ट्रोनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

केरल में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का जीर्णोद्धार

[अनुवाद]

7713. **श्री टी० बशीर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में आबंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान कितने जीर्णोद्धार-कार्य पूरे किए गए तथा उनके नाम क्या हैं तथा उन पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां। केरल के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों/स्थलों, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित हैं, के अनुरक्षण और परिरक्षण के लिए धनराशि आबंटित की गई है।

(ख) और (ग) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण और संरक्षण आगे चलने वाली और सतत् प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ स्मारक, जिनका व्यापक संरक्षण हुआ है, ये हैं शिव मन्दिर पेरुवनम, पालघाट स्थित किला और मट्टनचेरी महल, कोचीन।

केरल में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण और संरक्षण पर हुआ व्यय इस प्रकार है :—

1987-88	10,33,538/- रु०
1988-89	9,87,076/- रु०
1989-90	5,75,806/- रु०

इलेक्ट्रॉनिकी सामान का उत्पादन

[हिन्दी]

7714. **श्री रामदास सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी एककों के उत्पादन को उनकी लाइसेंसीकृत क्षमता तक सीमित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस निर्णय से इलेक्ट्रोनिकी सामान के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ग) लाइसेंसशुदा इकाइयां, जिनमें इलेक्ट्रोनिकी क्षेत्र की इकाइयां शामिल हैं, उत्पादन का नियंत्रण औद्योगिक (विकास तथा विनिमय) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत लाइसेंस-शुदा उत्पादन-क्षमता को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, पुनः अनुमति प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत, लाइसेंस-शुदा इकाइयां अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकती हैं।

सामान्य औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के एक भाग के रूप में, सरकार ने लाइसेन्स-शुदा अथवा पंजीकृत उत्पादन-क्षमता में अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए पंजीकृत/लाइसेन्स-शुदा उपक्रमों को अनुमति प्रदान की है बशर्ते कि वह इस अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात करें। इसके अतिरिक्त, निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने सभी औद्योगिक उपक्रमों को अलग से औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त किए बगैर ही निर्यात् के उद्देश्य से किसी भी विनिर्दिष्ट वस्तु के विनिर्माण के लिए एक बार में ही अनुमति प्रदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

भारतीय प्रबंध संस्थान के प्रोफेसरों और अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाना

[अनुवाद]

7715. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रबन्ध संस्थान के प्रोफेसरों और अध्यापकों के वेतनमानों में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाओं जैसे क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों, मेडिकल संस्थानों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालयों आदि में भी उक्त वेतनमान लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन और विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में आई०आई०टी० में शिक्षकों के वेतनमानों का संशोधन करते हुए 19-4-1990 को आदेश जारी किए हैं जो भारतीय प्रबंध संस्थान, नीति बम्बई और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के शिक्षकों के लिए भी लागू है। इन वेतनमानों को क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, चिकित्सा संस्थाओं वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसन्धान परिषद और विश्वविद्यालयों आदि के शिक्षकों को प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संस्कृत भाषा के विकास के लिए योजनाएं

7716. **श्री वसन्त साठे :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत भाषा के विकास/प्रचार के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उसके लिए राज्यवार क्या आर्थिक सहायता रखी गई थी और कितनी उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या संस्कृत भाषा के प्रचार कार्य में सभी महाराष्ट्र की शिक्षा संस्थाओं ने सरकार से आर्थिक सहायता मांगी थी और उस पर क्या कार्यवाही की गई; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) भारत सरकार ने संस्कृत भाषा की प्रोन्नति तथा प्रचार के लिए विभिन्न योजनाएं प्रतिपादित की हैं। संस्कृत भाषा की प्रोन्नति के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता की केन्द्रीय योजनागत योजना के अन्तर्गत संस्थाओं/वैयक्तिकों को आगे देने के लिए सीधे अनुदान दिए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध तथा दिए गए अनुदान के राज्य-बार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पूरे देश की संस्थाओं और वैयक्तिकों को सीधे अनुदान दिए जाते हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध और प्रदान किए गए बजट और निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ख) महाराष्ट्र की संस्थाओं जिन्होंने भारत सरकार से वित्तीय सहायता मांगी तथा साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें दिए गए अनुदानों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(लाख रु० में)

	संस्थान का नाम	1987-88	1988-89	1989-90
(1)	मुम्बा देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, बम्बई	3.48	3.89	4.82
(2)	वैदिक संशोधन मंडल, पुणे	4.15	4.07	5.13
(3)	दक्कन कालेज, पुणे	7.37	13.45	14.25
(4)	धर्मकोश मंडल वाई	0.97	0.97	0.87

इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की ये पांच स्वैच्छिक संस्थाएं, स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा के प्रचार और प्रौन्नति के प्रयोजनार्थ इस मन्त्रालय से तदर्थ अनुदान भी प्राप्त कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें क्रमशः 1.95 लाख रुपये, 1.21 लाख रुपये और 0.69 लाख रुपये के अनुदान दिए गए थे।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण—1

योजना का नाम—केन्द्रीय योजनागत योजना—संस्कृत शिक्षा का विकास

बजट प्राक्कलन 1987-88	40.00 लाख	संस्कृत शिक्षा के प्रसार के
बजट प्राक्कलन 1988-89	58.00 लाख	लिए राज्यों संघ/शासित
बजट प्राक्कलन 1989-90	57.00 लाख	प्रदेशों को वित्तीय सहायता
		की योजना के अन्तर्गत

(लाख रु० में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1987-88	1988-89	1989-90
		के दौरान मुक्त की गई कुल राशि		
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.85	2.10	1.95
2.	असम	1.86	2.71	2.78
3.	बिहार	3.57	5.13	5.20
4.	गुजरात	0.32	0.26	0.26
5.	हरियाणा	0.08	0.11	0.11

1	2	3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	0.04	0.42	0.24
7.	जम्मू और कश्मीर	0.26	0.34	0.38
8.	कर्नाटक	7.90	11.90	14.78
9.	केरल	1.78	2.85	2.54
10.	मध्य प्रदेश	0.52	0.76	0.76
11.	महाराष्ट्र	0.62	0.98	0.38
12.	मणिपुर	0.20	0.36	0.31
13.	मेघालय	0.06	0.08	0.08
14.	उड़ीसा	1.38	1.69	2.72
15.	पंजाब	0.02	0.08	0.86
16.	राजस्थान	0.70	2.26	2.22
17.	तमिलनाडु	5.07	7.45	7.68
18.	त्रिपुरा	1.02	1.76	1.29
19.	उत्तर प्रदेश	2.77	3.55	3.76
20.	पश्चिम बंगाल	4.05	6.16	6.22
21.	नागालैंड	0.20	0.20	0.20
22.	गोवा	0.06	0.12	0.11
	कुल	34.33	51.27	54.83
	संघ शासित क्षेत्र का नाम			
1.	दिल्ली	0.55	0.36	0.50
2.	दादरा और नागर हवेली	0.05	0.06	0.02
3.	पांडिचेरी	0.02	0.07	0.07
4.	चण्डीगढ़	0.07	—	—
	कुल	0.69	0.49	0.59
	कुल	35.02	51.76	56.42

विवरण—2

क्र०सं०	योजनाओं के नाम	1987-88 बजट प्राक्कलन	1987-88 परिव्यय	1988-89 बजट प्राक्कलन	1988-89 परिव्यय	1989-90 बजट प्राक्कलन	1989-90 परिव्यय
1.	संस्कृत के प्रचार और विकास के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता	50.00	59.41	50.00	53.34	60.00	59.99
2.	आदर्श संस्कृत पाठशालाओं/शोध संस्थाओं को अनुदान	45.00	50.97	55.00	58.41	65.00	75.00
3.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को अनुदान	2.89 करोड़	2.70 करोड़	2.93 करोड़	2.83 करोड़	3.24 करोड़	3.00 करोड़
4.	संस्कृत शब्द कोष विभाग, दक्कन कॉलिज, पुणे को अनुदान	9.00	7.37	10.00	13.45	15.00	14.25
5.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति को अनुदान	—	—	—	—	6.00	6.00
6.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली को अनुदान	—	—	—	—	6.95	6.95

7. संस्कृत साहित्य तैयार करने के अतिरिक्त दुर्लभ पांडुलिपियों की तथा प्रकाशन	26.00	25.59	23.00	31.12	23.00	26.32
8. पालेओग्राफी, एपिग्राफी आदि जैसे व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए विशेष अनुस्थापन पाठ्यक्रम	3.00	2.69	3.00	2.56	3.00	4.37
9. वैदिक पाठ की मौलिक परंपरा का संरक्षण	6.00	3.82	4.50	3.94	4.50	2.15
10. वक्तृता प्रतियोगिता और वैदिक सभा आयोजित करना	2.00	1.25	4.50	1.15 .99) 2.14	4.50	3.95 (2.58+1.37)
11. वैदिक अक्षयपूर्ति दान	50.00	50.00	40.00	45.00	40.00	62.20
12. आदर्श संस्कृत पाठशालाओं तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों के विख्यात प्रौढ़ संस्कृत विद्वानों को वित्तीय सहायता	12.00	5.98	12.00	7.96	12.00	7.80

वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारियों के रिक्त पद

7717. **श्री बसंत साठे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालयों में वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारियों के कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) उनमें से कितने पद छः महीने से अधिक समय से तदर्थ आधार पर भरे गए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) इस समय वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं पड़ा है।

(ख) वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी के ग्रेड में कोई पद तदर्थ आधार पर नहीं भरा गया है। तथापि, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 1968 के नियम 10(2) के अधीन इस ग्रेड में 49 पदों को स्थानापन्न आधार पर भरा जा चुका है। इन पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जा सका है क्योंकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी के फीडर ग्रेड की वरिष्ठता में परिवर्तन होने की सम्भावना है (केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के परिणामस्वरूप) जिसके लिए इनके कागजात पहले ही संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए हैं।

इलैक्ट्रॉनिक यूनिटों को सहायता

7719. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में किसी इलैक्ट्रॉनिकी यूनिट को पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सहायता दी है; और

(ख) क्या सरकार का किसी अन्य गैर-सरकारी इलैक्ट्रॉनिक यूनिट को इसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कण्णानोर इंजीनियरिंग कालेज को वित्तीय सहायता

7720. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कण्णानोर इंजीनियरिंग कालेज से प्राप्त वित्तीय सहायता/अनुदान के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचारार्थ पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। केरल, कण्णानोर स्थित इंजीनियरिंग कालेज से निम्नलिखित तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

1. इलैक्ट्रॉनिकी प्रयोगशाला का विकास।
2. संगणक केन्द्र की स्थापना।
3. पुस्तकालय तथा लेखन केन्द्र।

इन प्रस्तावों पर तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की योजना के अन्तर्गत प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान सम्बन्धित क्षेत्रों की विशेषज्ञ समितियों की बैठकों में विचार किया जायेगा।

केल्ट्रान को सहायता

7721. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से केल्ट्रॉन द्वारा अपने एकक के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने केल्ट्रॉन के किसी एकक को अपने हाथ में ले लिया है अथवा लेने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) केरल सरकार की 'केल्ट्रॉन' नामक सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी की सेमीकण्डक्टर यूनिटों से प्राप्त एक प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में 'केल्ट्रॉन पावर डिवाइसेज' लिमिटेड को 60 लाख रु० और केल्ट्रॉन रेक्टिफायर्स लिमिटेड को 35 लाख रु० ऋण के रूप में उपलब्ध कराकर उन्हें फिर से चालू हालत में लाने के कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र नामक केल्ट्रॉन की एक इकाई को इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया और वर्ष 1988 में उसका दर्जा बढ़ाकर इलैक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला कर दिया। इलैक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, जिसकी स्थापना पहले एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी, को भी वर्ष 1988 में अपने नियंत्रण में ले लिया गया।

नये पोतों की खरीद

7722. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना का वर्ष 1990-91 में कोई नये पोत खरीदने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) 1990-91 के दौरान भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी पोत निर्माण कारखानों से और बाहर से आयात करके पोत प्राप्त किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में ब्यौरे प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा।

आंध्र प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की स्थापना

7723. **श्रीमती के० जमुना :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए और अधिक होस्टलों की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे किन्हीं होस्टलों के निर्माण अथवा विद्यमान होस्टलों के सुधार के लिए चालू वर्ष में कोई धनराशि नियत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : (क) से (घ) बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माण/विस्तार की सहायता योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान 3500 कामकाजी महिलाओं के लिए 70 अतिरिक्त होस्टल खोलने के लिए बजट प्राक्कलनों में 6 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों और अन्य पात्र संगठनों के आवेदन पत्रों के आधार पर परियोजनाएं संस्वीकृत की जाती हैं और इन परियोजनाओं का नियतन राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश-वार नहीं किया जाता। फिलहाल आंध्र प्रदेश सरकार का कोई परियोजना-प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आंध्र प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम

7724. **श्रीमती के० जमुना :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में, विशेष रूप से गत तीन वर्षों के दौरान स्व-रोजगार के क्षेत्र में, नवीनतम समीक्षानुसार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धन-राशि नियत की गई है; और

(ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) संलग्न विवरण-1 आंध्र प्रदेश द्वारा कुछ चयन किए गए मदों के कार्यान्वयन जिसमें स्व-रोजगार कार्यक्रम अर्थात् ए० ग्रामीण विकास कार्यक्रम शामिल है, की गई प्रगति जिसका प्रबोधन मासिक आधार पर किया जाता है, दर्शाया जाता है।

(ख) संलग्न विवरण-2 गत तीन वर्षों के दौरान राज्य योजना क्षेत्र में आवंटित धन-राशि को दर्शाता है।

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए व्यय को दर्शाने वाला विवरण-3 संलग्न है।

विवरण-1

राज्य—आंध्र प्रदेश

क्र०सं०	मद	इकाई	1987-88 लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1 क	ए०ग्रा०वि०का० (परिवार)	संख्या	273909	261921	96
1 ख	रा०ग्रा०रो०का० (श्रम दिवस)	संख्या	26276000	30055000	114
1 ग	गा०रो०गा० कार्यक्रम (श्रम दिवस)	संख्या	24832000	32924000	133
1 घ	लघु उद्योग इकाइयां	संख्या	6000	11230	187
5	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	33240	24131	73
6	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	1700	2691	158
7	सुलझाई गई पेय-जल समस्या (गांव)	संख्या	5380	4772	89
8 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	15	0	0
8 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा०स्वा०के०)	संख्या	200	200	100
8 ग	उपकेन्द्र	संख्या	900	900	100
8 घ	बाल प्रतिरक्षण (डी०पी०टी०) पोलियो तथा बी०सी०जी०	संख्या	1205000	890006	74
9 क	परि० नियोजन नसबंदी	संख्या	600000	449810	75

1	2	3	4	5	6
9 ख	समतुल्य नसबंदी	संख्या	121111	90925	75
9 ग	ए०बा०वि०से० खंड	संख्या	85	99	116
9 घ	आंगनवाड़ी	संख्या	10098	9253	92
11 क	सहायता प्राप्त अनु० जाति	संख्या	230000	299715	130
11 ख	सहायता प्राप्त अनु०ज०जा० परि०	संख्या	54000	118490	219
14 क	आवंटित गृह स्थल	संख्या	90000	246647	274
14 ख	दी गई निर्माण सहायता	संख्या	125000	127831	102
14 ग	अ०जा० या जन जा० के लिए इ०आवं०	संख्या	10000	13742	137
14 घ	आ० रूप से पिछड़ों को मकान	संख्या	15000	9503	63
14 ङ	अल्प आय वर्ग को मकान	संख्या	300	257	86
15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसं०)	संख्या	2500000	355210	142
16	वृक्षारोपण	संख्या	300000000	305134000	102
18	उचित दर की दुकानें	संख्या	200	357	179
19क	विद्युतिकृत गांव	संख्या	815	1514	186
19ख	शक्ति चालित पम्पसेट	संख्या	75000	116794	156
19ग	सुधरे चूल्हे	संख्या	75000	151748	202
19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	10000	11516	115

क्र०स०	मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
				1988-89	
1 क	ए०ग्रा०वि०का० (परिवार)	संख्या	234905	301296	128
1 ख	रा०ग्रा०रो०का० (श्रम दिवस)	संख्या	34255000	35186000	103
1 ग	गा०रो०गा० कार्यक्रम	संख्या	26248000	26423000	101
1 घ	लघु-उद्योग इकाईयां	संख्या	10000	13425	134
5	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	35000	23178	66
6	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	3000	710	24
7	सुलझाई गई पेय-जल समस्या (गा०)	संख्या	4000	2500	63
8 क	स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	40	0	0
8 ख	प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा०स्वा०के०)	संख्या	200	0	0
8 ग	उपकेन्द्र	संख्या	1000	0	0
8 घ	बाल प्रतिरक्षण (डी०पी०टी० पोलियो तथा बी०सी०जी०)	संख्या	1246000	1038434	83
9 क	परि० नियोजन नसबंदी	संख्या	600000	475000	79
9 ख	समतुल्य नसबंदी	संख्या	166722	114880	69
9 ग	ए०वा०वि०स्रे० खंड	संख्या	99	99	100

1	2	3	4	5	6
9 घ	आंगनवाड़ी	संख्या	10801	10945	101
11 क	सहायता प्राप्त अनु० जाति	संख्या	230000	376067	164
11 ख	सहायता प्राप्त अनु० ज०जा०	संख्या	54000	123073	228
14 क	आवंटित गृह स्थल	संख्या	90000	126011	140
14 ख	दी गई निर्माण सहायता	संख्या	125000	128074	102
14 ग	अ०जा०/ज०जा० के लिए इंदि०आ०यो०	संख्या	13143	9948	76
14 घ	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मकान	संख्या	15000	9086	61
14 ङ	अल्प आय वर्ग को मकान	संख्या	1500	1501	100
15	गंदी बस्तियों का सुधार	संख्या	125000	363979	29
16	वृक्षारोपण	संख्या	320000000	283495000	89
18	उचित दर की दुकानें	संख्या	108	777	719
19 क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	500	1116	223
19 ख	ऊर्जित चलित पम्पसेट	संख्या	92500	98497	106
19 ग	सुधरे चूल्हे	संख्या	100000	158509	159
19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	15000	10233	68

क्र०म०	मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	फर०
				1989-90		
1 क	ए०ग्रा०वि०का० (परिवार)	संख्या	214229	192806	241072	125
1 ख	जवा०रो० योजना (श्रम दिवस)	संख्या	77278000	66974266	56229000	84
1 ग	लघु-उद्योग इकाईयां	संख्या	11000	10083	12809	127
5	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	32000	28800	16756	58
6	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	2290	1961	326	17
7	सुलझाई गई पेय-जल समस्या (गा०)	संख्या	2500	2250	1654	74
8 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	20	14	0	0
8 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा०स्वा०के०)	संख्या	200	166	0	0
8 ग	उपकेन्द्र	संख्या	1236	1030	0	0
8 घ	बाल प्रतिरक्षण (डी०पी०टी० पोलियो तथा बी०सी०जी०)	संख्या	1343400	1186736	776929	65
9 क	परि० नियोजन नसबंदी	संख्या	637000	562683	388000	69
9 ख	समतुल्य नसबंदी	संख्या	218222	199514	119572	60
9 ग	ए०बा०वि०से० खंड	संख्या	103	103	112	109

1	2	3	4	5	6
9 घ	आंगनवाड़ी	संख्या	260000	235733	341820	145
11 क	सहायता प्राप्त अनु० जाति (परिवार)	संख्या	54000	48420	95460	197
11 ख	सहायता प्राप्त अनु० ज०जा० (परिवार)	संख्या	30000	27200	57656	212
14 क	आवंटित गृह स्थल	संख्या	125000	113333	70416	62
14 ग	अ०जा०/ज०जा० के लिए इंदिरा आ०यो०	संख्या	9095	8246	6199	75
14 घ	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मकान	संख्या	145000	131466	8218	6
14 ङ	निम्न आय वर्ग को मकान	संख्या	1500	1360	250	18
15	गंदी बस्तियों का सुधार (ज० स०)	संख्या	15000	136000	198993	146
16	वृक्षारोपण	संख्या	320000000	316666666	257559550	81
18	उचित दर की दुकानें	संख्या	108	99	179	181
19 क	विद्युतिकृत गांव	संख्या	650	543	321	59
19 ख	शक्ति चलित पंम्पसेट	संख्या	77000	65963	52265	79
19 ग	सुधरे चूल्हे	संख्या	12000	99200	58696	59
19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	14000	11200	3830	34

विवरण-2

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	मद	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	ग्रामीण गरीबों पर प्रहार	2062	3206	3968
	ए०ग्रा०वि०का०	2300	2581	3864
	जवाहर रोजगार योजना	8	20	70
	सामुदायिक विकास और पंचायत	1800	2183	2183
	ग्राम लघु-उद्योग	518	602	602
2.	वर्षा पर आधारित कृषि	29312	30000	30000
3.	सिंचाई का बेहतर उपयोग	3942	4083	4008
4.	उन्नत कृषि	21	120	120
5.	भूमि सुधार	2600	3400	3000
6.	सुरक्षित पेय-जल	1233	1450	1515
7.	सभी के लिए स्वास्थ्य	447	447	447
8.	दो बच्चे मानदंड-पोषण	6202	6252	9562
9.	शिक्षा	8611	8491	8847
10.	अनुसूचित जाति/जनजाति को न्याय	148	148	248
11.	युवाओं के लिए अवसर	5380	6268	6297
12.	लोगों के लिए मकान	684	600	600
13.	गंदी बस्तियों का सुधार	1611	1611	1611
14.	वानिकी	140	140	140
15.	पर्यावरण का संरक्षण	10	10	10
16.	उपभोक्ता कल्याण	—	20	20
17.	गांवों के लिए बिजली	67029	71632	77112

विवरण-3

(लाख रुपये)

क्र० सं०	मद	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	ग्रामीण गरीबों पर प्रहार			
	ए०ग्रा०वि०का०	2444	3783	अभी अंतिम
	रा०ग्रा०रो०का०/ज०रो० योजना	3499	3845	रूप से ज्ञात
	सामुदायिक विकास और पंचायत	1502	3034	नहीं है।
	ग्राम लघु-उद्योग	1889	2201	
2.	वर्षा पर आधारित कृषि	520	567	
3.	सिंचाई का बेहतर उपयोग	27075	33160	
4.	उन्नत कृषि	3589	4217	
5.	भूमि सुधार	120	146	
6.	सुरक्षित पेय-जल	2983	3400	
7.	सभी के लिए स्वास्थ्य	1048	1299	
8.	दो बच्चों का मानदंड-पोषण	299	387	
9.	शिक्षा	5038	6291	
10.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को न्याय	7622	7745	
11.	युवाओं के लिए अवसर	113	185	
12.	लोगों के लिए मकान	4808	6297	
13.	गंदी बस्तियों का सुधार	353	716	
14.	वानिकी	1070	288	
15.	पर्यावरण का संरक्षण	137	136	
16.	उपभोक्ता कल्याण	5	6	
17.	गांवों के लिए बिजली	20	20	
	योग :—	64134	78725	

दूर संवेदन प्रयोग केन्द्र

7725. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का पश्चिम बंगाल में कोई दूर संवेदन प्रयोग केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे केन्द्र की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में ऐसा केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को क्या सुविधाएं एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) सरकार ने खड़गपुर में पहले ही एक प्रमुख क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र (आर०आर०एस०एस०सी०) स्थापित कर दिया है, जो कि देश में स्थापित ऐसे पांच केन्द्रों में से एक केन्द्र है। इसके साथ ही, पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ने अपने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत राज्य सुदूर संवेदन केन्द्र की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है।

(ख) इस क्षेत्र में सुदूर संवेदन उपयोग में सहायतार्थ खड़गपुर स्थित क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र में एक अत्यन्त वृहत् प्रतिबिम्ब संसाधन सुविधा स्थापित है। पश्चिमी बंगाल का राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र विशेष रूप में राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण और मानीटरन सम्बन्धी कार्यों के लिए अन्तरिम सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगा।

(ग) खड़गपुर में आर०आर०एस०एस०सी० के लिए पूंजीगत परिव्यय की धनराशि 2.00 करोड़ रुपये है। उपग्रह आंकड़ों के अर्थनिर्वचन के लिए दृश्यी उपस्करों, मानचित्रकला सम्बन्धी उपस्कर, माध्यमिक स्तर की प्रतिबिम्ब संसाधन प्रणाली जैसी तकनीकी सुविधाओं सहित राज्य सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र की स्थापना के लिए अनुमानित पूंजीगत परिव्यय की राशि 60.00 लाख रुपये के लगभग है।

(घ) देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन०एन०आर०एम०एस०) की स्थापना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अन्तरिक्ष विभाग निम्न कार्य करता है।

— आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन;

— कार्योत्तर प्रशिक्षण, जहां अनुरोध किया गया हो; और

— राज्य सरकार से तदनुरूप अंशदान के आधार पर अधिक से अधिक 2.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।

राज्य सुदूर संवेदन केन्द्र की स्थापना के लिए अभी तक अन्तरिक्ष विभाग ने पश्चिमी बंगाल सरकार को पहले ही 10.00 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया है।

इन्सेट-1 डी छोड़ने से हुआ नुकसान

7726. श्री आत्माराम पोवुले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनः कार्य योजना बनाने के लिए "एफएसी, पालो आल्टो" को भेजा गया, अन्तरिक्ष यान "इन्सैट-1 डी", अब वापस प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसको पुनः कार्य योग्य बनाने पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) क्या परीक्षण योजना के अनुसार अन्तरिम यान के कार्य निष्पादन की अनिवार्य समग्र-जांच के लिए "सबसिस्टम" स्तरों पर प्रामाणिकता-जांच और अन्तरिक्षयान के कुल वजन की कतिपय जांच कर ली गई है; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) वायुयान को लांच बेस" में कब तक भेजे जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इसे कब तक छोड़े जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) इन्सैट-1 डी० अन्तरिक्षयान, जिसे जून, 1989 में मरम्मत के लिए प्रमोचन-स्थल से फोर्ड एयरोस्पेस कारपोरेशन (एफ०ए०सी०), पालो आल्टो वापस लाया गया था, हाल ही में मरम्मत कर दिया गया है, इसकी पुनः पूरी तरह जांच करके अप्रैल, 1990 में इसे प्रमोचन-स्थल पर वापस भेज दिया गया है।

(ख) इसके मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी अन्तरिक्षयान के ठेकेदार की है, जिसके लिए अन्तरिक्ष विभाग को कुछ भी खर्च नहीं करना है।

(ग) जी, हां। अन्तरिक्षयान स्वीकार्य स्तर की जांचों के अन्तर्गत था और इस पर ये चीजें सफलतापूर्वक कर ली गई हैं। इन जांचों ने अन्तरिक्षयान को उड़ान योग्य सिद्ध कर दिया है।

(घ) इन्सैट-1 डी अन्तरिक्षयान प्रमोचन-स्थल पर 12 अप्रैल, 1990 को भेजा गया है। यह प्रमोचन-स्थल पर पहुंच गया है तथा इसके प्रमोचन-की तैयारियां चल रही हैं।

(ङ) इन्सैट-1 डी का प्रमोचन जून, 1990 के लिए निर्धारित है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कारों के परिणामों की घोषणा

[हिन्दी]

7727. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कारों के परिणाम काफी देरी से घोषित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परीक्षाओं/साक्षात्कारों के परिणाम समय पर घोषित कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं/साक्षात्कारों के परिणाम उनके द्वारा प्रायः उचित समयावधि के दौरान घोषित किए जाते हैं। फिर भी, आयोग द्वारा विभिन्न समयों पर हाथ में लिए गए अत्यधिक कार्य की मात्रा को देखते हुए कभी कभी थोड़ा विलम्ब हो जाता है। आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं/साक्षात्कारों से सम्बन्धित कार्य की प्रगति पर सतत निगरानी रखी जाती है और कार्य के विभिन्न चरणों के मध्य समय-अन्तराल को कम करने तथा विलम्ब को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं।

वाहनों में प्रदूषण

[अनुवाद]

7728. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर वाहन अधिनियम को निर्धारित प्रदूषण सीमा की जांच और विभिन्न प्रकार के वाहनों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिऐ दिल्ली में कितने केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) क्या दिल्ली में मोटर वाहनों की भारी संख्या को देखते हुए ये केन्द्र पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं तो कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) दिल्ली में प्रमाण पत्र जारी करने और वाहनों के प्रदूषण के उत्सर्जन स्तरों को निर्दाषित करने के लिए परिवहन निदेशालय की सात स्थाई और 12 चलती-फिरती टीमें कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन को अतिरिक्त केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ायी जाने वाली भाषाएं

[हिन्दी]

7729. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के अतिरिक्त कौन-कौन सी भाषाएं ऐसी हैं जो स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ायी जाती है, राज्य लोक सेवा आयोगों में परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हैं, और साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जिनमें सरकारी संचार माध्यमों द्वारा समाचार प्रसारित किये जाते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उन भाषाओं के अलावा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, निम्नलिखित भाषाएं स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई जाती हैं :—

1. अर्ध मगधी
2. खासी
3. मैथिली
4. मणिपुर
5. पाली
6. प्राकृत
7. राजस्थानी
8. अंग्रेजी
9. अरबी
10. चीनी
11. फ्रेंच
12. जर्मन
13. जापानी
14. फारसी
15. रूसी
16. स्पेनिश
17. नेपाली
18. पुर्तगाली

साहित्य अकादमी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अकादमी ने 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई निम्नलिखित भाषाओं को, जिनमें अकादमी के कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाते हैं :—

1. डोगरी
2. अंग्रेजी
3. कोंकणी
4. मैथिली
5. मणिपुरी
6. नेपाली
7. राजस्थानी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अंग्रेजी ही केवल एक ऐसी भाषा है, जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है और जिसमें दूरदर्शन समाचार प्रसारित करता है। आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के अलावा उन भाषाओं की सूची, जिनमें आकाशवाणी समाचार प्रसारित करती है, विवरण के रूप में संलग्न है।

जिन भाषाओं में राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनसे सम्बन्धित सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्र० सं०	भाषा/बोली
1.	कोकबोकं
2.	कांकणी
3.	मिजो
4.	संथाली
5.	माही
6.	टंग्सा
7.	नूते
8.	खाम्पटी
9.	मिजो निशिमों
10.	टागिन
11.	वांग्चू
12.	इद्दू
13.	आदी
14.	नीशी

15. उपटाणी
16. कर्बो
17. बोडों
18. नेपाली
19. लेप्चा
20. मणिपुरी
21. हमार
22. पेटे
23. काबुई
24. थडाऊ
25. मावो
26. ध्याखुल
27. राजस्थानी
28. डोगी
29. गोज्री
30. संग्तम
31. यिमचुंगर
32. कोण्यक
33. खिगिन
34. नागा मूंसी
35. फोम
36. चंग
37. ओलियंग
38. कुही
39. रॉमा
40. सेमा
41. लोथा
42. चखेसंग
43. भाओ
44. एंजल
45. नागामूसा
46. लद्दाखी
47. निकोबारेसी
48. गारो
49. जेन्तिया
50. खासी
51. वियाख
52. अंग्रेजी

कम लागत वाले प्राइमरी स्कूल के भवनों के लिए केन्द्रीय योजना

[अनुवाद]

7730. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों में कम लागत वाले प्राईमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता दी जा रही थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या यह योजना राजस्थान में भी प्रारम्भ की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो सातवीं योजना के दौरान राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में अनुमानतः कम लागत वाले प्राईमरी स्कूलों के कितने भवनों का निर्माण किया गया; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना को चालू रखने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ङ) स्कूल के भवनों का निर्माण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उनके द्वारा इसे शुरू किया जाता है। कम लागत के प्राईमरी स्कूल के निर्माण की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि, नवें वित्त आयोग ने वर्ष 1989-90 में प्राइमरी स्कूल के भवनों का निर्माण करने के लिए निर्णय किया है। राज्य सरकारें इस प्रयोजनार्थ एन०आर०ई०पी०/आर०एल०ई०जी०पी०/जि०आर०वाई० के अन्तर्गत संस्वीकृत निधियों का भी उपयोग करती है।

राजस्थान में, प्राइमरी स्कूल के भवनों का निर्माण करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब तक, वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान, 5991 प्राइमरी स्कूल कक्षाकक्ष निर्मित किये जा चुके हैं।

बोफोर्स तथा पनडुब्बी सौदों की जांच पर खर्च की गई धनराशि

[हिन्दी]

7731. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बोफोर्स-तोप सौदे और एच०डी०डब्ल्यू० पनडुब्बी सौदे में कथित दलाली के मामलों की जांच पर अब तक अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) क्या सरकार यह धनराशि क्रमशः बोफोर्स तोप और एच०डी० डब्ल्यू० पनडुब्बी के निर्माताओं से वसूल करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) आपराधिक मामलों की जांच पर आए खर्चे की निश्चित मात्रा बताना सम्भव नहीं है। इस प्रकार की कार्यवाहियां सांविधिक दायित्व की होती हैं और इन पर होने वाला खर्च अपराध करने वालों से वसूल नहीं किया जाता।

शोध कार्य के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहन

[अनुवाद]

7732. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय विद्यालय के उन अध्यापकों/प्रिंसिपलों को कोई प्रोत्साहन देने का विचार है, जिन्होंने अपने शोध कार्य में डाक्टोरेट की डिग्री प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संगठन (ए०आई०के०वी०टी०ए०) से इस बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब और चण्डीगढ़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

7733. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब और चण्डीगढ़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों के विरुद्ध कदाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतों की जाँच विभागीय तौर पर और कितनी की सतर्कता विभाग से जाँच कराई गई;

(ग) कितने मामलों में जाँच कार्य पूरा हो गया है और कितने मामलों में अभी जांच जारी है;

(घ) कितनी शिकायतें सही पाई गई हैं और इस सम्बन्ध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जिन मामलों में जांच-कार्य चल रहा है, उनमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कम्प्यूटर जनशक्ति

7734. **श्री कल्पनाथ राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में इस समय पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस समय अनुमानतः कितनी जनशक्ति उपलब्ध है और अगली योजना के अन्त तक जनशक्ति की कितनी मांग होने का अनुमान है; और

(ग) बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित जनशक्ति के प्रशिक्षण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) हालांकि कम्प्यूटरों में अपेक्षाकृत निचले/मध्यम स्तर की दक्षता प्राप्त जनशक्ति पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, उच्चतर स्तरों में कम्प्यूटर में दक्षता-प्राप्त जनशक्ति की कमी है।

(ख) देश में इस समय कम्प्यूटरों के क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा स्तरों पर उपलब्ध जनशक्ति अनुमानतः 60,000 है। आठवीं योजना के अन्त तक डिग्री/डिप्लोमा स्तरों पर 3,00,000 कम्प्यूटर कार्मिकों की आवश्यकता होने का अनुमान है।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने वर्ष 1983 में कम्प्यूटरों के लिए जनशक्ति के विकास का एक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से नये

संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। कम्प्यूटर जनशक्ति का विकास तेजी से न होने का प्रमुख कारण है शिक्षकों की कमी। इस समस्या के समाधान के उद्देश्य से इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं :—

(1) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(2) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में निष्णात् के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(4) एक शिक्षण संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानान्तरण की योजना;

(4) सतत शिक्षण योजना।

जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए, सरकार निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस योजना के अन्तर्गत शामिल करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

संसद सदस्यों के पत्र

7735. **श्री मदनलाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान सरकारी कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित संसद सदस्यों के कितने पत्र कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालयों को प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने पत्रों को अन्तिम रूप से निपटान कर दिया गया है और कितने अभी भी लम्बित है; और

(ग) लम्बित पत्रों के उत्तर शीघ्र भेजने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 105

(ख) निपटाए गए मामले : 52
लम्बित मामले : 53

(ग) संसद सदस्यों को यथासम्भव शीघ्रता से अन्तिम उत्तर भेजने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में रिक्त पद

7736. **श्री रामजीलाल यादव** : क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त पदों के बारे में 20 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6256 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रशासनिक अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) क्या अप्रैल, 1989 के रिक्त हुए किसी पद को इस बीच भरा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) इस समय केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रशासनिक अधिकारियों के ग्रेड में 4 रिक्तियां हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रशासनिक अधिकारियों के पदों के लिए भर्ती नियमों के अनुसरण में पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर स्थानानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरे जाते हैं और 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। 4 वर्तमान रिक्तियां प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के हिस्से में आए। भारत सरकार की वर्तमान हिदायतों के अनुसार प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों को केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में स्थाई रूप से खपाए जाने के आधार पर लेना अपेक्षित होता है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार आगे नहीं आ रहे। इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए मामला विचाराधीन है।

शिक्षा संहिता तथा लेखा संहिता की बिक्री

7737. **श्री रामजी लाल यादव :**

श्री इरा अन्बारासु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के लिए शिक्षा संहिता तथा लेखा संहिता जिसमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम और विनियम आदि अन्तर्विष्ठ हैं, कर्मचारियों को बिक्री पर उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा संहिता और लेखा संहिता बिक्री के लिए नहीं होते। इनका केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों में आन्तरिक प्रयोग किया जाता है। फिर भी ये संदर्भ के लिए संगठन के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम

[हिन्दी]

7738. **श्री राजेश्वर प्रसाद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह प्रगति सन्तोषजनक है; और

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र के कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) चयन की गई 28 मदों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति, जिसका प्रबोधन मासिक आधार पर किया जाता है, को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रगति आमतौर पर सन्तोषजनक रही है।

(ग) राज्य योजना क्षेत्र में वर्ष 1989-90 के लिए आवंटित धनराशि को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है। वर्ष 1990-91 के लिए आवंटनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-1

बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

राज्य—बिहार

1987-88

सूत्र	मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1 क	ए०ग्रा०वि०का० (परिवार)	संख्या	536427	657334	123
1 ख	रा०ग्रा०रो०का० (श्रम दिवस)	संख्या	30546000	46758000	153
1 ग	ग्रा०रो०गांव कार्यक्रम (श्रम दिवस)	संख्या	28588000	37946000	133
1 घ	लघु उद्योग इकाइयां	संख्या	11500	12571	109
5	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	15810	16185	102
6	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	450	468	104
7	सुलझाई गई पेय-जल समस्या (गांव)	संख्या	3400	3117	92
8 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	20	23	115
8 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा०स्वा०के०)	संख्या	350	393	112
8 ग	उपकेन्द्र	संख्या	800	800	100
8 घ	बाल प्रतिरक्षण (डी०पी०टी०) पोलियो तथा बी०सी०जी०	संख्या	2003000	1803568	90
9 क	परि० नियोजन नसबंदी	संख्या	600000	510035	85

1	2	3	4	5	6
9 ख	समतुल्य नसबंदी	संख्या	101222	74984	74
9 ग	ए०बा०वि०से० खंड (संचयी)	संख्या	128	127	99
9 घ	आंगनबाडी	संख्या	13297	12983	98
11 क	सहायता प्राप्त अनु० जाति के परिवार	संख्या	243115	310879	128
11 ख	सहायता प्राप्त अनु०ज०जा०	संख्या	115000	162289	141
14 क	आवंटित आवास स्थल	संख्या	25000	23862	95
14 ग	अ०जा० या जन जा० के लिए इ०आवं०यो०	संख्या	10000	24028	240
14 घ	आ० रूप से पिछड़ों को मकान	संख्या	10000	14888	149
14 ङ	निम्न आय वर्ग को मकान	संख्या	768	1156	151
15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	43300	41050	95
16	वृक्षारोपण	संख्या	350000000	315200000	90
18	उचित दर की दुकानें	संख्या	50	525	1050
19क	विद्युतिकृत गांव	संख्या	3500	2307	66
19ख	शक्ति चालित पम्पसेट	संख्या	20000	8256	41
19ग	सुधरे चूल्हे	संख्या	40000	48944	122
19घ	बायो गैस सयंत्र (राज्य)	संख्या	5000	5047	101

1987-88

सूत्र	मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1 क	ए०ग्रा०वि०का० (परिवार)	संख्या	430492	427583	99
1 ख	रा०ग्रा०रो०का० (श्रम दिवस)	संख्या	41600000	40430000	97
1 ग	ग्रा०रो०गांव कार्यक्रम	संख्या	30455000	31058000	102
1 घ	लघु उद्योग इकाईयां	संख्या	11000	10150	92
5	फालतू भूमि का विवरण	एकड़	15120	15098	100
6	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	492	494	100
7	पेय-जल समस्या (गांव)	संख्या	10552	9927	94
8 क	सुलझाई गई स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम	संख्या	20	31	155
8 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा०स्वा०के०)	संख्या	400	407	102
8 ग	उपकेन्द्र	संख्या	2000	2000	100
8 घ	बाल प्रतिरक्षण (डी०पी०टी०) पोलियो तथा बी०सी०जी०	संख्या	2083000	2350134	113
9 क	परि० नियोजन नसबंदी	संख्या	513000	465188	91

1	2	3	4	5	6
9 ख	समतुल्य नसबंदी	संख्या	131856	93285	71
9 ग	ए०बा०वि०से० खंड (संचयी)	संख्या	142	143	101
9 घ	आंगनबाडी	संख्या	14410	13460	93
11 क	सहायता प्राप्त अनु० जा० सं०	संख्या	279300	270425	97
11 ख	सहायता प्राप्त अनु०ज०जा०परि०	संख्या	128050	144017	112
14 क	आवंटित गृह स्थल	संख्या	25000	25906	104
14 ग	अ०जा०/ज०जा० के लिए इंदिरा आवास योजना	संख्या	19327	15655	81
14 ख	आ० रूप से पिछड़ों को मकान	संख्या	10000	10116	101
14 ङ	निम्न आय वर्ग को मकान	संख्या	777	710	91
15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	43300	43479	101
16	वृक्षारोपण	संख्या	36000000	360354000	100
18	उचित दर की दुकानें	संख्या	50	322	644
19क	विद्युतिकृत गांव	संख्या	3342	2708	81
19ख	शक्ति चालित पम्पसेट	संख्या	20000	15002	75
19ग	सुधरे चूल्हे	संख्या	100000	116865	117
19घ	बायो गैस सयंत्र (राज्य)	संख्या	5000	6189	124

1989-90

क्र०सं०	मद	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य अप्रैल-फर०	उपलब्धि अप्रैल-फर०	प्रतिशत अप्रैल-फर०
1 क	ए०ग्रा०वि०का० (परिवार)	संख्या	429239	386315	358812	93
1 ख	ज०रो० योजना (श्रम दिवस)	संख्या	94419000	81829800	61172000	75
1 ग	लघु-उद्योग इकाईयां	संख्या	11000	10083	8307	82
5	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	15000	13500	4578	34
6	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	88	75	75	100
7	सुलझाई गई पेय-जल समस्या (गा०)	संख्या	9000	8100	7764	96
8 क	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा०स्वा०के०)	संख्या	302	251	0	0
8 ख	उपकेन्द्र	संख्या	2350	1958	0	0
8 घ	बाल प्रतिरक्षण (डी०पी०टी० पोलियो तथा बी०सी०जी०)	संख्या	2305600	2036746	1667139	82
9 क	परि० नियोजन नसबंदी	संख्या	513000	453150	267601	59
9 ख	समतुल्य नसबंदी	संख्या	146856	131312	75561	58
9 ग	ए०बा०वि० योजना	संख्या	150	149	144	97

1	2	3	4	5	6
9 घ	आंगनवाड़ी	संख्या	15138	15057	13893	92
11 क	सहायता प्राप्त अनु० जाति (परिवार)	संख्या	250000	220833	228531	103
11 ख	सहायता प्राप्त अनु० ज०जा० (परिवार)	संख्या	125000	112083	116786	104
14 क	आवंटित गृह स्थल	संख्या	25000	22666	15498	68
14 ग	अ०जा०/अनु०ज०जा० के लिए इन्दिरा आ०यो०	संख्या	18225	16524	15900	96
14 घ	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मकान	संख्या	10000	9066	287	3
14 ङ	निम्न आय वर्ग को मकान	संख्या	886	803	541	67
15	गंदी बस्तियां का सुधार (ज० म०)	संख्या	50000	45333	30862	68
16	वृक्षारोपण	संख्या	280000000	276666666	225300000	81
18	उचित दर की दुकानें	संख्या	150	137	221	161
19 क	विद्युतिकृत गांव	संख्या	2300	1924	1968	102
19 ख	ऊर्जित चलित पम्पसेट	संख्या	10000	8566	7752	90
19 म	सुधरे चूल्हे	संख्या	12000	99200	93353	94
19 च	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	5000	4000	2373	59

विवरण-2

राज्य योजना के क्षेत्र के अन्तर्गत बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार के लिए निधियों का आबंटन

क्र०सं०	मद	(लाख रुपये) 1989-90
1.	**ग्रामीण गरीबी पर प्रहार**	
	ए०ग्रा०वि०का०	5779
	रा०ग्रा०रो०का०/जवाहर रोजगार योजना	7742
	सामुदायिक विकास और पंचायत	1255
	ग्राम लघु-उद्योग	2325
2.	वर्षा पर आधारित कृषि	414
3.	सिंचाई का बेहतर उपयोग	42912
4.	उन्नत कृषि	10940
5.	भूमि सुधार	1875
6.	सुरक्षित पेय-जल	3150
7.	सभी के लिए स्वास्थ्य	2450
8.	दो बच्चे मानदंड-पोषण	1370
9.	शिक्षा	12512
10.	अनुसूचित जाति/जनजाति को न्याय	2133
11.	युवाओं के लिए अवसर	225
12.	लोगों के लिए मकान	200
13.	गंदी बस्तियों का सुधार	60
14.	वानिकी	1850
15.	पर्यावरण का संरक्षण	30
16.	उपभोक्ता कल्याण	443
17.	गांवों के लिए बिजली	2260
	योग :	99925

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा उन्नत किस्म के हल्के हेलीकाप्टरों का निर्माण

[अनुवाद]

7739. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में भारत के उन्नत किस्म के हल्के हेलीकाप्टर का पूरी तरह लकड़ी पर आधारित इंजीनियरी माडल तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में सिविल तथा सैन्य दोनों प्रकार के उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों का कब तक निर्माण प्रारम्भ हो जाएगा; और

(ग) इससे थल सेना तथा वायुसेना की प्रचार क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड इस समय उन्नत किस्म के हल्के हेलीकाप्टर के मूल रूप का विकास कर रहा है और 90-91 में इसका आविरूप उड़ान के लिए तैयार हो जाने की संभावना है। सैनिक और सिविल उपयोग के लिए इस उन्नत किस्म हल्के हेलीकाप्टर के विकास और उत्पादन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आशा है कि हेलीकाप्टर से सेना और वायुसेना की संक्रियात्मक क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ जाएगी।

केरल के तटीय क्षेत्रों में रेडियोधर्मी रेत

7740. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने केरल के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहे रेडियोधर्मी रेत के प्रभावों के अध्ययन के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों का ब्योरा क्या है और क्या इस समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) समिति में आयुर्विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, विकिरण/कैंसर अनुसंधान, मानव आनुवंशिकी, व्यावसायिक स्वास्थ्य और चिकित्सा (जैव) सांख्यिकी के विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति से अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों की सफलता

7741. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के कार्यान्वियन से प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि करने एवं परिस्थितिकीय के संतुलन को बनाये रखने में सफलता मिली है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस कार्यक्रम का लाभ बड़े किसानों तथा वन उत्पादों पर आश्रित उद्योगों को ही मिला है और ग्रामीण निर्धन वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल पाया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के संबंध में एक स्पष्ट नीति निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से देश में काष्ठ बायोमास संसाधनों में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में यह बता पाना संभव नहीं है कि पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में कार्यक्रम को सफलता मिली है क्योंकि ऐसे परिवर्तन होने में समय लगता है। तथापि कार्यक्रम का लक्ष्य पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना है।

(ख) से (घ) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लाभ, रोजगार और वनोपज के उपयोगाधिकार द्वारा लघु और सीमांत किसानों तथा गांव के निर्धनों को भी प्राप्त हुए हैं।

परती भूमि विकास कार्यक्रम में सामाजिक वानिकी कार्यकलापों में भावी दिशानिर्देशों में सूक्ष्म आयोजना तथा जन-सहभागिता के माध्यम से निकृष्ट वनों के पुनरुत्पादन, सार्वजनिक भूमि को हरा-भरा बनाने तथा फार्म वानिकी को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

दिल्ली छावनी क्षेत्र में श्रीनगेश उद्यान को नया रूप प्रदान करना

7742. **श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी बोर्ड दिल्ली छावनी में श्रीनगेश उद्यान को नया रूप प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि खर्च कर रहा है;

(ख) इतनी अधिक धनराशि खर्च करने का क्या औचित्य है; और

(ग) गैर-योजनागत कार्य पर इतनी बड़ी धनराशि खर्च करना कहां तक उचित है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) 42 लाख रुपये।

(ख) और (ग) इस उद्यान को नया रूप देने और सुन्दर बनाने से यह एक आधुनिक उद्यान बन जाएगा और छावनी के निवासियों को भ्रमण एवं मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे पर्यावरण में सुधार लाने की दिशा में भी सहायता मिलेगी। उद्यान को नया रूप देने पर होने वाले खर्च को नागरिक सुविधाओं के खर्च में से पूरा नहीं किया जा रहा है। यह कार्य छावनी क्षेत्र को सुन्दर बनाने की योजना का एक अंग है।

प्रयोगशाला सहायकों को शिक्षण भत्ता

7742. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों तथा समतुल्य स्कूलों के प्रयोगशाला सहायकों और परिचरों को शिक्षण भत्ता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई पटेल) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को अब 1-1-1986 से शिक्षण भत्ता प्रदान कर दिया गया है। वर्ग "घ" श्रेणी से संबंधित प्रयोगशाला परिचरों के लिए कोई शिक्षण भत्ता ग्राह्य नहीं है। वर्ग "घ" श्रेणी शिक्षण स्टाफ के अन्तर्गत नहीं आता।

वन विश्वविद्यालय

7744. **श्री मनोरंजन भक्त** :

श्री इरा अन्बारासु :

श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विश्वविद्यालय वनों के बारे में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष कितने छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का देश में और अधिक वन विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) देश में वनों के बारे में शिक्षा प्रदान कर रहे विश्वविद्यालयों की संख्या के साथ उनकी स्थिति और वार्षिक भर्ती क्षमता का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	स्थिति	वानिकी पाठ्यक्रम में भर्ती क्षमता
1.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	रांची (बिहार)	20
2.	पंजाबराव कृषि विद्यापीठ	अकोला (महाराष्ट्र)	20
3.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	धाड़वाड़ (कर्नाटक)	20
4.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	लुधियाना (पंजाब)	25
5.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय	जबलपुर (मध्य प्रदेश)	25
6.	शेरे-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	20
7.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय)	हिसार (हरियाणा)	20
8.	कोंकण कृषि विद्यापीठ	दिपोली (महाराष्ट्र)	20
9.	उड़ीसा कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	भुवनेश्वर (उड़ीसा)	20
10.	असम कृषि विश्वविद्यालय	जोरहाट (असम)	20
11.	डा० वाई०एस० परमार उद्यान-कृषि वानिकी विश्वविद्यालय	सोलन (हिमाचल प्रदेश)	20
12.	जी०बी० पंत कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	पंतनगर (उत्तर प्रदेश)	15
13.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय	कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	20
14.	केरल कृषि विश्वविद्यालय	मन्नुथी (केरल)	17

सभी विश्वविद्यालयों में बी०एससी० (वानिकी) पाठ्यक्रम हैं । क्रम संख्या 11-14 के विश्वविद्यालयों में बी०एससी० स्नातक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त वानिकी में स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम है । उपर्युक्त के अतिरिक्त, बिलासपुर (मध्य प्रदेश) स्थित गुरू घासीदास विश्वविद्यालय ने एस०एससी० (वानिकी) पाठ्यक्रम भी आरम्भ किया है ।

कटे हुए वन

7745. **श्री छवि राम अर्गल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कटे हुए वनों (डिग्रेडिड फारेस्ट) को बंजर भूमि के रूप में मानती हैं;

(ख) सरकार द्वारा कटे हुए वनों के पुनर्विकास के लिए कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है;

(ग) क्या सरकार का कटे हुए वनों में प्राथमिकता के आधार पर पेड़ लगाने का एक जोरदार कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) "परती भूमि" से अभिप्राय ऐसी निकृष्ट भूमि से हैं जिसको समुचित प्रयासों द्वारा हरा-भरा बनाया जा सकता है और इस समय जिसका कम उपयोग हो रहा है और ऐसी भूमि, जो कि जल और मिट्टी के उपयुक्त प्रबंध की कमी अथवा प्राकृतिक कारणों की वजह से अनुपजाऊ होती जा रही है। इस प्रकार के निकृष्ट वनों को "परती भूमि" कहा जाता है।

(ख) वनीकरण कार्यक्रम, जिसमें सामाजिक वानिकी भी सम्मिलित है, में निकृष्ट वन भूमि शामिल है। वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए कुल धनराशि का आबंटन क्रमशः 620.48 करोड़ रुपये और 504 करोड़ रुपये था

(ग) और (घ) परती भूमि विकास कार्यक्रम का प्रमुख क्षेत्र निकृष्ट वनों का पुनरुत्पादन करना है। राज्यों को, उन क्षेत्रों के लिए जहां पर प्राकृतिक पुनरुत्पादन सम्भव नहीं है वहां प्रमुख रूप से प्राकृतिक पुनरुत्पादन द्वारा और विशेषतया ईंधन लकड़ी और चारा प्रजातियों का वृक्षारोपण करके क्षेत्रों के अनुसार प्रायोजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है। हिमालय, अरावली की पहाड़ियों और पश्चिमी घाट जैसे परिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

7746. **श्री छविराम अर्गल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की चिखली-टोला, मौहार, बलाला और तीरगढ़ सिंचाई परियोजनाओं को वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) इन सिंचाई परियोजनाओं को गुण-दोष के आधार पर नामंजूर कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) इन मामलों पर पुनर्विचार करने के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

सी एस डी कैंटीनों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें

[**हिन्दी**]

7747. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सी एस डी कैंटीनों का प्रबंध रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन कैंटीनों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों और उन पर लागू होने वाले नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में सी एस डी कैंटीनों में कार्यरत कर्मचारियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं। यद्यपि कैंटीन स्टोर विभाग (सी एस डी) रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार के अन्तर्गत एक सरकारी विभाग है, तथापि रक्षा मंत्रालय किसी "कैंटीन" की प्रबंध व्यवस्था नहीं देखता । कैंटीन स्टोर विभाग मिलिटरी फारमेशनों की "यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों" के लिए उपभोक्ता मदों की सप्लाई करता है । "कैंटीनें" अर्थात "यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनें" पूरी तरह गैर-सरकारी संगठन हैं और जिसकी स्थापना और प्रबंध व्यवस्था स्वयं मिलिटरी फारमेशनों द्वारा की जाती है ।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए "यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों" के कार्मिकों की नियुक्ति से सम्बन्धित शर्तों का निर्धारण इन कैंटीनों और उनके कार्मिकों के बीच का मामला है ।

हाथियों का संरक्षण

7748. **श्री संतोष कुमार गंगवार** :

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियार :

श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाथियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार हाथियों के संरक्षण और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार को हाथियों को अवैध रूप से मारने की किसी घटना की जानकारी मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) हाथियों की अनुमानित संख्या के बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा दी गई सूचना निम्नानुसार है :—

क्षेत्र का नाम	राज्य	अनुमानित संख्या
दक्षिण क्षेत्र	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश	5700 से 7000
पूर्वी क्षेत्र	बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश	2300 से 2400
पूर्वोत्तर क्षेत्र	मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल	7000 से 7400
उत्तर पश्चिम	उत्तर प्रदेश	700
		15,700 से 17,500

(ख) हाथियों के परिरक्षण एवं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) इस प्रजाति के वासस्थल की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का एक नेटवर्क स्थापित करना।

(2) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में हाथी परियोजना की एक स्कीम को शामिल किया गया है। स्कीम की परिकल्पना निम्नलिखित है :—

(क) चराई पर नियंत्रण, चारे के लिए उपयुक्त प्रजातियों की पौधरोपण और राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों से बाहर लोगों को बसाकर वासस्थल में सुधार लाना।

(ख) हाथियों के लिए आने जाने के गलियारे की बहाली करना।

(ग) मानव-हाथी संघर्षों से बचने के लिए वनों की सीमाओं पर विद्युत बाड़ लगाना।

(घ) हाथियों द्वारा जीवन और सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति पर उचित मुआवजा देना।

(ङ) राज्यों में चोरी-छिपे शिकार रोधी आधारभूत ढांचों का मजबूत बनाना।

(3) भारतीय हाथी दांत की तस्करी से बचाव के लिए भारतीय हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अफ्रीकी हाथी दांत के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई चल रही है।

(ग) और (घ) राज्यों द्वारा गत तीन वर्षों में हाथियों के चोरी-छिपे शिकार की घटनाओं के बारे में दी गई सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	पता लगाए गए चोरी-छिपे शिकार के मामले				
	तमिलनाडु	केरल	कर्नाटक	उत्तर प्रदेश	कुल
1987-88	8	—	5	—	13
1988-89	2	1	7	—	10
1989-90	3	3	9	3	18

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वायुसेना कर्मियों की पेंशन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन

7749. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने वायुसेना कर्मियों के पेंशन के सम्बन्ध में 1980 में दायर की गई रिट याचिका संख्या 5339-41 पर 17 दिसम्बर, 1982 को कोई निर्णय दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या आदेश दिए गए थे और सरकार द्वारा उसका अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) वायुसेना के कार्मिकों के पेंशन के बारे में वर्ष 1980 की रिट याचिका संख्या 5339-41 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा 17-12-82 को दिए गए किसी फैसले की हमें जानकारी नहीं है। तथापि, श्री डी०एस० नकारा और अन्यों द्वारा दायर की गई 1990 की रिट याचिका सख्या 5339-41 के तहत उच्चतम न्यायालय ने 17-12-82 को एक फैसला दिया था। उच्चतम न्यायालय ने अपने इस फैसले में यह आदेश दिया है कि 31-3-79 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की गणना के लिए सरकार द्वारा लागू की गई उदारीकृत पेंशन योजना ऊपर बताई गई तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों के मामले में प्रभावी मानी

जाए और कर्मचारियों को पिछली अवधि की कोई बकाया राशि नहीं दी जाएगी। सशस्त्र सेना के पेंशनरों के मामले में, इस फैसले को 22-11-83 और 3-12-83 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के तहत कार्यान्वित किया गया था।

गुजरात में राष्ट्रीय भालू उद्यान

7750. **श्री चंदूभाई देशमुख** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के भड़ौच जिले के आदिवासी क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय भालू उद्यान विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो यहां से विस्थापित होने वाले आदिवासियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या आदिवासियों ने इस योजना का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (घ) गुजरात सरकार ने यह सूचित किया है कि भड़ौच जिले में राष्ट्रीय भालू उद्यान विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, गुजरात सरकार ने 1987 में 448.18 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में भड़ौच जिले में शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की थी। इसमें 1982 में स्थापित किए गए भूतपूर्व धुमखल रीछ अभयारण्य का 150.87 वर्ग कि०मी० क्षेत्र भी शामिल है। अभयारण्य के भीतर रहने वाले लोगों को कहीं और बसाने का राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं है। अभयारण्य में रहने वाले आदिवासियों ने दिनांक 8-1-1990 को गुजरात उच्च न्यायालय में विशेष सिविल अपील दायर की थी जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि उन्हें वहां से न हटाया जाए। तथापि, इन आदिवासियों को अभयारण्य क्षेत्र से हटाने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है।

गढ़वाल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

[अनुवाद]

7751. **श्री सी०एम० नेगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष कितनी अनुदान सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार इस विश्वविद्यालय को दी जा रही अनुदान की धनराशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य विकास तथा विशेष योजनाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय को दिये गये अनुदान निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	(रुपये लाखों में) अनुदान की राशि
1987-88	86.52
1988-89	13.16
1989-90	41.30

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 8वीं योजना के दौरान सहायता के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 8वीं योजना के दौरान सहायता का स्तर कम से कम उसी स्तर तक रहेगा जो 7वीं योजना के दौरान था।

(घ) और (ङ) गढ़वाल विश्वविद्यालय राज्य विधान मंडल के एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया गया है और नीति के एक मामले के तौर पर केन्द्रीय सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित नहीं करती।

मानवलाकुरीची में "इंडियन रेअर अर्थ्स फैक्टरी" का विस्तार

7752. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानवलाकुरीची स्थित "इंडियन रेअर अर्थ्स फैक्टरी" विस्तार करने का है;

(ख) क्या वहां उपलब्ध "रेअर अर्थ्स" का उद्योग कन्याकुमारी जिले में कारखाना स्थापित करके किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) मानवलाकुरुचि स्थित इंडियन रेअर अर्थस फैक्टरी का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, खनिज पृथक्करण संयंत्र का आधुनिकीकरण करने की एक योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना में सांद्र का ग्रेड बढ़ाने वाला संयंत्र स्थापित करना (जिसे मार्च, 1990 में चालू कर दिया गया है) तथा मौजूदा संयंत्र का कुछ नए संयंत्र और मशीनें लगाकर तथा कुछ को बदलकर आधुनिकीकरण करना शामिल हैं।

(ख) कन्याकुमारी जिले की पुलिन बालू का संसाधन करने के लिए कोई नई फैक्टरी लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

रानीखेत छावनी नगर-पालिका को निर्माण कार्यों के लिए अनुदान

7753. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीखेत (उत्तर प्रदेश) छावनी नगर-पालिका से विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नगर-पालिका द्वारा वर्ष 1990-91 में मांगी गई अनुदान राशि का शीर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस धनराशि के लिए मंजूरी दे दी गई है और यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) छावनी बोर्ड से 1988-89 के दौरान सड़कों की मरम्मत, जल-पूर्ति करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और जल-पूर्ति व्यवस्था को बढ़ाने की दृष्टि से धन मुहैया करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए अभी तक कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भूतपूर्व सैनिकों को ऋण देना

7754. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस ई एम एफ ई एक्स योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक ऋण के लिए अनुरोध कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तदनुसार सभी जिला सैनिक कल्याण बोर्डों को सूचित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर अपंग सेना कार्मिकों और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सेना कार्मिकों की पत्नियों सहित भूतपूर्व सैनिक सेमफेक्स-I और सेमफेक्स-II योजनाओं के अन्तर्गत, ऋण सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। उन्हें इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित जिला सैनिक बोर्ड/राज्य सैनिक बोर्ड को आवेदन पत्र भेजना होता है।

(ख) और (ग) इन दोनों योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्रमशः मई, 1987 और फरवरी, 1988 में पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा राज्य सैनिक बोर्डों और उनके ही माध्यम से जिला सैनिक बोर्डों की जानकारी में लाई गई थीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सैन्य बलों के कार्मिकों को पेंशन स्वीकृत करने में विलम्ब

[अनुवाद]

7755. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय में कार्यरत सैन्य बलों के कार्मिकों और सिविलियनों को पेंशन स्वीकृत करने में बहुत विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में अभी तक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है और पेंशन तथा पेंशन लाभ की स्वीकृति में विलम्ब को कम करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार सशस्त्र सेना के कार्मिकों के 171 मामलों में पेंशन नामंजूर की गई। सशस्त्र सेना मुख्यालयों में कार्यरत 6 सिविलियनों के मामलों में पेंशन नामंजूर की गई है। पेंशन की मंजूरी और पेंशन सम्बन्धी लाभों में विलम्ब को रोकने के उद्देश्य से पेंशन मंजूरी की प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत और सरल बनाने, अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों और सिविलियनों के सेवा पेंशन को अधिसूचित करने के लिए कम्प्यूटरों के उपयोग, पेंशन के दावों के दस्तावेजों पर समय से कार्य शुरू करना तथा उन्हें सही ढंग से तैयार करना जैसे अनेक उपाय किए गए हैं।

महाराष्ट्र के क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र

7756. **श्री बसंत साठे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण देने की सुविधाएं देने के लिए महाराष्ट्र में अनेक क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र राज्य में, विशेषरूप से विदिशा क्षेत्र में, ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन-कौन से प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) महाराष्ट्र में कितने स्टेडियमों का निर्माण किया गया है/करने का प्रस्ताव है और उन स्टेडियमों के नाम क्या हैं जिनकी देखभाल का कार्य और उपयोग भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारण स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में उपलब्ध विद्यमान सुविधाओं में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी सहायता दी गई और वर्ष 1990-90 के दौरान कितनी सहायता देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं। केवल औरंगाबाद में भारतीय खेल प्राधिकरण के पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र का उपकेन्द्र स्थापित करने के लिए प्रक्रिया जारी है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा लगभग 100 एकड़ भूमि भारतीय खेल प्राधिकरण को दे दी गई है जिसने पहले ही चारदीवारी और आंतरिक सड़कें निर्मित कर ली हैं। जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस, बैडमिन्टन, कुश्ती और मुक्केबाजी के लिए बहुउद्देशीय हाल के साथ-साथ एक खेल छात्रावास, प्रशासनिक खण्ड, दो टेबल टेनिस कोर्ट, वालीबाल, फुटबाल, हाकी तथा कबड्डी आदि जैसी सुविधाएं विकसित की जानी हैं।

विदर्भ क्षेत्र में ऐसी सुविधाओं के लिए कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सरकार ने महाराष्ट्र में कोई स्टेडियम नहीं बनाया है अथवा न ही बनाने का प्रस्ताव है और न ही भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किसी स्टेडियम का प्रबन्ध अथवा उपयोग किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में बाघ परियोजना संबंधी प्रगति

7757. **श्री वसंत साठे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मेलघाट में बाघ परियोजना के अन्तर्गत अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1990-91 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किये गये हैं;

(ग) क्या जंगली जानवरों द्वारा पशुओं/मनुष्यों को मारे जाने के बारे में ग्रामवासियों तथा आदिवासियों से कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में मेलघाट बाघ रिजर्व की स्थापना 1973-74 के दौरान हुई थी। यह 1618 वर्ग कि० मी० वन में फैला है जिसमें 448 वर्ग कि०मी कोर क्षेत्र है और शेष बफर क्षेत्र है। बाघ, तेंदुआ, रीछ, गौर, सांभर, चीतल, चौसिंघा, कांकड़, जंगली सूअर, नीलगाय आदि इस बाघ रिजर्व में पाए जाने वाले मुख्य वन्यजीव हैं। इस क्षेत्र में पर्वतीय पर्णपाती वनों में सागौन और बांस प्रमुख हैं जो कि क्षेत्र के वन्यजीवों के प्राकृतिक वासस्थल हैं। मेलघाट बाघ रिजर्व के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की आग, वृक्षों की अवैध रूप से कटाई, वन्यजीवों की चोरी-छिपे शिकार, भू-कटाव, चराई, अवैध कब्जों तथा अनियंत्रित पर्यटन जैसे हानि पहुंचाने वाले कारकों से सुरक्षा की जा रही है। मेलघाट बाघ रिजर्व में बाघों की अनुमानित संख्या 1972 में 27 थी जो 1989 में बढ़कर 77 हो गई है।

(ख) बाघ परियोजना एक दीर्घकालिक संरक्षण स्कीम है। वर्ष 1990-91 के दौरान मेलघाट बाघ रिजर्व का प्रबंध सातवीं पंचवर्षीय योजना की पद्धति पर जारी रखा जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार से ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

सियाचिन आप्रेशन के दौरान मारे गए सैन्य कार्मिक

7758. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियाचिन आप्रेशन के दौरान सेना के कितने कार्मिक मारे गए और कितने विकलांग हुए हैं;

(ख) क्या शोक संतप्त परिवारों का पुनर्वास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इस सूचना को प्रकट करना संभव नहीं है।

भारतीय भाषाओं का विकास

7759. **श्री अनादि चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास में निरन्तर सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सरकारी संस्थाओं के नाम क्या है जो सरकार को शैक्षिण सहायता देने के अतिरिक्त अनुसंधान, प्रशिक्षण, पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान हुई उपलब्धियों का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) हिन्दी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास तथा उन्हें बढ़ावा देना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का कार्य है। तथापि, भारत सरकार हिन्दी सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों को सीधे ही अथवा अपने द्वारा स्थापित किए गए संस्थानों के माध्यम से कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(I) भारतीय भाषाओं में प्रकाशन निकालने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देना।

(II) विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं में विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। लगभग 170 संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है।

(III) पुस्तकालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं को भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का (निशुल्क) आबंटन।

(IV) भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए 15 राज्यों तथा 4 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना।

(V) गैर-हिन्दी राज्यों में हिन्दी के शिक्षकों की नियुक्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्राईमरी तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर स्कूलों में हिन्दी के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 3,066 हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति की गई।

(VI) हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रशासनों की सरकारों को तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देना। इन कालेजों में लगभग 2,800 हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों में लगे हैं अर्थात् भाषा शिक्षकों का प्रशिक्षण, भारतीय भाषाओं में सामग्री तैयार करना, पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से भाषाओं का शिक्षण आदि :

1. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (एक स्वायत्त कार्यालय) और पटियाला, सोलन, भुवनेश्वर, मैसूर, पुणे और लखनऊ स्थित उसके क्षेत्रीय कार्यालय आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों के प्रशिक्षण, सामाजिक भाषाई सर्वेक्षण, साहित्य तैयार करना, क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम, भाषाविद् में अनुसंधान आदि के कार्यों में लगे हैं।

2. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (एक अधीनस्थ कार्यालय) विभिन्न विषयों में तकनीकी शब्दावली तैयार करने पारिभाषिक शब्दकोश तैयार करने, अखिल भारतीय तकनीकी शब्दों को तैयार करने, शब्दावली की कार्यशालाएं/अनुस्थापन कार्यक्रमों आदि के लिए अपने कार्यक्रमो के माध्यम से भारतीय भाषाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है।

3. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (एक अधीनस्थ कार्यालय) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में द्वि-भाषी, त्रि-भाषी और बहु-भाषी शब्दकोशों को निकालकर आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए योगदान कर रहा है। पिछले

तीन वर्षों के दौरान सात द्वि-भाषी, सात त्रि-भाषी और एक बहु-भाषी शब्दकोशों को प्रकाशित किया गया। निदेशालय विभिन्न तरीकों से भी हिन्दी के शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों को आयोजित करता है। अन्य पाठ्यक्रमों के माध्यम से 45,361 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

4. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में एक विशेष सैल सिन्धी को बढ़ावा देने तथा उसके विकास की योजनाओं की भी देखभाल करता है जिसमें सिन्धी प्रकाशनों को सहायता देना, सिन्धी के प्रचार और प्रसार में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता तथा सिन्धी अध्येताओं को पुरस्कार देना शामिल है।

5. उर्दू प्रोन्नत ब्यूरो, एक अधीनस्थ कार्यालय, के उर्दू के विकास और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम हैं। अन्यों के साथ-साथ इन कार्यक्रमों में उर्दू में सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्र, उर्दू में शब्दकोश सहित पुस्तकों का प्रकाशन, उर्दू के प्रकाशन तथा सम्मेलन, सेमिनार कार्यशाला आदि आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना भी शामिल है।

6. भारतीय सरकार द्वारा गठित किया गया एक स्वायत्त संगठन केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हिन्दी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, विदेशियों को हिन्दी के शिक्षण के पाठ्यक्रम, अन्य शैक्षिक क्रियाकलापों के अलावा दूसरी तथा तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण में प्रणाली में अनुसंधान आयोजित करने का कार्य करता है।

7. साहित्य अकादमी और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। इनमें सृजनात्मक लेखकों को पुरस्कार देना, एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद भारत तथा इसकी संस्कृति पर लेखकों का लेखन कार्य पर लगाना, पुस्तकों का प्रकाशन आदि करना भी शामिल है।

केन्द्रीय भंडार द्वारा लेखन सामग्री की खरीद

7760. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निविदा के आधार पर केन्द्रीय भंडार द्वारा खरीदी जाने वाली लेखन सामग्री और सप्लायरों का स्थायी रूप से चयन करके खरीदी जाने वाली लेखन सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कागज उत्पादों पर केन्द्रीय भंडार तथा सुपर बाजार द्वारा लिए जाने वाले मूल्यों के बीच लाभांश में भारी अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : (क) सामान्यतः टाइपिंग पेपर, डुप्लीकेटिंग पेपर, कापियर पेपर, स्टेंसिल, कारबन पेपर, फाइल कवर, नोट शीट पैड तथा कम्प्यूटर

स्टेशनरी आदि जैसी स्टेशनरी की सभी वस्तुएं टेंडरों के माध्यम से खरीदी जाती हैं। किन्तु कोरस-कार्बन पेपर तथा स्टेंसिल, सनलिट डुप्लीकेटिंग पेपर तथा मै० बल्लारपुर इंडस्ट्रीज आदि के सनशायन कोपियर पेपर जैसे लोकप्रिय तथा स्टैंडर्ड ब्रांडों की कतिपय वस्तुएं सीधे निर्माताओं से स्थाई आधार पर खरीदी जाती हैं।

(ख) और (ग) पेपर उत्पादों के सम्बन्ध में केन्द्रीय भंडार तथा सुपर बाजार की दरों से थोड़ा अन्तर है, केन्द्रीय भण्डार की दरें कम हैं। दरों का यह अन्तर इस कारण से है क्योंकि केन्द्रीय भण्डार अपनी लागत पर अधिकतम 9 प्रतिशत का लाभांश रखता है जबकि सुपर बाजार कम से कम 10 प्रतिशत का मार्जिन रखता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान

7761. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान ने "सन् 2000 ईसवी तक सभी के लिए शिक्षा" के सम्बन्ध में एक दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें बालिकाओं तथा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस दस्तावेज की मुख्य टिप्पणियों पर सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान ने "2000 ई० शती तक सभी के लिए शिक्षा भारतीय परिप्रेक्ष" नामक शीर्षक के अन्तर्गत एक दस्तावेज प्रकाशित किया है। वर्तमान स्थिति और सामाजार्थिक सांस्कृतिक पहलुओं पर विचार करते हुए इस अध्ययन में देश की प्राचीन आवश्यकताओं के रूप में विवेचनात्मक महत्व पर प्रकाश डाला गया है और इसमें ऐसी संभावी महत्वपूर्ण नीतियों और उपायों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सभी के लिए बेसिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनाया जा सकता है। इसमें महिलाओं और लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे विभिन्न वंचित वर्गों की शैक्षिक प्रोन्नतियों के लिए विशेष प्रावधान का प्रस्ताव है। इस दस्तावेज में पुरुषों तथा महिलाओं के बीच शिक्षा में व्याप्त वर्तमान विसंगतियों की विवेचनात्मक समीक्षा की शुरूआत की गई है और इसमें महिलाओं तथा लड़कियों सहित विभिन्न वंचित वर्गों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता पर लगातार बल दिया गया है। इसमें महिलाओं तथा लड़कियों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अल्प संख्यकों से सम्बन्धित व्यक्तियों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने के लिए एक व्यापक कार्यढांचे की सिफारिश की गई है। इस दस्तावेज में ये भी सिफारिश की गई है कि अपेक्षित सहायक सेवाएं की जानी चाहिए ताकि शिक्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को मुक्त किया जा सके। इस दस्तावेज में आगे ये सुझाव दिया गया है कि पाठ्यक्रम विषय वस्तु, शिक्षण कार्यकलाप, मूल्यांकन तथा शिक्षक शिक्षा सहित शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा को महिला समाख्या का एक उपस्कर बनाया जाए।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की जानी है। इस अध्ययन को इस प्रयोजनार्थ गठित की जाने वाली समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

कर्नाटक में हाथी दांत की तस्करी

7762. श्री श्रीकांतदत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कर्नाटक से हाथी दांत की तस्करी निरन्तर की जा रही है;

(ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) कर्नाटक के वनों से हाथी दांत की तस्करी को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कर्नाटक वन विभाग ने 1989-90 के दौरान हाथी दांत की तस्करी के 2 मामलों का पता लगाया है।

(ग) कर्नाटक से हाथी दांत की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मुख्य वन्यजीव वार्डनों के मध्य समन्वयन बनाए रखना जिसमें नियमित बैठकें बुलाना व हाथियों के चोरी-छिपे शिकार तथा हाथी दांत के अवैध व्यापार के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करना शामिल है।

(2) हाथियों का चोरी-छिपे शिकार और हाथी दांत की तस्करी रोकने के लिए कर्नाटक वन विभाग के अधीन पुलिस सेल सृजित किया गया है।

(3) चोरी-छिपे शिकार रोधी कार्य में लगे हुए विद्यमान कार्मिकों की संख्या में वृद्धि की गयी है। इस प्रयोजन के लिए आदिवासी खोजी लोगों को भी लगाया गया है।

(4) दूरभाष और बेतार नेटवर्क की मदद से दूरसंचार प्रणाली में सुधार की व्यवस्था की गई है

(5) गश्ती गार्डों को उपयुक्त शस्त्रों से सुसज्जित किया गया है।

(6) "वन्यजीवों का चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण" नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अमल में लाई जा रही है।

(7) वन्यजीव (सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 1986 के तहत भारतीय हाथी दांत के व्यापार और उससे बनी वस्तुओं के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

बिहार में धनबाद में वनरोपण

7763. श्री ए० के० राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में वनों के अन्तर्गत कितना क्षेत्र है;

(ख) इस जिले में वनरोपण कार्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई, और वनों के लिए अभिप्रेत सभी क्षेत्रों में वन रोपण कार्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या धनबाद में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एककों को इस वनरोपण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में इनका वास्तविक योगदान क्या रहा है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खर्च न की गई धन-राशि को जमा करना

[हिन्दी]

7764. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी के दिल्ली से बाहर आयोजित किए जाने वाले समारोहों, कार्यक्रमों तथा बैठकों की व्यवस्था पर किये जाने वाले व्यय का भुगतान करने के लिए भारी धन-राशि निकाली जाती है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामले भी हुए हैं जिनमें खर्च न की गई धन-राशि कार्यालय में जमा नहीं कराई गई और निर्धारित समय के भीतर इसका समायोजन नहीं किया गया; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) अकादमी के कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रमों/उत्सवों/बैठकों की व्यवस्था करने के लिए अग्रिम राशियां निकाली जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार 4500 रु० से लेकर 2,52,000 रु० तक की अग्रिम राशियां निकाली गई।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, एक मामले को छोड़कर, सभी मामलों में खर्च न की गई धनराशियां कार्यालय में जमा करवा दी गई थीं। इस मामले में सामान्य परिषद और कार्यकारी मंडल की बम्बई में हुई बैठकों के आयोजन के लिए कर्मचारी को 12-9-88 को 1,40,000 रुपए की अग्रिम राशि प्रदान की गई थी। खर्च न की गई 13,973.05 रुपये की शेष राशि का निपटान मार्च, 1990 में किया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। 6,000 रुपए की वसूली कर्मचारी के वेतन से की गई थी और शेष 7,973.05 रु० की राशि कर्मचारी ने एक मुश्त जमा कर दी थी।

गाडगिल फार्मूले में संशोधन करना

[अनुवाद]

7765. **श्री के० एस० राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के वर्तमान फार्मूले में संशोधन/परिवर्तन किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के फार्मूले में पाई गई कमियों और उसमें सुझाए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंस्टिट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च के कर्मचारियों से ज्ञापन

[हिन्दी]

7767. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टिट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च की कर्मचारी एसोसिएशन ने अपनी संस्था में बरती गई अनियमितताओं के बारे में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं के बारे में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार का कब तक कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (च) कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष को "हाल ही की चयन पद्धति में अनियमितताओं" विषय पर 26 मार्च, 1990 को एक पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्र की एक प्रति जनसाधन अनुसंधान संस्थान के स्टाफ प्रतिनिधि मंडल द्वारा 9 अप्रैल, 1990 को संस्थान के अध्यक्ष तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष को दी गई थी। उक्त पत्र में, संस्थान के संकाय पदों पर हाल ही में की गई नियुक्तियों में हुई कतिपय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है तथा स्थायी करने आदि जैसे अन्य सेवा मामलों का भी उल्लेख किया गया है। इनकी जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराया जाना

7768. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में छात्रों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक की नई पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो इन पुस्तकों को सप्लाई के लिए उत्तरदायी है, पुस्तकों की मांग पूरा करने में असमर्थ है;

(ग) क्या छात्रों को पुस्तकें बेचने के लिए कुछ संस्थाओं को इन पुस्तकों की प्रतिलिपियां सप्लाई की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं को प्रतिलिपियां सप्लाई की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार को ये पुस्तकें संस्थाओं के पास उपलब्ध न होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(छ) क्या दिल्ली के छात्रों को बिक्री के लिए जारी की गई पुस्तकें उनकी मांग को पूरा करने में अपर्याप्त हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो पुस्तकों की पर्याप्त प्रतिलिपियां किस तिथि तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) स्कूल स्तर पर शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को पुन:स्थापित करने के प्रयास के भाग के रूप में, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् 1986 से पाठ्यपुस्तकों में भारी संशोधन कर रही है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे और उनके द्वारा विकसित संशोधित पाठ्य विवरणों पर आधारित है। इस संशोधन से बड़ी संख्या में नई पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कार्य बढ़ गया है।

दिल्ली संघशासित क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 1990-91 के लिए कुछेक पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराने में विलम्ब हुआ है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पाठ्य पुस्तकें जून, 1990 के मध्य तक उपलब्ध हो जाएंगी।

(ग) से (च) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली के स्कूलों से उन्हें सीधे ही पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति के लिए आर्डर लेती रही है। उन स्कूलों/संस्थाओं के नाम, जिन्होंने सीधे ही रा० शै० अ० प्र० प० को आर्डर दिए संलग्न विवरण में दिए गए हैं। रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा इन स्कूलों को जो पाठ्यपुस्तकें सीधे ही जारी और सप्लाई की गई है, उनकी अनुपलब्धता के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(छ) और (ज) रा० शै० अ० प्र० प० केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की मांग पूरी करने के लिए पाठ्यपुस्तकों की पर्याप्त प्रतियां मुद्रित करने की व्यवस्था करती है।

विवरण

1. सरदार पटेल विद्यालय, लोधी ईस्टेट रोड नं० 3, नई दिल्ली।
2. दी आर्मी पब्लिक स्कूल, रिजरोड धौला कुआं, नई दिल्ली-110010
3. दी मदर्स इण्टरनेशनल स्कूल, श्री अरविन्द आश्रम,
   श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-110016
4. हैपी स्कूल, दरियागंज रोड, पदम चन्द मार्ग,
   नई दिल्ली-110002
5. सी० आर० पी० एफ० पब्लिक स्कूल, सेक्टर-XIV, रोहिणी,
   दिल्ली-85
6. प्रेजेन्टेशन कान्वेन्ट, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
   एस० पी० मुखर्जी मार्ग, दिल्ली-110006

7. दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर-XII, आर० के० पुरम
नई दिल्ली-110022

8. भारतीय विद्या भवन्स, मेहता विद्यालय, मेहता सदन,
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

9. राजकीय बाल माध्यमिक स्कूल, नं० 2, रोशनारा रोड,
दिल्ली-7

10. गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल, पो० आ० बाक्स-9039,
शाहदरा, दिल्ली-110032

11. रुक्मिणी देवी जयपुरिया पब्लिक स्कूल, 23 राजपुर रोड,
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

12. अपी जय स्कूल, शेख सराय, पंचशील पार्क,
नई दिल्ली-110017

13. मानव भारती, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल, पंचशील पार्क (दक्षिण),
नई दिल्ली-110011

14. लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, हौजखास, इन्क्लेव, नई दिल्ली-110016

15. स्टेट कौंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, वरुण मार्ग,
डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024

16. माता जय कौर पब्लिक स्कूल, अशोक विहार फेज-III, दिल्ली-110052

17. शारदा पब्लिक स्कूल, डी-ब्लाक, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024

18. कांवेन्ट आफ जीसस एंड मेरी बंगला साहिब मार्ग, नई दिल्ली-110001

19. एन० सी० जिन्दल पब्लिक स्कूल, रोड नं० 73, पश्चिमी
पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26

20. एअर फोर्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पालम, दिल्ली कंण्ट-10

21. रामजस स्कूल, सेक्टर-IV, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110022

22. तरुण मित्र परिषद, जे-88, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

23. तक्षशिला पब्लिक स्कूल, ज्योति कालेज एक्सटेंशन,
शाहदरा, दिल्ली-110032

24. गुरु नानक उच्चतर माध्यमिक स्कूल, गांधी नगर, दिल्ली-110031

25. मीरा माडल स्कूल, बी-ब्लाक जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

26. गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल, बसन्त विहार, नई दिल्ली-110057

27. गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल, 1, पुराना किला रोड, नई दिल्ली-110001

28. होली चाइल्ड उच्चतर माध्यमिक स्कूल, टैगोर गार्डन,
नई दिल्ली-110027
29. दी एअर फोर्स स्कूल, सुब्रतो पार्क, दिल्ली कैन्ट-110010
30. सरस्वती बाल मन्दिर, राजौरी गार्डन एक्सटेन्शन,
नई दिल्ली-110027
31. राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल नं० 2, केशव पुरम,
दिल्ली-110035
32. डिपार्टमेण्ट आफ टीचर ट्रेनिंग तथा नान फार्मूला एजुकेशन,
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025
33. सेण्टर फार एडवान्स स्टडीज इन इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
सी० विंग, तृतीय तल, पुष्प भवन, मदन गीर रोड, नई दिल्ली-110062
34. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, सं० 11, मादीपुर,
नई दिल्ली-110063
35. कैरिअर पब्लिक स्कूल, 473, झील कुरंज, दिल्ली-110051
36. सेण्ट मार्क्स उच्चतर माध्यमिक पब्लिक स्कूल, जनकपुरी मार्ग,
जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
37. दी यूनियन अकादमी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, अकादमी लेन,
राजा बाजार, नई दिल्ली-110001
38. सेण्ट जेवियर्स स्कूल, 4, राज निवास मार्ग, दिल्ली-110054
39. जे० डी० टाइटलर स्कूल, आर ब्लाक के पीछे, न्यू राजिन्द्र नगर,
नई दिल्ली-110060
40. कैम्ब्रिज फाउण्डेशन उच्चतर माध्यमिक स्कूल राजौरी गार्डन, एक्सटेन्शन,
नई दिल्ली-110027
41. सेण्ट थामस स्कूल, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-110001
42. नगर पालिका बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, गोल मार्किट,
नई दिल्ली-110001
43. श्री एस० एन० सिद्धेश्वर आदर्श बाल विद्यालय, गुरुद्वारा रोड,
गुड़गांव (हरियाणा)
44. डी० टी० ई० ए० उच्चतर माध्यमिक स्कूल, लोधी ईस्टेट,
नई दिल्ली-110003
45. दून पब्लिक स्कूल, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली-110063
46. श्रवण पब्लिक स्कूल, छतरपुर रोड, नई दिल्ली-11063
47. कर्नल सत संगोज किरण मेमोरियल अपिक्स एजुकेशनल काम्पलेक्स,
प्रेम किरणकुंज, सतबारी, मेहरौली, नई दिल्ली-110030
48. आपरस विद्यालय, बसन्त मार्ग, बसन्त विहार, नई दिल्ली-110057

पंजाब में पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम

[अनुवाद]

7769. **श्री कमल चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने से सम्बन्धित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए पंजाब को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित सामान्य पर्यावरण संबंधी जागरूकता संवर्द्धन कार्यक्रम पंजाब में आरम्भ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए पंजाब को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब में किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में विभिन्न संगठनों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई :—

वर्ष	(लाख रुपए में)
1987-88	25.53
1988-89	48.41
1989-90	17.52

(घ) उपरोक्त कार्यक्रमों के तहत शुरू किए गए विभिन्न क्रियाकलापों में पर्यावरणीय जागरूकता के लिए गोष्ठियों/संगोष्ठियों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, जनसभाओं, दृश्य-श्रव्य/फिल्म शो, स्कूली बच्चों के लिए निबन्ध/वाद-विवाद/चित्रकारी प्रतियोगिताओं का आयोजन, शैक्षिक संसाधन सामग्रियों आदि को तैयार करना एवं उनका वितरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण विभाग में तकनीकी सेल को सुदृढ़ बनाना, पर्यावरण से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और नम-भूमि के लिए प्रबन्ध कार्य योजना का कार्यान्वयन करना शामिल है।

दामोदर नदी में तेल का रिसाव

7770. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा हाल ही में कलकत्ता की ओर बहने वाली दामोदर नदी में 1800 क्यूबिक लीटर भट्टी तेल प्रवाहित करने से बिहार में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी इस नदी से जुड़ी पेयजल सप्लाई व्यवस्था प्रदूषित हो गई है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप कुछ नगरों में जल सप्लाई को स्थगित करना पड़ा था;

(ग) क्या दामोदर नदी से जुड़े बोकारो इस्पात संयंत्र के अपशिष्ट पदार्थ निकासी नेटवर्क में तेल प्रवाहित करने के बारे में किसी जांच के आदेश दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) अनुमान है कि बोकारो इस्पात संयंत्र से लगभग 200 किलोमीटर जलाने के तेल का दामोदर नदी में रिसाव हुआ और उसके कारण नदी में बिहार में पंचेत बांध तक प्रदूषण हुआ।

(ख) चन्द्रपुर, तेलमुचु, जमदोबा, धनबाद और झरिया नगरों में पानी की पूर्ति में रुकावट आई।

(ग) और (घ) बोकारो इस्पात प्राधिकरण ने इस रिसाव के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति गठित की है। प्रारम्भिक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिसाव चोरी के कारण हुआ और 10 अप्रैल, 1990 को इस संबंध में एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई है। बोकारो इस्पात प्राधिकरण ने तेल भंडारण टैंकों के निकासी पाइप को कोर से ढक दिया है ताकि भविष्य में कोई रिसाव न हो। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सलाह पर बोकारो इस्पात प्राधिकारी एक संकटनाला बनाने पर सहमत हो गया है जिससे रिसा हुआ तेल वर्तमान की तरह सीधे नदी में न जाकर एक तालाब में आएगा ताकि भविष्य में होने वाले रिसाव का पता लग सके और उसको तत्परता से रोका जा सके।

गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा आयात

7771. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले आयात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह कम्पनी जलयानों के लिए "अग्नि सुरक्षा द्वार" आयात करती रही है;

(ग) क्या यह आयात अधिकांशत: दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्योरा क्या है और आमतौर पर क्या-क्या वस्तुएं आयात की जाती हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात निम्न प्रकार रहा :—

	करोड़ रुपयों में
1984-85	16.53
1985-86	7.97
1986-87	20.58
1987-88	16.24
1988-89	65.89

कम्पनी, मुख्य इंजन, नोदन पैकेज, वैज्ञानिक उपस्कर, नौवहन संबंधी सहायता, मानीटरिंग उपस्कर, हथियार पैकेज आदि का मुख्य रूप से आयात कर रही है।

टैंकों और बी एम पी-2 सैनिक युद्ध वाहनों (इन्फेंट्री काम्बैट व्हीकल) की मरम्मत हेतु बेस वर्कशाप

7772. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी-72 टैंकों और बी एम पी-2 सैनिक युद्ध वाहनों (इन्फेंट्री काम्बेट व्हीकल्स) की मरम्मत की सुविधाएं उसी स्थान पर जहां पर उनका निर्माण किया जाता है, उपलब्ध कराने की संभावना का पता लगाने के लिए प्रारम्भ की गई तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इस परियोजना पर कितनी पूंजी व्यय होने का अनुमान है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) इस सम्बन्ध में अध्ययन कार्य अभी पूरा किया जाना है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत लागत का अनुमान लगाना इस समय सम्भव नहीं है।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आयुध कारखाना स्थापित करना

7773. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण करने की चालू परियोजनाओं के भाग के रूप में सरकार का आधुनिक टैंक, हथियार और गोलाबारूद बनाने हेतु चार नए कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए विदर्भ क्षेत्र की उपयुक्तता को देखते हुए क्या सरकार इस क्षेत्र में भी एक ऐसा कारखाना स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) आधुनिक टैंक, हथियार और गोलाबारूद के निर्माण के लिए नई आयुध निर्माणी की स्थापना करने का सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

चिल्का झील में विदेशों से पक्षियों का आना

7774. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में चिल्का झील में साइबेरिया आदि जैसे दूरस्थ स्थानों से बड़े पैमाने पर पक्षी आते हैं;

(ख) क्या इन प्रवासी पक्षियों को उचित सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षियों की उचित सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. उड़ीसा सरकार ने वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 37 के तहत पक्षियों को मारने के लिए चिल्का झील को निषिद्ध घोषित कर दिया है और इसके अतिरिक्त नलबन क्षेत्र को इस अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया है जहां अधिकतम पक्षी एकत्र होते हैं।

2. राज्य सरकार ने चोरी-छिपे शिकार तथा अन्य व्यवधानों से चिल्का झील की सुरक्षा करने के लिए कर्मचारी तैनात किये हैं।

3. "अभ्यारण्यों के विकास के लिए सहायता" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत 1988-89 में चिल्का अभ्यारण्य के विकास के लिए 3.50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई।

4. भारत सरकार ने संरक्षण और प्रबन्ध कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए देश के 16 नम-भूमियों में से एक नम भूमि के रूप में चिल्का झील को अभिनिर्धारित किया है। वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान भारत सरकार द्वारा भू-क्षरण के नियंत्रण, नलबन क्षेत्र के प्राकृतिक वासस्थलों के सुधार, पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता और पर्यावरणीय सूचना डाटा बेस स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को 18.15 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।

महिला विकास निगम

7775. **श्रीमती जे० जमुना** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला विकास निगम के विकास हेतु वर्ष 1990-91 के लिए, राज्य-वार, कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : महिला विकास निगम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के लिए 1.00 करोड़ रुपये का नियतन किया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर शेयर पूंजी के लिए किए गए अंशदान को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार इक्विटी में शेयरों के 49% तक अंशदान करती है। राज्यवार कोई नियतन नहीं किया जाता।

सीनियर नवयुग स्कूलों में दाखिला

7776. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के जूनियर नवयुग स्कूलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले छात्रों को सीनियर नवयुग स्कूलों में छठी कक्षा में सीधे दाखिला मिल जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि शैक्षिक वर्ष 1989-90 में नई दिल्ली नगर पालिका बोर्ड द्वारा की गई पांचवीं कक्षा की परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले जूनियर नवयुग स्कूलों के छात्रों को इस वर्ष सीनियर नवयुग स्कूलों में छठी कक्षा में सीधे दाखिला नहीं दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सीनियर नवयुग स्कूलों में छठी कक्षाओं में दाखिला पाने के लिए इन छात्रों से खुली प्रतियोगिता में बैठने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या कारण है; और

(ङ) सरकार का वर्ष 1989-90 के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका बोर्ड की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को सीनियर नवयुग स्कूलों में छठी कक्षा में शैक्षिक वर्ष 1989-90 के लिए निश्चित वर्तमान नीति के अनुसार सीधे दाखिला देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है और क्या सभी जूनियर नवयुग स्कूलों का दर्जा 12वीं कक्षा तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार नई दिल्ली नगर पालिका के चार नवयुग स्कूलों के सभी बच्चे जिन्होंने कक्षा V की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वे प्राप्त अंकों को ध्यान में किये बिना अपने-अपने स्कूलों में कक्षा VI में सीधे दाखिले के पात्र होते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपरोक्त उल्लिखित नई दिल्ली नगर पालिका के जूनियर नवयुग स्कूलों के छात्र बिना किसी खुली प्रतियोगिता के ही अपने-अपने स्कूलों में कक्षा VI में दाखिला प्राप्त करेंगे। अतः उन्हें सीनियर नवयुग स्कूलों में कक्षा VI में दाखिला प्राप्त करने के लिए खुली प्रतियोगिता में पुनः बैठने के लिए कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, सरोजनी नगर स्थित सीनियर नवयुग स्कूल में जिसमें कक्षा VI से अपर सीनियर माध्यमिक स्तर तक कक्षाएं चलायी जा रही हैं, दाखिला खुली प्रतियोगिता के माध्यम से ही किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नई दिल्ली नगर पालिका के तीन जूनियर नवयुग स्कूलों को इस वर्ष कक्षा VI को जोड़ कर मिडिल स्तर तक प्रोन्नत कर दिया गया है। फिलहाल उन्हें कक्षा VIII से आगे प्रोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि कक्षा VI उनमें 1990-91 में ही जोड़ी गई है।

सिख गुरुओं और शासकों की वस्तुओं को विदेशों से पुनः प्राप्त करना

7777. **स० अतिन्दर पाल सिंह** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन वस्तुओं/स्मृति-चिन्हों का पता लगा लिया है जो स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व विदेशियों द्वारा पंजाब से बाहर ले जाये गये थे;

(ख) क्या सरकार ने सिख गुरुओं और शासकों की ऐसी वस्तुओं की कोई सूची तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसी सूची कब तक तैयार हो जायेगी;

(घ) क्या विभिन्न सिख संगठनों ने सरकार से गुरु गोबिन्द सिंह जी की "कलगी" और तलवार तथा महाराजा रणजीत सिंह की व्यक्तिगत कुर्सी और कोहेनूर हीरा वापस लाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उन वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) विदेशियों द्वारा पंजाब से बाहर ले जाई गई वस्तुओं/स्मृति-चिन्हों की कोई सूची भारतीय पुरातत्व

सर्वेक्षण के पास नहीं है। स्वाधीनता से पहले सिख गुरुओं और शासकों से सम्बन्धित वस्तुओं सहित विदेशियों द्वारा पंजाब से बाहर ले जाई गई वस्तुओं की इस प्रकार की एक सूची तैयार करना भी संभव नहीं है। तथापि, कुछ विशिष्ट वस्तुओं के प्रश्न की केन्द्रीय सरकार और पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर जांच की गई है। वास्तव में, वर्ष 1966 में 6 स्मृति चिन्ह इंग्लैंड (यू०के०) से भारत वापस लाये गये थे।

(घ) और (ङ) सेक्रेटरी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्ध कमेटी, अमृतसर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जो गुरु गोविन्द सिंह जी की कलगी और तलवार के देश प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में है। कोहिनूर, महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी राजकुमार दिलीप सिंह द्वारा औपचारिक रूप से तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट को लड़ाईयों में नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए भेंट दिया गया था और इसलिए यह उस ताज की सम्पत्ति बन गया है। एक शाही उपहार होने के नाते, अब इसे वापिस मांगना शायद उपयुक्त नहीं होगा। अन्य स्मृति-चिन्हों का पता लगाने के प्रयासों में अब तक सफलता नहीं मिली है। सरकार इसकी समीक्षा करके और आगे उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

सांख्यिकीय आंकड़ों की विश्वसनीयता

7778. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा एकत्र/तैयार किये गये आंकड़ों/सांख्यकीय विवरणों में बहुत अधिक त्रुटियों के होने की संभावना पायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी त्रुटियों की संभावना पायी गयी है तथा क्या महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के सम्बन्ध में भी ये त्रुटियां पायी गयी हैं; और

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा एकत्र किये गये सांख्यकीय विवरणों की यथार्थता को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिये और क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय भाषाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

7779. **श्री ए० के राय** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से स्नातकोत्तर शिक्षा दी जाती है;

(ख) किन-किन विषयों को इन भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और क्या इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय भी सम्मिलित हैं;

(ग) क्या स्नातकोत्तर कक्षाओं में परीक्षा किसी भी क्षेत्रीय भाषा में देने की अनुमति है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्राइमरी और उच्च शिक्षा के स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देने सम्बन्धी सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार संलग्न विवरण-1 में एक ब्योरा दिया गया है, जिसमें उन विश्वविद्यालयों के नाम, जहां क्षेत्रीय भाषाओं में स्नातकोत्तर अध्ययन कराया जाता है, और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहित उन विषयों के नाम दिये गये हैं, जो इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, संलग्न विवरण-2 में एक ब्योरा दिया गया है, जिसमें उन विश्वविद्यालयों के नाम बताये गये हैं, जहां क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षाओं के लिए अनुमति दी जाती है।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में दिये गये विवरण के अनुसार, प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में पहले से ही क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। नीति में आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा को अपनाने के लिए तत्काल उपाय किये जाने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी उपर्युक्त विवरण को फिर से दोहराया गया है। इस नीति के अनुसरण में, अनेक विश्वविद्यालयों ने उनके द्वारा प्रदत्त विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में क्रमिक रूप से एक अथवा अधिक क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करने के उपाय किये हैं।

विवरण-1

स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग की जा रही क्षेत्रीय भाषाएं

क्र० सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी	पाठ्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा
आंध्र प्रदेश			
1.	काकतिया	—	एम०ए०
2.	*दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा	—	एम०ए० (हिन्दी केवल शिक्षा का माध्यम है)
बिहार			
3.	बिहार	एम०एस०सी०	एम०ए०, एम०काम
4.	बिरसा एग्रीकल्चरल	एम०एस०सी० (एग्री०) एम०वी०एस०सी०	—
5.	के० एस० दरभंगा संस्कृत	—	एम०ए०
6.	एल० एन० मिथिला	एम०एस०सी०	एम०ए०, एम० काम
7.	मगध	एम०एस०सी	एम०ए०, एम० काम

1	2	3	4
8.	पटना	—	एम०ए०, एम० काम, एम० एड०, एल०एल०एम०
9.	रांची	—	एम०ए०
गुजरात			
10.	भावनगर	एम०एस०सी०	एम०ए०, एम०काम, एम०एड०
11.	गुजरात	एम०एस०सी०	एम०ए०, एम० काम०, एम० एड०, एल०एल०एम०, एम० बी०ए०
12.	गुजरात आयुर्वेद	एम०डी० (आयुर्वेद)	—
13.	एम० एस० विश्वविद्यालय बड़ोदा	—	एम० म्यूजिक
14.	सौराष्ट्र	एम०एस०सी०	एम०ए०, एम०काम
15.	दक्षिणी गुजरात	एम०एस०सी०	एम०ए०, एम० एस० डब्ल्यू०, एम०बी०ए०
16.	**गुजरात विद्यापीठ	—	एम०ए०, एम०एस० डब्ल्यू०, एम०एड० एम०लिब०एस०सी०
हरियाणा			
17.	महर्षि दयानन्द	—	एम०ए०, एम०एड०
कर्नाटक			
18.	मैसूर	—	एम०ए०, एम०एड०
मध्य प्रदेश			
19.	ह०सी० सिंह	एम०एस०सी०	एम०ए०, एम० काम, एम० एड०, एल०एल०एम०
20.	भोपाल	एम०एस०सी०	एम० ए०, एम० काम, एल० एल०एम०
21.	देवी अहिल्या	एम०एस०सी० (होम साइंस)	एम०ए०, एम०काम, एम०एड०
22.	गुरु घासीदास	—	एम०ए०
23.	इन्दिरा कला संगीत	—	एम०ए०, एम० म्यूजिक

1	2	3	4
24.	जीवाजी	—	एम०ए०, एम०काम
25.	रानी दुर्गावती	—	एम०ए०, एम०काम
महाराष्ट्र			
26.	अमरावती	—	मराठी/हिन्दी—एम०ए०, एम०एड०,एम०पी०एड०
27.	बम्बई	एम०डी० आयुर्वेद	एम०ए०—मराठी
28.	मराठवाड़ा	—	एम० ए०, एम० काम, एम० एस० डब्ल्यू०
29.	नागपुर	—	एम०ए०, एम०एड०, एम०पी० एड०, एम०काम०, एम०एस० डब्ल्यू०, एम०एफ०ए०, हिन्दी तथा मराठी
30.	पूना	एम०डी० आयुर्वेद	एम०ए०
31.	एस०एन०डी०टी० वीमेन्स	—	एम०ए०—गुजराती, हिन्दी, मराठी एम०एड—गुजराती, मराठी
उड़ीसा			
32.	श्री जगन्नाथ संस्कृत	—	आचार्य—उड़िया, देवनागरी
पंजाब			
33.	गुरु नानक देव	—	एम०ए०
34.	पंजाबी	एम० आयुर्वेद	एम०ए० (ड्रामेटिक आर्ट्स, रिलिजियस स्टडीज, फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक—पंजाबी
राजस्थान			
35.	जोधपुर	—	एम०ए०, एम०एड०, एम०काम (हिन्दी)
36.	राजस्थान	—	एम०ए०, एम०काम, एल०एल० एम०, एम०एड०, पी०जी० इन सोशल साईंस ; हिन्दी

1	2	3	4
37.	सुखाड़िया	—	एम०ए०, एल०एल०एम०, एम० काम, एम०एम० (फाइन आर्ट्स, म्यूजिक) (हिन्दी)
38.	**वनस्थली विद्यापीठ	एम०एस०सी०(कैमि०) एम०एस०सी० (होम साईंस)	एम०ए०, एम० म्यूजिक, एम० ए० इन फाइन आर्ट्स, एम०एड० हिन्दी
तमिलनाडु			
39.	भारतियर	—	एम०ए० (हिस्ट्री) : तमिल
40.	मद्रास	—	एम०ए० (हिस्ट्री) : तमिल
41.	मदुरै कामराज	एम०डी०सिध	एम०ए० कोरसिज : तमिल
उत्तर प्रदेश			
42.	आगरा	एम०एस०सी०, एम० एस०सी० (एग्री०) एम०एस०सी० (होम साईंस)	एम०ए०, एम० काम०, एल० एल०एम०, एम०एड० : हिन्दी
43.	इलाहाबाद	—	एम०ए०, एम०काम, (एक्सेप्ट मैथ हिन्दी)
44.	अवध	—	एम०ए०, एम०काम० : हिन्दी
45.	बनारस हिन्दू विश्व०	एम०एस०सी०(एग्री०)	एम०ए०, एम०काम०, एम०एड०, एम०एफ०ए०, एम० म्यूजिक : हिन्दी
46.	बुन्देलखण्ड	एम०एस०सी० (मैथ, स्टेटिक्स)	एम०ए० (रूरल इकनामिक्स एण्ड को-आपरेशन), एम०बी०ए० हिन्दी
47.	गढ़वाल	—	एम०ए०, एम० काम, एम० एड० (हिन्दी)
48.	गोरखपुर	एम०एस०सी०	एम०ए०, एम०एफ०ए०, एम० एड०, एम०काम, एल०एल०एम० हिन्दी

1	2	3	4
49.	कानपुर	एम०एस०सी, एम०एस० सी० (एग्री०)	एम०ए०, एम०काम, एम०एड०—हिन्दी
50.	काशी विद्यापीठ	—	एम०ए०, एम०एस०डब्ल्यू०, एम० पी०एड०—हिन्दी
51.	कुमाऊं	—	एम०ए०, एम०काम, एम०एड०—हिन्दी
52.	लखनऊ	एम०एस०सी०	एम०ए०, एम०काम, एम०एड०—हिन्दी
53.	मेरठ	एम०एस०सी०, एम०एस० सी० (एग्री)	एम०ए०, एम०काम, एम०एड०, एल०एल०एम०—हिन्दी
54.	रोहिलखण्ड	—	एम०ए०, एम०काम (हिन्दी)
55.	**दयालबाग एज्यूकेशनल इंस्टिट्यूट	—	एम०ए० (म्यूजिक, मनोविज्ञान), एम०एड०—हिन्दी
56.	**गुरुकुल कांगड़ी	—	एम०ए०—हिन्दी
पश्चिमी बंगाल			
57.	बर्दवान	एम०एस०सी० (जोगरोफी)	एम०ए० (पोलि० साईंस, फिलोसिफी तथा हिस्ट्री)—बंगाली
58.	रविन्द्र भारती	—	एम०ए०—बंगाली
59.	विश्व भारती	—	एम०ए०, एम०एफ०ए०, एम० म्यूजिक—बंगाली
संघ शासित क्षेत्र			
60.	दिल्ली	—	एम०ए०, (संस्कृत, हिन्दुस्तानी संगीत)—हिन्दी
61.	जामिया मिलिया इस्लामिया	—	एम०ए०(अरबी)—उर्दू/फारसी एम०एफ०ए०—हिन्दी/उर्दू

* राष्ट्रीय महत्व की संस्था

** सम विश्वविद्यालय संस्थाएं

विवरण-2

स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग में लायी जा रहीं क्षेत्रीय भाषाएं

क्र० सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाई जा रही क्षेत्रीय भाषाएं
आंध्र प्रदेश		
1.	काकतिया	एम०ए० (लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान)
2.	उस्मानिया	कला/सामाजिक विज्ञान/विज्ञान/वाणिज्य के संकायों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए।
3.	श्री कृष्णदेव राय	इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा ग्रामीण विकास में एम०ए०।
4.	*दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा	एम०ए० (हिन्दी ही परीक्षा का माध्यम है)
बिहार		
5.	भागलपुर	एम०ए०
6.	बिहार	एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०काम
7.	बिरसा कृषि	एम०एस०सी० (कृषि), एम०वेट० विज्ञान
8.	के० एस० दरभंगा संस्कृत	सभी पाठ्यक्रम
9.	एल० एन० मिथिला	एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०काम
10.	मगध	एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०काम
11.	पटना	एम०ए०, एम०काम, एम०एड०, एम०एल०एम०
12.	रांची	एम०ए०
गुजरात		
13.	भावनगर	एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०काम, एम०एड०
14.	गुजरात	एम०ए०, एम०काम
15.	गुजरात आयुर्वेद	स्नातकोत्तर स्तर
16.	एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय	एम० संगीत
17.	सरदार पटेल	एम० ए०एम०काम०; एम० एड०

1	2	3
18.	सौराष्ट्र	एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०काम०एम० एड
19.	दक्षिण गुजरात	एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०बी०एस०, मास्टर आफ लेबर वेलफेयर, मास्टर आफ रूरल स्टडीज
20.	गुजरात विद्यापीठ*	एम०ए, एम०एड०, एम०लिब०
हरियाणा		
21.	हरियाणा कृषि	एम०एड०
22.	कुरुक्षेत्र	एम०ए० (अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, सामाजिक कार्य, इतिहास शिक्षा, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा वास्तुकला संगीत) एम०एड०
23.	महर्षि दयानन्द	एम०ए०, एम०एड०
हिमाचल प्रदेश		
24.	हिमाचल प्रदेश	एम०ए०
कर्नाटक		
25.	गुलबर्ग	एम०ए०
26.	कर्नाटक	एम०एड०
27.	मैसूर	एम०ए० (इतिहास, राजनीति विज्ञान, ए० आई०एच० तथा वास्तुकला शिक्षा), एम०एड० एम० संगीत
मध्य प्रदेश		
28.	ए० पी० सिंह	एम०ए०, एम०एस०सी०, एल०एल०एम०, एम०काम०एम०एड
29.	भोपाल	एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०काम०, एल० एल०एम०
30.	देवी अहिल्या	एम०एड०, एम०लिब०, एम०ए०, एम०ए० (सामाजिक विज्ञान), एम०ए० (गृहविज्ञान), एम०काम०

1	2	3
31.	डा० एच० एस० गौड़	एम०एड०, एम०लिब०, एम०ए०, एम०एस० सी०, एम०काम०
32.	इन्दिरा कला संगीत	एम० संगीत, एम०ए० (नृत्य) एम०एफ०ए०
33.	गुरु घासीदास	एम०ए०
34.	जिवाजी	एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०काम०, एम० लिब०
35.	रानी दुर्गावती	एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०पी०एड०
36.	रविशंकर	एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०काम
37.	विक्रम	एम०ए०
महाराष्ट्र		
38.	अमरावती	एम०ए०, एम०काम०, एम०एड०, एम०पी०एड०
39.	बम्बई	एम०एड०, एम०ए०, एम०एस०डब्ल्यू०
40.	मराठवाड़ा	एम०ए०, एम०काम०, एम०एस०डब्ल्यू, एम० एड०
41.	नागपुर	एम०ए०, एम०एस०डब्ल्यू, एम०काम०, एम० एड०, एम०पी०एड०, मास्टर आफ फाईन आर्ट्स
42.	पूना	एम०ए० (दर्शनशास्त्र, इतिहास, ए०आई०सी० अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान), एम०एड०
43.	शिवाजी	एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य), एम०एड०—मराठी एम०ए० (सामाजिक विज्ञान)—मराठी
44.	एस० एन० डी० टी० महिला	एम०ए० (सभी विषय), एम०एड० मराठी, गुजराती, हिन्दी
45.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय	सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम—संस्कृत में उड़िया लिपि
पंजाब		
46.	गुरुनानक	एम०ए० (संगीत); एम०ए० (कला), एम०ए० (कला का इतिहास)—हिन्दी, पंजाबी

1	2	3
राजस्थान		
47.	जोधपुर	एम०ए० (कला, शिक्षा तथा सामाजिक विज्ञान) एम०काम० हिन्दी
48.	राजस्थान	एम०ए० (कला, ललित कला, सामाजिक विज्ञान), एम०काम, एम०एड०, एल०एल० एम० — हिन्दी
49.	सुखाड़िया	एम०ए० (गणित को छोड़कर बाकी सभी विषय), एम०एस०सी० सभी विषय, एम०काम, एल०एल०, एम०एड० —हिन्दी माध्यम
50.	बनस्थली विद्यापीठ	सभी पाठ्यक्रमों के लिए हिन्दी माध्यम
तमिलनाडु		
51.	अन्नामलाई	एम०एड, एम०काम (तमिलनाडु माध्यम)
52.	भारतियार	एम०ए० (इतिहास) तमिलनाडु माध्यम
53.	मद्रास	एम०ए० (इतिहास) —तमिलनाडु माध्यम
54.	मदुरै कामराज	एम०एम० (सभी विषय) एम०बी० (सिवृषा) —तमिलनाडु माध्यम
उत्तर प्रदेश		
55.	आगरा	सभी पाठ्यक्रम (औषध और इंजीनियरी को छोड़कर)
56.	अलीगढ़ मुस्लिम	एम०ए० (धर्म विद्या) उर्दू और हिन्दी
57.	इलाहाबाद	हिन्दी सभी पाठ्यक्रम (कला, वाणिज्य) गणित को छोड़कर
58.	अवध	सभी विषय (हिन्दी माध्यम)
59.	बनारस हिन्दू	एम०ए० (कला, सामाजिक विज्ञान)—हिन्दी एम०काम, एम०एस०सी० (कृषि)—हिन्दी एम०एड, एम०ए० (ललित कला तथा संगीत) —हिन्दी
60.	बुन्देलखण्ड	हिन्दी में सभी पाठ्यक्रम
61.	गढ़वाल	एम०ए० (कला) एम०काम—हिन्दी माध्यम

1	2	3
62.	गोरखपुर	एल०एल०एम० और कला, विज्ञान, वाणिज्य के सभी विषय—हिन्दी माध्यम
63.	कानपुर	कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा कृषि संकाय—हिन्दी माध्यम
64.	काशी विद्यापीठ	सभी पाठ्यक्रमों के लिए —हिन्दी
65.	कुमायुं	एम०ए०एम०काम, एम०एड० हिन्दी माध्यम
66.	लखनऊ	हिन्दी/भाषा को छोड़कर सभी पाठ्यक्रम
67.	मेरठ	हिन्दी/एम०बी०बी०एस० को छोड़कर सभी पाठ्यक्रमों के लिए
68.	रोहिलखंड	एम०ए०, एम०काम
69.	सम्पूर्णानन्द	आचार्य (संस्कृत माध्यम)
70.	**दयालबाग शिक्षा संस्थान	एम०ए० (मनोविज्ञान) एम०एड, एम०ए० (संगीत)
71.	गुरुकुल कांगड़ी	एम०ए० (दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, इतिहास)
पश्चिम बंगाल		
72.	बुर्दवान	एम०ए० (राजनीति विज्ञान), दर्शनशास्त्र, इतिहास, एम०एस०सी० (भूगोल)
73.	कलकत्ता	सभी पाठ्यक्रमों के लिए (तकनीकी पाठ्यक्रमों को छोड़कर) परीक्षा-माध्यम के रूप में बंगला का प्रयोग किया जाता है।
74.	जादवपुर	सभी पाठ्यक्रम (बंगला माध्यम)
75.	रवीन्द्र भारती	एम०ए० (बंगला में सभी विषय)
76.	विश्व-भारती	एम०ए० (सभी विषय), एम०ए०/(ललितकला) एम०ए० (संगीत)
संघशासित क्षेत्र (दिल्ली)		
77.	दिल्ली विश्वविद्यालय	एम०ए० (संस्कृत तथा हिन्दी में हिन्दुस्तानी संगीत, अरबी, फारसी, कर्नाटक संगीत)
78.	जामिया मिलिया	एम०ए०

*राष्ट्रीय महत्व

**विश्वविद्यालय समझो जाने वाली संस्थाएं

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्यक्रमों में सुधार लाना

7780. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

श्री बी० एस० आसवराज : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कोई ऐसी कार्य योजना तैयार तथा परिचालित की है जिसमें गरीबी हटाओ और ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के कार्यक्रमों के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां। गरीबी कम करने और ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी निवेशों (इन्पुट) सम्बन्धी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यक्रमों की समस्त योजना के एक अंश के रूप में, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) ने वर्ष 1990-91 के लिये एक कार्य योजना तैयार की है और उसे परिचालित कर दिया है।

(ख) वृहत स्तर पर अनुप्रयोग के लिये तैयार उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण पर इन कार्यक्रमों में जोर दिया गया है। इन कार्यक्रमों में पश्च-फसल प्रौद्योगिकियों, भवन निर्माण सामग्री और आवास, औषधीय तथा संगध पौधों की वृहत स्तर पर खेती, जल प्रबन्धन/सिंचाई व्यवस्था (जल संरक्षण) और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण सहित खाद्य/कृषि संसाधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। विभिन्न सरकारी विभागों/स्वैच्छिक संगठनों और अन्य अभिकरणों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए इन विस्तार गतिविधियों (कार्यकलापों) की योजना तैयार की गई है।

संरक्षित मस्जिदें

7781. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की संरक्षित मस्जिदों को सार्वजनिक पूजा हेतु खोलने के सम्बन्ध में सरकार की नीति और नियम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या दिल्ली की अनेक मस्जिदों को इस सम्बन्ध में निर्धारित नियमानुसार आम जनता के लिये खोल दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो देश भर में जनता के लिए खोली गई ऐसी मस्जिदों की कुल संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का प्रयोग प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा शासित होता है। किसी भी स्मारक विशेषकर पूजा स्थल का प्रयोग उसके स्वरूप के विरुद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता।

(ख) जी, हां। इस वर्ष रमजान के महीने में दिल्ली की केन्द्र द्वारा उन संरक्षित मस्जिदों में जिनमें नमाज अदा नहीं की जाती है, नमाज अदा करने हेतु उनके प्रयोग की अनुमति दी गई है।

(ग) इस वर्ष रमजान के महीने के दौरान देश में उन मस्जिदों, जहां नमाज अदा करने की एक बार ढील दी गई है, की संख्या 115 है।

डिस्टिलरियों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ

7782. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिस्टिलरी उद्योग में अपशिष्ट पदार्थों के शोधन के लिए निर्धारित किये गये मानदण्डों का ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन के लिये क्या समय-सीमा नियत की गई है; और

(ख) क्या इन मानदण्डों को सभी राज्य सरकारों हेतु मार्गनिर्देश तथा उनके द्वारा की जाने वाली समुचित कार्यवाही के लिये इन राज्य सरकारों की जानकारी में लाया जायेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमजि राजतराय) : (क) और (ख) दिनांक 18 जनवरी, 1988 की गजट अधिसूचना सं० का० आ०-54 (ई) तथा 8 जनवरी, 1990 की गजट अधिसूचना सं० का० आ०-12 (ई) में यथा निर्दिष्ट मद्य-निर्माण उद्योगों के सम्बन्ध में बहिस्राव शोधन के लिये निर्धारित मानदण्डों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

पैरामीटर	बहिस्रावों में सान्द्रता एक मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये (पी०एच० तथा रंग और गंध को छोड़कर)
1	2
पी०एच०	5.5—9.0
रंग और गंध	रंग और दुर्गन्ध को हटाने के लिये यथा-संभव सभी प्रयास किये जाने चाहिए।
निलम्बित ठोस पदार्थ बी०ओ०डी० (20सी पर 5 दिन)	100
भूमि की सतह के जल में निपटान	30
भूमि पर निपटान	100
गौण शोधन प्रणाली के रूप में प्रयोग करते हुए भूमि पर निपटान	500

उद्योगों को 15 जुलाई, 1990 तक प्राथमिक शोधन सुविधायें लगाने की सलाह दी गई है। मामलों को राज्य-सरकारों के ध्यान में लाया गया है।

अखिल भारतीय सेवाओं में रोजगार पाने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

[हिन्दी]

7783. श्री रामजीलाल सुमन :

श्री नन्द कुमार साय : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्यवार ऐसे कुल कितने व्यक्तियों का पता लगाया गया है, जिन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में रोजगार प्राप्त किया है; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

अनुनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का राज्यवार ब्योरा

राज्य	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई			की गई कारंवाई
	भा०प्र०से०	भा०पु०से०	भा०वि०से०	
आंध्र प्रदेश	2	1	—	संबंधित व्यक्तियों द्वारा किये गये अनुसूचित जाति/अनु० सूचित जनजाति के दावे के सत्यापन की कारंवाई प्रारम्भ की गई है।
हरियाणा	—	1	—	मुकदमा चलाया गया है और मामला निर्णयाधीन है।
पश्चिम बंगाल	1	—	—	अधिकारी द्वारा किये गये अनुसूचित जाति के झूठे दावे के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 465 और 461 के अधीन अधिकारी को दोषी ठहराया गया था और उसे नोकरी से निकाल दिया गया था।

तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था

[अनुवाद]

7784. **श्री एम॰ अरुणाचलम** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु की अर्थ-व्यवस्था की स्थिति के संबंध में "मद्रास

इंस्टीट्यूट आफ डेवेलपमेंट स्टडीज" द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) तमिलनाडु सरकार ने इस अध्ययन के फलस्वरूप न कोई स्कीमें तैयार की हैं और न उसके निमित्त सहायता के लिए भारत सरकार से प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में प्रदूषण के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

7785. **श्री माधवराव सिंधिया** :

श्री दिलीप सिंह जू देव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य टिप्पणियां क्या हैं और उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस रिपोर्ट पर पर्यावरणीय सुरक्षा परिषद द्वारा दिल्ली के उप राज्यपाल की अध्यक्षता में चर्चा की गई और दिल्ली प्रशासन ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिये आयुक्त, उद्योग, आयुक्त (दिल्ली नगर निगम) और उपायुक्त (जल) की अध्यक्षता में अनुवर्ती कार्यवाही के लिए तीन उच्चाधिकार दल गठित किये हैं।

विवरण

दिल्ली में प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में मुख्य टीका-टिप्पणियों और सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. टीका-टिप्पणियां :

1. **आवास** : पांच अलग-अलग प्रकार के आवासीय क्षेत्र हैं, अर्थात् दिल्ली, नई दिल्ली, नई विकसित कालोनियां, औद्योगिक क्षेत्र और झुग्गी-झोपड़ियां।

2. **जल-आपूर्ति** : यद्यपि उपचार संयंत्रों में तैयार किए गए जल की गुणवत्ता अपेक्षित गुणवत्ता के अनुरूप है, लेकिन भंडारण और वितरण प्रणालियां अपर्याप्त और असुरक्षित हैं जिसके फलस्वरूप पानी गन्दा होता है।

3. **सीवरेज :** केवल 75% आबादी के लिए सीवरेज की सुविधा है तथा पैदा होने वाले मलजल का 40% खुले नालों में बह जाता है। सीवेज की मात्रा 835 मिलियन लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 1989 में 1386 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो गई। लेकिन शोधन सुविधा अपर्याप्त है।

4. **ठोस अपशिष्ट :** दिल्ली में प्रतिदिन 2400 मीटरी टन अपशिष्ट पैदा होता है। ठोस अपशिष्टों से पर्यावरणीय प्रदूषण संग्रहण केन्द्रों में गन्दगी होने, अपर्याप्त निष्कासन उपकरणों और पम्पिंग स्थानों में अनुपयुक्त निपटान के कारण होता है।

5. **गन्दी बस्तियां और अनधिकृत बस्तियां :** झुग्गी-झोपड़ी और अनधिकृत बस्तियों की आबादी 50 लाख है जिनके पास अपने निजी स्नानघर या शौचालय नहीं हैं। उन्हें कुछ सामुदायिक सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है या मलत्याग के लिए खुले स्थानों में जाते हैं। पुरानी दिल्ली के कई भागों में पुराने शौचालयों की मरम्मत न करने से पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धि हो रही है।

6. **औद्योगिक :** तंग, कम रोशनी, कम हवादार स्थान वाले तथा धूल, गैस, वाष्प और धुआं युक्त वातावरण वाले 60,000-70,000 छोटे उद्योग हैं। वैज्ञानिक सूचना की कमी, बाल मजदूरों के इस्तेमाल, नियामक नियंत्रण के अभाव तथा निम्न कोटि की हाउस कीपिंग से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

7. **परिवहन :** इस समय मोटर वाहनों में प्रतिमाह 15,000 की दर से वृद्धि हो रही है। दिल्ली में तथा दिल्ली से रेलवे पर चलने वाले डीजल लोकोमोटिव में वृद्धि हुई है तथा भाप के लोकोमोटिव में कमी हुई है। वायु ट्रैफिक में भी काफी वृद्धि हुई है। शहर में वायु प्रदूषण भार प्रतिदिन 620 मीटरी टन प्रदूषक होता है।

2. सिफारिशें :

1. **पेयजल आपूर्ति और मलजल :**

1.1. शहर में पेयजल आपूर्ति और मलजल प्रणाली के सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार करना।

1.2. कच्चे जल की अतिरिक्त आपूर्ति का प्रबन्ध करने तथा कच्चे जल के लिए मलजल बहिस्राव एक्सचेंज के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित की जाये।

1.3. दीर्घकालीन उपायों को बल देने के लिए भारत सरकार के शहरी विकास मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग को प्रस्ताव भेजे जायें।

1.4. झुग्गी-झोपड़ी/गन्दी बस्तियों और अनधिकृत कालोनियों के कार्य को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयुक्त (झुग्गी-झोपड़ी) द्वारा समन्वित किया जाए तथा कार्य योजनायें दिल्ली जल आपूर्ति और मलजल व्ययन उपक्रम तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा तैयार किये जायें जिसमें गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ली जाये। जल गुणवत्ता, कूड़ा-करकट, मलजल के उपयुक्त एकत्रीकरण तथा सफाई के लिए नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाए।

2. सफाई व्यवस्था और सफाई :

2.1 ठोस अपशिष्टों के प्रबन्ध और बरसाती नालों से सम्बन्धित कार्यों की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली के निगम आयुक्त के अधीन निदेशक एवं मुख्य इंजीनियर, सफाई विभाग की होनी चाहिए।

2.2 झुग्गी-झोपड़ी, गन्दी बस्तियों और अनधिकृत कालोनियों में ठोस अपशिष्टों के एकत्रीकरण और निपटान में सुधार के लिए स्वास्थ्य शिक्षा अभियान चलाये जायें।

2.3 नगर निगम आयुक्त को नियोजित उपायों की पूर्ण निहितार्थों का आकलन करना चाहिए तथा मामले को उपयुक्त मन्त्रालय के साथ उठाना चाहिए।

3. वायु प्रदूषण नियंत्रण :

3.1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण के नियंत्रण पर निगरानी करने और सलाह देने के लिए तकनीकी एजेंसी होनी चाहिए।

3.2 दिल्ली विद्युत आपूर्ति प्रदाय को सुनिश्चित करना चाहिए कि बिजलीघर वायु और भूमिगत जल को प्रदूषित करना जारी न रखें।

3.3 नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को किसी भी नई वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को स्थापित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सरकार, नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को उन उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर विचार करना चाहिए जो मौजूदा वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाया जाए।

3.4 मोटर वाहनों के उत्सर्जनों को नियंत्रित करने के संबंध में कानून लागू करने के लिए परिवहन प्राधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाए।

3.5 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो और पैट्रोलियम मंत्रालय को दिल्ली क्षेत्र को 0.3% या कम सल्फर मात्रा के डीजल ईंधन की आपूर्ति के लिए नियमों पर चर्चा करनी चाहिए।

3.6 रेलवे से अनुरोध किया जाए कि वह अपने स्टीम लोकोमोटिवों को विद्युत या डीजल से चलने वालों में परिवर्तित करें।

3.7 संबंधित मंत्रालयों को वाहन निर्माताओं के साथ 2 स्ट्रोक वाले इंजनों के स्थान पर 4 स्ट्रोक वाले इंजन बनाने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श करना चाहिए।

3.8 दिल्ली प्रशासन को व्यापक परिवहन प्रणाली के लिए विभिन्न विकल्पों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए।

निजाम से सम्बन्धित जवाहरात की वस्तुओं को पुरावशेष/बहुमूल्य कलाकृतियों के रूप में घोषित किया जाना

7786. श्री गंगाचरण लोधी : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरात की कम से कम 100 वर्ष पुरानी वस्तुओं को पुरावशेषों की श्रेणी में और

"ओबजेक्ट डी आर्ट" की उन वस्तुओं को जो 100 वर्ष पुरानी तो नहीं है परन्तु बहुमूल्य कलाकृतियां होने के कारण अपना अनूठा महत्व रखती है का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में पंजीकृत कराना उसी प्रकार अनिवार्य है जैसाकि ऐतिहासिक मूर्तियों और चित्रकलाओं आदि को पंजीकृत कराना अनिवार्य है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या पुपुल जयकर समिति ने दोनों निजाम ट्रस्टों से संबंधित जवाहरात की वस्तुओं की जांच की थी ताकि पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृतियां अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति के रूप में घोषित की जाने वाली वस्तुओं का पता लगाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन दोनों ट्रस्टों का प्रसिद्ध जैकब हीरा और जवाहरात की अन्य वस्तुओं को पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति के रूप में घोषित नहीं किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जवाहरात की वे वस्तुएं जो 100 वर्ष से अधिक की हैं, वे पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अनुसार पुरावशेष हैं किन्तु व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण उन्हें अनिवार्य पंजीकरण के अधीन नहीं लाया जाता। जवाहरात की वे वस्तुएं, जो 100 वर्ष से कम पुरानी हैं, उन्हें उक्त अधिनियम, 1972 में निर्धारित प्रावधानों को पूरा करने की शर्त पर उन्हें बहुमूल्य कलाकृतियां घोषित किये जाने की आवश्यकता है और बहुमूल्य कलाकृतियां पंजीकरण योग्य नहीं है क्योंकि वे सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होती है।

(ग) और (घ) पुपुल जयकर समिति ने महामहिम निजाम के जवाहरात न्यास की 37 जवाहरात वस्तुओं और महामहिम निजाम के पूरक जवाहरात न्यास की 84 वस्तुओं की जांच की है और क्रमश: 7 तथा 19 वस्तुओं को बहुमूल्य कलाकृतियां घोषित किये जाने की सिफारिश की है। उक्त समिति ने उपर्युक्त वस्तुओं की पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत पुरावशेषों की दृष्टि से जांच नहीं की है।

(ङ) और (च) जैकब हीरा पुरावशेष है अथवा अन्यथा होने के संबंध में निर्णय, निजाम के घराने के रिकार्डों से इसका पूरा इतिहास न मिलने के कारण नहीं किया जा सका; निजाम के जवाहरात न्यास की 28 वस्तुएं, जिन्हें गैर-पुरावस्तु घोषित किया गया, उनकी बहुमूल्य कलाकृतियों की दृष्टि से जांच करनी बाकी है, क्योंकि इन्हें न्यासियों द्वारा जांच के लिए विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 के किनारे वृक्ष लगाना

7787. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में पर्यावरणीय सन्तुलन में सुधार करने तथा इसके अनुरक्षण के लिए इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 के दोनों ओर पेड़ लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के दोनों ओर लगभग 3.1 लाख पौदों का वृक्षारोपण किया गया है। भावी कार्य धनराशि और भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार

7788. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों में वेतन तथा अन्य सेवा लाभों के संबंध में समय-समय पर पहले से सुधार हो चुका है। इस समय और अधिक सुधार करने के लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रक्षा मुख्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था में कथित त्रुटियां

7789. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रक्षा मुख्यालयों के सुरक्षा जोन में सुरक्षा व्यवस्था भंग होने के कितने मामले हुए;

(ख) सुरक्षा सम्बन्धी अनुदेशों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए कर्मचारियों का ब्योरा क्या है और वे किस श्रेणी के कर्मचारी है;

(ग) ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है और उनके मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) रक्षा सुरक्षा जोन में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा मुख्यालय के सुरक्षा जोन में सुरक्षा त्रुटियों के 162 मामले जानकारी में आए हैं। इनमें 26 मामले 1987 के हैं, 94 मामले 1988 के हैं और 42 मामले 1989 के हैं।

(ख) इन अवधियों की सुरक्षा रिपोर्टों के अनुसार इन त्रुटियों के मामलों में शामिल सैनिक और सिविलियन कार्मिकों का वर्षवार ब्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	सैनिक कार्मिक	सिविलियन
1987	15	11
1988	55	39
1989	22	20

(ग) सुरक्षा अनुदेशों की इन त्रुटियों/उल्लंघनों के बारे में सम्बन्धित कार्यालयों को आवश्यक उचित कार्रवाई के लिए तत्काल सूचित कर दिया गया।

(घ) रक्षा मुख्यालयों के सुरक्षा जोन में सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और हाल ही में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) सभी कर्मचारियों को आवधिक रूप से सुरक्षा अनुदेशों से अवगत कराया जाता है।

(2) रक्षा कर्मचारियों को सुरक्षा के बारे में जानकारी देने और उनमें सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए साप्ताहिक सुरक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(3) आवश्यकतानुसार आकस्मिक सुरक्षा जांच भी की जाती है।

(4) रक्षा मुख्यालयों के सुरक्षा जोन में प्रवेश पहले से ही प्रतिबन्धित है और उसे आवश्यकता के अनुसार और कड़ा कर दिया गया है।

दिल्ली के स्कूल

7790. श्री के० एस० राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलायें जा रहे स्कूलों का ब्योरा क्या है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन स्कूलों के लिए कुल कितने परिव्यय की मंजूरी दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) दिल्ली में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के ब्योरे और इन स्कूलों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमोदित कुल परिव्यय के ब्योरे नीचे दर्शाए गए हैं :

स्कूलों के ब्योरे		वित्तीय परिव्यय
(1) दिल्ली प्रशासन		
1. मिडिल स्कूल	227	36.75 करोड़ रुपए
2. माध्यमिक स्कूल	169	
3. सीनियर माध्यमिक स्कूल	532	
(2) दिल्ली नगर निगम		
1. प्राथमिक स्कूल	1626	99.38 करोड़ रुपए
2. नर्सरी कक्षाओं वाले स्कूल	775	
(3) नई दिल्ली नगर पालिका		
1. प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक स्कूल	68	10.00 करोड़ रुपए
2. मिडिल स्कूल	9	
3. माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूल	14	
4. नवयुग स्कूल	5	

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सर सुन्दरलाल अस्पताल के लिए उपकरण

[हिन्दी]

7791. श्री जगदीश सिंह कुशवाहा : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में स्थित सर सुन्दरलाल अस्पताल में "हार्ट-सर्जरी" के लिए नवीनतम मशीनरी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह मशीनरी कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सर सुन्दरलाल अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी के लिये उपस्कर की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आदिवासियों को संरक्षण

7792. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आदिवासियों को अपनी जीविका कमाने के लिए वनों का निःशुल्क उपयोग करने की अनुमति देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में निम्नलिखित शर्तें दी गई हैं :

1. लघु वन उत्पादों से वनों और वनों के आसपास रहने वाले आदिवासियों तथा अन्य समुदायों को जीविका प्राप्त होती है। रोजगार और आय के सृजन पर उचित ध्यान देते हुए ऐसे उत्पादों की सुरक्षा की जानी चाहिए, उनमें सुधार किया जाना चाहिए और उनके उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए।

2. नागरिकों को, खासतौर पर आदिवासियों सहित कमजोर वर्गों के लोगों को वृक्षों पर कतिपय मालिकाना अधिकार सौंपे जाने के मामले पर उपयुक्त विनियमों के अधीन विचार किया जा सकता है। लाभभोगी भोगाधिकार के पात्र होंगे और इसके बदले में वे वृक्षों की सुरक्षा और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

3. वनों से प्राप्त अधिकार मुख्यत: वनों में और वनों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों खास तौर पर आदिवासियों के वास्तविक उपयोग के लिए होने चाहिए

4. वनों में और वनों के आसपास रहने वाले आदिवासियों तथा अन्य गरीब लोगों का जीवन वनों पर निर्भर होता है। उनको प्राप्त अधिकारों और रियायतों की पूर्णत: सुरक्षा की जानी चाहिए। वन उत्पादों से सबसे पहले ईन्धन की लकड़ी, चारा, लघु वन उत्पाद और निर्माण कार्य हेतु इमारती लकड़ी की उनकी घरेलू जरूरतों को पूरा पूरा किया जाना चाहिए। घरेलू आवश्यकता की ये वस्तुएं और वैकल्पिक सामग्रियां

उनको ऐसे स्थानों पर स्थित डिपुओं के जरिए उचित दामों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए जहां वे आसानी से पहुंच सकें।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए औषधियों की खरीद और सैप्लाई

[अनुवाद]

7793. श्री मदन लाल खुराना :

श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 22-3-1990 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए गांवों में हैल्थ गाइडों/आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए औषधियों की खरीद और सप्लाई में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : (क) और (ख) दवाई किटों की खरीद और सप्लाई में हुई अनियमितताओं के बारे इस विभाग को 22-3-1990 के नवभारत टाइम्स में छपी खबर का पता चला है। इन किटों की खरीद और सप्लाई सरकारी क्षेत्र की उन औषध निर्माता दवाई विक्रेता कम्पनियों से निविदाएं आमन्त्रित किए जाने के बाद भारत सरकार द्वारा तयशुदा संविदा दरों के अनुसार की जाती है जो कम्पनियां रसायन और पैट्रो रसायन विभाग के निर्देशों/अनुदेशों के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के संरक्षण के लिए स्वास्थ्य निविष्टियों की व्यवस्था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा की जाती है :

—प्रसूति पूर्व-उपरान्त जच्चा-बच्चा और बच्चों की देखभाल प्रशिक्षित दाईयां करती हैं।

—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने मैदानी क्षेत्रों में 5000 की आबादी पर और दुर्गम तथा जनजातीय क्षेत्रों में 3000 की आबादी पर एक-एक उप केन्द्र स्थापित किया है। उप केन्द्रों का संचालन एक प्रशिक्षित ए० एन० एम० (दाई) द्वारा किया जाता है जो बच्चों की देखभाल करती है और बच्चों को रोग-निरोधक टीके भी लगाती है।

— 30,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था होती है जो एक अर्हता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य अर्द्ध-चिकित्सा नर्सिंग स्टाफ चलाया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनमें सभी बच्चे भी शामिल होते है, व्यापक चिकित्सा देख-भाल उपलब्ध करायी जाती है।

—ब्लॉक स्तर पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होता है जो बच्चों समेत ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट और सन्दर्भ सेवाएं उपलब्ध कराता है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि अब बुलाया जाता जाता है। श्री दिनेश सिंह।

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने तमिलनाडु में पैदा हो रही चौंकाने वाली स्थिति के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। इसमें उल्लेख किया गया है कि सीमा शुल्क अधिकारी, आप्रवासी अधिकारी सभी असहाय हो गए हैं क्योंकि एल० टी० टी० ई० ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा एल० टी० टी० ई० के द्वारा मछली पकड़ने के लिए जाने वाले मछुआरों के लिए वहां सामान्य स्थिति को जटिल बनाया जा रहा है। तमिलनाडु में बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें इस सप्ताह नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करने की अनुमति दीजिए। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : हम चाहते हैं कि नियम 193 के अधीन चर्चा की जाए। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। यह केवल तटीय क्षेत्रों का मामला नहीं है। वे अब भीतरी प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। वे सामान्य कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं और नियन्त्रण कर रहे। अब तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है और वहां भी शीघ्र ही पंजाब जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमने यहां इस पर कोई चर्चा नहीं की और सरकार द्वारा इस पर कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया। हमने देखा कि वे सेना के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, वे सेना को हर प्रकार की गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने नर-संहार किया है। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल श्री कालकट ने उनके व्यवहार की आलोचना करते हुए खुले आम वक्तव्य दिया है जोकि सरकार का एक हिस्सा है। वह खुले आम सेना की आलोचना कर रहा है और इसके बारे में कोई खण्डन नहीं किया गया है। हम नियम 193 के अधीन चर्चा करना चाहते हैं। क्या मैं आपकी प्रतिक्रिया जान सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नियम 193 के अधीन चर्चा करना चाहते हैं, तो हम इस पर कार्य मन्त्रणा समिति में चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर कार्य मन्त्रणा समिति में चर्चा की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : तीन दिन पहले मैं तमिलनाडु में था...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैंने इस पर श्री दिनेश सिंह को अनुमति दी है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको रोक नहीं रहा।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : तमिलनाडु के लोगों के मन में यह विचार है और वे इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि मुख्य मन्त्री एल० टी० टी० ई० का समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमन्त्री के नाम का उल्लेख न कीजिए। कृपया श्री दिनेश सिंह से होड़ कीजिए आप मुख्य मन्त्री का नाम बीच में क्यों लाते हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं। मुख्य मन्त्री की यह बात कार्यवाही वृत्तांत में गई है जिसमें कहा गया है कि भारतीय शांति सेना द्वारा नर-संहार किया गया है। (व्यवधान) वह एल० टी० टी० ई० का समर्थन कर रहा है। वह न केवल श्रीलंका में आए शरणार्थियों को जो उड़ीसा के केन्द्रों में हैं उन्हें सहायता हो नहीं दे रहे हैं वह उनकी सहायता करने को तैयार नहीं हैं लेकिन इसके विपरीत वह एल० टी० टी० ई० की सहायता करने को तैयार हैं मैं मुख्य मंत्री के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाता हूं कि वह राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमन्त्री को इसके बारे में वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री के वक्तव्य की भर्त्सना करने के बारे में कल इस सदन ने सर्वसम्मति हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। हमने भारतीय सेना की भूमिका की प्रशंसा की है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आज तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री द्वारा वक्तव्य दिया गया है कि प्रधान मन्त्री ने उनके वक्तव्य की आलोचना नहीं की है। अतः हम प्रधानमन्त्री से स्पष्टीकरण चाहते हैं क्योंकि यह सामूहिक उत्तरदायित्व है। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, हम यह मानते हैं कि आप अपनी मधुर मुस्कान से यह चाहते हैं कि यह उल्लेख भी किसी अन्य उल्लेख की तरह हो बन जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बात की अनुमति नहीं दी है। मैंने आपको अनुमति दी है क्योंकि आप तमिलनाडु से है।

श्री पी० चिदम्बरम : यह मामला इतना गम्भीर है कि इसमें कोई देरी अथवा उदासीनता सहन नहीं की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते है कि मैंने श्री कुमारमंगलम को बताया है कि आप कृपया इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति में उठाएं।

श्री पी० चिदम्बरम : एल० टी० टी० ई० ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मण्डपम से वेदारानयम तक 120 किलोमीटर तक रास्ता बनाया और नौकाओं पर सवार हुए तथा श्रीलंका भाग गए। जब हमारे मछुआरों ने अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमा को पार किया तो एल० टी० टी० ई० ने उनको गिरफ्तार कर लिया और मुख्य मंत्री कहते हैं कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय जलसीमा को पार किया है और इसीलिए एल० टी० टी० ई० उनको गिरफ्तार करेगी। एल० टी० टी० के लोग बिना वीजा, बिना आप्रवासन औपचारिताओं के भारतीय किनारों पर आ रहे हैं। सीमा शुल्क और आप्रवासन अधिकारी पूरी तरह से असहाय हैं। उनका सम्पूर्ण पूर्वी तट पर कब्जा है। हथियारों के गुप्त भण्डार पकड़े गए हैं, हथियारों के भण्डारों को पता लगा है। वे अब अन्दरूनी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। वे अब तमिलनाडु के अन्दरूनी भागों में बढ़ रहे हैं और हमें ऐसे समाचार मिले हैं कि आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादी एल० टी० टी० ई० से ए० के०-47 राइफलें खरीद रहे हैं। तमिलनाडु सरकार क्या कर रही है ?

तमिलनाडु सरकार ने गत कुछ दिनों में ई० पी० आर० एल० एफ० से सम्बन्धित 650 लोगों को गिरफ्तार किया था। यह मामला इतना गम्भीर है कि इसमें और देरी बरदाश्त नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया यह निर्णय करें, अब संसदीय कार्य मन्त्री भी यहां हैं, कि हम नियम 193 के अधीन इस पर आज ही चर्चा करेंगे।

गत लोक सभा में जब इस प्रकार के मामले उठते थे तो विपक्ष स्वयं संसद के कार्य को यह कहकर रोक लेता था कि हमें इस पर आज ही चर्चा करनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम इसे सही तरीके से उठाकर आपके निर्णय का पालन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक बहुत ही गम्भीर विषय को उठा रहे हैं। मैं इसकी गम्भीरता को कम नहीं करता।

श्री पी० चिदम्बरम : लेफ्टि० जनरल कालकर ने सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री को लिखा है, जिससे उन्होंने यह व्यक्त··· (व्यवधान)

यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चिदम्बरम कृपया अध्यक्ष को सम्बोधित कीजिए।

श्री पी० चिदम्बरम : लेफ्टि० जनरल कालकर ने कथित नरसंहार के बारे में मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर अपनी गम्भीर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा है। मुख्य मन्त्री कहते हैं कि प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रीय मोर्चा के सहयोगी दलों में से एक के व्यवहार पर अप्रसन्नता व्यक्त नहीं की है। इन सभी मामलों पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए। इस पर चर्चा की जानी चाहिये। आप हमें यह आश्वासन दीजिए कि हम इस सप्ताह इस विषय पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : महोदय, आपको याद होगा कि मैंने इस मामले को शुक्रवार को उठाया था और अनुरोध किया था कि प्रधानमन्त्री को वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष का ख्याल रखता हूं आपका भी रखता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसन्त साठे : मैंने यह भी अनुरोध किया था कि माननीय संसदीय मन्त्री को नर-संहार के आरोप के बारे में हमारी भावना से माननीय प्रधानमन्त्री को अवगत करा देना चाहिए तथा माननीय प्रधानमन्त्री को सभा में वक्तव्य देना चाहिए ताकि हमारे सेना के लोग इस तरह के वक्तव्यों में हतोत्साहित न हों। हमारे पास जनरल कालकर द्वारा भेजा गया पत्र है, जो कि श्रीलंका में सम्पूर्ण कार्यवाही का प्रभारी था। यह मामला बहुत ही गम्भीर है प्रधानमंत्री की ओर से आज तक ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया जिसमें सेना के विरुद्ध नर-संहार के आरोप की आलोचना की गई हो इस मामले को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। यह दलगत मामला नहीं है और इस पर पूरी तरह चर्चा की जानी चाहिए। मैं इस बात पर सहमत होऊंगा यदि आप कहते हैं कि इस सप्ताह के अन्दर, आप कार्य मंत्रणा समिति में परामर्श करने के बाद, नियम 193 के अधीन चर्चा कराने के लिए तारीख निश्चित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही कह चुका हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, इसी सप्ताह के दौरान ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता चुका हूं। आप कार्य मंत्रणा समिति में हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान पाकिस्तान में गुरुद्वारों की जमीन पर जो कब्जा हो रहा है और उसको बांटा जा रहा है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। यह बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान में गुरु नानक के जन्म स्थान से पचास गांव जुड़े हुए थे उन पचास गांवों की जमीन को वहां पर काश्तकारों के नाम से बांट दिया है। ऐसे ही शहीद गंज गुरुद्वारा जो लाहौर में है और जिसका ऐतिहासिक महत्व है जहां हजारों लोगों ने बलिदान दिया था वहां पर उसकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। पंजा साहब गुरुद्वारा की जमीन पर भी कब्जा हुआ है और गुरुद्वारा सच्चा सौदा पर एक बड़ा भारी मकान बनाकर उसके आंगन में जानवर रखे जा रहे हैं। बाल लीला नानक और मलजी साहब गुरुद्वारों पर भी कब्जा कर लिया गया है। पाकिस्तान में चाहे हिन्दुओं के मन्दिर हों या सिखों के गुरुद्वारे हों उनकी जमीन पर कब्जा करके काश्त की जा रही है। और उनकी कोई मरम्मत नहीं हो रही है। ऐसी हालत में पाकिस्तान दिखाने के लिए तो सिख आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है और दूसरी तरफ सिखों के गुरुद्वारों का अपमान भी कर रहा है और कब्जा कर रहा है उनकी जमीन पर। विदेश मंत्री गुजराल साहब पाकिस्तान से इस बारे में बातचीत करें और पाकिस्तान में मन्दिरों और गुरुद्वारों की जमीन छुड़वायें तथा उनकी धार्मिक अस्मिता को कायम रहने दें। वहां जो जानवर रखे जा रहे हैं तथा उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है उन्हें समाप्त कराया जाए धार्मिक स्थानों के सम्बन्ध में गुजराल साहब स्टेटमेंट दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी। यह आपका और इनका परिपूरक सवाल हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, जम्मू और कश्मीर की राजधानी जिसे दरबार के नाम से जाना जाता है, को आज श्रीनगर घाटी में स्थानान्तरित किया जा रहा है। हम इस महत्वपूर्ण कदम की पूर्ण सफलता की कामना करते हैं जो कश्मीर में स्थिति को सामान्य बनाने में सहायक होगा।

परन्तु महोदय आप अच्छी तरह से यह जानते है कि इस सदन में कुछ दिन पहले यह मसला उठाया गया था। कि कश्मीर में स्थिति को और खराब करने के लिए कुछ बाहरी ताकतें अत्यन्त क्रियाशील हैं। मेरे पास गुलबदन हिकमतयार, अमीर हिजबे इस्लाम, अफगानिस्तान द्वारा हिजबे-इस्लामी-ए-अफगानिस्तान के मुखिया को, जो कि अब ईरान में हैं, 24 मार्च, 1990 को जारी पत्र है। इस पत्र में लेखक ने अफगानिस्तान की नैतिक और सामान आदि से सहायता के लिए पाकिस्तान की प्रशंसा की है। अब उन्हें पाकिस्तान की सेवाओं के बदले में उसकी सहायता करनी चाहिए। आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले सभी अफगान प्रवासियों और यहां तक कि ईरानियों को भी कश्मीर को उपनिवेशवादियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए जम्मू-कश्मीर के उग्रवादियों को मजबूत बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह केवल पाकिस्तान का ही कार्य नहीं है बल्कि इसमें इस जेहाद के समय सभी मुजाहिदीन की सेवाओं की आवश्यकता है। इस प्रकार सभी मुजाहिदीनों के लिए कुछ अल्पकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है।

अब जो हम कह रहे हैं—मुझे विश्वास है कि सरकार को भी इसकी जानकारी है कि यहां अवांछित तत्वों द्वारा सांठ गांठ की गई है, जो जम्मू और कश्मीर में सहायता देकर स्थिति को खराब

करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ही लोग वास्तव में अफगानिस्तान में भी स्थिति को अस्थिर कर रहे हैं।

मैं सरकार से इस बारे में विवरण चाहता हूं कि क्या इन्होंने अफगान सरकार से सम्पर्क किया है या नहीं। मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार यह देखे कि भविष्य में वहां संचालन किस प्रकार होगा ताकि ये लोग हमारे देश में उपद्रव की स्थिति पैदा न कर सकें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : भारतीय रेल का लोको स्टाफ आज धरना दे रहा है। वे लगभग 1000 लोको स्टाफ के उन कर्मचारियों की बहाली की मांग कर रहे हैं, जिन्हें 1981 में एक हड़ताल मे भाग लेने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। यह हड़ताल उन पर लादी गई थी। वर्ष 1973 में अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ के साथ समझौता हुआ था। समझौता इस स्टाफ के काम के 20 या 18 घण्टों को घटाकर 10 घण्टे करने का था। वर्ष 1973 में एक समझौता हुआ था और इसी सदन मे तत्कालीन रेल मन्त्री श्री ललित नारायण मिश्र ने वक्तव्य दिया था। परन्तु उस समझौते को लागू नहीं किया गया। उन्हें आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। परन्तु जब यह समझौता लागू नहीं किया गया तो वे हड़ताल पर चले गए। तब उन पर आक्षेप किया गया और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।

हम मांग करते हैं कि जनवरी, 1981 में बर्खास्त किए गए लोको स्टाफ को बहाल किया जाना चाहिए। उन्हें पुनः सेवा में लिया जाना चाहिए।

केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण कलकत्ता ने भी उनके पक्ष में निर्णय दिया है। उस निर्णय के बावजूद उन्हें पुनः सेवा में नहीं लिया गया।

मैं मांग करता हूं कि सभी बर्खास्त लोको-स्टाफ कर्मचारियों को बिना किसी देरी के सेवा में वापस लिया जाए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने ध्यानाकर्षण और शून्य काल के लिए सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : नहीं महोदय, अयोध्या में राम मन्दिर के शिलान्यास को लेकर देश में साम्प्रदायिक तनाव व्याप्त है। अब हम सरकार से ताजा स्थिति की जानकारी चाहते हैं। क्या सरकार ने वहां किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी उपाय कर लिए हैं ? सरकार को सदन में वक्तव्य देना चाहिए। सारा राष्ट्र इसके लिए चिन्तित है। मेरा विचार है कि केन्द्रीय सरकार इस मसले पर कुछ नहीं कर रही है यदि वह इसके लिए गम्भीर हैं, तो जब उस क्षेत्र में शिलान्यास का प्रयास किया जा रहा है तो सरकार को सदन में वक्तव्य देना चाहिए। गृह मन्त्री आज वक्तव्य दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही श्री लोकनाथ चौधरी को बुला चुका हूं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, यह पता चला है कि प्रधानमन्त्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा है कि केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विदेशी शक्तियां यहां कुछ लोगों को भड़का कर देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर रही हैं। इस मामले में जब प्रधान

मन्त्री ऐसा अनुभव करते हैं तो इस सदन को उन लोगों के बारे में जानने का अधिकार है। यह बताया जाता है कि हर ओर से हर स्थान पर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने प्रयास हो रहे हैं। इस स्थिति में सदन को इस मसले पर विचार करना चाहिए और उन शक्तियों को पहचनना चाहिए जिन्हें प्रधानमंत्री ने देश में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के लिए विदेशी शक्तियों बहकावे में आने वाला बताया है। इन शक्तियों को सदन की जानकारी में लाया जाना चाहिए। साम्प्रदायिक शक्तियों को धर्म निरपेक्ष शक्तियों से अलग-थलग करना चाहिए। देश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह केवल प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण सदन का भी उत्तरदायित्व है। विदेशी शक्तियां हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं। इनको अलग-थलग किया जाना चाहिए जैसे कि वे सारे देश में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने में विदेशी शक्तियों की सहायता कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री चित्त बसु बोलें।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं भूटान में कुछ अप्रिय राजनीतिक घटनाक्रम पर सरकार और सदन ध्यान आकर्षित करने के लिए उठा हूं भूटान हमारा पड़ोसी मित्र देश है जिस पर भारत के व्यापार और सुरक्षा हितों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पहली घटना इस प्रकार है। शाही सरकार द्वारा एक आदेश 'ड्रिगटाम नामक्ष' नाम से लागू किया गया है। इसके अनुसार सभी भूटान वासियों ओर गैर भूटानवासियों से एक परिधान पुरुषों के लिए 'ताऊ' और महिलाओं के लिए 'काऊ' पहनना अपेक्षित हैं। यह उनकी पारम्परिक वेशभूषा है और इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु इस आदेश द्वारा शाही सरकार अन्य गैर-भूटान वासियों को भी यह वेशभूषा पहनने के लिए बाध्य कर रही है। वहां कार्य करने वाले कुछ भारतीय अधिकारी भी हैं। इस आदेश के परिणामस्वरूप इनमें से कईयों ने भूटान छोड़ दिया है। दूसरे शाही सरकार ने भारतीयों के व्यापार लाइसेन्सों का नवीकरण उनके उत्तराधिकारियों के लिए न करने का आदेश जारी किया है। इनसे भूटान में रह रहे गैर-भूटान वासियों में बहुत क्षोभ है। भूटान मे अन्य सुरक्षा हित भी संलिप्त हैं। भारत और भूटान के 1949 के समझौते के अन्तर्गत विदेशी मामलों में भूटान की शाही सरकार भारत की सलाह के अनुसार चलेगी। परन्तु कहा जाता है कि भूटान ने भूटान और चीन में सीमा विषय पर चीन के साथ छः दौर की वार्ताएं पहले ही कर ली हैं और सातवें दौर की वार्ता अभी होने वाली है, दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भूटान ने कुछ ऐसा रूख अपनाया है जो भारत सरकार द्वारा अपनाई नीति के अनुकूल नहीं है। मैं दो उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। भूटान परमाणु निरस्त्रीकरण सन्धि का हस्ताक्षरकर्ता है और इसने दक्षिण एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग का समर्थन किया है। यह भी भारत सरकार द्वारा अपनाए गए रूख से भिन्न है। जैसा कि बताया गया है कि भारत सरकार से पूर्व सलाह के बिना भूटान ने यह रूख अपनाया है। महोदय मैं चाहता हूं कि भूटान के साथ अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों के लिए और भूटान के लोगों से मन्त्री बढ़ाने के हित मे भारत सरकार को पहल करनी चाहिए और दोनों देशों के बीच इस प्रकार के मतभेदों को दूर करना चाहिए।

नेपाल की तरह भूटान में भी आज लोकतंत्र समर्थक आंदोलन प्रारम्भ हो चुका है और भूटान लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को दबाने के सभी सम्भव उपाय कर रहा है। भारत के लोगों ने नेपाल में लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलन का समर्थन किया था और यह इसी नीति के अनुरूप होगा यदि हम भूटान के लोकतंत्र समर्थक आन्दोलन को भी अपना समर्थन दें।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने पिछले सप्ताह

सदन में आश्वासन दिया था कि प्रधानमन्त्री के संसदीय चुनाव क्षेत्र फतेहपुर में एक हरिजन महिला को जिन्दा जलाये जाने के मामले में की गई कार्यवाही के बारे में पूरा ब्यौरा सदन को देंगे। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि इतने महत्वपूर्ण मसले पर गृह मंत्री ने सदन में अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

इसके बाद सूचना मिली है कि दुबारा फतेहपुर क्षेत्र के काशीपुर में फिर एक हरिजन महिला को जीवित जलाये जाने की घटना हुई है। जहां कोई मुन्नु सिंह 5 मई को 24 वर्ष की एक हरिजन महिला को जीवित जलाये जाने के लिए दोषी हैं दुर्भाग्यवश यह घटना भी प्रधानमन्त्री के चुनाव क्षेत्र में हुई है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि इसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सुरक्षा गार्ड भी दिया हुआ है और पुलिस, सुरक्षा गार्ड की आड में यह व्यक्ति हरिजनों पर अत्याचार कर रहा है।

ऐसी घटनायें बार-बार हो रही है और मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि सरकार इन अत्याचारों की अनदेखी कर रही है। गृह मंत्री को कहा जाना चाहिए कि वह सदन को यह बताएं कि वह इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रहें हैं। वास्तव में प्रधानमन्त्री को ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये घटनायें उनके निर्वाचन क्षेत्र में हुई हैं लेकिन यह देखकर अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री और गृहमन्त्री से आग्रह करूंगा कि वह सदन को बताएं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री छविराम अर्गल।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार की ओर से इस संबंध में कुछ आश्वासन दिया जाना चाहिए··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री छविराम अर्गल को पुकारा था। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिनांक 6-5-90 को ग्वालियर से 50 किलोमीटर दूर सियारातान, बेलाताल और डबरा स्टेशन के पास, झांसी और ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बीच में घातखेड़ी गांव के लोग फसल काटकर ट्रक में लौट रहे थे। मालवा एक्सप्रेस और ट्रक भिड़न्त की दुर्घटना में 12 लोगों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और 14 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये। रेलवे के प्रशासन अधिकारी, ग्वालियर और झांसी के जिला प्रशासन अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। वहां पर लोग तड़प-तड़प कर मर गये. घायलों की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई है और जिला प्रशासन द्वारा कोई तत्परता नहीं दिखाई गई है। रेल मंत्री को घटनास्थल पर जाना चाहिये। मृतकों में हरि, दयाल, गुमान, घनश्याम, प्रभु, भोगरा आदि है जिनमें ड्राईवर और कंडक्टर भी शामिल हैं। कुछ लोगों के नामों का पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से मांग करूंगा कि मृतकों को एक लाख और घायलों को 5 हजार रुपये की सहायता दी जाये। अगर बिहार में रेल दुर्घटना में कोई मरता है, तो वहां पर एक लाख और कभी-कभी 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है जबकि देश के अन्य भागों में दुर्घटना होने पर इतनी सहायता नहीं दी जाती है। मेरी शासन से मांग है कि सारे देश में चाहे कहीं भी दुर्घटना हो, एक समान रूप से सहायता की राशि दी जानी चाहिये और जहां पर भी ऐसी दुर्घटना हो वहां रेल

मन्त्री को स्वयं जाना चाहिये तथा ऐसी व्यवस्था करें जिससे रेलवे क्रॉसिंग पर सतर्कता बरती जाये और दुर्घटनाएं न घटें।

श्री जोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बहुत बड़े भू-भाग में भयंकर अकाल व्याप्त है। इस समय गर्मी के कारण, पानी के अभाव में, राजस्थान से लाखों लोग और पशु धन पानी और काम की तलाश में मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा को पलायन कर रहे हैं। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की सरकार ने अभी कहीं भी कोई राहत का काम शुरू नहीं किया है। वहां पर खारा पानी है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वक्त राजस्थान में भयंकर गरमी पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से कहना चाहूंगा कि जब आपकी टोली वहां पर अकाल का जायजा लेने गयी और उसके आधार पर जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार ने अकाल मान लिया कि वहां पर भयंकर अकाल है, तो उन परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए अगर इस मई और जून में राज्य सरकार ने राहत के काम शुरू नहीं किये, तो फिर कब शुरू करेगी। लोग अपनी खेती कैसे करेंगे। जुलाई और अगस्त में बारिश शुरू हो जायेगी। यह लाखों आदमियों का सवाल है, एक आदमी का सवाल नहीं है। पशु-धन का सवाल है। गायें प्यास से, बिना पानी के मर रही हैं। दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह के ग्रुप में गायें मर रही हैं। आदमी तो अपने पीने के लिए फिर भी कहीं न कहीं से पानी ले आता है, लेकिन गायें कहां से पानी पियें? ऐसी स्थिति में एक माननीय सदस्य यहां पर परसों गोवध पर रोक लगाने की बात कर रहे थे उनसे अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में हजारों गायें पानी की प्यास के कारण मर रही हैं, झुंड के झुंड गायों के पानी की प्यास के कारण मर रहे हैं, और मेरे मित्र यहां पर गोवध के नारे पर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। किसी को गायों की कोई चिन्ता नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, पिछले कुछ वर्षों में "रा" की गतिविधियां काफी संदेहजनक रही हैं। असम के बोडो आंदोलन के बारे में नक्सलवादियों द्वारा 6 आई० ए० एम० अधिकारियों का अपहरण किया गया था, श्रीलंका की गड़बड़ियों के बारे में और पूर्वोत्तर राज्यों में गड़बड़ियों के बारे में वहां के मुख्यमंत्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इनके पीछे रा का हाथ है। गोरखा मोर्चे के तत्कालीन अध्यक्ष सरोज मुखर्जी ने गोरखालैंड में रा का हाथ बताया था, लेकिन कश्मीर में आतंकवादियों के मास्टर प्लान की खबर रा को अखबारों से मालूम पड़ी थी। प्राइम मिनिस्टर जी के बेटे के नाम पर जाली सॅटकिट्स के खाते की चर्चा रा की कृपा से हुई थी। इस प्रकार से जो रा की इमेज बनी हुई है, वह पिछली सरकार का, इस रा ने सरकारी एजेंट के रूप में कार्य किया।

अध्यक्ष महोदय : पाइंट पर आइये खुराना जी, पाइंट क्या है?

श्री मदन लाल खुराना : मेरा पाइंट यह है कि हमारी आशा यह थी कि नई सरकार के आते ही इस रा की जो इमेज होनी चाहिये थी वह एक इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। इसलिये मेरा निवेदन है और मैं मांग करना चाहता हूं कि इस इमेज को सुधारने के लिए सरकार रा के बारे में एक व्हाइट पेपर जारी करे क्योंकि मेरे पास अनेक स्टेटमेंट हैं। दूसरे इसको रि-आर्गेनाइज किया जाये। सबसे बड़ी बात यह है कि 31 तारीख को रा के सैक्रेटरी को एक्सटेंशन मिलने जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : नहीं हो रहा है।···(व्यवधान)···

श्री मदन लाल खुराना : नहीं हो रहा है, तो फिर इसको रि-आर्गेनाइज किया जाये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : देश में मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार पर कोई रोक नहीं है। बड़ी संख्या में आतंकवादी और भूमिगत गुट देश में हिंसा का वातावरण पैदा कर रहे हैं या मादक द्रव्यों के धंधे में लगे हुए हैं।

आपने स्वयं इस गम्भीर समस्या पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। इसलिए अब सरकार ने आतंकवादियों और भूमिगत गुटों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ रखा है उसे इस समस्या की ओर भी गौर करना चाहिये। सरकार को इस दिशा में गम्भीर प्रयास करने चाहिये। मेरा सुझाव है कि इस मुद्दे पर चर्चा भी की जानी चाहिये।

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली शहर में दरियागंज के निकट एक जगह है कूचा चेलान जहां मादक द्रव्यों का एक माफिया कार्य कर रहा है। अधिकारियों को इस बात की जानकारी है। इस माफिया का मुखिया···**···नाम का व्यक्ति है। उनका नाम कुछ रोचक है, लेकिन यही उनका नाम है। पुलिस को उसका परिचय मालूम है। वे जानते हैं कि वह कौन है। किन्तु न तो इन लोगों का और न ही उस 'ड्रग माफिया' का कुछ किया जाता है जो इन गतिविधियों में लिप्त है। इसका कारण यह है कि इस माफिया को···**···का संरक्षण प्राप्त है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप किसी का नाम मत लीजिये क्योंकि वह अपना बचाव करने के लिये यहां उपस्थित नहीं होगा। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

जो हाउस के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम रिकार्ड में नहीं जायेगा।

[अनुवाद]

वह अपने बचाव हेतु यहां उपस्थित नहीं हैं। उसका नाम सदन की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : ठीक है। उस क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा डाले जा रहे राजनैतिक दबाव के कारण यह सरकार इस पर कार्यवाही करने से इन्कार कर रही है। इस सन्दर्भ में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें इस तथ्य को भली-भांति समझ लेना है कि यह देश के लिये गम्भीर खतरा बनता जा रहा है। धर्म इस देश में सबसे विशाल उद्योग बनता जा रहा है क्योंकि कुछ धार्मिक नेताओं ने धर्म का उपयोग अत्यधिक मात्रा में धन एकत्र करने के लिए करना शुरू कर दिया है जिनकी प्राप्ति या तो आपराधिक जगत के जरिये होती है···

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभी धर्म।

श्री एम० जे० अकबर : वे या तो आपराधिक जगत की मार्फत धन एकत्र कर रहे हैं अथवा कुछ हेतुओं के साथ जुड़े होने के कारण···

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

ये मजहब के सौदागर हो गये हैं। मजहब के नाम से हिन्दुस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। रॉयट और काम्युनल माहौल पैदा कर रहे हैं। चाहे जिस मजहब के हों और चाहें जहां के भी हों : आज यह सरकार कदम नहीं उठा रही है। मैं दु:ख के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोग इसमें मिल्टी हैं, कोई आवाज नहीं उठाता है। इसलिये आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि हम सब ने आवाज गिरवी रख दी है कि हमारे पास कुछ इधर का वोट आयेगा और कुछ उधर का वोट आयेगा। कौन सवाल उठाये, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह उनकी दूसरों से तुलना कैसे कर सकते हैं? उन्हें अपनी बात ही कहनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वह अपनी ही बात कह रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, इस मुद्दे पर भी, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार के आरोप अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य की उपयुक्त जांच होनी चाहिये। धर्म का उपयोग 'ड्रग माफिया' के संरक्षण हेतु नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इसकी जांच करवायी जानी चाहिये। (व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : किन्तु मैं सरकार से पूछना चाहूंगा —एक ओर साम्प्रदायिक शक्तियों या 'ड्रग माफिया' के विरुद्ध और दूसरी ओर विश्व हिन्दू परिषद, जो किसी खास निमित्त के नाम पर कई सौ करोड़ रुपये इकट्ठा करके उस धन का उपयोग नगर-नगर तथा जगह-जगह पर साम्प्रदायिक दंगे कराने मे करती है, इन दोनों शक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार की असमर्थता···

[हिन्दी]

यह सरकार और इस सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री···*···के खिलाफ नहीं जायेगी। इनकम टैक्स का···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो नाम लिया गया है, वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : कोई इनकम टैक्स आफिसर उनके खिलाफ कार्यवाही करेगा, तो 24 घण्टे के अन्दर उसका ट्रांसफर हो जायेगा।

[अनुवाद]

सरकार दूसरे सदन समेत देश के सर्वोच्च पदों पर मनोनयन के मामले में साम्प्रदायिक शक्तियों से निर्देश ग्रहण करके उनका तुष्टिकरण कर रही है। यह सरकार ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों में भी इन साम्प्रदायिक शक्तियों की राय लेती है। वे ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें शान्ति नहीं रह सकती है। (व्यवधान) मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि शून्य काल के दौरान···

अध्यक्ष महोदय : शून्य-काल जैसी कोई चीज नहीं होती है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एम० जे० अकबर : ···जब हम या अन्य कोई मुद्दों को उठाता है, तो यह सरकार बिल्कुल भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। नाम को भी कार्यवाही नहीं करती। हमारे द्वारा मुद्दे उठाये जाने पर आप इस सरकार की निष्क्रियता से हमें कैसे बचायेंगे?

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने परम मित्र श्री वी०पी० सिंह के साथ चुनार गया था। चुनार उत्तर प्रदेश में वह जगह है, जहां जगतगुरु शंकराचार्य को गिरफ्तार करके इस सरकार ने रखा है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने रखा है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उनसे मेरी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद जो उनसे जानकारी मिली है, वह किसी को पता नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य का अपमान हुआ है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से डकैतों को घेर करके गिरफ्तार किया जाता है, पन्द्रह ट्रकों में आकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एस० पी० ने एक कांस्टेबिल भेजा, वह जगतगुरु शंकराचार्य को बोलता है कि आप को एस० पी० साहब बुलाते हैं। इस देश के इतने बड़े जगतगुरु शंकराचार्य का इतना अपमान··· (व्यवधान)···यदि सत्य आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं क्या करूं। सच तो सुनो—चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है···(व्यवधान)···जो बातचीत हुई है···(व्यवधान)···शंकराचार्य का इतना बड़ा अपमान आज तक नहीं हुआ है। ये जनसंघ वाले जो धर्म के ठेकेदार की बात करते हैं, उनके लिए···(व्यवधान) सबसे बड़ी महत्व की बात जो उन्होंने बताई, इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बयान में जो जगतगुरु शंकराचार्य के मुंह में शब्द डाले, वह बयान जगतगुरु शंकराचार्य ने कभी नहीं दिया···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सुप्रीम कोर्ट का सरकार की तरफ से गलत बयान दिया गया। उन्होंने कोई काम्यूनल बात नहीं की। मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मैं उनसे बातचीत करके आया हूं। इतना बड़ा अपमान···(व्यवधान)···उनके ऊपर जुल्म किया गया है। वहां बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी···(व्यवधान)···किले में जहां पर डकैत रहते हैं, उसी तरह जेल बना कर उनको रखा गया है। एक धर्म के रक्षक और भारत की संस्कृति के रक्षक का इतना बड़ा अपमान हुआ है।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर पुरोहित, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० सी० थामस; मैंने आपको उत्तर-पूर्वी राज्यों की गतिविधियों के संबंध में बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री हुकमदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि भारत का संविधान देश में प्रत्येक नागरिक को कानून की नजर में समान और बराबरी का दर्जा देता है। मैं

आपसे आदेश चाहता हूं कि इस विधान के तहत एक मामूली गरीब हरिजन, आदिवासी को पुलिस मार-मार कर जेल में बन्द कर दे तो इस सदन में स्पेशल नोटिस नहीं बनेगा और उसी विधान के तहत शंकराचार्य को भी वही समान अधिकार प्राप्त हैं। उनकी गिरफ्तारी पर इस सदन में स्पेशल नोटिस क्यों बनेगा ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थिति बिगड़ रही है। वहां आतंकवाद बढ़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया पढ़िये मत। बिना पढ़े ही बोलिये।

श्री पी० सी० थामस : कुछ दिन पूर्व एक बड़ी दुखद घटना घटी जिसमें एक कैथोलिक पुजारी को उस समय गोली मार दी गयी जब वह एक विद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं का संचालन कर रहा था। कुछ आतंकवादी दोपहर के समय यकायक आये और उसे गोली मार दी। इसके पूर्व भी, अनेक बार इस पुजारी को धन ऐंठने की गरज से धमकाया गया था और मेरा अनुरोध है कि सरकार इसे बड़ी गंभीरता से ले। मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार इस पहलू पर एक वक्तव्य दे।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : मैं, आपकी अनुमति से, सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण व गम्भीर मामले की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरे पास त्रिवेन्द्रम सेंट्रल, केरल के वरिष्ठ मण्डलीय वाणिज्य अधीक्षक द्वारा जारी किये गये एक आदेश की प्रतिलिपि है। उन्होंने त्रिवेन्द्रम सेंट्रल, एरणाकुलम दक्षिण और कोचीन हार्बर टर्मिनस के स्टेशन मास्टरों को आदेश जारी किये हैं। इस आदेश में, उन्होंने 6 व 7 मई, अर्थात् पिछले दिन व आज, के लिये उपलब्ध सारी बर्थों व सीटों को निरुद्ध करने का निर्देश दिया है, ऐसा कोचीन में चल रही एक कांफ्रेंस को दृष्टि में रख कर किया गया है। इस कांफ्रेंस का संचालन ए० आई० वाई० एफ० नामक संघ द्वारा किया जा रहा है और यह सुविदित है कि यह ए० आई० वाई० एफ० केरल की सत्तारूढ़ पार्टियों में से एक का संगठन है। अतः, साधारण यात्रियों को रेलगाड़ियों में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिल रहा है। मेरे पास उस आदेश की प्रतिलिपि है। यह आदेश 1-4-1990 है। इस आदेश में यह लिखा है, "कृपया 6 तथा 7 मई के लिये सभी रेलगाड़ियों में -मैं दोहराता हूं, सभी रेलगाड़ियों में - सारी बर्थें तथा सीटें निरुद्ध कर दें क्योंकि कोचीन में ए० आई० वाई० एफ० की राष्ट्रीय कांफ्रेंस चल रही है।" सारी सीटें ब्लाक कर दी गयी हैं। यह उस आदेश की प्रतिलिपि है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : आज 7 मई है। आज उस प्रस्तावित शिलान्यास का दिन है। मुझे आशा है कि सदन के सभी वर्ग, उन मुद्दों को उठाने के बजाय, जो वे यहां उठा रहे हैं, साम्प्रदायिक नरसंहार को रोकने की वास्तविक कोशिश करने में उत्तर प्रदेश की सरकार को पूर्ण समर्थन प्रदान करेंगे। मैं और मैंने यह भी देखा है कि विश्व हिन्दू परिषद ने भी जगद्गुरु की गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट किया है, और ऐसा ही वह भी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन से अपील करती हूं कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : समूचा सदन साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए एकमत है।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं आपसे लोगों को अपील करने का अनुरोध करती हूं कि किसी प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे फसाद नहीं होने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सदन इस बारे में एकमत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पुजारी जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। मैं पहले ही आपको एक बार अनुमति दे चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ ?...**(व्यवधान)** आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : पुजारी जी, मेरा यह कहना है कि सदन राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव के बारे में एकमत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पुजारी जी, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री जनार्दन पुजारी : मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ ? क्या आप इसकी अनुमति दे रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उस पर विचार किया जायेगा और आपको जानकारी दे दी जायेगी। कुमारी उमा भारती।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एवं इस सदन का ध्यान आपके माध्यम से बुंदेलखण्ड में बार-बार जो सूखा पड़ रहा है, उसके बारे में दिलाना चाहती हूँ। इसमें कुछ मध्य प्रदेश के जिले आते हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं। मैंने करीब एक हफ्ते पहले भी इस संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आज स्थिति यह है कि लाखों की संख्या में लोग वहां से पलायन कर रहे हैं और हजारों की संख्या में पशु मर गये हैं। मेरा निवेदन है कि आप कृषि मंत्री महोदय को आदेश नहीं दे सकते हैं तो निर्देश दें, सुझाव दें कि वे शीघ्र इस संबंध में कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप पहले भी इस मामले को उठा चुकी हैं, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अधिकारियों के कार्य न करने के कारण अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति बनी हुई है। विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों तथा उच्च अधिकारियों और विद्यार्थियों के बीच असतोष की भावना व्याप्त है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहां तक कि सरकार को, संबंधित विभाग को भी ये आरोप भेजे जा चुके हैं। वे इस मामले पर कोई कार्यवाही

नहीं कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि सरकार को गहन जांच करने के लिए एक जांच आयोग गठित करना चाहिये। इस संबंध में, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। मैं आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण कुमार।

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : महोदय, जो कुछ पुरोहित जी ने कहा है, वह मैंने सुना है। उन्होंने जगतगुरु के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत की है। उन्होंने किसी की गिरफ्तारी पर आपत्ति नहीं की है। सरकार को ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आजादी है जो कानून का उल्लंघन करता है, चाहे वह धार्मिक नेता हो या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप नारियल-जटा उद्योग के बारे में बात कीजिये।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, केरल में नारियल जटा उद्योग एक निर्यातोन्मुखी उद्योग है जिसमें छः लाख श्रमिक कार्यरत हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्योग को ही नगद प्रतिपूर्ति समर्थन वापिस लेने के लिए विशेष रूप से कहा गया है नारियल जटा उद्योग को कठोर प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है। इससे नारियल-जटा में कार्यरत केरल के छः लाख गरीब महिला श्रमिकों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। हम सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने और राज्य के इस निर्यातोन्मुखी उद्योग को बचाने का अनुरोध करते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में सात लाख हथकरघा बुनकर थे आजकल तीन लाख रह गये हैं। उसका कारण यह है कि बुनकरों को धागा और सूत नहीं दिया जाता है, जो दिया जाता है वह अपर्याप्त है। उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। इसके परिणामस्वरूप नागपुर, कामठी खापा, उमरेड, पवनी, भीवापुर, नागभीड परिसर में बुनकरों में करीब डेढ़ लाख बुनकर परिवारों के भूखे मरने की नौबत आयी है और वह बेकार हो रहे हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि उनको धागा और सूत प्राप्त नहीं होता, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त नहीं होती इसलिए उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया है। मेरा निवेदन है कि कपड़ा मंत्री और उद्योग मंत्री इस पर अविलम्ब ध्यान दें और उनको सूत तथा धागा दिलाने की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र सरकार को इस संबंध में निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : हो गया, आप बैठ जायें। श्री यादव।

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : बिहार में भागलपुर, देवगढ़ और उत्तरी बिहार में समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले एवम् उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों मे कालाजार के कारण लाखों लोग पीड़ित हैं। हजारों लोग मौत के मुंह मे जा चुके हैं। मगर सरकार द्वारा कोई ध्यान दिया नहीं गया है। उनको दवायें तक नहीं मिल रही हैं। इस संबंध में सरकार अपने स्तर पर अविलम्ब कार्यवाही करे और लोगों के प्राण बचाने के लिए जो दवायें चोर बाजारी में बेची जा रही हैं उसको तुरन्त बन्द करके लोगों को दवायें दिलाने की व्यवस्था कराये।

[अनुवाद]

डा० रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : हमारे देश में पांच लाख से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और लगभग दो लाख प्रशिक्षित 'दाइयां' स्वयंसेवी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर

रही हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं और हमारे देश में निर्धनतम लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इन स्वयंसेवी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से अधिकांश बेरोजगार युवा और महिलाएं हैं। लेकिन उन्हें मेहनताने के रूप में केवल 50 रुपये प्रति माह ही मिल रहे हैं और वह भी अनियमित रूप से। वे लोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्र में तथा देश के निरोधक तथा प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं के पूरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन कार्यकर्ताओं के मेहनताने की राशि को बढ़ाया जाये और इसका भुगतान नियमित किया जाये। सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : मैं इस सरकार का ध्यान उड़ीसा के मलकानगिरि में शरणार्थियों के साथ किये गये व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीलंका के पूर्वोत्तर प्रान्तीय परिषद के चेयरमैन ने हाल ही में इन कैम्पों का दौरा किया था और रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने यह बताया है कि इन शरणार्थियों को पशुओं के शेड में और सीमेंट के गोदाम में रखा गया है। उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधायें मुहैय्या नहीं करायी गयी हैं। इसलिए, उन्हें यह कैम्प छोड़ कर जाने के लिए और तमिलनाडु में अपने रिश्तेदारों के घरों में जाने के लिए विवश होना पड़ता है। जब वे तमिलनाडु जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाल ही में 110 शरणार्थियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया था। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। केन्द्र सरकार ने निदेश दिये गये थे कि तमिलनाडु में श्रीलंका के इन शरणार्थियों को सहायता दी जाये परन्तु मुख्यमंत्री ने उन्हें स्थान देने से मना कर दिया। उन्हें केन्द्र सरकार के इन आदेशों का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, मैं नियम 193 के अधीन इस पर पूर्ण चर्चा करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का व गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मकराना में एक लिब्रेशन फ्रंट के नाम से आतंकवादी संस्था काम कर रही है जिसने वहां पर बम विस्फोट किया है। उनकी ओर से राम जन्म भूमि ट्रस्ट, विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष और इस सदन के सम्माननीय सदस्य अवेद्य नाथ जी, व मुझे व विश्व हिन्दू परिषद के उपाध्यक्ष श्री खन्ना, डालमिया, उनके महामंत्री सिंघल व कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को जान से मार देने की धमकी दी गयी है। माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस पर आकर्षित किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधारण एपरिहेंशन के ऊपर वह सब प्रकार की सुरक्षा का इन्तजाम करते हैं, लेकिन राम जन्म भूमि के ट्रस्ट के लोगों तथा सदन के सदस्य व विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारियों के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा का उचित और पूरा इन्तजाम नहीं किया है। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। कोटा, मकराना और जयपुर में बम विस्फोट हुए हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान से समर्थन पाकर देश को छिन्न-भिन्न करने पर तुले हुए हैं। इसके लिए माननीय गृह मंत्री यहां बयान दें कि सुरक्षा किस प्रकार की जायेगी। (व्यवधान)

1.00 म० प०

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : इस घटना के बारे में गलत बयानी हो रही है। फिर आप इस पर डिस्कशन करा रहे हैं···

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, रेलवे बोर्ड में एक नियम है जिसके अंतर्गत

अराजपत्रित सुरक्षा कर्मचारियों का स्थानान्तरण 5 साल के बाद ही किया जायेगा लेकिन दक्षिण-पूर्वी रेलवे में नागपुर मण्डल के जो सुरक्षा आयुक्त हैं, उन्होंने 140 अराजपत्रित सुरक्षा कर्मचारियों का स्थानान्तरण 11 और 24 अप्रैल, 1990 को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में करने का काम किया है जिस कारण इन 140 सुरक्षा कर्मियों की हालत खराब हो गयी है। चूंकि इन कर्मियों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इसलिए हालत बदतर हो गयी है और नियमों के तहत आते नहीं। मैं रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सुरक्षा आयुक्त ने जो आदेश जारी किया है, उस आदेश को निरस्त करके सुरक्षा कर्मियों की भावनाओं के विपरीत कार्य न किया जाये और इस प्रकार जनहित का आदर किया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, सारे समाचार-पत्रों में···

अध्यक्ष महोदय : बाद में देखा जायेगा, अभी तो आप बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

———

1.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की मांगें

[हिन्दी]

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 763/90]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की मांगें

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 764/90]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : मैं सूचना और

प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 765/90]

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

पर्यावरण तथा वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : मैं पर्यावरण और वन मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 766/90]

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, प्रो० एम० जी० के० मेनन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (श्रेणी "ख" और "ग" प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 1989, जो 20 सितम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 849(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989, जो 26 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 929(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989, जो 26 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 930 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (श्रेणी "क" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 जो 20 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1024(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1989, जो 13 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1046 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1989, जो 13 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1047(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1989, जो 13 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1048 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1989, जो 13 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1049(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1990, जो 24 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 32 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 767/90]

(2) इलैक्ट्रानिकी विभाग की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 768/90]

———

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, अगले मुद्दे पर जाने से पहले, मैं कुछ कहना चाहता हूं। महोदय, आपको याद होगा कि हमने फतेहपुर घटना के बारे में कहा था मैं सरकार से जानना चाहता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे को पहले ही उठाया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : रेज तो कर दिया लेकिन हल्ला-गुल्ला नहीं कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि कि पार्लियामेंटरी अफेयर्स मनिस्टर यहां है।

[अनुवाद]

हम हरिजनों को जलाने के इस गम्भीर मामले पर आज ही चर्चा करने पर जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते है कि कम-से-कम कल तो इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

प्राईम मिनिस्टर की कांस्टीट्यूएन्सी है तो ज्यादा इम्पार्टेंट हो जाता है, इसलिए नहीं। सवाल यह है कि आप मेहरबानी करके एक स्टेटमेंट कल इसके बारे में कराइये। यह नहीं होना चाहिये कि हमने रेज कर दिया।

[अनुवाद]

और फिर इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाए।

[हिन्दी]

फिर हमको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और आप कहेंगे कि हम हल्ला करते हैं, को-आप्रेट नहीं करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल एक स्टेटमेंट आप दिला दीजिये।

1.03 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री कालका दास (करोल बाग) : उपाध्यक्ष जी, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। यह मामला बहुत ही गंभीर है और इस घटना की तुरन्त जांच करके कल यहां होम मिनिस्टर के द्वारा बयान आना चाहिये। यह जो गंभीर मसला श्री वसन्त साठे जी ने उठाया है, उसका समर्थन करता हूं

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री को इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने दीजिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैंने इस मामले को पहले भी उठाया था। साठे जी जैसे वरिष्ठ सदस्य ने इसे उठाया था। वे भी इसके बारे में पूछ रहे हैं उन्होंने उस दर प्रतिक्रिया क्यों नहीं व्यक्त की ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : मैंने नोट कर लिया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या आप इसके बारे में प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को सूचित करेंगे कि वह इस पर वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

———

1.03½ म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल में क्विलोन में विशेष रिफ्रेक्टरी परियोजना स्थापित किए जाने हेतु मंजूरी दिये जाने की मांग

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : महोदय, केरल में बड़े उद्योगों के लिए धातु अयस्कों तथा अन्य कच्चे माल के कोई बड़े भंडार नहीं हैं। केरल राज्य में मिट्टी पर आधारित उद्योग का एक प्रमुख कच्चा माल क्विलोन क्षेत्र में उपलब्ध विशेष प्रकार की मिट्टी है, जो रिफ्रेक्टरी के निर्माण के लिए उपयुक्त है। केरल के क्विलोन क्षेत्र में रिफ्रेक्टरी एकक की स्थापना केरल राज्य के औद्योगिक विकास की योजना का एक प्रमुख अंग है और इस दिशा में आज से दस वर्ष पहले प्रयास आरम्भ किये गए थे। वर्ष 1977 में कुछ विशेष प्रकार की रिफ्रेक्टरी के निर्माण के लिए केरल में औद्योगिक एकक की स्थापना हेतु केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने आशय-पत्र प्राप्त किया था। सोवियत संघ की मैसर्स त्याजप्रोम-एक्सपोर्ट फर्म से इस कम्पनी के लिए प्रमुख संयंत्र मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए एक सहयोग करार सम्पन्न हुआ था। परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है।

परियोजना की साम्य पूंजी में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा भागीदारी हेतु इस्पात मंत्रालय द्वारा मंजूरी न देने की वजह से केरल की विशेष रिफ्रेक्टरी परियोजना अभी भी लम्बित पड़ी हुई है।

मैं इस महत्वपूर्ण परियोजना के तत्काल क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार से केरल सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु गंभीरतापूर्वक अनुरोध करता हूं।

(एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय और केरल सरकार के बीच मतभेद दूर किया जाए और परियोजना में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा भागीदारी हेतु समझौता कराया जाए।

(दो) यदि यह संभव नहीं हो तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की भागीदारी के बिना परियोजना के वित्त पोषण करने के लिए निर्देश दिये जायें और ऐसे संस्थागत वित्त की सहायता से परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए केरल सरकार से कहा जाए।

(दो) ईसाई धर्म अपनाने वाले हरिजनों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने की मांग

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : अनेक सामाजिक संगठन सरकार से निरन्तर इस बात की मांग करते रहे हैं कि ईसाई धर्म अपनाने वाले हरिजनों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए। हरिजनों को संविधान के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान की जाती है क्योंकि वे शताब्दियों से सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहे हैं। जब कोई हरिजन ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसका सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ापन अचानक ही दूर नहीं हो जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 341 का उद्देश्य हिन्दुओं में अनुसूचित जातियों की गणना मुख्य रूप से संसद में और राज्य विधान मण्डलों में उनके प्रतिनिधियों के लिए स्थान आरक्षित करने के उद्देश्य से है तथा इसका सहायता और सुविधाओं से कुछ लेना देना नहीं है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ईसाई धर्म अपनाने वाले हरिजनों को, संविधान के उद्देश्य के अलावा, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया जाए।

(तीन) किसानों को, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरपाल सिंह पवार (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि कार्यों में लगे किसान अपने खेती के व्यवसाय को तभी सफलतापूर्वक कर सकते हैं जब उन्हें कृषि कार्यों के लिए पूरे वर्ष दिन में कम से कम 16 घण्टे और फसल के समय थ्रेशर आदि चलाने के लिए 24 घण्टे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाये। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनायी जायें। गर्मी के मौसम में किसानों को बिजली की पूरी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये शहरों में एयर-कंडीशनरों, न्योन साइन और सजावट आदि के लिए बिजली के उपयोग पर तुरन्त रोक लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को निर्देश देने चाहिये।

(चार) राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित "मेवाड़ काम्पलेक्स स्कीम" को कार्यान्वित किये जाने की मांग

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेवाड़ का इतिहास भारत के गौरव का इतिहास है। दुनिया के लोग मेवाड़ की वीरता का अध्ययन करने वर्षों से आते रहे हैं। मेवाड़ में महाराणा प्रताप का जीवन एवं संघर्ष और भी उज्ज्वल रहा है। फिर भी उनके जीवन से संबंधित स्थान राजतीलिक, गोगुन्दा में, युद्धस्थल हल्दी-घाटी, चित्तौड़, कुम्भलगढ़, अन्तिम राजधानी चावण्ड के विकास हेतु 1978-79 में राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग ने मेवाड़ काम्पलेक्स नामक योजना केन्द्र सरकार से स्वीकृत कराई जिस पर दो करोड़ रुपये विभिन्न विकास हेतु स्वीकृत भी हो गये पर आज तक विकास नहीं हुआ। उसे तुरन्त प्रारम्भ कराने हेतु मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं।

(पांच) कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के शहतूत उत्पादकों को पूर्णतया बर्बाद होने से बचाने हेतु शहतूत की बीमारी की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : शहतूत में एक गंभीर बीमारी, तुर्की, 'मीलबग मेकोनेल्ली कोक्कम हिरसूटम' की वजह से होती है इसके कोमल पत्तों और अंकुरों का नाश कर देते हैं। प्रभावित भाग तांबे पर हरे रंग की तरह और उसके बाद एकदम पीला और अन्ततः इतना सख्त और भुरभुरा हो जाता है कि पत्ते खुल ही नहीं पाते।

इस समय कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह बीमारी काफी जोर से फैल रही है। इस बीमारी की वजह से रेशम के कीड़ों की वृद्धि कम हो जाती है और कोकून का वजन कम हो जाता है। तुकी की वजह से होने वाली इस बीमारी को परम्परागत कीटनाशकों के द्वारा नियंत्रित करना संभव नहीं है क्योंकि रेशम के कीड़ों पर, विशेषकर नए पैदा होने वाले कीड़ों पर, इसके प्रयोग के एक पखवाड़े के बाद भी इन कीटनाशकों का बुरा प्रभाव रहता है।

अनुसंधान अध्ययनों के अनुसार 'डाईक्लोवोस' और 'फिश ऑयल रोहिन' साबुन के छिड़काव से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है।

अतः मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि इस बीमारी को नियन्त्रित करने के लिये और कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के शहतूत उत्पादकों को बर्बाद होने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाये जायें।

(छः) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की मांग

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वर्ष 1987-88 से सातवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की नई मद के रूप में जोड़ा गया था, तथा इसका जाल सम्पूर्ण देश मे फैला हुआ है और केन्द्रीय सरकार सात आवश्यक वस्तुओं अर्थात् गेहूं, चावल, लेवी की चीनी, खाद्य तेल, कन्ट्रोल के कपड़े, मिट्टी का तेल और साफ्ट कोक की खरीद और उचित मूल्यों पर उनके वितरण के उत्तरदायित्व को निभा रही है। लेकिन लोगों का यह आम अनुभव है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसी कि यह अब है, इसमें अनेक कमियां हैं। पहली, पूरी जनसंख्या

को इसका लाभ नहीं मिलता है। दूसरी, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई अपर्याप्त और अनियमित है; तीसरी, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटन तथा सप्लाई के बीच सदैव अन्तर रहता है। चौथी, आवश्यक वस्तुएं, विशेष रूप से चावल की किस्म सदैव बढ़िया नहीं होती है और अन्तिम, मूल्यों के लिए पर्याप्त रूप से राज सहायता नहीं दी जाती। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार को दैनिक आवश्यकताओं की कम से कम सात अन्य वस्तुओं की जिम्मेदारी अभी और लेनी है।

इस परिस्थितियों में, मैं अनुरोध करता हूं कि देश की जनता के हित में केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपर्युक्त कमियों को दूर करने और सम्पूर्ण देश में रियायती दरों पर 14 आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

— — — —

1 12 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में मूल्यों में वृद्धि

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 30 अप्रैल, 1990 को प्रो० सैफुद्दीन सोज द्वारा नियम 193 के अन्तर्गत उठाये गये मूल्य-वृद्धि के मामले पर आगे चर्चा करेंगे।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है . पहले ही इसके लिए दो घंटे नियत किये गये थे और हम इस पर तीन घंटे और छ: मिनट तक चर्चा कर चुके हैं। काफी चर्चा हो चुकी थी, अब केवल उत्तर दिया जाना शेष है। वित्त मंत्री विदेश गये हैं और वह स्वयं ही इसका उत्तर देना पसन्द करेंगे क्योंकि अपने उत्तर के दौरान उन्हें कई नीति-गत मामलों की घोषणा करनी है। वह आगामी सप्ताह, हो सकता है सोमवार अथवा मंगलवार को, लौटते ही उत्तर देना चाहते हैं। हम इसे स्थगित करके फिलहाल अनुदान मांगों पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : महोदय, क्या आप भी चर्चा स्थगित करना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम इस पर चर्चा स्थगित कर दें?

श्री पी० उपेन्द्र : केवल उत्तर ही। चर्चा तो पहले ही समाप्त हो चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ सदस्य हैं जो बोलना चाहेंगे।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, दो घंटों के बजाय हम पहले ही तीन घंटे व छ मिनट चर्चा कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है हम एक काम करें। एक समझौता करें। हम इस पर आज 4-5 वक्ताओं को बोलने की अनुमति देंगे और मंत्री जी के लौटने और यहां उपस्थित होने तक उत्तर दिया जाना स्थगित कर देंगे, और इन 4-5 सदस्यों के भाषणों के उपरांत, हम अनुदान मांगों पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : हम मन्त्री जी द्वारा उत्तर दिये जाने की सही तारीख की जानकारी चाहेंगे ।

श्री पी० उपेन्द्र : सूचना दे दी जाएगी ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा । निस्संदेह, मैं आप द्वारा दिए गए निर्णय से सन्तुष्ट हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यहां मुझे एक बात कहनी है । तीन या चार सदस्य बोलेंगे और जवाब अगले सप्ताह के लिये मुल्तवी कर दिया जायेगा । किन्तु मैं जो बात कह रहा हूं वह यह है कि यदि मन्त्री जी कह रहे हैं कि हम अनुदान मांगों पर तुरन्त विचार कर सकते हैं, तो ठीक है, अच्छा होता यदि वह कुछ पहले हमें सूचित कर देते ताकि हम भी उसके लिए तैयार होकर आये होते । (व्यवधान) हम आपके निर्णय से सहमत हैं । किन्तु ऐसी बातों के बारे में उन्हें हमें पहले सूचित करना चाहिए ताकि हम आसानी से तैयारी कर सकें । इसी कारण मैं यह कह रहा हूं । (व्यवधान) मंत्रालय की अनुदान मांगों पर फोरी विचार होता है । किन्तु हमारे वक्ता तैयार नहीं होते । (व्यवधान) एकाएक वह कार्य सूची में बदलाव का प्रस्ताव लेकर आते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, सिंचाई विभाग की अनुदान मांगें पहले ही आज की चर्चा विषयक सूची में हैं । अत: उत्तर के तुरन्त बाद, उन अनुदान मांगों को प्रस्तुत किया जा सकता है । तो स्थिति यह है कि हम चार या पांच सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं और उसके फौरन बाद अनुदान मांगों पर विचार करने लगते हैं । तब तक, मन्त्रिगण भी आ पहुंचेंगे ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि वित्त मन्त्री कब उत्तर देंगे ?

श्री पी० उपेन्द्र : वह अगले मंगलवार को उत्तर देंगे । मुझे एक और निवेदन करना है । जल-संसाधन मन्त्रालय और कृषि मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर एक साथ चर्चा हो सकती है और मन्त्रियों द्वारा पृथक्-पृथक् उत्तर दिये जायेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अनेक सदस्य दोनों विषयों पर बोलना चाहते हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, इस बात के लिए हम सहमत हैं । किन्तु कितना समय नियत है ?

श्री पी० उपेन्द्र : समय तीन दिन का होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों मन्त्रालयों की अनुदान मांगों पर एक साथ चर्चा की जायेगी ।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय हमारे देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है और इस महगाई में आम गरीब आदमी को जो दूरदराज के क्षेत्रों में हैं, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । सरकार ने जब से यह बजट पेश किया है, उसके बाद महंगाई बहुत बढ़ी है । इसका अनुमान लगाना कोई आसान बात नहीं है । मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, हिमाचल प्रदेश में शिमला जो मेरा क्षेत्र है, जहां पर बसें नहीं जाती हैं, जहां पर खच्चरों द्वारा राशन की सामग्री

पहुंचाई जाती है, वहां जो लोग दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए बहुत कठिनाई पैदा हो गई है। सरकार ने घोषणा की कि हम महंगाई को कम कर रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने दो-तीन जगह अपने भाषण में कहा कि एक महीने के अन्दर महंगाई कम हो जाएगी। परसों के टैलीविजन में मैंने देखा कि 80 पैसे कम करने की बात कही गई है कि 80 पैसे हर बाजार में कम होगी। मैं नहीं समझता कि सारे देश के अन्दर जिन नगरों का जिक्र किया है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इनमें 80 पैसे महंगाई कम हो गई है, किस चीज में कम हो गई है? गेहूं का भाव जो राशन की दुकान पर है, आज जो नार्थ ऐवन्यू में दुकानें हैं, जहां से एम० पीज भी खरीदते हैं वहां का रेट मैं आपको बताता हूं। 2.48 रुपये किलो गन्दुम मिल रहा है और देश के जो गरीब लोग हैं उनकी मजदूरी में कोई इजाफा नहीं है, आज वे बिल्कुल असहाय हो गए हैं, उनको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है कि वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकेंगे। सरकार ने दावा किया था कि हम सरकार में आकर पहला काम यह करेंगे कि चीनी पांच रुपये किलो बेचेंगे। एक नारा बी० जे० पी० ने हिमाचल प्रदेश में भी दिया कि हिमाचल प्रदेश में 25 पैसे किलो नमक बेचेंगे, डेढ़ रुपये किलो आटा देंगे, चावल 2.50 रु० किलो देंगे। यह अगर देखें तो जो असत्य वादे हैं, सरकार उन्हें किस तरह से पूरा कर सकेगी? भारत सरकार भी पूरा नहीं कर सकती है तो राज्य सरकार की तो मैं बात ही नहीं करता, राज्य सरकार तो बिल्कुल नहीं कर सकती। इससे सरकार के बारे में लोगों में जो भावना पैदा हुई है, वह यह है कि सरकार लोगों को आश्वासन देकर यहां कुर्सी में बैठी है। हरिजन, गरीब आदमी पिसा जा रहा है, आज उनकी झोंपड़ियां जलाई जा रही है चाहे दिल्ली में हो या दूसरे शहरों में, उनकी झोंपड़ियां जलाकर उनका राशन पानी भी खत्म कर दिया। उनको कोई ऐसा उन्स मुआवजा नहीं मिल पाया है। आज वे समझ रहे हैं कि हमें इस सरकार का कोई सहारा प्राप्त नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि इस सरकार में लोगों की इमदाद करने की भावना है तो मेरा सुझाव है कि चुनाव के समय में जो वादे किए हैं उनका क्रियान्वयन करें ताकि यह राष्ट्र समझे कि आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि उग्रवादिता देश में गड़बड़ी पैदा कर रही है, यह कांग्रेस पार्टी की देन है और कांग्रेस पार्टी ने दिया है। यह कहकर आप नहीं बच सकते और यह असत्य बातें कितनी देर कहेंगे।

अगर वित्त मन्त्री जी का पिछला भाषण पढ़ा जाये तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारा चावल का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा है तो भाव कम नहीं हुए। अगर आप एफ० सी० आई० के गोदामों की रिपोर्ट पढ़ें तो वस्तुस्थिति का अच्छी तरह से ज्ञान हो जायेगा। हमारे मंत्री जी ने तो यहां तक कहा कि हम महंगाई की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। आश्वासन उन्होंने इतना जरूर दिया कि हम इस महंगाई को कम करेंगे। अगर आप एफ० सी० आई० के गोदामों की राज्य-वार डिटेल्स लें तो पायेंगे कि हजारों टन अनाज गोदामों से गायब हो गया सबसे ज्यादा अनाज गायब बंगाल में हुआ, उसके बाद बिहार में हुआ और फिर मद्रास में हुआ है। मैंने सब राज्यों में जो एफ० सी० आई० के गोदाम हैं, उनकी रिपोर्ट को पढ़ा है। मैंने इस सम्बन्ध में एक अध्ययन भी किया था। उसमें भी इन सबका विवरण हमें दिया गया था।

फाइव स्टार होटलों में आज 500 रुपये में खाना मिलता है। अगर वहां कोई केला खाना चाहे तो 10 रुपये का एक केला मिलता है। अगर उससे नीचे किसी होटल में जायें तो और सस्ता वह हम को मिलेगा। आम गरीब आदमी यह खाना नहीं खा सकता ऐसा क्यों? यह सस्ता करें ताकि गरीब भी खा सके। आज गांवों में खुले आम कालाबाजारी करने वाले चीजों का ब्लैक कर रहे हैं। सरिया जिसको कि गरीब आदमी इस्तेमाल करता है और उससे अपनी झुग्गी मकान बनाता है वह

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

एक हजार रुपये प्रति-क्विंटल से ऊपर चला गया है जबकि पहले इसके भाव साढ़े छः सौ रुपये प्रति-क्विंटल थे। इससे दूर दराज के क्षेत्रों के लोग अपने मकान नहीं बना सकेंगे। इसी प्रकार से सीमेंट के भाव भी बढ़ गये हैं। पिछली सरकार के समय में सीमेंट के एक बोरे का भाव 60 रुपये था लेकिन आज वह 100 रुपये से ऊपर में मिल रहा है। आज सरकार का इस पर कोई अंकुश नहीं है। डीजल जिसे किसान इस्तेमाल करते हैं वह भी बहुत महंगा हो गया है। ऐसे में किसान अपनी उपज कैसे अच्छी तरह से पैदा करेंगे और मण्डियों को बाजार में लाएंगे। आज किसान जो कुछ पैदा कर रहा है उसकी उसे पूरी कीमत नहीं मिल रही है। ऐसे में किसान अच्छे बीज कहां से ला पायेगा? सरकार ने इस वर्ष किसान द्वारा उत्पादित वस्तु के दाम 215 रुपये एनाउंस किये। हमारा जो कृषि मूल्य आयोग है उसने उसके भाव 200 रुपये निर्धारित किये। मैं समझता हूं कि यह 215 रुपये बहुत कम निर्धारित किये गये हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि जो समाज के दबे पिछड़े हुए लोग हैं उनको उठाने के लिये यह सरकार क्या प्रयत्न कर रही है? मैं नहीं समझता हूं कि यह सरकार कोई प्रयत्न कर रही है। सी० पी० एम० और बी० जे० पी० के लोग जो कि गरीबों की बहुत दुहाई देते हैं वह लोगों का ध्यान असली चीज से हटाकर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जो बुनियादी काम इस दिशा में करने की आवश्यकता है वह किया जाये नहीं तो इनकलाब आयेगा और फिर यह सरकार बच नहीं पायेगी। आपने जनता से जो वायदे किये हैं आप उन्हें पहले पूरा करें। अगर वे पूरा नहीं कर सकते तो साफ-साफ कह दें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस (ई) की मुखालफत करने से काम नहीं चलेगा। आपका काम तब चलेगा जब आप लोगों को आगे ले जायेंगे और महंगाई को कम करेंगे। अगर आप महंगाई ही कम नहीं कर सकते तो आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है।

इतना ही कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मूल्य वृद्धि का प्रश्न देश का बहुत ज्वलन्त प्रश्न है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में पिछले कुछ दिनों में असाधारण वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वह चीजें महंगी हुई जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं — जैसे आटा, चावल, दाल, नमक चीनी और चाय की पत्ती। इसका एक कारण है सरकार द्वारा पेश किया गया बजट। डीजल, पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि और रेल भाड़े में वृद्धि के कारण हर चीज के दाम बढ़े हैं। पहली फरवरी को रिफाइंड आयल के पांच किलो के टिन का भाव 197.71 रुपये था जो कि अप्रैल के अन्त में 212 रुपये से ऊपर हो गया। घी 25 रुपये से बढ़ कर 31 रुपये किलो हो गया। चाय साढ़े अठारह रुपये से बढ़ कर बत्तीस रुपये हो गयी। चीनी 9.50 रुपये और 10 रुपये किलो तक पहुंच गयी। सरकार की ओर से अभी तक कोई कठोर कदम नहीं उठाये गये हैं — मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए।

साधारण जनता में यह चर्चा चल रही है कि कुछ प्रोडक्ट वालों ने पूल कर लिया है। जैसे सीमेंट बनाने वाली अलग-अलग कम्पनियों ने आपस में समझौता कर लिया है कि कुछ दिनों के लिए एक कम्पनी अपना माल बाजार में देगी, फिर दूसरी कम्पनी देगी। इस तरह आर्टिफिशियल स्केअरसिटी, कृत्रिम कमी बाजार में पैदा की जा रही है और लोगों को लूटा जा रहा है। आज सीमेंट की बोरी के दाम 90 और 100 रुपये बोरी है।

खाद्य और आपूर्ति मंत्री के बयानों के बावजूद यह स्थिति है। कई बार तो उनके बयानों के

कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। जैसे कि पिछले सप्ताह में उन्होंने कह दिया कि चीनी के भाव में कमी नहीं आयेगी। उससे कुछ व्यापारियों को ऐसा लगा कि मूल्यों में कमी नहीं होने जा रही है। उन्होंने इसको एक इन्डीकेशन, इशारा समझा। मैं सरकार को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि चुनावों के पहले आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ़ी थीं और कांग्रेस सरकार के हारने का एक मुख्य कारण आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि था। इस सरकार के जाने का भी मुख्य कारण यही बनेगा—अगर आम चीजों की कीमतें कम नहीं की गयीं।

इतिहास बताता है कि जब कीमतें नहीं गिरती हैं तो सरकारें गिरती हैं। आम आदमी के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं चावल, आटा, नमक, चाय, चीनी, चाय पत्ती, साधारण कपड़ा, सीमेंट, इस्पात। इन चीजों की कीमतें नीचे लाने के लिए सरकार को बहुत जल्दी कदम उठाने चाहिएं।

जब प्राईस इन्डेक्स बढ़ता है तो कर्मचारियों को थोड़ा-सा डी० ए० मिलता है। वह डी० ए० महंगाई को पूरा न्यूट्रेलाईज नहीं करता। यह एक विशियस सर्किल बन जाता है। मूल्य वृद्धि सारे वेतन को खा जाती है। इस पर सारे सदन के सभी पक्षों के सदस्य बोले हैं। उन्होंने इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। मैं अधिक समय तो सदन का लेना नहीं चाहता लेकिन सरकार को यह चेतावनी अवश्य देना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नीचे लाने के लिए सरकार तुरन्त कार्यवाही करे। जो लोग पूल बना करके आर्टिफिशियल स्केअरसिटी क्रियेट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट स्टेप्स उठायें। जो जमाखोर और ब्लेकमार्किटियर्स हैं उनके विरुद्ध भी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिएं ताकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नीचे आएं।

[अनुवाद]

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : बजट पेश होने के बाद से देश स्तर बढ़ती कीमतों की चपेट में है। हमारे समाज में मुद्रास्फीति लगभग सर्वव्यापक है। सबसे बड़े अकाल के वर्ष में, कीमतें 10.7% बढ़ीं, अगले वर्ष में 5.7% बढ़ीं और पिछले वर्ष यानि 1989-90 मे लगभग 8.7%। किन्तु यह कहानी, कुछ भाग्यशाली वर्षों को छोड़ कर, लगभग पिछले 40-50 वर्षों से चल रही है। हमारे देश में पैसे की कीमत निरन्तर घट रही है। मूल्यों में बेसाख्ता वृद्धि हो रही है। कोई राहत नहीं मिल रही है। स्थिति की ओर अब विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है क्योंकि बजट-प्रस्तुति के बाद, मूल्य-वृद्धि बड़ी तीव्र, निरन्तर और गत वर्षों की किसी भी तुलनात्मक कालावधि से अधिक रही है। दालें, चाय, तिलहन, चीनी जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। वस्त्रों, कागज गत्ते, मादक पेय, तम्बाकू, साधारण धातुएं, चमड़ा और चर्म-उत्पादों जैसी कारखानों में निर्मित वस्तुएं भी सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि में सहायक रही हैं। स्पष्टतः ही इसका कारण मांग व पूर्ति की स्थिति का खराब प्रबन्धन रहा है। सरकार इस मामले में चुस्त नहीं रही। उन्होंने इन बातों को बड़े हल्के फुल्के रूप में लिया है। उन्होंने मांग व पूर्ति की स्थिति को पर्याप्त उत्साह से नहीं सम्भाला। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य स्थायी दीर्घकालिक कारण भी हैं जिनसे मूल्य-वृद्धि हुई। सरकार ने इन कारणों का निराकरण करने की कोशिश नहीं की। यदि सरकार इन दीर्घकालिक कारणों का निराकरण करने के लिये कदम नहीं उठाती, मूल्य-वृद्धि पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता।

महोदय, प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री ने वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि वे काले बाजारियों, जमाखोरों आदि के विरुद्ध गम्भीर कदम उठाएंगे। मिसाल के तौर पर, चीनी के मामले में, मूल्य-वृद्धि का कोई कारण नहीं है। इस साल गन्ने की भरपूर फसल हुई है।

[श्री वाई० एस० महाजन]

हमें चीनी के उच्चतम उत्पादन की आशा है। यह स्पष्ट है कि चीनी के निर्माता ही चीनी का स्टाक बाजार में न लाने देने के लिये जिम्मेदार हैं। यही बात सीमेंट और अन्य कई वस्तुओं की बाबत भी सही है। अत: मैं आशा करता हूं कि सरकार शीघ्र ही कुछ उपाय करेगी ताकि मूल्यों में कमी हो सके

चुनाव से पूर्व सरकार ने कहा, मैं उनके शब्दों को उद्धृत कराता हूं "जो मूल्य आकाश को छू रहे हैं उन्हें घटा दिया जाएगा।" मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि वे मूल्य नहीं घटा रहे हैं, फिर भी कम से कम और बढ़ने से रोकेंगे। किन्तु वे इस दिशा मे सफल नहीं हुए हैं। अत: जो वायदे उन्होंने किए हैं उनको उन्होंने पूरा नहीं किया है। लम्बी अवधि के जिन विषयों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता हेवह यह है : घाटे की वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय विस्तार, काले धन का विद्यमान होना, भारी परोक्ष कर लगाना आदि।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वाई० एस० महाजन : मैं समाप्त करूंगा लेकिन मुझे अभी भी बहुत कुछ कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको और समय देना चाहता था, किन्तु समय नहीं है। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस विषय पर बोल सकते हैं।

श्री वाई० एस० महाजन : मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। जनता प्रायः घाटे के बजट को ही मूल्यों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराती है। वास्तव में घाटे भी वित्त व्यवस्था ही मूल्यों मे वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। घाटे की अर्थ व्यवस्था घाटे के बजट के कारण है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था सामान्यतः बजट घाटे से अधिक है। घाटे की वित्त व्यवस्था सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने के कारण होती है। सामान्यतः यह बजट दस्तावेजों में दिखायी गई राशि से कहीं अधिक है। वर्तमान काले धन से मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति है। हमें यह समझना है कि काला धन लोगों के हाथों में कोई भण्डार नहीं है। यह तो धन का प्रवाह है। कल के काले धन को आज जायज धन में बदल दिया जाता है कभी-कभी जायज धन भी काला धन बन जाता है अत: काला धन ऐसा कोई भण्डार नहीं है जो लोगों के हाथों मे है। काले धन की उत्पत्ति अधिक महत्वपूर्ण है। काले धन की उत्पत्ति को रोका जा सकता है यदि सरकार को अपने खर्चे पर नियन्त्रण है, यदि सरकार इस बात की ओर ध्यान देती है कि सरकारी प्रशासन में विशेषकर लाइसेंस देने, आयकर मामलों और कम्पनी मामलों में स्वःनिर्णय लेने के पहलू को कम किया जाए। जितनी समझ-बूझ की कमी हो उतना ही व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की और भ्रष्टाचार की कम सम्भावना है। अत: यदि इन दीर्घगामी पहलुओं पर विचार किया जाए और व्यवस्था की जाए, केवल ऐसा करने से ही मूल्य घटाना सम्भव होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुद्रा-स्फीति कोई आर्थिक समस्या नहीं है। यह राजनीतिक समस्या भी है। इसको नियन्त्रण में रखने के लिए सरकार की ओर से प्रबल इच्छा की आवश्यकता है। आपको केवल पान का ही काम नहीं करना है परन्तु लोगों, व्यापारियों, उत्पादकों और आर्थिक मामलों के साथ इनके व्यवहार को भी देखना है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले में सबसे अच्छा काम करेगी। जब तक सफलता के साथ यह काम नहो करेगी तब तक राजनीतिक क्षेत्र में हानि ही होगी।

[हिन्दी]

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मूल्य वृद्धि के बारे में सरकार को यह निर्णय करना चाहिये कि प्रधान मन्त्री से लेकर मन्त्रियों तक सभी को एक आवाज में देश के सामने आना

जरूरी है। प्रधानमंत्री जी का चीनी के बारे में दाम घटाने की बात कहना और दाम घटाना संभव नहीं, ऐसा मिर्धा जी ने कहा है। ऐसे में जनता तो मेंढकों के माफिक यही कहेगी कि—आपका तो खेल हो रहा है और हम मर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी का चीनी के उत्पादकों के साथ कड़ा रूख अपनाने की बात कहना और मिर्धा जी द्वारा उनकी वकालत करना, क्या यह ठीक उन्होंने कहा है ? यही मेरा पहला सवाल है ?

इस चर्चा में भाग लेते हुए मिर्धा जी ने कहा कि बजट के कारण मूल्य वृद्धि होना स्वाभाविक था और आज वे कह रहे हैं कि असल में मूल्य वृद्धि और बजट में कोई सम्बन्ध नहीं। ऐसी बात एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कही जानी, यह दुखी जनता के जख्म पर नमक छिड़कना—ऐसा ही मैं समझूंगा। इसलिये मेरी यह मांग है कि छोटी दुकानों में जो चीजें मिलती हैं उस पर विचार करके, आंकड़ों के जंजाल में न फंसते हुए लोगों को सस्ते दामों में चीजें कैसे मिल सकती हैं, इस पर विचार करें। दुनिया में अनेक देशों में मूल्यवृद्धि हुई है लेकिन आज 23 देशों के आंकड़े मेरे पास हैं उनमें 17 देशों में मूल्यवृद्धि हम से कम हुई है और 8 देशों में हम से ज्यादा हुई है। उसमें से भी जापान में कम-से-कम मूल्यवृद्धि है और वह भी 0·1 प्रतिशत है—तो क्या हम ब्राजील की दिशा में जाना चाहते हैं या जापान की दिशा में जाना चाहते हैं, यही तय करना मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आज की हालत देखकर यह लगता है कि कहीं न कहीं हमारी गलती हो रही है। इसमें कुछ गलतियां कांग्रेस सरकार की हैं यह मुझे मंजूर है लेकिन आज राज आप चला रहे हैं और लोग आपसे ही पूछेंगे कि आप हमारे लिये क्या कर रहे हैं ? चीनी के भाव आज 9 रुपए से कम हुए, लेकिन लोग पूछेंगे कि एक वर्ष पहले तो 7 रुपए में कम थे, वह स्थिति आप कब लाएंगे ?

आज उत्पादन बढ़ने के बाद भी मूल्य वृद्धि क्यों ? यह सवाल वाद-विवाद का है। थोक बाजार के दाम बताकर आप हमारा दुःख मत बढ़ाईये। आम जनता के लिये दाम कम करना, यह आपका काम है और इस विषय में आपके सभी उपायों का क्रम एक ही असर देखना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार के बुरे दिन हमको याद न आयें—ऐसी मूल्य स्थिति हो। जनता पार्टी के राज में 1977-78 में यह संभव हुआ था कि लोग राशन कार्ड भूल गये थे, ऐसे दिन फिर से आयें—यही जनता की पुकार है। जमाखोरों पर नियन्त्रण और राशन की दुकानों में सभी वस्तुयें उचित दाम पर देना, यही आज की जनता की मांग है।

मैं दिल्ली की एक दुकान के परचून के दाम आपके सामने पेश कर रहा हूं जहां से मैंने कुछ वस्तुएं खरीदी हैं। पिछले साल की तुलना में ये दाम इस प्रकार हैं :—मूंगफली का तेल 30 रुपए से 32 रुपए, अरहर की दाल साढ़े 10 रुपए से 11 रुपए-हर वस्तु के बारे में भाव बढ़े हैं। जरूरत होने पर सांसदों की समिति इस विषय में नियुक्त करने के बारे में आप सोच रहे हैं। अब हमारे अनुभव और सरकारी आंकड़े इनमें मेल नहीं खाते।

इस समिति को नियुक्त करने में हिचकिचाने के बजाये वह इसकी नियुक्ति निर्णीत करे। यह मेरी आपसे मांग है। क्या फेयर प्राइस शाप्स पर देश भर में समान अनाज मिलता है, दिल्ली में जितना मिलता है और बम्बई में मिलता है, क्या उतना ही देहात के अन्दर भी मिलता है ? राजधानी से दूर रहने वाले लोग, कम आमदनी वाले लोग किस तरह से अपना जीवन बिताते होंगे इस पर आप विचार करें और सभी राज्य सरकारों से विचार देश के सुदूर कोने में रहने वाले देहातों में रहने वाले लोगों पर मूल्य वृद्धि से जो बुरा असर पड़ रहा है, इसको देखने के लिए और वहां पर मूल्य वृद्धि रोकने के लिए आप इस समिति का निर्माण जल्दी करें।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में कीमतों में वृद्धि के दो बहुत बड़े कारण हैं। जिसके कारण इस देश में मूल्यों में वृद्धि हो रही है। पहला कारण इस देश में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार है उसकी अपनी कमजोरी और दूसरा कारण है इस देश का बजट। पहला कारण जो मैंने बताया कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की अपनी कमजोरी, ऐसा मैंने इसलिए कहा है कि जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी तो उस समय राष्ट्रीय मोर्चा के पास इतना बहुमत नहीं था कि वह अपने बलबूते पर सरकार को चला सके। इसलिए राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को बनाने के लिए विभिन्न पार्टियों का सहयोग लेना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी ने अन्दरूनी समर्थन न देकर बाहरी समर्थन दिया। मैं यह समझती हूं कि अंग्रेजों के जाने के बाद आज तक आर्थिक क्षेत्र में उद्योग या व्यापार के मामले में इस देश के अन्दर यदि किसी का बड़े पैमाने पर वर्चस्व है तो वह वैश्य समाज का है, बनिया समाज का है। जो वैश्य समाज है वह बी० जे० पी० से संबंधित है···

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : क्या कह रही हैं ? जातिवाद तो मर गया।

कुमारी मायावती : मेरे पास आंकड़े है, इस देश के सारे आंकड़े हैं वह साफ बताते हैं। मैं उपाध्यक्ष जी को बता रही हूं आपको बीच में दखलअंदाजी करने की जरूरत नहीं है। जो सच्ची बात है वह कड़वी जरूर लगेगी। भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रही है और भारतीय जनता पार्टी में इस देश के व्यापारियों का वर्चस्व है। वह उद्योगपतियों और व्यापारियों को यह कह रही है कि हमारी मर्जी के बिना सरकार नहीं चलेगी जिस दिन हम चाहेंगे वह सरकार नहीं चलेगी। इसलिए व्यापारियों और उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन मिलने के कारण वस्तुओं में वृद्धि बड़े पैमाने पर हो रही है। इसलिए मैंने यह बताया कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार यदि पूरा बहुमत प्राप्त करती और अपने पैरों पर खड़ी सरकार होती तो मैं समझती हू कि मूल्यों में जरूर कंट्रोल होता। दूसरा कारण इस देश का बजट है। जब बजट पेश किया गया मैं तो बजट को पढ़ने के बाद ही समझ गयी थी और हमारे मंत्री जी ने जब बजट पेश किया जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ायी जो साधारण चीजें हैं इस तरीके से प्रोजेक्ट की गयी कि देश का साधारण आदमी उसको पढ़े तो उसको ऐसा लगे कि बजट गरीबों और मुजलूमों के हित में है। आम जनता को जानकारी नहीं है कि पेट्रोल और डीजल का असर मूल्य वृद्धि पर सीधा पड़ता है। आज के वैज्ञानिक युग में कृषक चाहता है कि ऐसे तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाये जिससे उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। जब किसान वैज्ञानिक तौर-तरीकों को इस्तेमाल करता है तो उसे ट्रैक्टर और ऐसे यन्त्रों की जरूरत भी पड़ती है जिसमें डीजल का इस्तेमाल होता है। जब डीजल के मूल्यों में वृद्धि हुई है तो स्वाभाविक है कि जब वह अपने कृषि उत्पादन वस्तुओं को बाजार में बेचने जायेगा तो उसकी कीमत भी ज्यादा चाहेगा क्योंकि उसकी लागत से अधिक मूल्य मिलना चाहिए। दूसरा पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि हुई है। व्यापारियों और उद्योगपतियों को उद्योग चलाने के लिए तथा यातायात के लिए पेट्रोल खर्च करना पड़ता है। पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि से उसका असर सभी आम उपभोक्ता की वस्तुओं पर पड़ेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि करना है और सर्वसाधारण जनता पर इसका असर पड़ा है।

सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी तो उन्होंने चुनाव के पहले वायदा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो गरीब और मजलूम लोगों को हर किस्म की सहूलियतें दी जाएगी तथा सस्ते दामों पर आम उपभोक्ताओं की चीजों को

देने का वायदा किया था लेकिन यह पूरा नहीं किया गया। यदि इन बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल नहीं किया गया और सरकार बी० जे० पी० के ऊपर आधारित रही तो ऐसी अल्पमत वाली राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार कभी भी गिर सकती है? इसलिए इस सरकार से मेरी गुजारिश है कि कीमतों पर कंट्रोल किया जाए नहीं तो जनता इसकी जरूर सजा आपको देगी।

श्री युवराज (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव पर अपनी राय रखना चाहता हूं कि यह सरकार की अस्पष्ट नीति का कुपरिणाम है। डीजल और पेट्रोल पर जो बजट में टैक्स बढ़ा है, उससे कीमतें काफी बढ़ी हैं। तो इस प्रकार एक तरफ से बजट में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो दूसरी ओर दैनिक उपयोग की सामग्री पर इसका असर हम पर पड़ा है लेकिन मैं केवल इस बात को पर्याप्त नहीं मानता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो घाटे की वित्त व्यवस्था है और बाजार में जो काला धन है, उससे यह मुद्रास्फीति बढ़ी है उसके कारण रुपये के आंतरिक मूल्य में गिरावट हुई है। पिछले 4-5 वर्षों में अनुत्पादन व्यय भी बढ़ा है। अब हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था है। वहां पर नमक एक रुपये किलो मिलता है लेकिन टाटा का नमक आता है तो वह दो रुपये किलो मिलता है। इस प्रकार जब तक यह दोहरी व्यवस्था लागू रहेगी तो उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी होगी। या तो टाटा का नमक लागू हो तो उसकी कीमत दो रुपये किलो कबूल की जाये नहीं तो आयोडाइज्ड साल्ट की बिक्री प्रचुर मात्रा में हो जिसकी कीमत एक रुपये प्रति किलो से ज्यादा न हो। इस प्रकार राशन के तेल को ले लीजिए। जिनके पास राशन कार्ड है उनको दो लीटर तेल मिलता है और इस प्रकार केवल एक माह में 30-35 प्रतिशत लोगों को ही मिल पाता है लेकिन गरीब को नहीं मिलता। गरीब आदमी 5-6 रु० लीटर के भाव से लेकर खाना बनाता है, इस तरह उसे इस महंगाई की मार का शिकार होना पड़ता है। मैं राशन कार्ड पर देहातों में दो लीटर और शहरी व्यक्ति को तीन लीटर दिया जाता है तो मैं चाहूंगा कि देहाती आदमी को कम से कम पांच लीटर से कम नहीं मिले। इसके अतिरिक्त जो असेंशियल कामोडीटीज है, उनमें सीमेंट भी है। पहले तो सीमेंट पर लेवी थी जिसे इन्होंने हटा दिया। फलस्वरूप जो लेवी की सीमेंट की एक बोरी 40/- रु० की थी, वह 55/- रु० और ओपन रेट 60/- या 78/- रु० और इससे भी ज्यादा रेट प्रति बोरी मिलती थी। आपने सीमेंट पर लेवी हटा दी और उसे दूना कर दिया।

यदि आप सीमेंट का प्रति बोरी 75 रुपये रेट तय कर देते, लेवी को भले ही समाप्त कर देते, तो भी बात समझ में आती। लेकिन एक तरफ आपने लेवी को हटा कर सीमेंट उत्पादकों को छूट दी और दूसरी तरफ कन्ज्यूमर्स को कहीं भी सीमेंट प्रति बोरी 95 या 96 रुपये से कम रेट पर नहीं मिल रहा है। एक समय तो ये रेटस 110 और 115 रुपये प्रति बोरी तक चले गए थे लेकिन आज भी कोई ज्यादा कम नहीं आए हैं, सौ रुपये में दो-चार रुपये ही कम पर मिलता है। इस सब के बावजूद बाजार में सीमेंट की काफी किल्लत है और महंगा है। वैसे ही अन्य असेंश्यल कमोडिटीज का भी सवाल है। सोडा की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि गरीब आदमी अपने कपड़े साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। उसका 50-70 के० जी० का एक पैकेट आता है परन्तु किसी ने आज तक यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी कीमत क्या है। यहां इस बहस में भाग लेते हुए जितने माननीय सदस्य बोले हैं, किसी का ध्यान सोडा की तरफ नहीं गया। आज स्थिति यह है कि गांव में गरीब आदमी चार रुपये की साबुन की टिकिया नहीं खरीद सकता, उसे काफी परेशानी और दिक्कत है। हमारे देश की 70-80 प्रतिशत पोपूलेशन गांवों में रहती है और उनमें भी अधिकांश लोग बिलो पावर्टी लाइन अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें कपड़े धोने के लिए सोडा की आवश्यकता है। सोडा

[श्री युवराज]

के साथ-साथ नमक और कैरोसिन आयल जैसी अन्य असैन्शयल कमोडिटीज भी चाहियें। मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसी प्रणाली अपनाये ताकि ये आवश्यक वस्तुएं गरीब को आसानी से और उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें। वैसे ही सरसों का तेल है। दिल्ली के बाजारों में, राजधानी होते हुए भी, कहीं 24 रुपये प्रति किलो से कम पर आपको नहीं मिलेगा और उसकी भी कोई गारन्टी नहीं कि वह कितना शुद्ध है, या कैसा तेल है, कितना एडल्ट्रेटिड है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1977 में महंगाई रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मुरारजी देसाई ने पता नहीं किन लोगों से कैसे को-आपरेट करके, देश के तमाम उद्योगपतियों को बुलाकर, इस बात के लिए राजी कर लिया था कि महंगाई देश में नहीं बढ़नी चाहिए। उस समय को आज भी लोग याद करते हैं, भूले नहीं हैं। उन दिनों भी महंगाई काफी बढ़ रही थी लेकिन सरकार के विचार-विमर्श के कारण सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर हो गए थे। लोग कहते हैं कि मुरारजी देसाई का वह बड़ा ही व्यावहारिक और प्रभावशाली कदम था। अभी मैं अपने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री मिर्धा का बयान पढ़ रहा था, जिसमें उनका कहना है कि हर चीज के रेट्स काफी नीचे आ गए हैं। पता नहीं इनका रेट्स कलेक्ट करने का क्या तरीका है इन्हें बाजार से सामान खरीदना पड़ता है या नहीं, हम नहीं समझते, मगर जब भी हम लोग बाजार जाते हैं, सामान खरीदने के लिए, मोटा कपड़ा भी लेना हो तो कहीं भी आपको उसकी दुकान, कोआपरेटिव या किसी भी क्षेत्र में, नहीं मिलेगी। सब लोग ब्लैक में बेचते हैं। यदि गरीब आदमी मोटा कपड़ा खरीदने के लिए जाता है तो उसे मोटा कपड़ा भी नहीं मिलता। मेरा निवेदन है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप या तो तोड़ दीजिए या उसकी वितरण व्यवस्था को सुधारिये। इसमें आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ग्राम पंचायतों को भी शामिल कर लिया जाए, प्यूपल्स पार्टिसिपेशन हो, ऐसा नहीं कि मुखिया और कुछ चुने हुए लोगों को ले लिया, रजिस्टर पर दस्तखत करा लिए और सब सामान ब्लैक में बेच दिया। हमारे यहां तो स्थिति यह है कि बोर्डर इलाका होने से नमक बंगलादेश और नेपाल चला जाता है और सारे एरिया में अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि देश में तमाम आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रित किए जायें और ऐसी व्यवस्था हो कि सीमित आमदनी वालों, छोटे किसान और मजदूरी पर जिनकी आजीविका चलती है, उन्हें राहत मिल सके, मूल्यों पर नियंत्रण हो और वितरण की व्यवस्था समुचित हो। इन शब्दों के साथ, समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : उपाध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि समस्त भारत में वास्तव में मूल्यों में वृद्धि हुई है। मूल्यों को घटाना सरकार का मूल कर्तव्य है। तथापि, मैं यहां बैठे हुए मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में - चाहे असम हो या मेघालय, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, या मीजोरम, चाहे मणिपुर हो या त्रिपुरा — मूल्यों में पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। इसका कारण है डीजल, पेट्रोल तथा अन्य उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि जो ट्रक तथा अन्य वाहन चलाने के काम आते हैं। इससे जनता पर बहुत बोझ पड़ा है। मेघालय में अब चीनी 12 रुपये प्रति किलो बिक रही है, और शिलांग से 40 से 50 मील दूर ग्रामों में यह 14 रुपये प्रति किलो बेची जा रही है। इतना ही नहीं, भवन निर्माण सामग्री की कीमत भी बढ़ गयी है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ जाने से राज्य भर में लोग हाहाकार मचा रहे हैं। अतः इस बात को

शीघ्र आवश्यकता है कि अब सरकार को इन दो अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तुओं के मूल्य घटाने पर पुनः विचार करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मूल्य न केवल उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर देश भर में नियंत्रित किए जायेंगे।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मूल्य-वृद्धि से जनता के कुछ वर्गों अर्थात् उच्च वर्ग के लोगों को छोड़ कर सभी वर्ग पीड़ित हैं। मूल्य वृद्धि के अनेक कारण हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भारी पूंजी निवेश किया गया है। इसके कारण सार्वजनिक खर्चें में भारी वृद्धि हुई है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसी हद तक पिछली सरकार और वर्तमान सरकार ने भी उत्पन्न की है। मुझे सरकार के देशी तथा विदेशी ऋणों की पूरी-पूरी जानकारी है। मैं सरकार पर मूल्य-वृद्धि का आरोप नहीं लगा रहा हूं क्योंकि इस सरकार को सत्ता में आए हुए केवल छः महीने हुए हैं। वर्तमान सरकार को पिछली सरकार से भारी घाटे की वित्तीय व्यवस्था और विदेशी मुद्रा की कठिन परिस्थिति विरासत में मिली है। इन तत्वों से निश्चय ही मूल्य-वृद्धि हुई है। उपभोक्ता खर्चे की अधिकता के कारण मूल्य-वृद्धि इतनी बढ़ गयी है कि गरीब से गरीब लोग भी अत्यन्त तनाव में हैं। वे वर्तमान सरकार द्वारा मूल्य-वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रयास न करने से अत्यन्त अप्रसन्न हैं। मैं मानता हूं कि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। उत्पादन की वृद्धि से वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आनी चाहिए थी। किन्तु मैं देख रहा हूं कि उत्पादन के साथ-साथ मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। एक और कारण है जिससे मूल्यों में वृद्धि हुई है अर्थात जमाखोरी। व्यापारी समुदाय मूल्यों को इतना बढ़ाते हैं कि गरीब लोगों की क्रय-शक्ति की सीमा से बाहर है। सरकार को मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए चुनिंदा ऋण नियंत्रण उपाय करने चाहिए।

पिछली सरकार ने कुछ हद तक ऐसे उपाय करके देखे। जमाखोर लोग धन उधार लेने बैंकों में जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि बैंकों को अपनी ब्याज-दर बढ़ाने के लिए कहा जाये ताकि जमाखोरों को बैंकों से भारी मात्रा में ऋण लेने में संकोच हो और इस प्रकार जमाखोरी कम हो जाये। जमाखोरी हमारे देश की एक बुराई है। पश्चिमी बंगाल जैसे प्रान्त में जमाखोरी को रोकने के उपाय करना बड़ा ही कठिन है क्योंकि कानून लागू करने वाले कुछ अभिकरणों अथवा तन्त्र की जमाखोरों के साथ सांठ-गांठ है। इसलिए जमाखोरी रोकने की संभावना बहुत कम है।

2.00 म० प०

इसलिए एक बार हमने अपने लोगों को जमाखोरी समाप्त करने के उपाय करने की अनुमति दे दी, किन्तु हमने देखा कि उन लोगों को पुलिस तथा जमाखोरों ने कुछ आपराधिक मामलों में फंसा लिया।

मेरा सुझाव है कि अप्रत्यक्ष करों में कमी तथा प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाये।

काले धन का मूल्य-वृद्धि में बहुत अधिक योगदान है। वांचू समिति ने बाजार में काले धन को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय निर्धारित किए थे। हम सबको ज्ञात है कि काले धन की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था है और इसे समाप्त करने के लिए, सरकार को काले धन जमा करने पर नियंत्रण करने के कारगर उपाय करने चाहिए।

दालों तथा अन्य खाद्य पदार्थों एवं कपड़ा, नमक, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल आदि सहित कम से कम चौदह आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए जाने चाहिए और सार्वजनिक वितरण-

[श्री सुधीर गिरि]

प्रणाली के जरिए इनका वितरण किया जाना चाहिए। उचित मूल्य की दुकानें उन गांवों तथा कस्बों में खोली जानी चाहिए जिनमें विपन्न लोग रहते हैं और इन दुकानों पर, समस्त आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाना चाहिए।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित लाभप्रद मूल्यों में वृद्धि के कारण भी कीमतें कुछ हद तक बढ़ी हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को उन वस्तुओं के मूल्यों का समर्थन-मूल्य निश्चित करना चाहिए जिन्हें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग खरीदते हैं। इससे निश्चय ही इन गरीब लोगों को कुछ हद तक लाभ पहुंचेगा।

सार्वजनिक वितरण-प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि जहां शहरी क्षेत्रों में, खाद्य-तेलों का वितरण सार्वजनिक वितरण-प्रणाली द्वारा किया जा रहा है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसा नहीं किया जा रहा। क्यों? अधिकांश निर्धन लोग गांवों में रहते हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश उन्हें अपने ही गांव में अपनी जरूरत का सामान सार्वजनिक वितरण-प्रणाली के माध्यम से खरीदने का मौका नहीं मिलता। वे अपनी जरूरत की चीजें अपने क्षेत्र के बाहर से खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, गांवों में सार्वजनिक वितरण-प्रणाली को इस तरह मजबूत किया जाना चाहिए कि ग्रामीण लोग अपने गांवों में उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य तेल आदि खरीद सकें।

मेरा यह भी सुझाव है कि जो चीजें हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं उनके आयात के लिए 1500 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए। इन चीजों का आयात किया जाना चाहिए और उन चीजों का निर्यात बन्द कर दिया जाना चाहिए जिनकी देश में बड़ी कमी है और जिनके निर्यात से मूल्यों में वृद्धि होती है।

अन्त में, मैं सरकार से पेट्रोलियम और डीजल-उत्पादों की कीमतें कम करने का आग्रह करूंगा। मैं रेल माल-भाड़ों व किरायों को कम करने का सुझाव भी सरकार को दूंगा। इन शब्दों के साथ, मैं मूल्य-वृद्धि पर नियंत्रण के लिए सरकार से कारगर कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा 1990-91 के बजट-भाषण में की गई घोषणा में दिए गए आश्वासन के बावजूद, थोक मूल्य सूचकांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान अत्यधिक बढ़ गया है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि मुख्यतया बजटीय करों, खासकर अप्रत्यक्ष करों के कारण हुई है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर देश-व्यापी चिन्ता और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमण्डल की मूल्यों सम्बन्धी उप-समिति की बैठक बुलाये जाने से इन बजट अनुमानों का महत्व बहुत बढ़ जाता है।

150 आवश्यक वस्तुएं महंगी हो गयी हैं। इन वस्तुओं में इस्पात, चीनी, दालें, मछली, कहवा, कच्चा पटसन, तेल, बीज, सिगरेट, हथकरघा कपड़ा, विद्युत चालित करघों से बनने वाला कपड़ा, रेफ्रिजरेटर, विमान का ईंधन, टायर, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सीमेंट और अन्य बहुत सी वस्तुएं। इनमें से कुछ चीजें दामों पर भी उपलब्ध नहीं थीं और गायब हो गयी लगती हैं।

राष्ट्रीय परिदृश्य की इस पृष्ठभूमि के साथ, मैं इस माननीय सदन का ध्यान अपने निर्वाचन-क्षेत्र बरहामपुर और उड़ीसा राज्य के गंजाम जिला स्थित मेरे गृह-नगर पर्लाखेमुण्डी, जिसका मैंने अभी हाल ही में दौरा किया है, से संबंधित दो विशिष्ट मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहला

यह है कि सीमेंट का मूल्य बढ़कर 115 रुपये प्रति बोरी हो गया है, जिससे समस्त निर्माण-कार्य पूरे होने में कठिनाई हो रही है। दूसरा मुद्दा यह है कि मिट्टी के तेल के दामों ने 8 रुपये प्रति लीटर की एक नयी ऊंचाई छू ली है। प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम 7 लीटर प्रति माह की मूलभूत आवश्यकता है। उक्त नगर में 10,000 राशन कार्ड हैं। अतएव प्रति माह 70,000 लीटर पेट्रोल की जरूरत का केवल 25 प्रतिशत ही जनता को उपलब्ध कराया जाता है।

क्योंकि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही निरन्तर वृद्धि पूरे राष्ट्र की चिन्ता का विषय है, मैं सरकार से चुनाव घोषणा-पत्र की ओर ध्यान देने का तथा इस अत्यन्त अवांछनीय और पंगु बना देने वाली सामाजिक व्याधि को तुरन्त रोकने के लिए अविलम्ब, ठोस कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो हमारे पुराने समाजवादी नेता मंत्री उपेन्द्र नाथ वर्मा जी मेरी ओर देखने लगे। हम साथ-साथ समाजवादी आंदोलन में नारा लगाते थे "महंगी रोको, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम" अब यह नारा लगाने में मजबूर हैं क्योंकि सरकारी दल में चले आये, नारा लगायेंगे तो न नारा लगाए बनता है और न नारा छोड़े बनता है क्योंकि यही नारा लगाते हुए हम सत्ता में आए हैं और यहां आकर फिर वही नारा लगायेंगे तो जनता पूछेगी कि सत्ता में चले गये अब किसका चक्का जाम करोगे। मेरी यह प्रार्थना है कि दाम कम हों, ज्यादा हों या बढ़ें इस पर नहीं जब तक एक मूल्य नीति नहीं बनती है तब तक इस दाम को थोड़ा घटाओ। पूरे हिन्दुस्तान के व्यापारियों, पूंजीपतियों को दिल्ली में बुलाते हो और उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि हे महाराजगण, उद्योगपतिगण, हे पंचदेव, आपसे सरकार अनुनय-विनय निवेदन करती है कि आप अपने उत्पादन की कीमत थोड़ी कम कर दो। इसने इतना वीभत्स रूप धारण कर लिया है कि इसके कारण हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गयी है। मंत्री महोदय जब जवाब दें तो बतायें कि एक बोरी सीमेंट का उत्पादन खर्च कितना है, एक दियासिलाई का उत्पादन खर्च कितना है, एक लीटर मिट्टी का तेल बनाने में उत्पादन खर्च कितना है, एक किलो नमक तैयार करने में उत्पादन खर्च कितना है, एक गज कपड़ा बनाने में उत्पादन खर्च कितना है। जब तक उत्पादन लागत का पता नहीं होगा तब तक उस पर कितना मुनाफा लिया जा रहा है, यह कैसे पता चलेगा। पहले उत्पादन खर्च का पता लगाया जाना चाहिए। इसके लिए एक मूल्य आयोग बने और वह मूल्य आयोग इस बात का अध्ययन करे कि इन-इन वस्तुओं के उत्पादन में कितनी लागत आती है। लागत का पता लगने के बाद मुनाफे का पता लग जाएगा।

कारखानों में जो दाम निर्धारित किए जाते हैं, उनमें उनके यहां शादी-ब्याह, बच्चों की छट्ठी, हनीमून, लंच-डिनर, ब्रेकफास्ट, इन पर जितना खर्च आता है, वह कम्पनी में डाल दिया जाता है। उनके परिवार, दोस्त, मित्र, कुटुम्ब के फैशन, शान-शौकत, ठाट-बाट—इन सब पर जितना खर्च आता है वह हम लोगों को देना पड़ता है। इन सब को इसमें से अलग किया जाना चाहिए। हम लोग एक नारा लगाते थे—"अनाज के दाम का घटना-बढ़ना आना सेर के अन्दर हो, डेढ़ गुना की लागत पर करखनिया माल की बिक्री हो।" जब किसान खुद गेहूं और अनाज पैदा करता है, उस समय तो उसकी कीमत कम रहती है। जब वह अपनी फसल मार्च-अप्रैल में बेचे और अक्तूबर-नवम्बर में बुआई के लिए खरीदने जाएगा, तो जिस भाव पर उसने गेहूं बेचा और वही गेहूं जब वह खरीदने जाता है तो उसको तीन-चार गुने पर मिलता है। जब हम बेचें तो दाम कम और जब हम खरीदें तो दाम तीन-चार गुना। एक नीति बनाइए—अनाज की कीमत किसान बेचे तब और किसान खरीदने की स्थिति

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

में आए तब, एक किलो में एक आने से अधिक का मुनाफा नहीं दिया जाए। आप एक लक्ष्मण-रेखा खींच दीजिए। नारा था—"अनाज के दाम का घटना-बढ़ना आना सेर के अन्दर हो"—एक किलो पर एक आने से अधिक न बढ़े—"डेढ़ गुना की लागत पर करखनिया माल की बिक्री हो"—कारखाने में जो माल पैदा होता है, उस पर जितना खर्च आता है, उससे डेढ़ गुना से अधिक पर वह सामान हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में नहीं बिके। अगर इस नीति को सरकार मान लेती है तो किसी व्यापारी को आगे हाथ जोड़ कर खड़े होने की स्थिति में नहीं आना पड़ेगा। कीमत कभी आगे भागेगी नहीं, लेकिन जब तक मूल्य नीति नहीं बनती है, दाम-नीति नहीं बनती है, तब तक कीमत में उतार-चढ़ाव होता रहेगा।

अन्तिम बात, अनुदान देने की प्रणाली के बारे में सभी लोग जानते हैं। कहा जाता है कि सब्सिडी दो, सब्सिडी दो। बीज निगम बीज को तैयार करता है और जब से यह बीज निगम बना है, तब से लेकर आज तक आप हिसाब निकालिए, कई सौ करोड़ रुपये की सब्सिडी उनको दी जा चुकी है। भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार का है, घाटे की मद में उनको लगभग 25-26 सौ करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। सरकार का व्यापार है, सरकार खरीदती है और बेचती भी है। जब सरकार व्यापार करती है तो उस पर मुनाफा भी लेती है। हम को जितनी भाव देती है, उसमें मुनाफा लेकर खाने वाले को सरकार देती है। फिर बीच में यह सब्सिडी कहां से चली आयी। जो सब्सिडी खाद्य निगम को देते हैं, वही पैसा यदि सीधे कीमत बढ़ा कर किसानों को भुगतान कर दिया जाए, तो किसानों को भी लाभ होगा और किसानों को भी कीमत मिलेगी। जो यह सब्सिडी के नाम पर बीच में हेरा-फेरी का जन्त्र-तन्त्र बनाया हुआ है, इसको सरकार कृपया बन्द करे। एक मूल्य नीति की घोषणा करें। जब मंत्री महोदय जवाब दें तो कृपया बतायें जीवनोपयोगी चीजें, जिनकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की है, उनका लागत खर्च क्या है? जब तक सरकार लागत खर्च नहीं बनाती है, तब तक सरकार को कीमत को रोकने से सफलता नहीं मिलेगी और न जवाब देना सरकार का उचित माना जाएगा।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम): पिछले चुनावों के दौरान राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा प्रचारित नारों में से एक यह था: "आप हमें वोट दें और देखें हम मुद्रा-स्फीति और चढ़ते दामों पर कैसे नियंत्रण करते हैं।" राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पांच महीनों के शासन के बाद, हर कोई मानेगा कि सभी वस्तुओं के दाम 20-25 प्रतिशत की दर से बढ़े हैं—साधारण नमक से लेकर काजल तक। प्रत्येक वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं।

चुनाव के तुरन्त बाद, प्रधानमंत्री, श्री वी० पी० सिंह, एक खुली जीप में जालंधर गये।

उपाध्यक्ष महोदय: यहां यह प्रासंगिक नहीं है।

प्रो० के० वी० थामस: यदि वह गांवों में जायें तो गृहिणियां बेलनों और चमचों से उनका सत्कार करेंगी। यह गृहिणियों की समस्या है। मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप चाहें तो ऐसा ही करें।

प्रो० के० वी० थामस: कारण क्या हैं? क्या कार्यवाही की जानी चाहिए? वित्त मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न यह है: "क्या आप बजट को, विशेष रूप से पेट्रोल के मूल्यों में

बेतहाशा वृद्धि को मूल्यों में बढ़ोतरी होते जाने का कारण नहीं मानते ?" उन्होंने स्वीकार किया कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि से माल भाड़ों में वृद्धि होना लाजमी है। वह इस बात से भी सहमत थे कि इसका अनेक वस्तुओं के मूल्यों पर असर होगा।

इसी तरह का एक प्रश्न मिर्धा जी से किया गया था। उन्होंने भी माना कि रेल भाड़ों तथा माल भाड़ों में वृद्धि से कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है। यदि सरकार इन सब बातों के संबंध में गम्भीर है, तो क्या वह कम से कम डीज़ल की कीमत घटाने को राजी होगी ? क्या वे आवश्यक वस्तुओं के लाने ले जाने से संबंधित किरायों और माल भाड़ों को भी कम करने को तैयार है ?

हर कोई मानता है कि जमाखोरी होती है। यदि सरकार इस बारे में गम्भीर है, तो क्या वह आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने को तैयार हैं ? क्या वह दिल्ली के कम से कम दर्जन भर जमाखोरों को गिरफ्तार करने को तैयार है ? यदि वह आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का साहस दिखाए तो कीमतों में गिरावट आ जाएगी। क्या सरकार अन्त-उत्पाद पर अधिकतम फुटकर मूल्य का अंकित किया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि यह किया जाये तो मूल्यों पर नियंत्रण हो सकता है। हमारे देश में, कमोबेश एक प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। यदि सरकार इस प्रणाली में और अधिक उपभोक्ता वस्तुएं शामिल करने को उद्यत हो तो हम कम-से-कम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित कर सकते हैं।

महोदय, मेरा एक और सुझाव यह है कि केरल जैसे राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बड़े कारगर ढंग से कार्य कर रही है। वहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली गांवों व शहरों दोनों जगह है। किन्तु अन्य राज्यों में वह शहरी क्षेत्रों में भले ही कारगर हो, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों में वह पूर्णतया विफल है। क्या सरकार आदिवासी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इस प्रणाली को सुचारु रूप से लागू करने के लिए कुछ धन व्यय करेगी ?

अन्त में, मैं कहूंगा कि हो सकता है कि आपातकाल में उठाए गए कदमों पर बहुत लोगों को आपत्ति हो। लेकिन इन्दिरा जी ने यह कदम उठाया था कि समस्त आढ़तियों और खुदरा व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं की मूल्य-सूची और अपने पास के भण्डार की सूची प्रकाशित करनी होगी। क्या सरकार इस निर्णय को और आपातकाल के दौरान इन्दिरा जी द्वारा की गयी कार्यवाही को लागू करने के लिए उद्यत है ?

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर प्रसाद (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो महंगाई बढ़ रही है, जिस वक्त बजट आया था उस वक्त भी चर्चा हो रही थी कि महंगाई बढ़ेगी। हम लोग अनुमान कर रहे थे कि 30 प्रतिशत तक महंगाई बढ़ेगी, लेकिन 30 प्रतिशत से ज्यादा महंगाई बढ़ गयी है। जनता दल के मेनीफेस्टो को देखने से पता लगता है कि एक तरफ तो महंगाई पर रोक लगाने की बात की जाती है और दूसरी तरफ लाभकारी मूल्य देने की बात की जाती है, ये दोनों अन्तरविरोधी बातें हैं। इस तरह से महंगाई नहीं रुक पाएगी. जब किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। देश की आबादी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि कितनी आबादी बढ़ रही है और कितने खाने वाले हैं।

दूसरी बात देश की समृद्धि और संचालन के लिए जो संसाधन जुटाने की बात है, किस प्रोसेस से संसाधन जुटाए जावें। अभी यह देखा जा रहा है कि 82-85 प्रतिशत संसाधन अप्रत्यक्ष करों से

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

जुटाए जाते हैं, जिसका असर महंगाई पर, वस्तुओं की कीमतों पर, आम जनता पर पड़ता है। यह प्रोसेस बदलने की जरूरत है, देश में प्रत्यक्ष कर लगाकर संसाधन जुटाए जायें, जिससे आम लोगों पर इसका असर कम पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आज जो महंगाई बढ़ रही है, वह पुरानी नीतियों का परिणाम है, जिन नीतियों द्वारा देश का संचालन और मूल्य निर्धारण तथा वितरण-प्रणाली तय की गयी, उन नीतियों को बदलना चाहिए। जो नीति कांग्रेस पार्टी ने निर्धारित की थी, जिसकी वजह से तेजी से महंगाई बढ़ी, अगर उसी नीति पर जनता दल की सरकार भी चलेगी तो निश्चित तौर पर महंगाई को रोका नहीं जा सकता, महंगाई कम नहीं की जा सकती, जनता को तबाही से नहीं बचाया जा सकता। अगर यही नीति जारी रही तो अनुमान है कि इसके परिणामस्वरूप जून-जुलाई में एक भारी आंदोलन छिड़ेगा, जिसका चारों तरफ तमाम लोगों को सामना करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल्य-वृद्धि पर यह चर्चा अपनी निर्धारित अवधि से दोगुनी अवधि तक हो चुकी है। मेरा विचार है कि अब कोई सदस्य नहीं बोलेगा। बहस का उत्तर मंत्री जी द्वारा अगले सप्ताह मंगलवार को दिया जायेगा।

— — — —

2.24 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91

जल-संसाधन मन्त्रालय

और

कृषि मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि आज संसदीय कार्य मंत्री ने सुझाव दिया था और सदन ने सहमति व्यक्त की थी, सदन आज, जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांग संख्या 78 जिसके लिए चार घंटे का समय नियत किया गया है और कृषि मन्त्रालय से संबंधित अनुदान मांग संख्या 1 से 5 तक जिनके लिए 11 घंटे निर्धारित किए गए हैं, उन पर चर्चा व मतदान करेगा।

सदन में उपस्थित वे माननीय सदस्य जिनके जल संसाधन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों से संबंधित कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहें तो वे प्रत्येक मंत्रालय के लिए अपनी अपनी पर्चियां, जिन पर उनके वांछित कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं भी इंगित की गयी हों, 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें। केवल इन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा।

प्रस्तुत हुए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूचियां शीघ्र ही सूचना पट पर लगा दी जायेंगी। यदि किसी सदस्य महोदय को इन सूचियों में कोई त्रुटि मिले तो वह उसे तुरन्त सभा पटल से संबंधित अधिकारी की जानकारी में ले आये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में

संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1990-91 के लिए जल संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग सं०	मांग का नाम	28 मार्च, 1990 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
जल संसाधन मंत्रालय					
78.	जल संसाधन मंत्रालय	66,36,00,000	4,55,00,000	199,06,00,000	13,65,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 5 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1990-91 के लिए कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग सं०	मांग का नाम	28 मार्च, 1990 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
कृषि मन्त्रालय					
1.	कृषि	376,74,00,000	3,11,00,000	1130,21,00,000	9,33,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	96,22,00,000	47,63,00,000	288,68,00,000	142,90,00,000

1	2	3	4	
3. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	81,75,00,000	—	245,25,00,000	—
4. ग्रामीण विकास विभाग	1898,45,00,000	7,00,000	1244,16,00,000	23,00,000
5. उर्वरक विभाग	1320,78,00.000	33,86,00,000	3962,34,00,000	101,58,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाडियर अब चर्चा का श्रीगणेश करें।

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर (मैसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : महोदय, क्लोज्ड सर्किट टी० वी० ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। यदि आप जाकर देखें तो उसमें एक साथ दो नाम पायेंगे, एक श्री हुकमदेव नारायण यादव का और दूसरा श्री रामशरण यादव का, मानो दोनों एक ही साथ बोल रहे हों। यह आपकी सूचनार्थ है।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, ठीक है।

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : मैं इस बात से शुरू करूंगा कि इस देश के जल संसाधन समूचे देश का अविभाज्य व आवश्यक अंग हैं। वेद व पुराण काल में इस बात का संदर्भ मिलता है और भारत की समस्त नदियों को प्राकृतिक संसाधनों के अंग के रूप में प्रदर्शित करने से उनकी महत्ता स्पष्ट हो जाती है। यह उस श्लोक से भी स्पष्ट है जो स्नान व पूजा करते समय प्रत्येक व्यक्ति के मुख से निकलता है।

2.25 म० प०

[श्री जसवन्त सिंह पीठासीन हुए]

मैं श्लोक उद्धृत करता हूं :

"गंगाच, यमुनाच, गोदावरीच, सरस्वतीच
नर्मदाच, सिंधुच, कावेरीच जलस्मिं संधि कुरम्।"

यह न केवल समस्त नदियों की पावनता को चरितार्थ करता है बल्कि उस एकसूत्रता को भी जिसमें सारी नदियों के गंथा होने की कल्पना की गई है और उस श्रद्धा-भाव को भी प्रकट करता है जिससे उन्हें इस देश में देखा जाता रहा है पवित्रता का मूर्तरूप समझे जाने के अतिरिक्त नदियां सदैव निरन्तरता और शाश्वतता का प्रतीक रही हैं। वे उच्च सम्मान के सिंहासन पर विराजमान पूजा-भाव तथा श्रद्धा-भाव का केन्द्र रही हैं। किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति और राज्यों के पुनर्गठन के साथ-साथ जल संसाधनों के राज्यों का विषय होने के कारण, कुछ मार्ग-च्युतियां हुई हैं जिन्हें हमें ठीक करना है। जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर अनेक अन्तर्राज्यीय विवाद हुए हैं जिन्हें, मैं समझता हूं, निबटाने की कोशिश होनी चाहिए और इस संबंध में कोई समाधान शीघ्रातिशीघ्र निकाला जाना चाहिए। मेरा विचार यह होगा कि कुछ संभावित तरीके हैं जिनके द्वारा हम इस समस्या पर पार पा सकते हैं ताकि

जल संसाधनों का प्रवाह समता, स्थिर चित्त वृत्ति, संतुलन की ओर मोड़ा जा सके ताकि समूचे देश में वृद्धि व आर्थिक विकास का मार्ग सुगम हो जाए।

एक महत्वपूर्ण संभावना यह है कि हम जल संसाधनों और विद्युत को, क्योंकि जल-विद्युत जल संसाधनों का ही एक हिस्सा है, एक नेशनल पावर ग्रिड और नेशनल वाटर ग्रिड बना कर एतद द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच चल रहे इन सभी अन्तहीन विवादों का परिहार करके, जल संसाधनों तथा विद्युत को भी राष्ट्रीय सम्पत्तियां घोषित करने का विचार करें और इसी पर अपनी आशा बांधें। दूसरे, हिमालय से निकलने वाली नदियों प्राय:द्वीपीय भारत की नदियों के साथ और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के साथ जोड़ने के लिए एक विशाल धनराशि का आवंटित किया जाना बहुत जरूरी है। तृतीय, नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए और जल की बहुतायत वाले इलाकों से पानी उन इलाकों में ले जाने के लिए जिनमें आर्थिक दृष्टि से बार-बार अकाल पड़ता हैं, इन दोनों बातों के लिए सबसे सस्ते उपाय करने के लिए विज्ञान व प्रोद्योगिकी के साथ-साथ अनुसंधान व विकास (आर एण्ड डी) का उपयोग करने की बात पर विचार करने का समय आ गया है। चतुर्थ बात यह है कि विभिन्न राज्यों व केन्द्र सरकार के द्वारा भी उपयुक्त जल प्रबन्धन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अन्तिम बात यह है कि अब समय आ गया है कि उपयुक्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था किए जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि विभिन्न चालू परियोजनाओं को विश्रृंखलित होने से रोका जा सके, लागत मूल्य में वृद्धि को रोका जा सके और इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। जल संसाधनों के दोहन व उपयोग के लिए वर्तमान प्रणाली, जिसमें हम पंचवर्षीय आधार पर योजनायें बनाते हैं, के बजाय एक दीर्घकालिक योजना होनी चाहिए जो संभवत: अगले तीस या चालीस वर्षों के लिए हो।

अगर वार्षिक रिपोर्ट को देखा जाए तो इसमें भूतल व भूमि के भीतर के जल ससाधनो का उपयोग करके सिंचाई व्यवस्था के विकास और जल संसाधनों के प्रबन्धन में आशातीत अभिवृद्धि को दर्शाया गया है। सातवीं योजना के अन्त तक लगभग 79 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था की गयी और खाद्यान्नों का उत्पादन 1989 के अन्त तक 173 मिलियन टन हो जाने की आशा थी। जल संसाधन मंत्रालय ने अनेक ऐसे प्रकाशन किए हैं जिनसे हमें विभिन्न जल स्रोतों और सिंचाई के क्षेत्र में हुए विकास के विवरण प्राप्त होते हैं। अनुमान लगाया गया है कि 2000 ईसवी तक जनसंख्या बढ़ कर 900 मिलियन तक हो सकती है और लगभग 240 मिलियन टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। किन्तु हमें कम से कम 300 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन करने की योजना बनानी चाहिए ताकि आकस्मिक रूप से पड़ने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सके। इसके लिए यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हमारे विकास की गति तेज हो तथा चल रही हमारी विभिन्न परियोजनाएं बिना किसी लागत वृद्धि के जहां तक संभव हो कम से कम लागत में पूरी हों। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि यह उचित समय है कि हम वातावरण और पर्यावरण के महत्व को भी ध्यान में रखें क्योंकि कई बार इन परियोजनाओं से मानवीय पहलुओं और लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के महत्व को खोये बिना वातावरण को बहुत क्षति पहुंचती है।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने राष्ट्रीय जल नीति को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है जिसमें इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि जल संसाधन सीमित है, इसलिए परम्परागत साधनों द्वारा सभी फसल क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा पहुंचाना संभव नहीं है। इसने फालतू पानी को कम पानी वाले क्षेत्रों को भेजने में जल प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं की महत्ता पर जोर दिया है। इसमें पेयजल, सिंचाई,

[श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर]

पन-बिजली, नौवहन तथा औद्योगिक और अन्य इस्तेमालों को प्राथमिकता देने की बात कही गयी है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें 17 जल अन्तरण लिंकों की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया गया है जो फालतू पानी के इलाकों से पानी को कमी वाले इलाकों में ले जाने के लिए जरूरी है। इन स्कीमों पर संबंधित राज्य सरकारों का अनुमोदन लेकर कार्यवाही की जाएगी। मैं केन्द्र सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि उसे इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए और इसमें अपेक्षित अनुमति प्राप्त करनी चाहिए ताकि इन स्कीमों को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जा सके।

मैं पन-बिजली के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। पन-बिजली सबसे सस्ती पड़ती है और यह एक विश्वसनीय परम्परागत बिजली पैदा करने का साधन है। यह ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है क्योंकि इसके चलाने और रखरखाव पर बहुत ही कम लागत आती है। अब तक केवल 30 प्रतिशत पन-बिजली क्षमता का उपयोग किया गया है। पन-बिजली का उत्पादन बढ़ाना बहुत ही आवश्यक और वांछनीय है क्योंकि इसकी सहायता से देश में बिजली के संकट पर विजय पायी जा सकती है। नदी के बहाव पर रोक डाले बिना उससे ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जासकता है तथा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

हमारे देश के लिए जल प्रबन्ध बड़ा जरूरी है क्योंकि यहां पर या तो कुछ क्षेत्रों में अक्सर सूखा पड़ा रहता है और कुछ क्षेत्रों में अक्सर बाढ़ आती रहती है जिससे काफी तबाही होती है। अतः केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास के कार्यों को तेजी से करने के लिए एक बहुत ही प्रशंसनीय योजना है। लगभग 131 परियोजनाएं शुरू की जानी हैं जिनके अन्तर्गत 18.5 मिलियन हैक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र आता है। इस योजना में किसानों को सिंचाई और जल प्रबन्ध तथा जल के प्रयोग में बचत करने के लिए छिड़कावों तथा ड्रिप सिंचाई प्रणालियों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण देने के अलावा फील्ड चैनलों के निर्माण, भूमि को सतही बनाना, उसको सही रूप देना तथा खेतों में नालियों का निर्माण और वाराबन्दी प्रथा को अपनाने पर ध्यान दिया गया है। वितरण प्रणाली में नुकसान को रोकने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सहायता से विभिन्न चैनलों को जोड़ने की सिफारिश की गयी है। मेरा अनुरोध है कि इस कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की ओर अधिक ध्यान दिया जाए। यहां चार कार्यकारी दल स्थापित किए गए हैं जिन्होंने बेहतर बाढ़ नियंत्रण और प्रबन्ध के लिए चार योजनाएं बनायी हैं जिनके नाम हैं; दीर्घ और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं संबंधी कार्यकारी दल, लघु सिंचाई परियोजनाओं संबंधी कार्यकारी दल, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधी कार्यकारी दल और बाढ़ प्रबन्ध संबंधी कार्यकारी दल।

दीर्घ और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं संबंधी कार्यकारी दल ने चालू परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने, नदी बेसिन प्राधिकरणों की स्थापना, रिसाव के कारण तथा नहरों के किनारों के कच्चे तथा पक्के होने के कारण क्षति का वैज्ञानिक अवलोकन, विभिन्न प्रकार की नहरों के पक्के किनारों का मूल्यांकन, नदी पर आधारित जलाशयों, बांधों और तालाबों की गांद निकालना और अवसादन की रोकथाम तथा पानी की बचत का प्रचार करने के लिए चक्रीय जल सप्लाई की वाराबन्दी प्रणाली के अपनाने का सुझाव दिया है।

लघु कार्यकारी दल ने बड़े पैमाने पर नल-कूपों, उथले कूपों और बेधन-कूपों के निर्माण, नए

तालाबों के निर्माण तथा लघु सिंचाई के 2 प्रतिशत लागत के आबंटन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पाइप लाइन वितरण प्रणाली तथा उठाऊ सिंचाई प्रणाली के लिए अलग रखने का सुझाव दिया है।

कमान क्षेत्र विकास संबंधी कार्यकारी दल ने आवश्यक केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय राज सहायता से 5 हैक्टेयर भूमि के निकास के लिए कृषि संबंधी नहरों के निर्माण तथा कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के उचित विकास की सिफारिश की है।

बाढ़ प्रबन्ध दल ने विभिन्न क्षेत्रों से बाढ़ के पानी को दूसरे स्थानों पर ले आने तथा नहरों की क्षमता में वृद्धि करके पानी को जमा करने, बाढ़ से होने वाले नुकसान के खतरे से वहां से लोगों को दूर रखने तथा वहां पर विकास न करने में संशोधन करने, बीमा, बाढ़ सहायता और पूर्व सूचना देने के माध्यम से होने वाले नुकसान के बोझ में कमी करने का सुझाव दिया है। लगभग 19 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा करने पर विचार किया गया है। सरकार ने इसके लिए 2494 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है और इससे कुल 13.64 हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ होगा। सातवीं योजना में 3148 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गयी थी लेकिन कठिन वित्तीय स्थिति की वजह से केवल 947.93 करोड़ रुपये आबंटित किये जा सके। बाढ़ से नुकसान के लिए उत्तरदायी कारणों में से कुछ इस प्रकार हैं : (एक) आबादी में वृद्धि तथा विकासात्मक कार्यों से बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बाढ़ों से वृद्धि (दो) राज्यों द्वारा इस समस्या से निबटने के लिए तदर्थ रवैया अपनाना (तीन) समस्त क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ संबंधी राष्ट्रीय बाढ़ आयोग रिपोर्ट को लागू न करना और (चार) बड़े पैमाने पर अपविग्नीकरण, वन-कटाई और भू-क्षरण तथा राज्यों द्वारा रख-रखाव में कमी, अपर्याप्त धन आदि के कारण बाढ़ प्रबन्ध कार्यों में बार-बार नुकसान। इस बात को स्वीकार किया गया है कि बाढ़ नियन्त्रण के लिए किए गए उपायों में बाढ़ प्रबन्ध की समस्याओं के लिए पूर्ण हल की व्यवस्था नहीं की गयी है। समतल क्षेत्रों में आने वाली बाढ़, बाढ़ के लिए पूर्व सूचना देना तथा बाढ़ के लिए बोध रहित उपायों पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग से नहरों के माध्यम से पाइप लाइनों द्वारा बाढ़ संभावित क्षेत्रों से फालतू पानी को अन्ततः सूखा संभावित क्षेत्रों में ले जाने की संभावनाएं हैं। यदि विभिन्न राज्य इसके लिए उपयुक्त विधान, जिसकी सिफारिश की गयी है, लाने में तत्काल कार्यवाही करें तो इस प्रवृत्ति को आगे के लिए बदला जा सकता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसका हल ढूंढने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा अर्थात, भूमिगत पाइपों द्वारा, जलाशयों द्वारा नहरों को जोड़ने से जो कि बाढ़ के फालतू पानी को जमा कर सकते हैं, बाढ़ के पानी को सूखा संभावित क्षेत्रों में ले जाने से, जिससे कि इस पानी को बाढ़ में उपयोग किया जा सकता है।

इसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है और यह जल संसाधनों को धन देने के लिए आबंटित करना होगा ताकि जल संसाधन प्रबन्ध बेहतर हो सके।

हमें बड़े पैमाने पर वन लगाने का कार्यक्रम शुरू करना होगा ताकि भूमिगत जल का स्तर कम न हो तथा विभिन्न कृषि परियोजनाओं को शुरू करने की वजह से पर्यावरण और वातावरण में जो असन्तुलन पैदा होने की संभावना है उस पर भी नियन्त्रण रखना होगा। यह उचित समय है कि हम इस तथ्य को देखें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जहां तक संभव हो कम से कम लागत पर जीवन स्तर में सुधार करने में सहायता करनी चाहिए। अन्यथा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वास्तव में कोई अर्थ नहीं रहेगा···(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके पास तीन अथवा चार मिनट का समय और बचा है।

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : जी, हां । मैं अब कर्नाटक में सिंचाई और पन-बिजली की विभिन्न चालू और लम्बित परियोजनाओं के विषय की ओर आता हूं । कर्नाटक का हमारे राज्य को प्रकृति के अमूल्य और सुन्दर उपहार के रूप में वर्णन किया जा सकता है । इसे तीन क्षेत्रों में बांटा गया है । एक तटीय क्षेत्र है, इसके बाद मुख्य भूमि और इसके बाद रोलिंग विशाल भीतरी प्रदेश जिसमें राज्य का बड़ा हिस्सा आता है ।

राज्य में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है । अत: मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य की लम्बित विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करें ताकि उन्हें समय पर पूरा किया जा सके और राज्य के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके ।

कर्नाटक में कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, केन्नार, कालिन्दी और पोलार आदि कई महत्वपूर्ण नदियां है । यहां लगभग 106 लाख हैक्टेयर भूमि है जो कृषि योग्य है लेकिन ऐसा अनुमान है कि केवल 55 लाख हैक्टेयर भूमि में कृषि की जाती है । औसत उपज लगभग 3,440 टी०एम०सी० है । अनुमान है कि औसतन वार्षिक बहाव 97.352 मिलियन क्यूसेक है जो केवल लगभग 42 प्रतिशत पूर्व में बहने वाली नदियों से उपलब्ध होता है और 58 प्रतिशत तट रेखा के समीप बहने वाली पश्चिम की ओर जाने वाली नदियों से उपलब्ध होता है । राज्य सरकार ने नदी पार बहुत सारी जल बेसिन परियोजनाएं बनायी हैं । इन सबके लिए पर्याप्त धन की जरूरत है । मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इनके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता आवंटित करके कृपया इनको कार्यान्वित करें ताकि इन परियोजनाओं को पूरा किया जा सके ।

इन योजनाओं में उल्लेखनीय है : पहले चरण में कृष्णा प्रोजेक्ट की द्वितीय स्टेज जिसकी अनुमानित लागत 6:4 करोड़ रुपये है; कृष्णा द्वितीय चरण अनुमानित लागत 550 करोड़ रुपये; और तुंगभद्रा नदी के दाएं किनारे की नहर और कुछ अन्य भी हैं जैसे मलप्रभा, घटप्रभा, काली नदी और नेत्रावती योजनाएं जो पूरी होने की विभिन्न अवस्थाओं मे हैं ।

पर्याप्त धन की कमी के कारण ये योजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पहलू पर गोर करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाये जिससे ये योजनाएं पूरी कराई जा सकें ।

महोदय, मैं एक पहलू की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिनका संबंध टेंकों और नदियो और जलाशयों और बांधों मे जमी गाद की सफाई से टैंकों और जलाशयों की दीवारों का स्त्राव से बचाने के लिए पक्का करने, पानी के रुकाव, खारापन, तलछटीकरण और मिट्टी के जमाव के कारण क्षमता में कमी को रोकने के लिए जमी गाद आदि को दूर करने के सम्बन्ध में है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कर्नाटक की कृषि में टेंक द्वारा सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है और भूमि का 25.25 मिलियन हैक्टेयर इन टेंकों द्वारा सिंचाई कार्यों के लिए रखा हुआ है । विश्व बेंक ने 79 टेंक सिंचाई योजनाओं के लिए लगभग 54 मिलियन रुपये की सहायता दी थी । किन्तु इनमें से केवल 29 टैंकों की मरम्मत हो पायी है । हमें और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है जिससे मरम्मत पूरी की जा सके ।

महोदय, मैं अपने जिले, चुनाव क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूं । वहां करीब एक दर्जन सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं जो पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में है । उल्लेखनीय रूप से हेमवती हारंगी परियोजना, नहर और लिफ्ट द्वारा सिंचाई परियोजना, वरुण नहर, कोटेहोला परियोजना, कबीनी दायें किनारे की नहर परियोजना जो अभी शुरू नहीं हुई है, काबिनी के पीछे के पानी

द्वारा प्रस्तावित तरक्का लिफ्ट द्वारा सिंचाई और ऐसी अन्य कई परियोजनायें हैं जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। अनधिक वित्तीय कमी के कारण वहां काम लगभग रुक गया है। मैं मन्त्री और सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराया जाए ताकि धन की कमी से जो स्थिति बनी है उस पर नियन्त्रण पाया जा सके और इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।

महोदय, टैंक द्वारा सिंचाई मेरे जिले की सिंचाई में एक बड़ा रोल अदा करती है। अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं कावेरी नदी के जल सम्बन्धी विवाद का उल्लेख करना चाहूंगा। यदि मैं कावेरी नदी के जल विवाद के बारे मे कुछ नहीं कहता तो मैं अपने कर्तव्य पालन में असफल रहूंगा। महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र, मेरे जिले मे अधिकतर टैंक क्षतिग्रस्त हैं। वे कई प्रकार की कमियों से ग्रस्त हैं। उनकी मरम्मत करने के लिए, उन्हें गहरा और साफ करने के लिए समुचित ध्यान और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। ऐसा करने से टैंक द्वारा सिंचाई व्यवस्था जो सदियों से चल रही है मेरे चुनाव क्षेत्र में पुन. चालू हो सकेगी।

महोदय, जल-विद्युत परियोजनाओं को अनुमति मिलने में विलम्ब हो रहा है। सिवासमुद्रम मोममो विद्युत योजना जिसे रन-आफ-द-रिवर योजना के रूप मे तैयार किया जा रहा है, जिसका कोई भण्डार नहीं है, यह 270 मेगावाट विद्युत और वार्षिक रूप से औसतन 1519 मिलियन यूनिट उत्पन्न कर सकती है। भद्रा राईट बैंक कनाल पावर-हाउस, नहर और मुख्य धारा, से जलाशय के पानी का उपयोग कर रहा है इसकी 6 मेगावाट की क्षमता है और यह 26 मिलियन यूनिट उत्पादन कर रहा है। सरपदी बराज जल-विद्युत योजना, जिसकी क्षमता 120 मेगावाट और 279 मिलियन यूनिट है, को रन-आफ-द-रिवर योजना के रूप मे तैयार किया जा रहा है। तीसरी योजना है कटला और पलामा की डाइवर्जना योजनाएं जो दो धाराओं की पश्चिमी घाट में उस प्रकार उत्पत्ति पर विचार करती है जैसे कासल रॉक, इसलैंडयों और इन्ही धाराओं के काली नदि की ओर मोड़ने से जो इन्हें आन्तरिक रूप से जोड़ती हैं, ताकि विद्युत उत्पादन के लिए जल उपलब्ध हो सके। इससे लगभग 100 मिलियन यूनिट अतिरिक्त उत्पादन हो सकेगा।

कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सम्बन्धों में एक अत्यन्त दुःखद मुद्दा था। मैं इस मामले के गुण-दोषों की ओर नहीं जाना चाहता हू क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही इस मामले पर निर्णय दे दिया है और न्यायाधिकरण स्थापित किया जा चुका है। किन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री ने फिर यह कहकर अपनी यह बात दोहरायी है कि कावेरी के सम्बन्ध में वार्ता असफल हुई है और अन्ततः इस मामले की जांच के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल ने कावेरी जल के आबंटन अर्थात हमारे और तमिलनाडु के बीच 414 टी०एम०सी०, केरल के लिए 43 टी०एम०सी० और पांडिचेरी के लिए 9 टी०एम०सी० का प्रस्ताव अत्यन्त न्यायोचित था। यह दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसका बहुत अधिक प्रदर्शन किया है और यहां तक कहा है कि वार्ता असफल हो गयी है। यह मानी हुई बात है कि वह 1924 के समझौते पर विश्वास करना चाहते हैं जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने मैसूर राज्य पर लागू किया था जिसकेअन्त गंत भविष्य में कृषि भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत नहीं लाया जाए और दुर्भाग्य की बात यह है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के व्यवहार से क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक की जनता अपने भय तथा शंकाएं निरन्तर व्यक्त करती आ रही है कि उनके हितों की उपेक्षा की गयी है। केन्द्रीय सरकार ने उनके साथ पक्षपातपूर्ण

[श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर]

व्यवहार किया है चाहे वहां कोई भी सरकार हो। भाषा सम्बन्धी तथा क्षेत्रीय भावनाओं की प्रधानता है। यह गुड फ्राइडे अर्थात पिछले महीने की 13 तारीख की घटना से स्पष्ट हुआ। जब आर्च-बिशप ने कन्नड़ में मिस्सा देने से इनकार किया और हमने देखा कि पूरे बंगलौर से सभी क्रिश्चियन अकस्मात बाहर निकल आए और सेंट मेरी के गिरजा घर के पास और सड़क पर रतन बाजार के पास इकट्ठे हो गए। पुलिस को सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा और दूसरी एक घटना में जो डेढ़ वर्ष पूर्व घटी जिस समय श्री बोम्मई मुख्य मंत्री थे। जब उन्होंने तमिलनाडु को पानी दिलाया, तो कन्नड़ उग्रवादी, किसान और विभिन्न दंगाइयों ने मानव दीवार बना दी ताकि तमिलनाडु में पानी न जा सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्नाटक को विकास की गतिविधियों में काफी कष्ट उठाना पड़ा है। यहां तक कि सच्चे कन्नड़ लोगों को केन्द्रीय सरकार के संस्थानों में मुश्किल से कोई स्थान प्राप्त होता है। अतः जब स्थिति इतनी गम्भीर है तो तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आशा करता हू कि यह सरकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के अहम को संतुष्ट करने के लिए सही मार्ग से न डगमगाए जबकि वह कर्नाटक के भाग्य को स्वतन्त्रता के पश्चात् के भारतवर्ष में बद से बदतर बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सत्तारूढ़ सदस्यों से निवेदन करता हू कि यही उचित समय है जब कर्नाटक के हितों की रक्षा की जा सकती है। कर्नाटक का हित इतना ही सर्वोपरि है जितना तमिलनाडु का और एक राष्ट्रवादी के रूप में मैं यही कहूंगा कि इस समस्या का समाधान उपयुक्त तथा मानवीय ढंग से किया जाये। किसी भी प्रकार के अहम अथवा क्षेत्रीय भावनाओं को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी मुख्य मंत्री को इसलिए प्रसन्न करने का प्रयास न किया जाए क्योंकि वह सरकार में साझेदार है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इस कावेरी विवाद को मैत्रीपूर्ण ढंग से दोनो राज्यों के हित के लिए संतोषजनक रूप से सुलझाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हू।

श्री पलाई के० एम० मंथ्यू (इडुक्की) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[विशेषरूप से केरल में इडुक्की के भारी बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित व्यक्तियों को केन्द्रीय निधि में से पर्याप्त प्रतिपूर्ति तथा सहायता देने की आवश्यकता।] (85)

"कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राज्य सरकारों विशेषरूप से केरल को, रोक बांध बोर-कुंओं नलकूपों के निर्माण हेतु अधिक ऋण और अग्रिम देने की आवश्यकता।](86)

[हिन्दी]

श्री गोबिन्दभाई कानजीभाई शेखड़ा (जूनागढ़) : सभापति महोदय, आपने वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की डिमांड पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

पहले इस मिनिस्ट्री को सिंचाई मिनिस्ट्री कहा जाता था, अब उसको वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री का नाम दिया गया है, उनका नामनक्लेचर बदला गया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता

हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो पानी का इन्तजाम करना चाहिए था, वह इन्तजाम उसने नहीं किया, जिसकी वजह से आजकल पानी की काफी दिक्कत हो रही है। अगर यह पहले से किया गया होता तो देश का कृषि का उत्पादन काफी बढ़ गया होता, लेकिन नहीं बढ़ सका। बम्बई में एक दिनम-दस्तर नाम की एक कम्पनी है, उन कम्पनी से पहले एक प्रोजैक्ट बनाया था, जिसमें कहा गया था कि किसानों की खेती के लिए हर खेत में पानी मिलेगा और उस प्रोजैक्ट की कीमत 12 हजार करोड़ थी। उस वक्त के प्रधानमन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है, इसलिए उसको माना नहीं। यह अपने देश की परिस्थिति है कि पानी होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर सके। देश में पानी की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पानी का उपयोग करना चाहिए था, वह हम नहीं कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात में पानी की समस्या हल करने के लिए सरदार पटेल ने इसको किया था।

[अनुवाद]

उन्होंने नर्मदा नदी के जल को उपयोग में लाने के विचार को प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

अब उसको 44 साल हो गए हैं, लेकिन वह अभी तक अमल में नहीं आ सका है। यह बहुत ही अनफार्चुनेट बात है। गुजरात के लिए जो नर्मदा प्रोजैक्ट है, वह उनकी लाइफलाईन है। मैं जल संसाधन मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नर्मदा प्रोजैक्ट को वे जल्दी अमल में लायें। जो पर्यावरणवादी हैं, वे इसका विरोध करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात में पिछले तीन दशकों में दस अकाल पड़े हैं। गुजरात प्रदेश में नर्मदा बहती है, तो उसका पानी गुजरात को मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : सोलंकी जी, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जायें, क्योंकि मंत्री जी को बयान देना है। मंत्री जी के बयान देने के बाद फिर आप अपना भाषण दीजिएगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी।

2.58 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

तेल उद्योग के अधिकारियों द्वारा अपने वेतनमानों और महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के प्रश्न पर 8 मई, 1990 को हड़ताल पर जाने की धमकी

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के वेतनमानों और महंगाई भत्ते में संशोधन से सम्बन्धित मुद्दा कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने सावधानीपूर्वक और विस्तार से विचार विमर्श करने के बाद 4 अप्रैल, 1990 को वेतनमान और महंगाई भत्ते पर अपना निर्णय अधिसूचित किया।

[श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी]

तेल उद्योग के अधिकारीगण मांग कर रहे थे कि उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों अथवा बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों के सदृश महंगाई भत्ता दिया जाए। इन मुद्दों पर अन्तिम निर्णय सरकार को लेना था जिसके लिए केन्द्रीय सरकार, बैंक, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे पारिश्रमिक की तुलना में इन उपक्रमों के अधिकारियों को दिये जा रहे पारिश्रमिक और अन्य आनुसंगिक बातों को ध्यान में रखा गया। सरकार ने तदनुसार निर्णय लिया कि इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों को औद्योगिक महंगाई भत्ता मिलना जारी रहेगा। औद्योगिक महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1.65 रुपये की जगह वृद्धि करके 1.90 रुपये प्रति पाइंट शिफ्ट किया गया है।

इन निर्णय के प्रसारण के बाद, तेल उद्योग से काम कर रहे नौ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी संघ ने इस आधार पर हड़ताल की नोटिस दी कि उनकी केन्द्रीय सरकार के बराबर महंगाई भत्ते की मांग को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। अधिकारियों ने दो चरणों अर्थात 24 अप्रैल से 26 अप्रैल और 8 मई से 11 मई, 1990 तक हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। अधिकारियों ने अनेक स्थानों पर 10 अप्रैल, 1990 से नियमानुसार कार्य करना भी शुरू कर दिया है। इंडियन आयल कारपोरेशन के पूर्वी क्षेत्र के अधिकारियों के एक दल ने 17 अप्रैल, 1990 को एक दिन की हड़ताल कर दी जिससे पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में बाधा आई।

हड़ताल को टालने के लिए सचिवों के एक दल ने अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। ये विचार-विमर्श 20 और 21 अप्रैल, 1990 को किये गये और सरकार ने अधिकारियों को सूचित किया कि यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकारियों और गैर-यूनियन वाले उन पर्यवेक्षकों को केन्द्रीय सरकार की भांति वेतनमान, महंगाई भत्ता और प्रसुविधाएं देने पर विचार करने को तैयार है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ता के पैटर्न पर 68 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए की गई पेशकश के सदृश औद्योगिक महंगाई भत्ता प्रणाली से शासित होते है।

3.00 म० प०

तेल उद्योग के अधिकारियों ने अन्य मांगों में सरकार से अनुरोध किया कि वह बैंकिंग क्षेत्र में यथा-प्रचलित महंगाई भत्ते के तटस्थीकरण के लिए नई प्रणाली बनाए और वेतन और महंगाई भत्ते के संशोधन से हटकर प्रसुविधाओं के प्रश्न को अलग रखो इस पर विचार होने तक तेल उद्योग के अधिकारियों ने 24 से 26 अप्रैल, 1990 तक की पूर्व निर्धारित प्रथम चरण की हड़ताल को स्थगित कर दिया। सचिवों के दल ने अधिकारी संघ से पुन: 25 अप्रैल, 1990 को मुलाकात की उन्हें बताया गया कि सरकार की केन्द्रीय वेतनमान, महंगाई भत्ता तथा प्रसुविधाओं के पैकेज के रूप में की गई पेशकश उन्हें मंजूर नहीं है। अधिकारी संघ ने अपनी मौलिक मांग पर जोर डाला और बताया कि यदि ये स्वीकार नहीं की जाती है तो 8 से 11 मई, 1990 तक की हड़ताल के दूसरे चरण को आरंभ कर देंगे।

सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) ने तेल उद्योग के अधिकारियों से 3 मई, 1990 को मुलाकात की और तेल उद्योग के अधिकारी संघ द्वारा और वैसे ही दूसरे अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ संघों तथा अन्य ट्रेड यूनियनों द्वारा किये गये अभिवेदनों को ध्यान में रखकर उन्हें स्पष्ट किया

गया कि 12 मई, 1990 को वित्त मन्त्री के विदेश से लौटते ही वित्त मन्त्री और श्रम मन्त्री का ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करना प्रस्तावित है। होने वाली इस बैठक में औद्योगिक महंगाई भत्ते की प्रणाली में संशोधन के संबंध में प्राप्त विभिन्न अभिवेदनों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

अधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया कि महंगाई भत्ता प्रणाली में संशोधन के सम्बन्ध में विभिन्न अभिवेदनों पर समाधान खोजने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम होगा। उन्हें यह भी स्पष्ट किया गया कि वेतनमानों में संशोधन, करार के प्रवृत्त होने की तारीख, वेतन नियतन विधि आदि जैसे मामलों पर भी विभिन्न प्रकार के अभिवेदन सरकार के सामने आयेंगे। तब तक के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों के दिनांक 4 अप्रैल, 1990 के महंगाई भत्ता और वेतन संशोधन में संबंधित परिपत्र को आस्थगित रखा जाएगा। इस दृष्टि से अधिकारियों को सुझाव दिया गया कि वे 8 मई, 1990 से हड़ताल पर जाने के अपने पहले के निर्णय पर पुनर्विचार करें और हड़ताल की नोटिस को वापस ले लें। ऐसी ही अपीलें तेल कम्पनियों के मुख्य कार्यकारियों द्वारा अपने अधिकारियों को जारी की गई। इन अपीलों के बावजूद तेल उद्योग के अधिकारियों ने अब 8 मई, 1990 को एक दिन की हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है।

इस हड़ताल के परिणामस्वरूप अपवादस्वरूप रक्षा सप्लाई को छोड़कर तेल क्षेत्र के वे सभी कार्यकलाप सम्पूर्ण देश में 8 मई, 1990 को ठप्प हो जायेंगे जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों के अन्वेषण, वेधन, उत्पादन, पंपिंग, शोधन और वितरण कार्य शामिल हैं। हड़ताल की वजह से लगभग 180 करोड़ रुपये की उत्पादन और बिक्री की हानि होगी इसमें उत्पादन हानि की भरपाई के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की तदनुरूपी मात्रा के आयात पर लगभग 37 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त व्यय शामिल है।

अधिकारियों का हड़ताल पर उस समय जाने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला गम्भीर चिन्ता का विषय है, जिस समय आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सम्बन्धी माहौल तथा राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य देश के सामने है। प्रस्तावित हड़ताल से काफी अस्तव्यस्तता बढ़ जाएगी और आम जनता को असुविधा और तंगी होगी। सरकार के पास, अतएव, अनिवार्य सेवा अधिनियम, 1981 के तहत हड़ताल को प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना जारी करने के सिवा और दूसरा चारा नहीं था। अपेक्षित अधिसूचना तारीख 7 मई, 1990 को जारी कर दी गई है। परिस्थिति का पूर्णत: और दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : नहीं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : मैं मन्त्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सदस्य महोदय जानते हैं कि मन्त्री महोदय के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण सामान्यत: सभा की परम्परा नहीं है। किंतु मैं जानता हू कि सदस्य महोदय श्री कुमारमंगलम और राम नाईक कितने उत्तेजित प्रतीत हो रहे हैं। किन्तु मैं यह सभी से नहीं कह सकता हूं। कृपया आप इस बात को समझ लीजिए। समझदार व्यक्ति आपको आपस मे ही फैसला करना होगा। हम जानते हैं कि सर्वश्री कुमारमंगलम और राम नाईक की श्रम मामलों में कितनी रुचि है। मैं इन दो आदरणीय सदस्यों को अपनी चिन्ता व्यक्त करने की

अनुमति दूंगा । तत्पश्चात् जो मन्त्री का उत्तर होगा मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता हूं । श्री कुमार मंगलम कृपया संक्षेप में कहिए ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं संक्षिप्त भाषण दूंगा । मन्त्री महोदय के वक्तव्य से हमें यह पता चलता है कि यद्यपि सरकार इस समस्या से अवगत थी, जो बहुत पहले से उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ी हुई है और मेरे विचार से तीन वर्ष से अधिक समय से अधिकारियों और संघ से असंबद्ध अधिकारियों और निरीक्षकों के वेतनमान सरकार और सभी सार्वजनिक क्षेत्र निगमों के पास इस वादे से पड़े हुए हैं कि जैसे ही उच्चतम न्यायालय इस विषय में किसी निर्णय पर पहुंचेगा तभी उच्चतम न्यायालय में दिए गए आश्वासन के आधार पर सभी मामलों को निपटाया जाएगा । दुर्भाग्य की बात यह है कि औद्योगिक महंगाई भत्ता 1.90 प्रति प्वाइंट स्वत: ही मनमाने ढंग से निर्धारित किया गया था यद्यपि इस मामले पर त्रिपक्षीय समिति चर्चा कर रही थी । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इनकी नीति या कार्य विधि यही है ।

दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे संघों के साथ चर्चा करना और मामलों को सुलझाना उचित समझते हैं । एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के लिए क्या वे आवश्यक सेवायें बनाये रखने वाला अधिनियम जो एक क्रूर अधिनियम है, लागू करने के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ? सत्ता पक्ष में रहते हुए भी मैंने सुस्पष्ट रूप से इसका विरोध किया था और उस समय कांग्रेस सरकार ने आवश्यक सेवायें बनाये रखने वाले अधिनियम को लागू करने का साहस ही नहीं किया । यदि सरकार आवश्यक सेवायें बनाये रखने का अधिनियम लागू करती है तो मैं इसे पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इससे केवल तेल उद्योग में ही हड़ताल नहीं होगी बल्कि पूरे देश में प्रत्येक उद्योग में हड़ताल होगी । एक भी पहिया नहीं घूमेगा ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, यह एक अत्यधिक गम्भीर मामला है । वक्तव्य से पता लगता है कि मन्त्री महोदय ने यह सुनिश्चित करने का, कि हड़ताल वापिस ले ली जाए, कोई व्यक्तिगत प्रयास नहीं किया है । जो कुछ भी किया गया है वह केवल प्रशासनिक स्तर पर किया गया है । सचिव आये और उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया । जब सरकार ऐसी गम्भीर कदम उठाने की सोच रही है जिससे केवल तेल अधिकारियों का संघ ही नाराज नहीं होगा बल्कि सभी मजदूर संघ नाराज होंगे तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करना चाहेंगे । उन्होंने इस पर स्वयं विचार क्यों नहीं किया ? कम से कम अब उन्हें इस पर व्यक्तिगत रूप से विचार करना चाहिए और इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हड़ताल वापिस ले ली जाए । मन्त्री महोदय द्वारा यह प्रयास व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं किया गया है ? मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हासिल करना चाहता हूं ।

इसके अतिरिक्त यह एक अत्यधिक गम्भीर मामला है, इसलिए इस पर नियम 193 के अधीन एक अलग चर्चा होनी चाहिए जिससे कि चर्चा के दौरान हम इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर सकें । मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय के विचार जानना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : श्री राम नाईक जी आपका धन्यवाद । मैंने केवल दो सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दी है । मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता । जहां तक नियम 193 के अधीन चर्चा का सवाल है इसका निर्णय कार्य मन्त्रणा समिति और माननीय अध्यक्ष महोदय करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : सभापति महोदय, मैं भी मन्त्री जी से कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : शास्त्री जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं आपको अवश्य अवसर दूंगा, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और सदस्य भी इसी तरह से विचलित हुए आ रहे हैं, एक-एक मिनट उनको भी सुन लूं, फिर आपको बुलाता हूं। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री मानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : वास्तव में हम माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करते हैं कि वे मजदूर संघों से शीघ्र बात करें और आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का अधिनियम लागू किए बिना मामले को निपटाएं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हें स्वयं प्रयास करने चाहिए और मामले को स्वयं निपटाना चाहिए। उन्हें केवल अधिकारियों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हू। मैं आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के अधिनियम के प्रयोग के प्रयास के प्रति अपनी और अपने दल की ओर से नाराजगी व्यक्त करना चाहता हू। इसका पूरे देश और श्रमिक वर्ग द्वारा गम्भीर रूप से विरोध किया जायेगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : प्रत्येक पार्टी से एक-एक सदस्य बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अनिवार्य सेवा संधारण अधिनियम का उपयोग हड़ताल को दबाने के लिये करना स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नहीं है।

जब पुरानी सरकार ने लोक सभा और राज्य सभा में इस कानून को पारित करवाया था, उस समय आज के माननीय मन्त्री महोदय ने इस विधेयक का जोरदार शब्दों में विरोध किया था। उस समय यह कहा गया था कि यह श्रमिक विरोधी विधेयक है और श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात करता है। आज मैं विनम्र शब्दों में अनुरोध करूंगा कि अनिवार्य सेवा संधारण अधिनियम का इसमें उपयोग न करें और स्वयं बातचीत करके हस्तक्षेप करें। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि स्वयं अपने प्रभाव का उपयोग करें, ताकि यह हड़ताल न हो, उनकी मांगों का समाधान हो सके और श्रमिकों को न्याय मिल जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अब और किसी को अनुमति नहीं दे सकता। मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मैं माननीय मन्त्री महोदय को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मैंने माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान और विघ्न पैदा न करें। मैंने माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। यह सरकार के ऊपर निर्भर है कि वह सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से व्यक्त की गई चिंता को स्वीकार करे। सभी ने आवश्यक सेवायें बनाये रखने सम्बन्धी

अधिनियम को लागू करने के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से सीधे हस्तक्षेप करने का निवेदन करता हूं। यह उनके ऊपर निर्भर है कि वे इसका जवाब दें अथवा न दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे खेद है। जिस माननीय सदस्य ने व्यक्त की है वह भी आप ही का सहयोगी है।

श्री के० एस० राव : मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि हम अनेक संगठनों से जुड़े हुए हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे यकीन है कि यदि मैं अपवादस्वरूप आपको अनुमति देता हूं तो मुझे अनेक वक्ताओं को अवसर देने होंगे।

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

सभापति महोदय : नहीं। मुझे खेद है। में अनुमति नहीं दे सकता। माननीय मन्त्री महोदय, यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप जवाब दे अथवा न दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बात आपको शोभा नहीं देती कि आप पीठासीन अधिकारी के निवेदन का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करें।

श्री के० एस० राव : मैंने आरम्भ में ही बोलने का अवसर दिये जाने को कहा था।

सभापति महोदय : में आपको मना कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : महोदय, में माननीय सदस्यों की चिन्ता समझता हूं और मैं उन आशंकाओं और अविश्वासों को, जोकि सदस्यों के मनों में हैं, संक्षिप्त रूप में स्पष्ट करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूं। दो या तीन मुद्दे उठाये गये हैं। प्रथम, एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार ने मजदूरों पर हमला करना आरम्भ कर दिया है। हड़ताल मजदूर संघों द्वारा नहीं की गयी है। हड़ताल की सूचना अधिकारियों द्वारा दी गयी है। में इसे इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं जिससे कि इसके बारे में कोई सन्देह पैदा न हो।

दूसरे, एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं स्वयं बातचीत में, समझौतों में शामिल नहीं हुआ हूं अथवा मैंने रुचि नहीं ली है।

में अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि मैंने अधिकारियों को अपने व्यक्तिगत स्तर पर दो बार बातचीत के लिए आमन्त्रित किया है। मैंने उनके साथ विस्तृत बातचीत की थी और उन वार्ताओं के दौरान मैंने उनके विचारार्थ कुछ सुझाव भी दिए थे। परन्तु मैंने इस बात को आरम्भ से ही स्पष्ट कर दिया था कि आन्दोलन अथवा हड़ताल कोई तरीका नहीं है जिसका सहारा लिया जाए। यह देश के लिए, उनके लिए और सरकार के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए, इस मुद्दे पर कोई गलत अवधारणा नहीं होनी चाहिए। मैंने दो बार प्रयास किये और मैंने अपने अधिकारियों विशेषकर

अपने सचिव को निर्देश दिया था कि वे उनके सम्पर्क में रहें और उनसे बातचीत करें। उसने ऐसा ही किया। मेरा वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं। यह बन्द नहीं है। यह कभी भी बन्द नहीं था। सचिव ने इन अधिकारियों के साथ हाल ही की बातचीत मे सुझाव दिया था कि इस महीने की 12 तारीख को तेल मन्त्री के वापिस आने के बाद, वे और श्रम मन्त्री उन्हें बातचीत के लिए बुलायेंगे और उनके (अधिकारियों) द्वारा नियुक्त सभी प्रतिनिधियों से बात की जायेगी वह पेशकश अभी भी है। हमने समझौते के द्वार बन्द नहीं किये हैं।

अन्त में, एक माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने स्वत: ही घोषणा कर दी है। ऐसा नहीं है। यह कार्यवाही कर्मचारी संघ के साथ चर्चाओं, बातचीत और वार्तालापों के पश्चात् की गयी है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं। कृपया उन्हें जवाब देने दीजिए।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : जब एक दिन पूर्वी क्षेत्र मे हड़ताल की गई तो हमने उसे सहन किया था। हमने कोई निर्णय नहीं लिया था। हमने सघों से अपील की थी। देश काफी समस्याओं का सामना कर रहा है और तेल क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं नाजुक क्षेत्र है। यदि वे तेल की आपूर्ति में बाधा डालते हैं तो अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी। हमने उन्हें उनकी जिम्मेदारी बता दी थी। इस सभी के बावजूद उन्होंने यह अन्तिम कदम उठाया है।

महोदय, आपको याद होगा कि भारत के इतिहास में अधिकारियों के परिसंघों ने कभी भी हड़ताल का सहारा नहीं लिया है। यह पहला अवसर है। मैं महसूस करता हूं कि यह अधिकारियों का जिम्मेदारीपूर्ण कार्य नहीं है। मैं कठोर शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता परन्तु मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूं। हमने उनके साथ समझौता करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक कार्य कर लिया है। हमारे पास इस सम्बन्ध में कदम उठाने के सिवाय और कोई चारा नहीं था क्योंकि हमारे विचार में हड़ताल कर रहे व्यक्तियों के हितों की तुलना में तेल आपूर्ति का कार्यक्रम और आम जनता का हित अधिक महत्वपूर्ण है।

मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे और हड़ताल वापिस ले लेंगे।

———

3.21 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91

जल-संसाधन मन्त्रालय

और

कृषि मन्त्रालय　　—जारी

[हिन्दी]

श्री गोविन्दभाई कानजीभाई शेखड़ा (जूनागढ़) : सभापति महोदय, मैं सरदार सरोवर और नर्मदा प्रॉजेक्ट के बारे में बोल रहा था। इस प्रॉजेक्ट के बारे में जो विरोध करते हैं, मैं उनसे और उन

[श्री गोबिन्दभाई कानजीभाई शेखड़ा]

पर्यावरणवादियों से पूछना चाहता हूं कि गुजरात में गत तीन वर्षों में दस बार सूखा या अकाल पड़ा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

क्या वे वनों में रहे थे और क्या उन्होंने वनस्पति और जीव जन्तुओं के व्यवहार और जीवन का अध्ययन किया है।

[हिन्दी]

इस अकाल से किसानों को मुश्किलों का बड़ा सामना करना पड़ा। उनको पानी की कितनी समस्या हो जाती है, उनको मालूम है ? किसानों को और शहर में रहने वालों लोगों को 8-10 दिन तक नहाने का मौका नहीं मिल पाया था। इसलिए कि पानी की कमी है। सन् 1987-88 में गुजरात के राजकोट और जामनगर शहरों मे पानी की कमी को ट्रेन से पानी लाकर पूरा किया गया था और गुजरात सरकार ने 4.70 करोड़ रुपया खर्च किया। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जहां बार-बार अकाल पड़ता है, पानी की मुश्किलात है, वहां इस प्रोजेक्ट के लिए विरोध नहीं करना चाहिये। सरदार सरोवर और नर्मदा प्रोजेक्ट का आईडिया सरदार पटेल का था और हमारे भाई काका का स्वप्न था जिसको जल्दी से मूर्त रूप देकर तेजी से पूरा करना चाहिये।

सभापति महोदय, हमारे देश मे पानी की कमी नहीं है लेकिन पानी का ठीक प्रकार से प्लानिंग न किए जाने के कारण यह मुश्किल आ पड़ी है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब देश आजाद हुआ था तब कृषि उत्पादन 5.3 करोड़ टन था, आज वह 18 करोड़ तक पहुंच गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया जिसे किसानों ने अपनाया और उसी के कारण अनाज का उत्पादन बढ़ा।

[अनुवाद]

हम अपने कृषि उत्पादन को तीन गुणा बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

लेकिन आज पानी की कमी के कारण ही हम कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मैं सरकार को ब्लेम देता हूं और उस पर यह ऐलीगेशन लगाता हूं कि उसने पानी के प्लानिंग को ध्यान मे नहीं रखा और देश की आर्थिक उन्नति के लिए कोई अध्ययन नहीं किया।

इसीलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि इजराइल देश का उदाहरण हमारे सामने है और हमें उससे कुछ सीख लेनी चाहिए इजराइल देश में स्थिति क्या है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं :

[अनुवाद]

वे वर्षा की एक-एक बूंद का सदुपयोग कर रहे हैं। वे अनेक कुएं भी खोद रहे हैं और पानी का सदुपयोग कर रहे हैं। वे सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन पद्धति का प्रयोग करते हैं और इसलिए इजराइल कृषि उत्पादन, फलों और पुष्पों का दूसरे देशों को निर्यात करता है। परन्तु हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन होते हुए भी हम उनका उपयोग नहीं कर सके क्योंकि हम उचित योजना नहीं बना सके। हम अपने कृषि उत्पादन में इसलिए वृद्धि नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास सही योजना नहीं थी।

[हिन्दी]

इसलिए मैं जल संसाधन मिनिस्टर से आपके माध्यम से विनती करता हूं कि अभी हमारे सामने पानी के बारे में जो मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी दूर करके सारे देश में, हमने जो राष्ट्रीय वाटर रिसोर्सेज कौंसिल बनाई है, उसके माध्यम से, उपलब्ध पानी का अधिक से अधिक उपयोग करने की तरफ ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

हमारी योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि शीघ्र अति शीघ्र भारत के प्रत्येक कृषक को अपने खेत के लिए पानी मिल जाए ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : माननीय सभापति महोदय, भारत में परिवर्तन लाने की दृष्टि से हमारा जल संसाधन विकास विभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमने जल को जीवन कहा है। इस देश के 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं और कृषि जल पर आधारित है। आज वस्तुस्थिति यह है कि लगभग पूरे देश की धरती प्यासी है, किसान भी प्यासा है और गांवों को पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है। देश के 80 प्रतिशत गांवों में पीने के पानी का अभाव है, जिनका विवरण मैं आपके सामने पढ़कर बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 34,000 गांवों में से 18,000 गांव ऐसे हैं, जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। एक ओर हमारे देश में पानी व्यर्थ बह कर चला जाता है, किसी भाग में सूखा पड़ता है और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। मैं इसमें नियोजन का दोष मानता हूं और यहीं से अपनी बात आरम्भ करना चाहता हूं। सम्पूर्ण भारत में लगभग 1440 मिलियन एकड़ फीट पानी उपलब्ध है, जिसमें से लगभग 130 मिलियन एकड़ फीट पानी ही हम स्टोर या उपयोग में ला पाए हैं, जो वास्तव में अपने देश में कुल उपलब्ध पानी का बहुत नगण्य प्रतिशत है, जिसका हम उपयोग कर पाए हैं। चीन में 50 प्रतिशत लोग 20 प्रतिशत भूमि में खेती करते हैं मगर वे 70 प्रतिशत अनाज पैदा करते हैं। इसका कारण है कि वहां 33 प्रतिशत भूमि में सिंचाई का साधन उपलब्ध है जबकि अपने देश में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार यदि अपने बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण विकास पर वास्तव में खर्च करना ही चाहती है तो हम 50 प्रतिशत हिस्सा सिंचाई साधन उपलब्ध कराने पर व्यय करें, उससे मेरी धारणा है कि पूरे देश का कायाकल्प हो जाएगा। सभापति महोदय, हमने अपना बहुमूल्य समय यों ही गंवा दिया। कृष्णा ट्रिब्यूनल को सात साल लगे, गोदावरी ट्रिब्यूनल को 11 साल लगे, नर्मदा ट्रिब्यूनल को दस साल लगे और आज भी उसी प्रकार की रफ्तार है। जगह-जगह नदियों के झगड़े हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि देश की तमाम नदियों को नेशनेलाइज करके एक वाटर ग्रिड बना दिया जाए। बाढ़ से हमारे देश में हर साल भारी मात्रा में क्षति पहुंचती है और लगभग 40 मिलियन हैक्टेयर एरिया हमेशा देश में बाढ़ से प्रभावित रहता है। हम लगभग 32 मिलियन हैक्टेयर बाढ़ से प्रभावित एरिया को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। मगर उतना भी नहीं कर पाए हैं। विगत योजना तक हमने बाढ़ नियंत्रण के लिए 1763 करोड़ रुपया बहाया है, उसके बावजूद भी गत वर्ष महाराष्ट्र में बाढ़ से भयंकर नुकसान हुआ। सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय 35.50 लाख एकड़ भूमि 1982 में बंजर हो गई। उड़ीसा में 1982 में 12.84 लाख एकड़ भूमि पर फसल बर्बाद हुई और बिहार में 1980 तक 10 लाख एकड़ भूमि की फसल बर्बाद हुई।

[प्रो० महादेव शिवनकर]

3.30 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

तमिलनाडु में 1980 में 58.5 लाख एकड़, उत्तर प्रदेश में 1980 में 30.9 लाख एकड़ और 1983 में 33 लाख एकड़ फसल गई। दावलेश्वरम आंध्र में 1986 में महापुरण नामक स्थान सब बह गया। उस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहां पर प्रेतों को उठाया ब्रह्मपुत्र वैली तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ को रोकना है, अकाल को रोकना है, तो दोनों दृष्टिकोणों से हमें योजना बनानी पड़ेगी। छठी योजना पर 1380 करोड़ रुपए खर्च हुए, मगर संसाधनों की दृष्टि से हम परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए मैं एक पुराना सुझाव देना चाहता हूं। डा० के० एल० राव की योजना पर, जो गंगा-कावेरी की स्कीम थी, उस पर ध्यान दिया होता, तो आज सारा भारत सही मायने में सुजलाम-सुफलाम बनता। गंगा बेसिन में 20 मिलियन एकड़ फीट पानी है जहां वह सारा बह जा रहा है। गंगा-कावेरी वाटर ग्रिड के लिए 3 हजार किलोमीटर नहर बनानी पड़ेगी और पटना के पास बराज बनाकर पानी वहन करना पड़ेगा। हमें ऐसा बताया गया है कि इसमें भारी परिमाण में विद्युत लगेगी, मगर जब हमने उसमें कुछ समझने की कोशिश की, तो 1990 तक वास्तविक रूप से अगर हम उसको करते हैं, तो वह विद्युत जो लगने वाली है, वह हम प्राप्त कर सकते थे। यूनाइटेड नेशनल डिवेलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट में कहा है कि 35 साल हमें इस योजना को पूर्ण करने में लगेंगे। 5 साल में तीन हजार इंजीनियर सर्वे करेंगे और अगले 30 साल में ग्यारह सौ करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से धन लगाकर तीन हजार किलोमीटर की वाटर ग्रिड बनाकर सारे भारत में सिंचाई होगी। इसमें दो भाग हैं। एक हिमालयन रिसर्च डिवेलपमेंट और दूसरा भाग पेनिनसूला रिसर्च डिवेलपमेंट है। मुझे आशा है, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी जरूर इस बारे में स्पष्ट करेंगे कि इस बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है।

सभापति महोदय, मेरा ऐसा विश्वास है कि पर्यावरण के नाम पर हमारी बहुत सारी योजनाएं रुकी हुई हैं। मेरा एक विचार यह भी है कि जिन देशों का विकास हो चुका है, यानी जो विकसित देश हैं, वे विकासशील देशों के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो विकास के कार्य हमारे देश में हो रहे हैं, पर्यावरण के नाम पर हमारे कुछ साथी उनका विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अमरीका जैसे देशों के ऐसे लोग एजेंट हैं, जो इन योजनाओं का विरोध कर रहे हैं। सरदार सरोवर योजना, नर्मदा योजना, 1945 में बनीं। 1947 में देश के आजाद होने के बाद भी 1961 मे शिलान्यास हुआ और 1974 में काम की शुरुआत हुई। उस समय यह योजना 64० करोड़ रुपए की थी, अब यह योजना विलम्ब के कारण 11,145.54 करोड़ की हो गई है। ऐसी स्थिति में आज, बाबा आमटे सरीखे लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। वे तो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें योजना का विरोध नहीं करना चाहिए। यदि हमारे मुल्क के खिलाफ कार्य करने का कोई भी नागरिक प्रयत्न करता है, तो उसका इस सदन में और देश में विरोध करना चाहिए अमरीका के विकसित देशों के एजेंटों का विरोध करना चाहिए। महाराष्ट्र में विदर्भ के लोग तो पहले ही बहुत पीछे हैं। महाराष्ट्र ने उस क्षेत्र के साथ अन्याय पहले ही किया हुआ है : इसलिए पर्यावरण के नाम पर उस क्षेत्र की योजनाएं रोकी जायें, यह ठीक नहीं है। विदर्भ हिस्से मे सिंचाई के पिछले दस-पन्द्रह साल में दो हजार करोड़ रुपए के बैकलॉग का निर्माण किया है। पिछले वर्ष में गोसेखुर्द प्रकल्प का भूमि पूजन श्री राजीव गांधी ने किया था। उसके लिए बहुत कम पैसा दिया गया। सिर्फ दो करोड़ रुपया दिया गया

जिसमें से 80 लाख रुपया मात्र उद्घाटन करने में बहा दिया गया। मैं चाहता हूं कि जो झुड़पी जंगल के कारण, चरागाह की भूमि है, जिसके बारे में केन्द्र शासन ने एक कमेटी बैठाई थी, अगर जल संसाधन मंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो नागपुर, भंडारा, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली सारे जिलों के प्रकल्प रुक जायेंगे। महाराष्ट्र के एप्रूव्ड प्रकल्प में जो पर्यावरण विभाग ने मान्य किए हैं वे मात्र 43 हैं और मान्यता नहीं दी है वे 170 हैं। चाहे तुलतुली का प्रकल्प हो, चाहे करवाप्पा का प्रकल्प हो, मरोप और हुमन, पगडीगुड्डम, जॅगरात उमरी, भसबोडन भॅडरा इत्यादि। चन्द्रपुर जिले के और भंडारा जिले के बावनथड़ी, उमरकरी, जनवेसी ओवार इत्यादि का प्रकल्प हो, ये सब प्रकल्प पिछले 10-15 वर्षों से रुके पड़े हैं।

सभापति महोदय, मरदोली, मानाबुही, घसदीतेला ये छोटे-छोटे प्रकल्प हैं जिसमें कुछ एकड़ भूमि लगती है, ऐसे ही प्रकल्प के कार्य रुक पड़े हैं। मैं उनके नाम बताना चाहता हूं। पुरकाडाह, चमघोटोला, पांढरवारी, डंडारी, ओवारा, पिपरी, दीक्षित, मांगली, तेलीमेना, बांद्रा, भीसीपरीटोला, दो-दो एकड़ जिसमें भूमि लगती है, ऐसे प्रकल्प के कार्य 10-10 साल से रुके पड़े हैं। दस साल हो गए, भंडारा, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली जिले के ये सारे प्रकल्प हैं। इसी लोकसभा के सदन में एक जवाब दिया गया था 14-3-90 को जिसका क्रम नम्बर 954 था, 170 प्रकल्प के कार्य इसलिए रुके पड़े हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इनफार्मेशन नहीं भेजी। उसमें सारे छोटे प्रकल्प हैं। अकोला का एक प्रकल्प है अडान प्रकल्प, जिसकी नहर नहीं है। केवल 100 मीटर नहर लगती है, प्रकल्प पूरा हो गया है लेकिन पर्यावरण के कारण नहर नहीं बन सकी। प्रकल्प के कार्य पर्यावरण के कारण आगे रुकने नहीं चाहिएं। राज्य सरकार को हिदायत दें। केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी मिलकर एक सैल बनायें, राज्य के ईरीगेशन मिनिस्टर और सेंट्रल के ईरीगेशन मिनिस्टर वन मंत्री को साथ लें और एक ही खिड़की पर इसका निर्णय होना चाहिए। 10-10 साल तक अगर निर्णय नहीं कर पाए और पानी बह गया तो इसके दोषी हम होंगे। यह राष्ट्रद्रोह होगा, इस प्रकार की मेरी भूमिका है। योजनाओं में भारी प्रमाण में भ्रष्टाचार है। पोटशीयल क्रियेटेड और पोटेंशल यूज्ड, ये दो बातें अगर हमने देखीं तो दिखेगा कि आज योजनाओं में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। छठी योजना तक पोटेंशल क्रियेटेड 30.1 मिलियन हैक्टेयर था और प्रत्यक्ष रूप में पोटेंशल यूज्ड 25.33 मिलियन हैक्टेयर था। इसका मतलब 4.68 मिलियन हैक्टेयर का फर्क है। यह भ्रष्टाचार का नमूना है। पोटेंशल यूज्ड और पोटेंशल क्रियेटेड, यह दोनों एक होने चाहिएं ताकि देश के पैसे का पर्याप्त रूप में उपयोग हो। मैं कहना चाहता हूं, जैसे हमारा किसान कहता है :

सिंचाई से हो होगा विकास

मांग रहा है इस देश का किसान

हर खेत को पानी और हर हाथ को काम

बूंद-बूंद से सरोवर बने, पानी न हम बर्बाद करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : सभापति महोदय, यह बात हम सभी को मालूम है कि भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की भूमिका केवल समग्र योजना, नीति बनाने, समन्वय आदि

[श्री के० एस० राव]

तक ही सीमित है और कार्यान्वयन करना नहीं है। मुझे यह कहते हुए केवल दुख होता है कि यहां तक इन विषयों को भी प्रभावकारी ढंग से नहीं किया जा रहा है; मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उन्हें किस प्रकार प्रभावकारी ढंग से नहीं किया जा रहा है। जब हम विभिन्न राज्य सरकारों के निर्णयों को देखते हैं, चाहे वहां किसी भी दल का शासन क्यों न हो, तो हम देख सकते हैं कि अधिकतर निर्णय जो लिए जा रहे हैं वह लाभकारी आधार पर अथवा जिन परियोजनाओं का उन्होंने प्रस्ताव किया है उनसे प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर नहीं बल्कि कई बार वे राजनीतिक कारणों पर आधारित होते हैं। यह सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में हानिकर है। उदाहरण के लिए, किसी एक बड़ी परियोजना के मामले पर विचार कीजिए जिस पर 1000 करोड़ रुपये अथवा 500 करोड़ रुपये लागत आती है। परियोजना को शुरू करते समय अथवा इसे प्रारम्भिक स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजते समय, तो उस परियोजना की अनुमानित लागत 150 करोड़ रुपये हो सकती है और इसे चार वर्षों की निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं तो वह इसको पूरा करने में 15 अथवा 20 वर्षों का समय ले सकती है, इससे परियोजना की लागत चार गुणा, पांच गुणा अथवा कभी-कभी दस गुणा बढ़ सकती है। इन सभी बातों का परिणाम यह है कि इस योजना पर किया गया 1000 करोड़ का निवेश अथवा जो भी उसकी लागत हो सकती है, उससे 15 वर्षों के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पायेंगे। इसके बजाए, यदि भारत सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करती और भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी परियोजना को पूरा करने के लिए समय सीमा निश्चित करने की नीति में परिवर्तन करती, कि इसे निर्धारित अवधि अर्थात चार वर्षों में पूरा किया जायेगा, और यह तभी किया जाएगा जब या तो सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए, तब सम्बन्धित किसान चार वर्षों के बाद तत्काल उन परिणामों का फायदा उठा पायेंगे। इससे न केवल परियोजना की लागत में होने वाली वृद्धि को उन्हें वहन करना पड़ेगा बल्कि तत्काल वे उसका लाभ उठा पायेंगे। इससे उस परियोजना की लागत में भी कमी आयेगी। लेकिन यह देखकर बहुत ही दयनीय लगता है कि कई परियोजनाएं जो कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी अथवा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थीं वे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं और उन्हें पूरा करने के लिए और 26600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। चालू परियोजनाओं के बारे में आज की तारीख में यह स्थिति है, और जब तक ये परियोजनाएं पूरी हो उनकी लागत चार गुणा और बढ़ सकती है। मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा धन उपलब्ध न कराया जाना इसके लिए मुख्य कारण है, बल्कि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा निगरानी रखना इसका मुख्य कारण है जिसे सही ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जब तक यह नहीं किया जाता, हम अपेक्षित परिणाम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते और हम उचित नीति बनाने तथा सम्पूर्ण योजना के सम्बन्ध में हम अपना कर्तव्य पूरा करने में सफल नहीं होंगे। हमें इस सभा से और केन्द्रीय सरकार के स्तर पर यह आश्वासन मिलना चाहिए कि इन परियोजनाओं पर उचित निगरानी रखी जाएगी और इन परियोजनाओं को अनावश्यक रूप से लम्बे समय तक लटकाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विगत में किए गए विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों से यह पता चला है कि बड़ी परियोजनाएं शुरू करना ठीक नहीं है और छोटी सिंचाई परियोजनाएं शुरू करना कम खर्चीला है। जबकि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर प्रति एकड़ खर्च की गई धनराशि 30,000 रुपये प्रति एकड़ बैठती है, छोटी सिंचाई

परियोजना के लिए यह लगभग एक तिहाई होगी। इसी प्रकार, छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक अथवा दो वर्षों का समय लगेगा और इसके परिणामों का फायदा लगभग तीन से चार वर्षों की अवधि में उठाया जा सकता है जबकि बड़ी परियोजनाओं के मामले में ऐसी बात नहीं है। ऐसी कुछ और भी समस्याएं हैं, जो कि बड़ी परियोजनाओं के कारण पैदा होती हैं। हमारे प्रौद्योगिकविदों ने यह पाया है कि कभी-कभी इन बड़ी परियोजनाओं की वजह से भूकम्प भी आते हैं। इस बात पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। मेरा यह विचार है कि हमें बड़ी परियोजनाओं को हतोत्साहित करना चाहिए और अधिकतर छोटी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

यहां एक और मुद्दा है जिसे मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं और इसको इससे पहले प्रश्न काल के दौरान भी उठाया गया था। जबकि हम किसानों से जमीन से निकाले जाने वाले पानी के लिए या तो वित्तीय संसाधनों अथवा अपने स्वयं के साधनों द्वारा पूरा खर्चा वहन करने के लिए कह रहे हैं. हम बड़ी परियोजनाओं के बारे में किसानों से कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं। हम सभी इस तथ्य को जानते हैं कि एक क्षेत्र विशेष, जहां किसी समय जल संसाधन नहीं है, जब उसे नहर प्रणाली से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, तो वहां भूमि की लागत लगभग 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़ जाती हैं। यह किसानों के लिए अनर्जित आय है। अतः, मेरे विचार में एक किसान से जो भूमिगत जल का उपयोग करता है उससे पैसा लेना और एक किसान जो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से जल का उपयोग करता है उससे पैसा न लेने का कोई तर्काधार नहीं है। दो किसानों के बीच इस प्रकार के भेदभाव का मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता।

इसके अलावा, मैं नहीं समझता हम संसाधन की समस्या को हल करने में अपना ध्यान लगा रहे हैं। मैंने अपनी राज्य सरकार तथा भारत सरकार के साथ अपनी चर्चाओं में अपने विचार रखें। यदि, उदाहरण के लिए, एक परियोजना पर 1200 करोड़ रुपये लागत आनी थी, यदि राज्य सरकार के पास इस योजना को समय पर शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, बहुत सी राज्य सरकारें, भारत सरकार में दोष निकालने लगती हैं अथवा भारत सरकार से 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देने के लिए कहती हैं। मेरे पास इस सम्बन्ध में सुझाव है। हमारे पास पर्याप्त प्रौद्योगिकी, जनशक्ति है, हमारे पास देश में पर्याप्त मात्रा में आदान और कच्चा माल है। हमने अपनी बुद्धिमता से केवल यह पता लगाना है कि हम इनका सही तरीके से किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। हमें देखना चाहिए कि हमें किस प्रकार गतिविधि शुरू करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हमें विदेशों से धन उधार लेना होगा अथवा विदेशी मुद्रा का उपयोग करना होगा। यहां पर हर चीज उपलब्ध है और केवल इसका सही उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

इसके बाद योजना की बात आती है। यदि एक परियोजना पर 1200 करोड़ रुपये लागत आनी थी, तो यह स्वाभाविक है कि हम किसानों से इसका बोझ वहन करने के लिए नहीं कह सकते। 1200 करोड़ रुपये में से, राज्य सरकार को 600 करोड़ रुपये वहन करने चाहिए। सरकार को यह देनदारी किसानों पर अन्तरण करने के लिए कुछ तरीका निकालना चाहिए जिसे वह एक निश्चित समय अवधि में वापस कर सकें; तब हमारे पास साधनों की कमी नहीं रहेगी। इससे हमारे पास पर्याप्त साधन हो जायेंगे और तब परियोजना के निर्माण को स्थगित करने अथवा इसमें देरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे हम उन्हें अपने स्वयं के क्षेत्र में आधिक्य पैदा करने योग्य बना देंगे और इससे उन्हें अपने स्वयं के बोझ को वहन करने में सहायता मिलेगी। इससे सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में सहायता मिलेगी। लेकिन फिर भी यदि संसाधन पर्याप्त नहीं है, तो हम विश्व बैंक

[श्री के० एस० राव]

अथवा ऐसे संगठनों से इस शर्त पर सहायता देने के लिए कह सकते हैं कि हमारे किसान उन तिलहनों का उत्पादन करेंगे जिनका अब तक विदेशों से आयात किया जा रहा है और हम वस्तु-विनिमय द्वारा विदेशी मुद्रा अदा करने का उत्तरदायित्व लेंगे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ कम होगा और इसके साथ ही किसानों को अपने स्वयं के खेतों में खाद्यान्न पैदा करने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इस तरह के विदेशी संगठनों की सहायता से हम इन परियोजनाओं को निर्धारित समय में, समय पर पूरा कर सकेंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि आवश्यक हो तो वे सभी इंजीनियरों की बैठक बुलायें और इस सम्बन्ध में कोई समाधान निकालें। सभी चालू परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी की जानी चाहिएं।

मेरे माननीय सहयोगियों ने परिष्कृत क्षेत्र और जहां फसल उगाई जा सकती है तथा सिंचाई क्षमताओं के सृजन और उपयोग के बारे में पहले ही सुझाव दे दिए हैं। परन्तु समुचित योजना और निगरानी की कमी के कारण यह अच्छी स्थिति में नहीं है। मेरा विचार है कि सम्बन्धित विभाग को चेतावनी दी जानी चाहिए कि यदि यही स्थिति जारी रही तो सरकार को इस मामले में कड़ा रुख अपनाना होगा और सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित किया जाएगा चाहे वे किसी भी पद पर हों या किसी भी दल से सम्बन्ध रखते हों। यदि परियोजनाओं के निर्माण और उन्हें पूरा करने के बारे में समयबद्धता लाई जा सके तो जितने समय में हम उन्हें पूरा कर रहे थे, उसके 1/10 भाग में परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय जल नीति 1987 में बनाई गई थी परन्तु इसके भी क्रियान्वयन में समस्या है। जब तक हम नीति के क्रियान्वयन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते, तब तक संसद और विधानमण्डलों में नीति निर्धारण से कुछ नहीं होगा। हमें इन नीतियों पर अधिक चर्चा करने की अपेक्षा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये नीतियां सही तरीके से लागू हों।

अब मैं बाढ़ की बात करता हूं। हम प्रति वर्ष देश के किसी न किसी भाग में बाढ़ या सूखे से होने वाली तबाही देखते हैं और इनसे करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। आम तौर पर सभी राज्य सरकारें कहती हैं कि उनका 500 करोड़ रुपये के लगभग का नुकसान हुआ है। केन्द्र सरकार कहती है कि यह नुकसान केवल 250 करोड़ रुपये का होगा परन्तु अन्तत: यह केवल 50 या 60 करोड़ रुपया ही देती है। अब मुद्दा यह है कि यद्यपि हम बाढ़-नियन्त्रण पर भारी खर्च कर रहे हैं, परन्तु इस तबाही से करोड़ों का नुकसान होता है। आप हमारा पैसा इस तरह से बेकार क्यों करते हैं? प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति देने में जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसमें कुछ खर्च करके हम न केवल बाढ़ से बचाव कर सकते हैं अपितु सिंचाई क्षमता भी उत्पन्न कर सकते हैं। इससे 'एक पंथ दो काज' होंगे। उसी खर्च से हम न केवल जान और माल के नुकसान से बचेंगे बल्कि इससे सिंचाई क्षमता भी उत्पन्न होगी। अत: यदि इसे समझा जाए तो यह अच्छा होगा—मेरा विचार है कि सरकार का ध्यान इस ओर अधिक केन्द्रित होना चाहिए और कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से जहां अक्सर बाढ़ आती है, उन क्षेत्रों के लिए बजट में अधिक धन आवंटित करना चाहिए।

कृष्णा-गोदावरी मुहाना (डेल्टा) के सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देता हूं। कृष्णा और गोदावरी दोनों परियोजनाएं 130 वर्ष पहले पूरी की गई थीं और उनका लाभ किसानों को मिल रहा है। परन्तु

अब जबकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उचित जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण या इसके पुरानी होने के कारण बहुत नुकसान हो रहा है – यदि आप प्रति एकड़ लगभग 2000 रुपये खर्च करें तो प्रत्येक किसान की औसत आय प्रति वर्ष 4000 रुपये तक बढ़ सकती है जो कि वास्तव में बहुत अधिक है। परन्तु यदि हम नई परियोजना लगायें तो हमें प्रति एकड़ 40,000 रुपये खर्च करने होंगे और इसके बावजूद हमें तत्काल लाभ नहीं होगा अर्थात् अगले 15 वर्षों तक हमें उससे कोई फायदा नहीं होगा।

अतः माननीय मन्त्री जी से मेरा यह निवेदन है कि यदि भारत सरकार उनकी कुछ मदद करे तो अच्छा होगा जैसाकि राज्य सरकार का कहना है कि पर्याप्त संसाधन न होने के कारण वे इस परियोजना को अपने हाथ में नहीं ले सकती। परन्तु मैं यह जानता हूं कि आप उन्हें यह सहायता उपलब्ध नहीं करवा सकते। परन्तु उन्हें कुछ ऋण देने पर विचार करें, जो कि बाद में वसूले जा सकते हैं अर्थात् कृषकों से या राज्य सरकार के माध्यम से। इस प्रकार, आप केवल उस क्षेत्र में ही आय में प्रति वर्ष कम से कम 400 करोड़ रुपये की वृद्धि करेंगे। साथ ही, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा। आप देश में मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति को भी कम करेंगे और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। ये सभी चीजें एक ही प्रयास से प्राप्त की जा सकती हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे जल निकासी व्यवस्था में सुधार हेतु आने वाली लागत के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से विचार-विमर्श करें और शीघ्र ही ऋणों का प्रबन्ध करें ताकि इससे कृष्णा-गोदावरी मुहाना न केवल किसानों के लिए अपितु राष्ट्र के लिए भी लाभकारी हो।

मेरी अन्तिम बात समुद्री भूमि कटाव के बारे में है। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने पहले ही यह कहकर कि यह मामला भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, कुछ कहने से इन्कार कर दिया है। मैं एक बार फिर यह दोहराता हूं कि यह भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में, समुद्र के किनारे की सैकड़ों एकड़ भूमि प्रति वर्ष बह जाती है। त्रिपुवेन्दु मण्डल के एडइमन्डी क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ भूमि बह जाती है, जिसका प्रति एकड़ मूल्य लगभग एक लाख रुपये है और इस भूमि से किसानों को अच्छा लाभ होता था। गरीब किसान अपनी सहायता स्वयं करने की स्थिति में नहीं हैं और सहायता के लिए प्रति वर्ष वे भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं।

पिछली बार, माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि वे क्षति का जायजा लेने और उसे ठीक करने के साधनों का पता लगाने के लिए यहां एक दल भेज रहे हैं। अब तक यह दल नहीं भेजा गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे शीघ्र ही उचित समाधान खोजने के साथ-साथ भूमि कटाव रोकें ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे भविष्य में इन शब्दों का प्रयोग न करें कि—"संसाधनों के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते।" यह कहे बिना आप यह सुनिश्चित करें कि उपलब्ध साधनों के आधार पर ही आप कितनी अच्छी तरह से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए आप नए तरीके निकाल सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो किसानों की सेवाओं का सदुपयोग कर सकते हैं और निजी क्षेत्र को इसमें शामिल कर सकते है या और अधिक संख्या में छोटी सिंचाई परियोजनाओं को अपना सकते हैं।

श्री प्रताप सिंह (बांका) : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान जल संसाधन प्रबन्ध की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्रों

[श्री प्रताप सिंह]

की ओर विशेष ध्यान दें। इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने और इनकी देखभाल की आवश्यकता है परन्तु मैं देखता हूं कि जब मैं अपने राज्य में स्थानीय सरकार के ध्यान में यह बातें लाता हूं तो इनकी ओर यह ध्यान नहीं दिया जाता। शायद अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है।

मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां बार-बार अकाल पड़ता है। वहां देवघर जिले में पोनासी परियोजना पूरी नहीं की गई है इसके कारण काफी संख्या में लोग वहां से हटाए जा चुके हैं। लगभग 690 परिवार इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं उस समय सरकार ने यह वचन दिया था कि उन्हें अन्यत्र बसाया जाएगा; उन्हें उनके नुकसान के अनुपात में क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें यह आश्वासन भी दिया गया था कि प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस सच्चाई की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे खेद है कि आज तक उनमें से 10 प्रतिशत से अधिक लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। परियोजना का कार्य इस समय रुका पड़ा है क्योंकि पोनासी परियोजना के लिए धन नहीं दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री से इस परियोजना की ओर विशेष ध्यान देने की प्रार्थना करता हूं सबसे पहले वहां से हटाए गए लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात मैं उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए निवेदन करूंगा कि धन के अभाव में इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब न होने पाए। यह महत्व पूर्ण है कि यह कार्य यथा सम्भव शीघ्र सम्पन्न हो क्योंकि यह सोची समझी बात है कि इसमे जितनी देरी होगी, राजकोष से उतनी ही अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी।

इसी प्रकार, मेरे चुनाव क्षेत्र बांका में दो अन्य परियोजनाओं को पैसा नहीं दिया गया है। बांका में ओढनि अन्द बिलासी नाम परियोजनायें हैं। सरकार को इनकी ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आप इन्हें लापरवाही से नहीं ले सकते। आपको उन क्षेत्रों के सांसदों से इस पर विस्तृत विचार विमर्श करना चाहिए। तत्पश्चात् आपको मुख्य मन्त्रियों से भी यह निवेदन करना चाहिए कि वे इन क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान दें। अपने क्षेत्र की जिन परियोजनाओं का मैंने जिक्र किया है, उनके अतिरिक्त भी अन्य परियोजनाओं पर अत्यधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

उस क्षेत्र में काफी संख्या में नलकूप लगाए गए थे और पम्प उपलब्ध कराए गए थे। उनमे से बहुत कम नलकूप आज काम कर रहे है। उन्हें ठीक करने के लिए धन की आवश्यकता है उन क्षेत्रों में इस प्रकार के कई अन्य काम हैं। जिन्हें किसानों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पूरा करना आवश्यक है। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे उन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दें जहां बार बार बाढ़ आती है और सूखा पड़ता है।

— — — —

4.00 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

दिल्ली में हाल ही में हुई आग लगने की घटनाएं

सभापति महोदय : अब हम दिल्ली में हाल ही में हुई आग लगने की घटनाओं पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति जी, दिल्ली में जो पिछले दिनों अग्नि कांड हुए, वे वास्तव में शासन व्यवस्था और जनता, दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं। आश्चर्य की बात है कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक दिल्ली के अन्दर अग्निशमन सेवाओं द्वारा जनता को प्रशिक्षित करने के लिए अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा था और वह सप्ताह अभी प्रारम्भ ही हुआ था कि 16 अप्रैल को उसकी असलियत सामने आ गई। उस दिन सरकारी भवन, विज्ञान भवन में और दिल्ली के व्यस्त बाजार सदर बाजार के अन्दर भयंकर आग की लपटें देखने को मिलीं, जिस आग के द्वारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और उसके बाद जैसे प्राचीन ग्रंथों में लंका दहन का जिक्र है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, इसी तरह से यहां पर हुआ यहां दिल्ली दहन हो गया। प्रशासन को जिस अग्नि को शान्त करना चाहिए था, जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था, कर्मचारियों की चतुराई और दक्षता को लोगों के सामने रखा जाना था, लेकिन उसके स्थान पर जगह-जगह भारत की राजधानी जो सारे देश की तस्वीर सामने रखती है, वहां पर रोजना भयंकर अग्निकांडों के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति देखने को मिली। 16 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल, 1990 को आदर्श नगर के अन्दर 1500 झुग्गियां जलकर राख हो गई और उसी दिन 5 स्थानों पर एक साथ आग लगी। निर्माण भवन, राजौरी गार्डन टेलीफन एक्सचेंज, राजेन्द्र प्लेस, जहांगीरपुरी, लाजपत नगर और रोहित हाउस में आग लगी। उसके बाद 19 अप्रैल को निर्माण भवन में आग लगी। 20 अप्रैल को गीता कालोनी के अन्दर सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गई। इसके बाद लोकसभा में सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। इसके बावजूद 23-4-90 को मोतियाखान के अन्दर फिर भीषण आग लगी, जिसमें 9 मासूम बच्चे और औरतें स्वाहा हो गई, इसमें 3000 झुग्गियां जलकर राख हो गई।

सभापति महोदय, इतना कुछ हो जाने के बाद हम लोगों का अनुमान था कि अब सरकार अवश्य आग पर नियंत्रण कर सकेगी, परन्तु उसके बाद 25-4-90 को जहांगीरपुरी में फिर आग लग गई और 3000 झुग्गियां जलकर राख हो गई। जहांगीरपुरी के बाद सोलमपुर और शाहबाद इलाके आग की लपटों के अन्दर आ गए और झुग्गियां जल गई। जहांगीरपुरी में 1980 से लेकर अब तक 5 बार आग लग चुकी है, हर बार झुग्गियां खड़ी हो जाती हैं और प्रत्येक वर्ष गर्मी के दिनों में आग की लपटों में स्वाहा हो जाती हैं।

मई के महीने में दिनांक 3-5-90 को शास्त्री भवन में जो कि सरकारी बिल्डिंग है, उसके एक ब्लाक में आग लग गई, जहां पर कृषि विभाग का रिकार्ड रखा हुआ था और पी० आई० पीज० के टेलीफोन कनेक्शन के लिए एक्सचेंज लगा हुआ है, वहां पर आग लग गई। इन्हीं दिनों के आसपास लोकनायक भवन जहां पर भारत सरकार के कार्यालय हैं, आग लगी, इलेक्ट्रानिक्स डिपार्टमेंट के अन्दर आग लगी। इस तरह से पता लगता है कि अप्रैल और मई के प्रथम सप्ताह के अन्दर एक के बाद एक आग लगने की भयंकर घटनाएं यहां पर होती रहीं। यह भी कहा जाता है कि दिल्ली के अन्दर प्रति माह औसतन 300 स्थानों पर आग लगती है और प्रतिवर्ष 300 करोड़ से लेकर 800 करोड़ रुपए तक का आर्थिक और व्यापारिक नुकसान इन अग्निकांडों में होता है इस तरह से बहुत से अग्निकांड हुए हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि अब अग्निशमन सप्ताह शुरू कर रहे थे तो फिर यह कार्य में कुछ कैसा ? जहां लोगों को प्रशिक्षित करने निकले थे, वहां उनके ही विभाग की पोल सामने आ गई और एक प्रकार से "दीये तले अंधेरे" वाली बात हो गई। यह स्थिति अग्निशमन सप्ताह के अन्तर्गत नजर आई।

[प्रो० रासा सिंह रावत]

सभापति महोदय, वास्तव में यह सरकार के लिए भयानक चुनौती है और हम सब के लिए भयानक चिंता का विषय है। राजधानी के अन्दर इस तरह से आग लग जाना मन में संदेह पैदा करता है। इससे पहले कि मैं अपने विचारों को और आगे बढ़ाऊं, मैं विज्ञान भवन और सदर बाजार में लगी आग की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विज्ञान भवन जो देश में अन्तर्राष्ट्रीय चौपाल कहलाता है, जो निर्माण कला का प्रतीक है, 1956 में जब यहां पर यूनेस्को सम्मेलन हो रहा था, तब वह भवन बनकर तैयार हुआ था और तत्कालीन प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने बड़े गर्व के साथ कहा था कि मुझे गर्व है कि हमारे इंजीनियरों ने इतने शानदार भवन का निर्माण किया है उस भवन का निर्माण करने वाले श्री गहलोत को भारत सरकार ने पदमश्री से विभूषित किया था और ऐसे ऐतिहासिक इमारत में जहां तटस्थ राष्ट्रों के अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ 1984 के अन्दर, 1983 में चोगम राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, जहां पर 'सार्क' राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, 1980 में आटाड का सम्मेलन हुआ ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय चौपाल में आग लग जाना और ऐसे दिन जिस दिन हमारे देश के सुरक्षा बलों के महा निदेशकों और महा-निरीक्षकों का सम्मेलन वहां पर चल रहा था देश की सुरक्षा व्यवस्था, रक्षा और कानून के बारे में विचार चल रहा था तथा हमारे गृह मन्त्री जी ने प्रातःकाल इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था और उसी विज्ञान भवन के नाम में जो दूसरे जी और एच ब्लाक है उनमें सिनेमोटोग्राफी का सम्मेलन चल रहा था, ऐसे समय में विज्ञान भवन में जब कोई सम्मेलन होता है तो सारी जांच कर ली जाती है, सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाता है। जासूसी कुत्ते सूंघ-सूंघकर पता लगाते हैं उसके बाद भी सम्मेलन चलते-चलते आग लग जाना और 36 घण्टे तक आग की लपटें शांत न होना एक गम्भीर विषय है। उसी समय दिल्ली में दो स्थानों पर आग लगी, दूसरी जगह सदर बाजार में आग लगी। जहां चार सौ, पांच सौ दुकानें जल गई और करीब आठ सौ करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। जो आग बुझाने की व्यवस्था थी वह बुरी तरह से चरमरा गई। 26 दमकलें बाहर से मंगाई गई, वायुसेना और थल सेना की दमकलें मंगाई गई और गाजियाबाद तथा मेरठ से भी दमकलें मंगाई गई। उसके बावजूद भी विज्ञान भवन की ओर ज्यादा ध्यान दिया तो सदर के अन्दर जितनी तेजी से आग बुझनी चाहिए थी वह उतनी तेजी से नहीं बुझाई जा सकी। कुछ अमर अफवाह फैलाने वालों की वजह से भी हुआ। दिल्ली में अफवाह फैलाई गई कि नई दिल्ली के रेल्वे स्टेशन के आरक्षण कार्यालय में आग लग गई तो सदर बाजार के पास तेलीवाड़ा में फायर स्टेशन है वहां से जो गाड़ियां सदर बाजार जानी चाहिए थीं वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चली गई। इसलिए वह सदर बाजार दो घण्टे लेट पहुंची। परिणाम यह हुआ कि दुकानें धू-धू करके जलने लगीं। ये जो बड़े अग्निकांड हुए इनसे पता चलता है कि सरकारी इमारतों के अन्दर, पिछले दिनों हमें अखबारों में पढ़ने को मिला जिसमें साफ कहा गया है कि विज्ञान भवन के अन्दर शार्ट सर्किट से आग नहीं लगी। पहले कहा जाता था कि शायद कोने के अन्दर शार्ट सर्किट से आग लगी है लेकिन दो दिन पहले समाचार पत्रों में समाचार आया उसमें साफ लिखा है कि शार्ट सर्किट से आग नहीं लगी और सी०पी०डब्ल्यू० डी के महा निदेशक द्वारा समिति गठित की गई उसने भी कहा है कि अगर बिजली का स्विच बन्द नहीं किया होता तब तक बिजली ठीक-ठीक काम कर रही थी, अगर बिजली के तारों में गड़बड़ होती तो अपने आप बिजली बन्द हो जाती और विज्ञान भवन में तारों में किसी प्रकार का जोड़ नहीं था और न अन्य प्रकार की लापरवाही थी जब लापरवाही नहीं थी तो आग कैसे लगी तो ऐसे मामले से यह पता चलता है कि पाकिस्तान आज जो हमें बन्दर घुड़कियां दे रहा है और वहां

की प्रधान मन्त्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो भारत के साथ एक हजार साल तक युद्ध करने की धमकी दे रही हैं तथा बहुत से पाकिस्तानी घुसपैठिये कश्मीर के साथ-साथ राजधानी में भी आ गये हैं और वे किसी न किसी रूप में यहां अराजकता फैलाने के लिए हमारी सरकार का ध्यान समस्याओं से हटाने के लिए हमारी सरकार का ध्यान कश्मीर के अन्दर आतंकवादियों से निपटने की ओर से हटाने के लिए, हमारी सरकार का ध्यान पंजाब के अन्दर उग्रवादियों और आतंकवादियों से निपटने की ओर से हटाने के लिए इस तरफ अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इसलिए कहीं न कहीं सेबोटाज हुआ है, कोई न कोई षडयंत्र अवश्य रचा गया है जिसके कारण विज्ञान भवन जैसी सरकारी इमारत में इस प्रकार आग लगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछले कांग्रेसी शासन ने इस देश की जनता के साथ इतना क्रूर मजाक किया है शायद कोई और नहीं कर पाये।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : यह गलत है।

प्रो० रासा सिंह रावत : आज से तीन साल पहले गोपाल टावर के अन्दर, अंसल भवन के अन्दर, इंटर कांटीनेंटल के अन्दर देश के होटलों के अंदर आग लगी थी और उस आग के संबंध में जो कमेटी बनी थी उसने जो सिफारिशें की और उसके आधार पर जो भवनों की जांच की गयी तो उसमें पाया गया कि जितनी सरकारी इमारतें हैं, उनके अन्दर अग्नि सुरक्षा की सुविधायें नहीं हैं जो हैं वे अपर्याप्त हैं और इनको पूरा किया जाना चाहिए; मगर अफसोस की बात है कि यह नहीं हुआ। अग्नि शमन के अधिकारियों ने विज्ञान भवन के बारे में साफ कहा था कि इसके अन्दर सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थायें अपर्याप्त हैं परंतु तीन साल तक अधिकारियों ने कुछ नहीं किया और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी लेकिन सरकार के कानों पर तब जूं रेंगी जब 1986 में अंसल भवन इंटरकांटीनेंटल और गोपाल टावर्स के अंदर आग लगी। उस समय सरकार ने 11 करोड़ रुपया मंजूर किया लेकिन उसके बाद सरकार फिर चुप हो गयी और उसके ऊपर बहरे कान लग गये। दिल्ली के अन्दर 150 इमारतों में आग की सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थायें अपर्याप्त बतायी गयीं जिसमे सरकारी इमारतों की संख्या 50 प्रतिशत है उसमें वायु भवन और सेना भवन भी शामिल हैं। साथ ही विज्ञान भवन, नई दिल्ली नगर पालिका का सिटी सेंटर भी शामिल है। इन इमारतों के बारे मे बार-बार चेतावनी देने के बावजूद और अग्नि शमन अधिकारियों के बार-बार कहने के बावजूद आग बुझाने की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी। इतना ही नहीं, सी०पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारियों ने धड़ल्ले के साथ कह दिया कि विज्ञान भवन के अंदर दिसम्बर, 1990 तक पर्याप्त व्यवस्थायें नहीं हो सकती हैं। जबकि तीन साल तक वह सरकार चादर तान कर सोती रही। इस प्रकार करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया और महा-निदेशक द्वारा गठित समिति ने उसके पुनर्निर्माण के लिए जो आंकड़े दिये है, उनसे आंखें खुल जानी चाहिए। मोटे तौर पर 7 करोड़ 53 लाख रुपये का एस्टीमेट लगाया गया है कि विज्ञान के लिए इतना पैसा लगेगा।

सभापति महोदय, जो नुकसान हुआ है मैं उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आग लगने की जितनी घटनायें हुई हैं, उसके पीछे गैर-जिम्मेदारी है और जो नुकसान हुआ है उसका अन्दाजा लगाना मुश्किल हो गया है। विज्ञान भवन का जो मुख्य हाल है, उसकी दीवारें, मंच और छतें पूरी तरह से नष्ट हो गयी है। इसके साथ-साथ मुख्य सम्मेलन हाल का मंच और उसकी दीवार को काफी नुकसान हुआ है और पहली एवं दूसरी मंजिल के औ० एच० बुरी तरह से नष्ट हो गये हैं। इस अग्नि दुर्घटना की जांच के लिए जो महानिदेशक और राज्यपाल द्वारा कमेटी गठित की गयी, उसमें यह कहा गया कि विज्ञान भवन का जब निर्माण किया गया तो यह नहीं सोचा गया कि अगर इसमें

[प्रो० रासा सिंह रावत]

कभी आग लग जाये तो बुझाने के लिए रास्ता कहां से मिलेगा ? इस तरह जब आग लगी तो अग्नि शमन के जवानों को कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि जहां आग लगी तो वहां इतना धुंआ हो गया कि वहां पहुंच ही नहीं पाये। कमीशन रूम एच० के अन्दर उसके उत्तरी पूर्वी द्वार की तरफ से वहां प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था और जो कमीशन रूम जी० और एच० थे, वहां की ग्लेज्ड खिड़कियों को तोड़कर रास्ता बनाना पड़ा तब सीधे पानी फेंकना पड़ा। यदि विज्ञान भवन को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता कि पानी फेंकने की सीधी व्यवस्था होती तो आग पर जल्दी काबू पा लिया जाता। इसलिए महानिदेशक को यह राय देनी पड़ी कि हर कमरे में एक खिड़की होनी चाहिये और छतों में ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल कम से कम किया जाये और सीमेंट एवं टीन की छतों पर तारकोल का इस्तेमाल न किया जाये। प्रत्येक छत की मंजिल पर एअर हैण्डलिंग ग्रिड की व्यवस्था की जानी चाहिये, इस प्रकार की बातें कही गयी हैं। मान्यवर, मैंने विज्ञान भवन के बारे में विस्तृत ब्यौरा रखा है कि यदि सरकार ने लापरवाही नहीं की होती तो इतनी बड़ी घटना न होती। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुझे तो इसमें सबोटियर्स की गन्ध आती है। हो सकता है कि कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों के एजेंट या वहां के किसी कर्मचारी के रूप में सेवारत व्यक्ति ने उनसे मिलकर चांदी के चंद टुकड़ों की खातिर ऐसा षडयन्त्र रचा हो ताकि जो महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का जो सम्मेलन हो रहा है, ऐसे समय पर वहां पर आग लगाकर इस देश के अन्दर इस प्रकार की अराजकता की स्थिति पैदा कर दी जाये।

मान्यवर, इसके बाद भी दिल्ली में अन्य कई स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुई। इन सब से हमें गंध आती है कि कोई न कोई षडयन्त्र इन घटनाओं के पीछे अवश्य रहा है। एक तरफ दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी कालोनी में आग लगी, उसके बाद शास्त्री भवन में आग लगी, जहां कृषि भूमि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रिकार्ड रखा हुआ था, जहां झुग्गी झोंपड़ियों और अन्य बेची जाने वाली भूमि का रिकार्ड मौजूद था। दिल्ली में कई स्थानों पर एक साथ आग लगना इस बात को दर्शाता है कि यहां यहां कोई रैकेट चल रहा है, कोई माफिया गिरोह दिल्ली में सक्रिय है जो एक तरफ झुग्गी झोंपड़ियों को खाली कराने के लिये पूरी बस्ती में आग लगा देता है और दूसरी तरफ उन जमीनों से सम्बन्धित रिकार्ड को भी आग में स्वाहा कर देना चाहता है। ऐसा लगता है कि मनमाने ढंग से करोड़ों रुपया भूमि के सौदे में कमाने के उद्देश्य से ही जगह-जगह जानबूझकर आग लगायी जा रही है। वह माफिया गिरोह लैंड रिकॉर्ड्स से सम्बन्धित रिकार्ड भी नष्ट कर देना चाहता है। सरकार को इस ओर गहराई से ध्यान देना चाहिए।

इसमें भी कोई दो रायें नहीं है कि कभी-कभी व्यक्ति की गलती से आग लग जाती है, महान दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लोक नायक भवन में लगी आग के कारणों की जब जांच की गयी तो यह तथ्य सामने आया कि वहां का एक कर्मचारी शाम को जब अपने घर गया तो कमरे में हीटर जलता छोड़ गया। वह हीटर रात भर जलता रहा और उससे इतनी हीट पैदा हो गयी कि पूरे कमरे में आग लग गयी, शार्ट सर्किट हो गया उस आग पर इसलिये जल्दी काबू नहीं पाया जा सका क्योंकि कमरे का बाहर से ताला लगा हुआ था। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारत सरकार के तमाम बड़े कार्यालयों में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाये ताकि कार्यालय बन्द होने के बाद सभी बिजली के तारों को भली प्रकार देख लिया जाये कि कहीं किसी कमरे में कोई हीटर तो नहीं जलता रह गया है, सारे स्विच आफ कर दिये गये हैं या नहीं, मेन स्विच को बन्द कर दिया गया है या नहीं। हर

सरकारी कार्यालय में एक इलेक्ट्रिशियन की नियुक्ति होनी चाहिए। ताकि वह बिजली के तमाम उपस्करों का ख्याल रख सके। आजकल हर कार्यालय में बिजली की सुविधायें काफी बढ़ गयी हैं। बड़े-बड़े कार्यालयों में तो कहीं हीटर, कहीं रेफ्रिजिरेटर, कहीं कूलर और कहीं एअर-कंडीशनर्स काम करते हैं, कहीं कुछ और बिजली का काम होता है। हर शाम वह इलेक्ट्रीशियन उस कार्यालय में लगे समस्त विद्युत उपस्करों की देख-रेख करे। किसी भी अच्छे व्यक्ति को इस काम के लिए नियुक्त किया जा सकता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने अपने दल का पूरा समय ले लिया है। आपके दल को 18 मिनट दिये गये हैं। आपने पूरा समय ले लिया है और मैं समझता हूं कि और नाम भी दिये जा रहे हैं। इसलिए कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर, मुझे थोड़ा समय अभी और दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में लगी आग के अलावा सदर बाजार में जिस तरह आग लगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने सोचा था कि आपके दल में और किसी सदस्य को नहीं बोलना है। इसी कारण मैंने आपको इतना अधिक समय दिया था। अब आपके दल के तीन नाम आ गये हैं। अतः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। इन विभिन्न स्थानों पर लगी आग में किसी न किसी से लापरवाही, किसी की कर्त्तव्यपरायणता के प्रति उपेक्षा या इलेक्ट्रीशियन की कमी रही। एक समस्या हमारे सामने यह भी आ रही है कि 'डेसू' के कुछ कर्मचारी निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर लोगों को अवैध कनैक्शन दे देते हैं, उससे भी आग लगने की संभावना बनी रहती है। कई स्थानों पर इतना अधिक ओवरलोडिंग हो गया है, जिससे शहर की घनी बस्तियों में कभी भी कहीं भी आग लगने की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में अग्निशमन सेवा की व्यवस्था भी चुस्त-दुरुस्त नहीं है, मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और ऐसी व्यवस्था करे कि दिल्ली के लोगों को आग की घटनाओं से राहत मिल सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पी० आर० कुमारमंगलम।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, इनके बाद मेरा नाम एजेंडा में है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। यदि अन्य माननीय सदस्य उपस्थित नहीं होते, तो आपको बुलाया जाता। यही सामान्य प्रक्रिया है। दो नाम वहां होंगे। पहले व्यक्ति को बुलाया जायेगा। यदि वे उपस्थित नहीं होंगे तो दूसरे सदस्य को बुलाया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : मुझे बाद में तो टाइम मिलेगा न।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जी हां, आपको अवसर दिया जायेगा। यहां सिर्फ दल की प्राथमिकता है, कोई विशिष्ट प्राथमिकता नहीं है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सभापति महोदय, 16 अप्रैल का दिन कोई साधारण दिन नहीं था बल्कि यदि अग्नि सेवा की दृष्टि से देखा जाए तो इसी दिन राष्ट्रीय तौर पर हम प्रत्येक वर्ष अग्निशमन दिवस मनाते हैं। यह वह दिन है जब उन लोगों की सेवाओं को याद किया जाता है जो आग जैसी चीज से, जो कि कभी-कभी बहुत शुभ समझी जाती है और कभी रासायनिक शक्ति जैसी विनाशकारी हो सकती है, इस देश के नागरिकों की रक्षा के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। दुर्भाग्यवश, इसी दिन हमने देखा कि पूरे देश में अग्नि देवता ने एक ही दिन में करीब 720 लोगों का बलिदान ले लिया तथा हजारों करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गयी और करीब दस हजार लोग बेघर हो गये थे।

सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि आप तथा अन्य माननीय सदस्य इस बात पर आश्चर्य कर रहे होंगे कि मैं इन आंकड़ों का उल्लेख कैसे कर रहा हूं। लेकिन आप सबों को स्मरण होगा कि यह कोई साधारण दिन नहीं था। हमने देखा कि न केवल हमारा यह प्रतिष्ठित विज्ञान भवन जल गया और इसकी छत गिर गई बल्कि यह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। हमने देखा कि करीब 2000 झुग्गियां जल कर राख हो गई। हमने बच्चों को अग्निकाण्ड में मरते देखा, हमने देखा कि रेल के डिब्बे में गैस फैल जाने से हमारे अनेक भाई-बहन पटना के निकट हुए अग्निकांड में मारे गये थे। इतना ही नहीं, उसी दिन हमने हिमालच प्रदेश में झुग्गियों को जलते देखा, मद्रास में झुग्गियों को जलते देखा और यहां तक कि बम्बई में भी झुग्गियों को जलते देखा। यद्यपि हमारा देश निर्धन है फिर भी सम्पत्ति को हुए नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है हमारे लिए इस नुकसान का अंदाजा लगाना असम्भव है। फिर हम उन माताओं को कैसे सांत्वना दे सकते है जिन्होंने इस अग्निकांड में अपने बच्चों को खो दिया है, उस पिता को कैसे सांत्वना दे सकते हैं जो अचानक ही विधुर हो जाता है तथा उसकी पत्नी और बच्चे अग्निकाण्ड मे मारे जाते हैं। वे रेल में यात्रा कर रहे थे या अपने घरों में बैठे हुए थे और वहां यह दुर्घटना हो गयी थी। इसका हमारे पास क्या जवाब है? इसका क्या कारण है? ये अग्निकाण्ड कैसे हुए थे? मुझे याद है कि इस सभा में माननीय मन्त्री महोदय द्वारा अग्निकांड के कारणों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया गया था। यह कहा गया था कि उस कमरे की छत के निकट कुछ चिंगारी देखी गयी थी। ऐसा शायद बिजली के तारों से आग लग के कारण हुआ था; फिर भी हमने इसकी छानबीन के लिए एक समिति नियुक्त की है इस समिति की रिपोर्ट मे क्या कहा गया है? आज प्रेस में यह बात प्रकाशित हो चुकी है कि इस समिति ने बिजली के तारों से आग लगने की संभावना को नकार दिया है। अत: यदि इसका कारण बिजली के तारों से आग लगना नहीं है तो इस अग्निकांड के पीछे और क्या कारण है? मेरे मित्र श्री जे० पी० अग्रवाल और श्री मदन लाल खुराना सहित मैंने तथा अन्य अनेक सदस्यों ने संयुक्त रूप से यह कहा है कि इसके पीछे गुप्त रूप से की गयी तोड़ फोड़ की कार्यवाही है। यह इतना आसान नहीं है कि जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण एक प्रतिष्ठित भवन में आयोजित एक बैठक में महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्बन्धी मामलों पर और राष्ट्र को विभिन्न प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों तथा तोड़ फोड़ की

गतिविधियों से मुक्त और सुरक्षित रखने के विषय पर चर्चा कर रहे हों तो अचानक उस भवन में आग लग जाये और वह नष्ट हो जाये; यह कोई नयी बात नहीं है। मुझे याद है कि कुछ वर्षों पहले दिल्ली में संसद भवन में आग लगी थी। मुझे यह भी याद है कि इस सभा में तत्कालीन गृह मन्त्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था कि इन सभी बहुमंजिली ईमारतों में आग लगने का खतरा बहुत अधिक है। उन्होंने सरकारी भवनों की एक सूची बनायी थी और यह कहा था कि इन भवनों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री संतोष मोहन देव जी ने कहा था कि इस सम्बन्ध में नोटिस दे दिये गये हैं। प्रत्येक वर्ष केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सूचना दी जाती थी और यह कहा जाता था कि धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि विज्ञान भवन और शास्त्री भवन मे आग लग गई और यह धनराशि उपलब्ध कराई गई यह मुद्दा राजनीतिक नहीं हैं। मेरे अनुसार जब कोई अग्नि और अग्निकांड की चर्चा करता है तो उसे इस दल या उस दल की बात नहीं करनी चाहिए। यह जीवन और मृत्यु से सम्बन्धित मुद्दा है क्या हम एक सभ्य समाज मे रह रहे हैं या हम 14 वी और 15वी सदी में है जहां किसी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसी के घर या इमारत मे आग लगानी पड़ती थी क्या हम सभ्यता भूल चुके है ?

महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि दो सप्ताह से अधिक व्यतीत हो चुके हैं और तीसरा सप्ताह भी समाप्त होने जा रहा है किन्तु अभी तक हम यह नहीं जान पाये हैं कि विज्ञान भवन में आग किन कारणों से लगी थी ? अभी तक हम उन कारणों को जान नहीं पाये हैं। सभी विकल्पों, सम्भावनाओं को नकार दिया गया है। लेकिन गंभीरतापूर्वक कोई छानबीन नहीं की गई है। कुछ दिनों पूर्व उन कमरों में जहां लेखा सम्बन्धी फाइलें रखी थी; अचानक अपने आप ही आग लग गई। उन कमरों में अपने आप ही आग लग लग गई क्योंकि वहां गर्मी बहुत ही अधिक थी और वास्तव में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमने देखा है कि शास्त्री भवन में आग लग गई थी और दमकल गाड़ियां घंटों बाद वहां पहुंची थीं। यह आग लगती कब है ? यह आग प्रातःकाल लगती है। इस सभा में दिन में चार बार इसका उल्लेख किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार कम से कम आग बुझाने वाली गाड़ियां तो वहां भेज दे और फिर भी हमने जवाब देने में उनकी हिचकिचाहट देखी थी। हमने उनसे इस घटना से सम्बन्धित वक्तव्य इस सभा में देने का अनुरोध किया था। अब हमे इस सभा पर दबाव डालना पड़ा। पूरी सभा को माननीय सभापति महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ मिलकर सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाना पड़ा था और अन्तत. हमारे प्रिय मित्र माननीय राज्य मन्त्री ने दो पंक्तियों का एक वक्तव्य दिया था। मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस वक्तव्य के लिए हम उनके आभारी हैं। दिन के अन्त में उन्होंने दो या तीन पंक्तियों का एक वक्तव्य तो दिया था जबकि आग सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर लगी थी। उन्हें तुरन्त अपनी ओर से ही वक्तव्य देना चाहिए था। वह स्वतः अचानक कोई वक्तव्य के बारे में चिन्तित भी नहीं होता है। दूसरी ओर के हमारे मित्र संभवतः ऐसा समझते है कि सदन के सामान्य शिष्टाचार को नजरअन्दाज किया जा सकता है। महोदय, आज यह मुख्य मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आग चाहे विज्ञान भवन में लगी हो या शास्त्री भवन में अन्य भूमियों में, यह दुर्घटना प्रतीत नहीं होती है। इन सभी अग्निकांडों में स्पष्ट रूप से तोड़-फोड़ सम्बन्धी साजिश नजर आती है। हर अग्निकांड के पीछे एक षड्यंत्र है। ये स्वाभाविक रूप से नहीं हुए हैं। चाहे इसके पीछे अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित माफिया गिरोह हों, भुगतान छिपाने वाले दलाल हों, ऐसे लोग हों जो भू-राजस्व से सम्बन्धित रिकार्ड को नष्ट करना चाहते हैं अथवा चाहे उग्रवादी हों, इनका उद्देश्य समाज विरोधी, कानून विरोधी और उग्रवाद से सम्बन्धित है। वे इस कार्य में फायदा उठा रहे हैं मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा सरकार इन घटनाओं का उत्तर देने में असमर्थ रही

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

है। इस घटना के केवल 15 दिन बाद सरकार शास्त्री भवन में आग की घटना को रोक नहीं सकी। सरकार अपराधियों, हत्याओं, अपहरणकर्ताओं आदि पर काबू पाने में असमर्थ रही है। मुझे याद है कि एक दिन खुराना साहब का गुस्सा होना ठीक था और जे० पी० अग्रवाल का नाराज होना ठीक था क्योंकि वे इस सदन को यह बताना चाहते थे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में जीवन एक सस्ती वस्तु बन गई है।

महोदय, न केवल हमारे देश में बल्कि सम्पूर्ण विश्व में अग्नि की हमेशा पूजा की जाती रही है। हम जानते हैं कि पेरू में भी अग्नि देवता हैं क्योंकि इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप चीजें उत्पन्न होती हैं जिसे हम अग्नि या आग कहते हैं, जो बहुत शक्तिशाली है। इसे शुद्ध किया जा सकता है और यह विध्वंसात्मक हो सकती है। लेकिन महोदय जब यह उन ताकतों के हाथों में खिलौना बन जाती है, उसे हमारे राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हैं तो मुझे यह विश्वास होता है कि यह समय है सरकार जागे और कुछ कार्य करे। महोदय, मैं इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 1 दिसम्बर या 2 दिसम्बर, 1989 से आज तक पूरे राष्ट्र में 1800 से अधिक लोगों की आग से मृत्यु हुई—पहली आग 7 या 8 दिसम्बर को लगी थी। हम हर रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं एक तरफ तो लोग आतंकवाद के कारण मर रहे हैं और दूसरी ओर लोगों की आग लगने से मृत्यु हो रही है और ऐसा भी नहीं है कि यह एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित न हो इनके बीच में कोई सम्बन्ध अवश्य है और जैसा मेरे मित्र ने कहा है यह अग्निदेवता को एक प्रकार का बलिदान देना है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस स्तर पर हम ऐसा कर सकते हैं। क्या अगर अग्निदेवता स्वयं आते हैं तो हम उनका शिकार हो जाते हैं जो इसमें विश्वास करते हैं वे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन क्या अग्निदेवता को लाया नहीं गया है।

महोदय, मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन यह कह सकता हूं कि आग लगने से पहली मृत्यु एक पांच साल की छोटी-सी बच्ची की हुई थी और उस आग से 500 से अधिक झुग्गियां नष्ट हो गई थीं। 12 जनवरी, 1990 को फिर ऐसा हुआ। मैं अप्रैल के महीने में लगी आग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 12 जनवरी, 1990 को लगी आग के बारे में बात कर रहा हूं। वास्तव में, यह 11 तारीख को हुआ था और 12 जनवरी को बताया गया था और यह पश्चिमोत्तर दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में हुआ था क्या हमे मालूम है कि यह आग कैसे लगी? मैं जानना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि सांसद भी जानना चाहते हैं। क्या यह आग आकस्मिक लगी थी? अगर हां तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? क्या कार्रवाई की गई थी कितना मुआवजा दिया गया था? उसके बाद, हमने देखा कि यमुना रेलवे पुल के पास की कालोनी की झुग्गियों में 16 तारीख को लगी आग से पांच व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। यह एक प्रकार का तिथि युद्ध जैसा है जो 11 जनवरी से शुरू होकर शुक्रवार तक होता गया जिससे मृत्यु और लोगों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। यह सब कौन कर रहा है? हम जानना चाहते हैं। ऐसा लगता है इन आगजनी की घटनाओं के पीछे कोई हाथ अदृश्य है। यह आसान नहीं है। जिस तरह कश्मीर में यह सब बातें हो रही हैं और स्थिति नियंत्रण से बाहर है क्योंकि लोगों ने सोचा कि सरकार इन मामलों से निपटने में समर्थ नहीं है उसी तरह, मेरे अपने राज्य तमिलनाडु में आतंकवाद ने एक घिनौना रूप ले लिया है। हम देखते हैं कि प्रत्येक कानून तोड़ने वाला यह सोचता है कि उसके पास, लूटपाट करने, हत्या करने, आग आदि लगाने का लाइसेंस है और वह आसानी से कहीं भी आग लगा सकता है।

महोदय, मुझे अधिक समय नहीं लेना है। आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं माननीय गृह मंत्री से केवल एक अनुरोध करके अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं अपने मित्र श्री सुबोध कान्त सहाय का अनादर नहीं करना चाहता, जो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। लेकिन, क्या मैं मुफ्ती मोहम्मद साहिब से कुछ हुआ उस बारे में सीधे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? उस समय, हमने कहा था यह सम्भव है कि वहां तोड़-फोड़ हुई है उन्होंने कहा था, नहीं; प्रश्न ही नहीं उठता। यह रिकार्ड में है लेकिन आज हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या उन्हें विश्वास है? प्रत्येक समिति जो प्रत्येक लगने वाली आग की जांच करती है, उन्होने कहा है कि यह आग अचानक नहीं लगी बल्कि यह आग लगाई गई थी मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि दिल्ली में जो आगजनी की घटनाएं 11 जनवरी, 1990 से लेकर पिछले शुक्रवार तक हुईं उनके बारे में सही रिपोर्ट क्या है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि व इस रिपोर्ट को सदन में कब तक प्रस्तुत करेंगे। क्या वे विवरण देंगे, क्या मंत्री जी, अगर उनके पास इसकी जानकारी है तो वह इसे इस चर्चा के अन्त में सभा पटल पर रखेंगे। क्या एक जगह लगी आग का दूसरी जगह लगी आग से आपस में कोई सम्बन्ध है? क्या इसमें किसी का हाथ है या हमारी बदकिस्मती ही है?

श्री बाल गोपाल मिश्र (बोलनगीर) : सभापति महोदय, यह सच है कि 16 अप्रैल से 3 मई, 1990 तक 6,900 झुग्गियां जलकर राख हो गई थीं। विज्ञान भवन में 16 अप्रैल को आग लगी थी। निर्माण भवन में 19 अप्रैल को आग लगी थी और शास्त्री भवन में 3 मई को। अगर आप शहर में आगजनी की घटनाओं, रेलवे दुर्घटनाओं और बम विस्फोट की घटनाओं को देखें तो इन सब बातों पर ध्यान दिया जाये तो कोई व्यक्ति इस सच से इन्कार नहीं करेगा कि यह तोड़-फोड़ के उद्देश्य से किया गया है। इसमें विध्वंसक तत्वों का हाथ है और वे वहां लम्बे अर्से से कार्यरत हैं। अन्यथा, स्वर्ण मंदिर में राकेट लांचर, ए० के० 47 राइफलें कहां से आईं जिसके बिना आपरेशन ब्लू स्टार कभी न होता? और पंजाब जिसे भारत की शील्ड माना जाता है, फांसी की रस्सी नहीं बनता। आज पंजाब में क्या हो रहा है।

सरकार में कई लोग ऐसे हैं जो सोच रहे थे कि उन्हें किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिज्ञों के ग्रुप से तनख्वाह मिलती है। वे लोग जो किसी राजनीति दल या व्यक्ति विशेष के प्रति स्वामीभक्ति के प्रति वचनबद्ध हैं। वे लोग राष्ट्र के और देश के हितों के विरुद्ध काम कर रहे थे। जिसके कारण, आपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था इसी तरह, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ये लोग आतंकवादियों से मिले हुए हैं जो इस देश में घुस आये हैं। वे लोग सरकार को बदनाम करने के लिए यह सब बातें कर रहे हैं।

अभी, श्री कुमारमंगलम ने इस सरकार को एक 'कमजोर सरकार' के रूप में उल्लिखित किया था और उसी वजह से माफिया, काला बाजारी करने वाले लोग, तस्कर और अन्य लोग सोचते हैं कि यह उनका स्वर्ग है वह कहते हैं, हमारी कमजोर सरकार है। मैं जानना चाहता हूं क्या पूर्व सरकार काफी मजबूत थी? क्या वे कह सकते हैं कि ये आतंकवादी गतिविधियां 2 दिसम्बर, 1989 से पहले नहीं हुआ करती थीं? क्या वे कह सकते हैं कि 2 दिसम्बर से पहले तस्करी सम्बन्धी गतिविधियां नहीं होती थीं। उस अवधि के दौरान इस प्रकार की गतिविधियां बहुत अधिक होती थीं और तत्कालीन सरकार द्वारा अपराध को बढ़ावा दिया गया था। उड़ीसा में श्री जे० बी० पटनायक के समय के दौरान क्या हुआ था? वह पूर्व सरकार का हिस्सा था। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : श्री बीजू के पूर्व शासन के बारे में सोचिये।

श्री बालगोपाल मिश्र : वह कांग्रेस संस्कृति थी।

सभापति महोदय : कृपया आगजनी की घटनाओं के बारे में बोलिए।

श्री बालगोपाल मिश्र : श्री कुमारमंगलम ने बताया है कि मंत्री जी ने केवल दो लाइन का वक्तव्य दिया है और वह भी बहुत देर से। निःसंदेह, सूचना बहुत संक्षिप्त थी लेकिन उस समय श्री सुबोध कान्त सहाय आग लगने वाले स्थानों पर जाकर उन झुग्गियों के पुनर्निवास और राहत के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे थे।

यहां कीचड़ उछालने की बात नहीं है जबकि ये ज्वलन्त मानवीय समस्याएं हैं। मैं इस सरकार से कारगर कदम उठाने के लिए कहूंगा। दिल्ली में ऐसे 39 सरकारी भवन और 37 बहुमंजिले व्यावसायिक काम्पलैक्स हैं जिनमें किसी प्रकार के अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं है। मैं इस सरकार से निर्धारित समय के भीतर कड़े उपाय करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकी जा सकें।

हम यह दावा करते हैं कि हमारे देश में आश्चर्यजनक वैज्ञानिक प्रगति की है और हम पिछली सरकार और इस सरकार के दस्तावेजों से जान सकते हैं कि हमने अग्नि शमन रसायन विकसित कर लिए हैं। ये अग्नि शमन रसायन किसके लिए विकसित किए गए हैं यदि उनका प्रयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता जिसके लिए कि वे विकसित किये गये हैं? किसी विशेष उत्पाद को विकसित करने के लिए काफी धन खर्च किया गया है और वह उत्पाद बेकार में पड़ा रहता है और इस देश के किसी काम नहीं आता है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह अनिवार्य आधार पर सभी झुग्गियों में अग्नि शमन की व्यवस्था करे। सरकार इसके लिए वहां के निवासियों से कुछ धन वसूल कर सकती है परन्तु यह पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। यह निर्णय शीघ्र लिया जाना चाहिए।

बहु-मंजिली इमारतों के मालिकों को कोई चिन्ता नहीं होती है क्योंकि उनकी इमारतों का बीमा होता है। जब कभी उनमें नुकसान होता है तो वे उसका दावा कर लेते हैं।

सरकार को इन इमारतों के लापरवाह मालिकों की जिम्मेदारी निश्चित करनी चाहिए जिनकी गलती के कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं और ऐसे व्यक्तियों को बीमा के दावों का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : महोदय, पिछले एक महीने से एक के बाद दूसरी आग की दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। यह बात सही है कि कुछ मामलों में कुछ दुर्घटनाए हो सकती हैं परन्तु यदि हम 12 अप्रैल से 3 मई के बीच के सभी मामलों को एक साथ मिलाकर देखें तो यह असाधारण सा प्रतीत होता है कि भारत की राजधानी दिल्ली में और इसके चारों ओर अनेक आग लगने की दुर्घटनाएं हुई हैं। विज्ञान भवन से लेकर झुग्गियों तक में आग लगने की अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं। यह एक आश्चर्यजनक स्थिति है कि एक समय विशेष में आग लगने की अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं। हर कोई पूछ सकता है और लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। जहां तक विज्ञान भवन का सम्बन्ध है, वह भव्य इमारत वास्तव में पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसे पुनः बनाना होगा। यही वास्तविक स्थिति है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि पुलिस के महानिदेशकों और महानिरीक्षकों की बैठक के

समाप्त होने के कुछ मिनट बाद ही भवन में आग लग गई थी। उसके तुरन्त बाद आग भड़क उठी। श्री विजय करण, पुलिस आयुक्त स्वयं उस कांफ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जब वे कांफ्रेंस में भाग ले रहे थे तो स्वयं कांफ्रेंस वाले कमरे से धुआं निकलता दिखाई दिया था। उन्होंने कहा :

"आरम्भ में हमने इसे यह सोचकर, कि यह कोई छोटा तार जल गया होगा, सामान्य रूप में लिया। हम कुछ ही मिनटों में भवन से बाहर आ गये परन्तु यह कल्पना नहीं कर सके कि आग इतनी तेजी से फैल जायेगी।"

यह वक्तव्य आश्चर्य में डालने वाला है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी, जिनमें दिल्ली का पुलिस प्रशासन भी शामिल है, वहां मौजूद थे। उन्होंने कुछ धुआं उठता देखा था। वे अनिच्छा से भवन से बाहर आ गये। यह कैसे हुआ ? परन्तु वास्तव में ऐसा हुआ। उसके स्वयं के वक्तव्य से इसका पता लगा है।

महोदय, समाचार-पत्रों में भी यह समाचार छपा था कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विज्ञान भवन के अधिकारियों को इस बात की चेतावनी दे दी थी कि भवन में अग्नि सुरक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था हैं। परन्तु कुछ भी नहीं किया गया। इससे इस बात का पता नहीं लगता कि सरकार एक अत्यधिक जिम्मेदारी से कार्य कर रही है। राजधानी में ही हजारों झुग्गियां जल गई हैं। हजारों लोग बेघर हो गये हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी आग दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। यह अच्छी बात है। परन्तु क्या मात्र दुर्घटना के कारण ही ये बातें हो रही हैं ? कुछ मामलों में कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में तारों के द्वारा आग लग सकती है। परन्तु प्रत्येक मामले में क्या यह बात सत्य है कि यह दुर्घटना के कारण हो गया ? क्या बिजली के तारों में आग लगने के कारण ही ये घटनाएं हो रही हैं ? हम इस प्रकार बात समाप्त नहीं कर सकते। ऐसा करना उचित नहीं होगा। इस देश की जनता इसका विश्वास नहीं करेगी। इसलिए, एक गहन जांच की आवश्यकता है। इस बात का पता लगाना है कि क्या वहां कोई तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गई है अथवा कोई षड्यन्त्र है। घटनाओं से पता चलता है कि इनके पीछे कोई चाल हो सकती है। अन्यथा यह कैसे हो गया ? निर्माण भवन में केवल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सम्पदा कार्यालय अर्थात रिकार्ड रखने का कमरा ही नष्ट हुआ था। उसी दिन मैंने सुना और समाचार-पत्रों में भी पढ़ा था कि वहां 'मेन स्विच' के सहित सभी स्विच बन्द थे। इसके बावजूद यह कैसे हुआ ? परन्तु ऐसा हुआ। रिकार्ड का कमरा नष्ट किया गया था। यह अत्यधिक दुर्भाग्य की बात है। यह अत्यधिक गंभीर मामला है। इस देश की गुप्तचर एजेंसी क्या कर रही है ? मैं नहीं जानता कि केन्द्र सरकार की गुप्तचर एजेंसी क्या कर रही है ? क्या उन्होंने पहले से ही कोई संकेत दिया था कि एक के बाद दूसरी ऐसी आग लगने की घटनाएं होने वाली हैं ? इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि इस घटना के पीछे तोड़-फोड़ का हाथ है। इस सरकार को बदनाम करने के लिए इसके पीछे कोई राजनैतिक षड्यन्त्र हो सकता है। इसलिए, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को लोगों को यह बताने के लिए आगे आना चाहिए कि वह इस मामले में अत्यधिक चिन्तित और गंभीर है। राजधानी में अनेक इमारतों में, जिनमें सरकारी इमारतें भी शामिल हैं, आग से सुरक्षा के प्रबन्ध अत्यधिक अपर्याप्त हैं। उसकी जांच की जानी चाहिए और पूरी रिपोर्ट सदन के सामने पेश की जानी चाहिए। देश में क्या हो रहा है, इसके बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए। यह उचित समय है कि सरकार को इस बात के प्रयास करने चाहिएं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सरकार का यह कर्तव्य है और सरकार को देखना चाहिए कि इसे रोका जाए। इस मामले की जांच करने के लिए जो समिति गठित की गई थी उसने

[श्री अजय मुखोपाध्याय]

शार्ट सर्किट से आग लगने की बात को अस्वीकार किया है। जहां तक विज्ञान भवन का सम्बन्ध है, उसने बताया है कि यह आग बिजली के तार की वजह से नहीं लगी थी। इस प्रकार की आग की घटनाओं के पीछे क्या तरीका कार्य कर रहा है? यह एक अत्यधिक गंभीर बात है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह तुरन्त इस मामले में एक विशेष वक्तव्य दे। सरकार को आग लगने के कारणों सहित सभी तथ्यों की जानकारी शीघ्र ही दे देनी चाहिए और इस बात का भी विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए कि इन घटनाओं के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। सरकार को इस बात के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में कम से कम राजधानी में आग लगने की ऐसी घटनाएं पुनः घटित न हों।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जे० पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : सभापति जी, अभी तक जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, सबने यह यह शक जाहिर किया है कि कहीं न कहीं ऐसा कोई लिंक है, जिससे दिल्ली में आग लग रही है, झुग्गियों में आग लग रही है, बसों में बम फट रहे हैं और दिल्ली प्रशासन ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे इन सारी आगों या बम विस्फोटों को रोका जा सके। दरअसल इन दोनों में ऐसा लिंक है और इसके द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में परेशानी पैदा की जाए, दिल्ली वालों के दिल में डर पैदा किया जाए। वह साजिश जो कश्मीर में हो रही है, पंजाब में हो रही है, यह भी उसी साजिश का हिस्सा है, जिससे दिल्ली में झुग्गियों में आग लगी, सदर बाजार में आग लगी और बसों में बम फटे।

सभापति महोदय, कई सवाल उठते हैं कि आग क्यों लग रही है, कौन-सी साजिश इसके पीछे काम कर रही है। उन लोगों को कहां से सहायता मिल रही है और इन घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

मुझे दुख है कि जहां पिछले कुछ सालों में दिल्ली पुलिस ने पूरी कर्मठता के साथ दिल्ली-वासियों की सेवा की और कोई साजिश दिल्ली में नहीं होने दी, कभी कोई हादसा होता था तो उसके बाद 6 महीने, साल-दो साल तक हादसा नहीं हो पाता था और उस हादसे को पिछले हादसे से जोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन आज दिल्ली में जो लगातार हादसे हो रहे हैं, उनको देखकर बड़ा दुख होता है। दिल्ली प्रशसान और सरकार की नाक के नीचे यह सब कुछ हो रहा है इसको सरकार की कमजोरी माना जाएगा, दिल्ली प्रशासन की कमजोरी माना जाएगा, इंटेलीजेंस विभाग की असफलता माना जाएगा, क्योंकि उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि दिल्ली में जो लगातार हादसे हो रहे हैं, इनकी क्या वजह है और इनको कैसे रोका जाए। (व्यवधान)

मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप बताइए, मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो कहूंगा कि इसकी जांच की जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो या किसी पार्टी का हो। इस तरह से बात करके आप दिल्ली-वासियों की जिन्दगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप शहर या मोहल्ले में आग लगे, फिर आप क्या इस तरह की बातें करेंगे।

सभापति महोदय, सदर बाजार में जो आग लगी, उसके बारे में यहां पर होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस तरह की सहायता वहां पर दी जानी चाहिए,

वह नहीं दी गई। लोगों की दुकानें जल गई हैं और जब वे उन दुकानों को दोबारा बनायेंगे तो उस समय म्युनिसपल कार्पोरेशन की सारी धाराएं उन पर लागू कर दी जायेंगी, उनको दुकानें बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले भी जब दिल्ली में सदर बाजार या दूसरे स्थान मार्केट आदि में आग लगी थी, सालों लग गए थे इस बात के लिए कि दिल्ली कार्पोरेशन से परमीशन मिले, इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिलें, दूसरी सुविधाएं मिलें। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली प्रशासन को हिदायत दी जाएगी कि दुकानदारों को किसी तरह की परेशानी न हो, एक अलग विभाग खोल दिया जाए, एक आफिस खोल दिया जाए, जहां पर उन दुकानदारों को सारी सुविधाएं मिल सकें और उनको कोई परेशानी न हो और वह अपनी परेशानियों को वहां बता सकें। उसके अलावा जो इतनी बड़ी-बड़ी मार्केट है चांदनी चौक में है, खारी बावली में है, सदर बाजार मे है, नई सड़क में है, चावड़ी बाजार में है जहां पर थोक की दुकानें हैं वहां जो सिविक एमिनिटीज हैं वह बहुत खराब हैं। वायरिंग बहुत खराब है। फायर ब्रिगेड का जो वाटर चैनल होता है वह कहीं नहीं मिलेगा। यही वजह है कि फायर ब्रिगेड जिस समय पानी फेंकती है तो बीच में बन्द हो जाती है और जो आग लगी हुई होती है उसको बुझाने में नाकामयाब रहती हैं।

गोपाल टावर में आग लगी, अंसल भवन में आग लगी उसके बाद फायर ब्रिगेड ने कुछ इमारतों को जिसमें अस्सी इमारतें ऐसी हैं जो सरकारी इमारतें है या बिल्डिंग्स आफ अटोनोमस बाडीज की हैं, मुझे दुख है कि जो पैसा पिछली सरकार ने दिया था उस पैसे को खर्च नहीं किया गया, उन अधिकारियों ने जिन पर उसकी जिम्मेदारी थी कि पूरे साधन मुहैया कराये जायें फायर ब्रिगेड के लिए कई जगह पैसा लगा तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि फायर ब्रिगेड के पास या दिल्ली फायर सर्विस के पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके मातहत वह उन इमारतों को बन्द कर सके क्या हम सिर्फ इस वजह से कि उनके पास कानूनी दायरा नहीं है लोगों की जिन्दगी के साथ खेलते रहेंगे। हमारे यहां ऐसे अनोथराइज्ड बिल्डर्स हैं जिन्होंने अनियमित ढंग से बड़े-बड़े भवनों और मार्केट का निर्माण किया है। हम कब तक ऐसे अनोथराइज्ड बिल्डर्स की साजिश मे शामिल रहेंगे और कब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं पुरानी दिल्ली का हादसा आपको बताना चाहता हूं वहां पर बहुत सारे ऐसे अनोथराइज्ड मार्केट हैं जिसमें दिल्ली में मामूली भूकम्प आ जाये तो वह जमीन पर आ जायेंगी। बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो बाई लाज के मुताबिक नहीं बनी हुई हैं और कोई उन पर कार्रवाई नहीं करता। जो भी सरकार आती है वह लोगों के वोट बटोरने के लिए कोशिश करती है कि उनको रेगुलराइज कर दिया जाये। अगर इस प्रकार से कानून का उल्लंघन करने वालों का साथ दिया जायेगा तो कोई वजह नहीं है कि दिल्ली में इस तरह के हादसे होते रहेंगे और उनको रोका नहीं जा सकेगा।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि दिल्ली फायर सर्विस जिसको बाहर से अपना सामान मंगाने के लिए, अपनी गाड़ियां मंगाने के लिए चालीस परसेंट ड्यूटी देनी पड़ती है जिस प्रकार लाइफ सेविंग ड्रग्स आयात होती हैं और उस पर कोई ड्यूटी नहीं होती तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप वित्त मंत्री को कहें कि कम से कम जो फायर ब्रिगेड का सामान होता है उस पर ड्यूटी न लें, आज दिल्ली की आबादी अस्सी लाख की है और फायर ब्रिगेड का बजट चार करोड़ रुपये है वह भी पिछले सालों से वही चलता आ रहा है। मैं मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हम दिल्ली वालों के सुख और सुविधा के लिए उनकी जानें बचाने के लिए इन हादसों को रोकने के लिए या फायर ब्रिगेड के ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि वह देर से आते हैं वहां यह भी देखें कि क्या उनके पास पूरे

[श्री जे० पी० अग्रवाल]

साधन हैं या नहीं हैं, या जो उन्होंने मांग रखी है सरकार के सामने वह पूरी क्यों नहीं हुई। किसी कमेटी ने यह कहा था 1976 में कि दिल्ली में फायर ब्रिगेड के 63 स्टेशन होने चाहिए उसकी जगह आज सिर्फ 23 फायर स्टेशन हैं। यह कितने दुःख की बात है कि दिल्ली बढ़ती जा रही है और हम इस बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे। जो सबसे पहले गाली पड़ती है वह उन्हीं फायर मैन को पड़ती है जो अपनी जान पर खेल कर इमारतों में जाते हैं और लोगों की जान-माल बचाते हैं। जो सदर बाजार और चांदनी चौक में दुकानें हैं और वे इंशोरेंस कराना चाहते हैं, लेकिन इंशोरेंस कम्पनी उनका इंशोरेंस नहीं करती। यह ऐसी जगह है जहां कभी भी आग लग सकती है और हादसा हो सकता है। क्या आप व्यापारियों की सुविधा के लिए या उनके जान-माल की सुविधा के लिए यह जानने की कोशिश करेंगे।

5.00 म० प०

कि कौन लोग हैं, कौन कम्पनी के लोग हैं जो यह कहते हैं कि वहां इंश्योरेंस नहीं करेंगे और उनका जो नुकसान हो, उसकी पूर्ति नहीं हो पायेगी। आज दिल्ली वाले डरे हुए हैं। वे झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोग जिनके पास दो वक्त की रोटी का साधन नहीं, जिनकी छत पर सिर्फ एक तिरपाल होती है या कोई मोम-जामा का टुकड़ा होता है जिसके अन्दर वे अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। कई लोग दिल्ली से बाहर के आते हैं कि यहां दो रोटी कमाकर अपना गुजारा करेंगे या पटरी पर बैठकर सामान बेच कर अपना गुजारा करेंगे लेकिन जब उनके घरों में आग लगती है तो उनको सहायता केवल 500/- रुपये मिलती है। जहां पर उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम उनको घर बनाने या बसाने के लिए पैसा न दें और जो सुख-सुविधा उनको मिलनी चाहिए जैसे पीने का पानी, बिजली का कनेक्शन आदि तो उनको दीजिए तो यह लगे कि सरकार दिल्ली के उन गरीब लोगों की तरफ देख रही है। लेकिन जब झुग्गी-झोंपड़ी में आग लगती है तो उनके पास कोई झांकता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन पालिसी बनाती है, उसके मातहत जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिलती हैं, इससे मुझे बड़ा दुख है। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ हुआ उसके पीछे एक साजिश है और उस साजिश में एक कड़ी जुड़ी हुई है। गरीब आदमी और व्यापारियों का नुकसान हुआ, दिल्ली के लोगों के दिलों में दहशत हो गयी तो मैं आशा करता हूं कि सरकार कोई ऐसे कदम उठायेगी, पुलिस ऐसे कोई कदम उठायेगी जिससे दिल्ली के लोगों को ढांढस मिले और यह न समझे कि दिल्ली भी अब पंजाब बन रहा है या कश्मीर बन रहा है और जो पाकिस्तान की साजिश से हिन्दुस्तान में ऐसे हादसे हों, लोग यह न महसूस करें कि हम नकारा और नाकामयाब हो गए और उसको नहीं रोक सके।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले चाहता था कि बहस केवल दिल्ली में आग लगी —उसके बारे में हो लेकिन हमारे पूर्व वक्ता ने जिस तरह से यह कहा कि यह सब पिछले पांच महीनों से हो रहा है कि दिल्ली का अमन-चैन खत्म हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस समय झुग्गी-झोंपड़ी वालों को राहत देने की राशि 500/- हो गई है जबकि आज से 6 महीने पहले जब आग लगी तो उनको 250/- रुपये मिलते थे और अब वह 500/- रुपये हो गए हैं। इस प्रकार यह डबल हो गए।

सभापति महोदय, दिल्ली में इसके पहले कई बार आग लगी थी। सिद्धार्थ होटल, गोपाल टावर्स और अंसल भवन में आग लगी जिसमें 37 लोग मारे गये। उसकी जांच का क्या हुआ? आज तीन साल हो गए हैं, उनकी एक इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी, उसने जो खामियां बताई, उसका आपने

क्या किया ? आपने 80 बिल्डिंग्ज की बात की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की ? यह कहना बहुत आसान है। आपने कहा कि कोई जाता नहीं है। दिल्ली के अन्दर जब ट्रांजिस्टर बम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उसमें 47 लोग मर गए थे। आपके चारों के चारों एक्जीक्यूटिव कौंसिलर किसी अस्पताल में नहीं गये और न मौके पर गए और जब आग लगी तो हमारे होम मिनिस्टर वहां गए, फाईनेंस मिनिस्टर गये और दूसरे अन्य लोग भी गये।

5.04 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तो मेरा यही कहना है कि इसमें राजनीति न लाइए। यह जो समस्या है, उसके बारे में मैंने पहले भी कहा था। अब आप बतायें बिल्डिंग्ज किसके राज में आयीं ? पिछले दस सालों मे दिल्ली में राज किसका था ? ये गली-गली में बिल्डिंग्ज कहां से बन गयीं ? मैं यही कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली में कोई पूछने वाला नहीं है। यह आज से नहीं हो रहा है। यह अनेक सालों से हो रहा है। मै यही कहना चाह रहा हूं और यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो आग लगी, इसको राजनैतिक दृष्टिकोण से न देखा जाए। यह दो तरह की आग है। कुछ भवनों के अन्दर बाई एक्सीडेंट नहीं कह सकते हैं। कुछ बिल्डिंग्ज के बारे में एलीमेंट्स आफ डाउट निश्चित रूप से कह सकते हैं। इसलिए जैसा आपने और श्री कुमारमंगलम साहब ने कहा और मैंने यहां खड़े होकर कहा था कि आग चाहे विज्ञान भवन में, चाहे शास्त्री भवन में लगी तो मेरी निश्चित जानकारी थी कि जो अफसर विज्ञान भवन की मीटिंग में मौजूद थे।

उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला कि वहां इस तरह का कोई शार्ट सर्किट नहीं हुआ, जिसका निश्चित रूप से शक था। आपको चाहिए था कि आप अपनी फिंगर्स क्रोस्ड रखते लेकिन उस समय यहां ऐसा स्टेटमैंट दे दिया गया कि कोई शार्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लगी। आज अखबारों में जो कुछ आया है, उसमें वही बात कही गयी है जो मैंने उस समय कही थी कि इस घटना मे किसी तरह के शार्ट सर्किट की संभावना नहीं है। जहां तक शास्त्री भवन में लगी आग का सम्बन्ध है, वहां सुबह 7.00 बजे आग लगी जबकि सारा दफ्तर बन्द था, सभी स्विच आफ थे। सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपके फायर ब्रिगेड के आफिसर्स और दिल्ली पुलिस का भी यही कहना है कि इसकी गहराई में जाकर जांच होनी चाहिए। वहां मौके पर जो अधिकारी थे, उनका भी यही कहना है। आपने मामले की गम्भीरता को नजरअंदाज करते हुए सदन मे वही स्टेटमेंट दे दिया जो कुछ अधिकारियों ने आपको दे दिया था। जो कुछ आपके मंत्रालय के अधिकारी आपको देते हैं, उसे आप यहां उठकर पढ़ देते हैं। मेरा निवेदन है कि दिल्ली में दो तरह की आग लगने की घटनाएं हुईं, कुछ तो नेचुरल आग लगने की घटनाएं हुईं, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और अब भी हुईं, उसके कारण विभिन्न हो सकते हैं, और दूसरी तरह की आग की घटनाएं ऐसी थीं जिनके पीछे एलीमैंट आफ डाउट से इन्कार नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी जानकारी है। मैं सदन में तीन स्थानों के नाम ले रहा हूं, एक तो विज्ञान भवन में आग लगी जहां देश के महत्वपूर्ण और उच्चस्थ पुलिस अधिकारियों का, डायरेक्टर जनरल, आई० जी० की मीटिंग हो रही थी, एच ब्लाक में, वहीं सबसे पहले आग लगी बतायी गयी है, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं वहां देखने के लिए स्वयं गया तो मैंने देखा कि विज्ञान भवन का मेन हाल ही नीचे बैठ गया है, जबकि आम तौर से कोई हाल उस तरह बैठता नहीं है।

मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जैसा कल अखबारों में भी आया, वहां कोई शार्ट सर्किट की संभावना नहीं थी। आपने विज्ञान भवन की आग की जांच के लिए तीन मेम्बरों की एक कमेटी

[श्री मदनलाल खुराना]

बनायी है, मेरी मांग है कि उस जांच कमेटी का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए और आपको पूरे मामले की ज्युडीशियल इंक्वायरी करानी चाहिए, आप किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को इस कार्य के लिए नियुक्त करें। इसके अतिरिक्त दिल्ली में अन्य जितने स्थानों में आग लगी है, उन सब की जांच के दायरे को बढ़ाने का मैं निवेदन करता हूं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होकर सही निष्कर्ष सदन के सामने और जनता के सामने आ सकें। केवल तीन मेम्बरों की कमेटी बनाना ही पर्याप्त नहीं है, पूरा कमीशन गठित किया जाना चाहिए, जिसे पूरे अधिकार हों कि वह सभी पहलुओं को देखें। तभी इंडीपेंडेंट जांच सम्भव है। उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कुछ जगह ऐसी आग भी लगी, जिसे हम कह सकते हैं कि नेचुरल वे में लगी और यदि कुछ प्रिकोशनरी मेयर्स पहले से ले लिए गए होते तो उन को रोका जा सकता था। जैसे अभी चर्चा हुई, कुछ समय पहले गोपाल टावर में आग लगी, सिद्धार्थ होटल में आग लगी, जिसमें 37 लोग मारे गए थे, उसकी जांच के लिए पिछली सरकार ने खन्ना कमेटी बनायी थी। उस कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दे दी, जिसका अभी जिक्र हुआ।

आज स्थिति यह है कि दिल्ली में अनेकों मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग्स बन गयी हैं, अनेक स्काई-हाई बिल्डिंग्स बन गयी हैं, और उन भवनों को बनाने वाले बिल्डिंगों को बेचकर यहां से चले गए हैं। उन लोगों ने सरकार की एजेंसी से सुरक्षा सर्टिफिकेट जैसे तैसे ले लिया जबकि उन बिल्डिंगों में, किसी में सुरक्षा एपरेटस मौजूद ही नहीं है। पता नहीं उन्हें कैसे सर्टिफिकेटस मिल गए। यही कारण है कि आज उन बिल्डिंग्स के जो ओक्यूपायर हैं, वे किसी बात की परवाह करते ही नहीं। बिल्डर्स पैसा लेकर चले गए। अब आप उन पर कैसे कन्ट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि दिल्ली के अग्निशमन दस्ते को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। यदि कहीं आग की घटना हो जाती है तो आपको यू० पी० से वाटर टैंकर मंगवाने पड़ें, हरियाणा से वाटर टैंकर मंगवाने पड़ें तो कैसे आग पर काबू पाया जा सकता है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि दिल्ली की आबादी 80-90 लाख है, उसके लिए कितने वाटर टैंकरों की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी जानकारी में यह बात आयी है कि इस समय लगभग 50 वाटर टैंकर्स खराब पड़े हुए हैं। यदि उनको समय से पहले रिपेयर कर दी गयी होती और उन्हें पहले से झुग्गी-झोंपड़ी कालोनीज के नजदीक रखा गया होता या कुछ दूसरे ऐसे ही कदम उठाए गए होते तो आग की घटनाओं को रोका जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इस आग को दो तरीकों से, एक तो वे बिल्डिंग, जैसा मैंने नाम लिया, मेरी निश्चित जानकारी है और मुझे वहां उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि विज्ञान भवन, शास्त्री भवन में जो आग लगी है, वह निश्चित रूप से सेबोटेज है। बादली के अन्दर जो आग लगी, उसके लिए तो तीन-चार लोग पकड़े गए हैं, उसकी जांच हो रही है। जो शक है, उसकी जांच के लिए केवल छोटी-मोटी जांच से काम नहीं चलेगा। उसके लिए जुडीशियल इन्क्वायरी बैठायी जाए और इन सारे कारणों को देखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो खन्ना कमेटी की रिपोर्ट इस बारे में तीन साल पहले आ चुकी है और जो धूल चाट रही है उसमें दिए गए सुझावों पर विचार किया जाए। उनके ऊपर कारंवाई करायी जाए। आज तक जो रिकमेंडेशन की गयी हैं, उन पर गौर तक नहीं किया गया है। इसलिए उसको लागू करवाया जाए और ऐसी हाई-स्काई बिल्डिंगों में आग न लगे, इसके लिए प्रीकौशनरी मेजर्स लिए जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, सदर बाज़ार में आग लगी, लेकिन जितनी तेजी से मामलों को निपटाया जाना चाहिए था, उतनी तेजी से उनको नहीं निपटाया जा रहा है। अफसरशाही के कारण देरी हो रही है। एक तो आग लगने से उनकी सारी सम्पत्ति पहले ही नष्ट हो चुकी है, दूसरे उनके मामलों में देरी होने से वे बेचारे हमेशा-हमेशा के लिए बर्बाद हो जायेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो इंश्योरेंस कम्पनियां हैं, उनको समय व दिन निश्चित कर दें, ताकि उतने समय, तारीख तक जितने भी बीमा के मामले हैं, वे पूरे हो जायेंगे। यदि ऐसा नहीं होगा, तो रेस्पांसिबिलिटी ठहराई जाएगी। जिम्मेदारी तय की जाएगी। यानी एक टाइमबाउण्ड प्रोग्राम होगा, तो उन बेचारों को राहत मिल जाएगी। कार्पोरेशन को भी ऐसे निर्देश जारी करें कि जिनकी दुकानें जली हैं वे अपनी दुकानें बना सकें, इसके लिए कोई कड़े नियम लागू न करें। यह जो बहस हो रही है इसको दो हिस्सों में कर के, प्रीकॉशनरी मेजर्स लिए जायें।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विशेषकर दिल्ली में पिछले महीने की 16 तारीख से आज तक आग लगने की अनेक घटनाएं हुई हैं जिनमें अनेक लोग मारे गए तथा सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि दिल्ली में पहले भी आग लगने की घटनाएं हुई हैं। परन्तु आज जो सवाल है वह यह है कि आलीशान विज्ञान भवन आग से नष्ट हो गया जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने कहा है कि यह आग शार्ट सर्किट से नहीं लगी थी। इस दुर्घटना के बाद निर्माण भवन और शास्त्री भवन में आग लगी। इन इमारतों की ओर विशेष ध्यान और इन्हें महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। जब विज्ञान भवन में आग लगी थी तो उस समय पुलिस निदेशक उसके अन्दर बैठे हुए थे। इसमें सन्देह करने के कुछ कारण थे कि कोई षड्यन्त्र अथवा तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गयी। विज्ञान भवन में आग लगने की घटना के बाद सरकार ने लगभग 147 अथवा 157 इमारतों को असुरक्षित घोषित किया था। यह बताया गया है कि दो सचिवों ने शास्त्री भवन का दौरा किया। यद्यपि वे इमारतें असुरक्षित घोषित की गयी थीं तथापि वहां कोई एहतियाती उपाय नहीं किए गए थे। यही मुद्दा है जिस पर हमें विचार करना है। जब तोड़-फोड़ का सन्देह था और सरकार को इस सम्बन्ध में जानकारी थी तो यह जानते हुए भी कि तोड़-फोड़ हो सकती है यदि सरकार ने उपचारात्मक उपाय न करके इतनी निर्दयता से काम लिया तो इससे यह पता चलता है कि सरकार इन मामलों में कितनी उदासीन है।

झुग्गियों में आग लगने के विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले भी झुग्गियों में आग लगती थी किन्तु इस वर्ष ऐसी घटनाएं कुछ अधिक ही हुई, लगभग एक प्रकार की धोखेबाजी हो रही है। मैं माननीय सदस्य श्री खुराना से सहमत हूं कि ऐसी बात नहीं है कि पहले झुग्गियों में आग नहीं लगती थी, इस वर्ष झुग्गियों में जो आग लगी उसका स्वरूप कुछ बड़ा ही था। प्रश्न यह उठता है कि इस वर्ष झुग्गियों में इस प्रकार भयानक आग क्यों लगी जितनी पहले कभी नहीं लगी थी। वास्तव में दिल्ली में आग लगने से लोग देशभर में पहले ही अत्यन्त भयभीत हुए हैं कि केन्द्रीय सरकार आग की घटनाओं को रोकने में असमर्थ है। जनता को तोड़-फोड़ का सन्देह हो रहा है और वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं और सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है तथा सरकार का यह कर्तव्य है कि आग के मामलों विशेषकर सरकारी भवनों का शीघ्र पता लगाये और देश को इस बात से अवगत कराये कि इन सभी घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। यदि इन बातों को स्पष्ट नहीं किया जाता है तो राजनीतिक दल भी एक दूसरे की निन्दा करते रहेंगे।

[श्री लोकनाथ चौधरी]

मुझे इतिहास की एक कहानी याद है। जब हिटलर सत्ता में आए तो जर्मनी का पूरा संसद भवन जलाया गया। इतिहास में ऐसी घटनाएं और ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने सत्ता में आने के लिए अस्त-व्यस्त स्थितियों का उपयोग किया है। सरकार को इस बात को नहीं भूलना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं झुग्गियों में लगने वाली आग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार को झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों के परस्पर विरोधी हितों की जानकारी है। बिजली की सप्लाई और ऐसी ही नागरिक सुख-सुविधाओं के सम्बन्ध में हल्ला होता रहता है। सरकार को इस बात की जानकारी है। आग को नियंत्रित करने के लिए अनेक चीजों की आवश्यकता है। केवल विस्तृत पूछताछ कराने और आग के कारण सिद्ध करना ही नहीं बल्कि भविष्य में झुग्गी तथा अन्य स्थानों पर आग को रोकना है। आप जानते हैं कि पूरी दिल्ली में लगभग 600 से अधिक झुग्गी-बस्तियां होंगी। यदि ऐसी कुछ शक्तियां हैं, चाहे उन्हें किसी राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त है या नहीं, जिनके द्वारा ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं, तो वे बस्तियों को जलाते जायेंगे तो क्या होगा ? आप इस बात की कल्पना भली-भांति कर सकते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह गंभीर चिन्ता और परेशानी का विषय है। हमारा प्रशासन सचेत होना चाहिए और आग के मामलों के कारणों का शीघ्रता से पता लगाने के सम्बन्ध में शीघ्रता से काम करना चाहिए इन आग के मामलों के लिए जिम्मेदार कारणों को दूर करें। केवल ऐसा करने से ही हम जनता में विश्वास पैदा कर सकेंगे।

अंत में मैं यही कहूंगा कि आग को नियंत्रित करने के लिए आग बुझाने के उपाय पर्याप्त नहीं हैं। ऊंचे-ऊंचे भवन तथा झुग्गी-झोंपड़ियां अब जीवन का एक सत्य बन गए हैं। दिल्ली के अग्नि-शमन संगठन आग बुझाने के नवीनतम उपकरणों से लैस होने चाहिएं और इसके लिए आवश्यक राशि उन्हें उपलब्ध की जानी चाहिए। वर्तमान स्थिति में वे उपकरण खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। जैसे कि श्री खुराना महोदय ने बताया कि बहुत सारे अग्निशमन उपकरण खराब हालत में होंगे। भरपूर राशि दी जानी चाहिए और कम से कम भारत की राजधानी में देश की जनता में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि हम केवल आग पर काबू नहीं पा सकते हैं बल्कि इनके पीछे यदि कोई बुरी शक्तियां और तोड़-फोड़ करने वाले हैं तो उनको देश से निकाल देंगे और उन्हें खतरनाक स्थिति उत्पन्न करने नहीं दी जाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मुझे वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यहां 14 अप्रैल से लेकर आज तक कई स्थानों पर आग लग चुकी है जिसमें सरकारी भवनों के साथ-साथ ऐसे दबे, कुचले लोगों के घर भी उजड़ गये हैं, झोंपड़ियां उजड़ गयी हैं, जिनकी तादाद 15,000 से ज्यादा हो चुकी है और इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों की तादाद एक लाख से ऊपर है, वे सब आज बगैर झोंपड़ी के हो गये हैं। हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा कि झुग्गियों में आग ज्यादा-तर क्यों लगती है। वैसे तो सरकारी भवनों में भी आग लगी लेकिन जहां तक झुग्गी-झोंपड़ियों का सवाल है, वहां जब मुझे जाने का मौका मिला तो मुझे यह बताया गया कि आग लगी नहीं है, आग लगायी गयी है। इनके बारे में मैं सदन को बताना चाहती हूं कि ये लोग दिल्ली के रहने वाले नहीं

बल्कि देश के कोने-कोने से सामंतवादी ताकतों से आतंकित होकर रोजी-रोटी की तलाश में दिल्ली में आकर बसे हैं। इन लोगों की तादाद इस दिल्ली के अन्दर बीस लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। आज इनकी संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के अन्दर रहने वाले ऐसे लोग जो सामंतवादी ताकतों को बढ़ावा देते हैं, जो मनुवादी या सवर्ण जाति के लोगों को बढ़ावा देते हैं, वे लोग नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के अन्दर इन लोगों की तादाद बढ़े। बड़ी साजिश के तहत इन लोगों की झुग्गियों को आग लगायी गयी ताकि ये लोग दुखी होकर और परेशान होकर दुबारा से सामंतवादी ताकतों की चपेट में आ जायें। इसके बारे में काफी गम्भीरता से सोचना होगा।

यह आग लगी नहीं है, बल्कि लगायी गयी है। आग लगने के बाद राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती थी, उसके बारे में मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहती हू। जब दिल्ली के अन्दर झुग्गी-झोंपड़ियों में आग लगी तो वे गरीब बगैर झोंपड़ी के हो गये। इन्होंने सरकार से गुजारिश की कि उन्हें सरकार की तरफ से उचित सहायता मिलनी चाहिए और दुबारा से रहने के लिए सुविधा प्रदान की जाये, लेकिन सरकार ने इन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब पिछले महीने 16 अप्रैल को गांधी गली सदर बाजार में आग लगी तो सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की और दो हफ्ते के अन्दर उन लोगों को मुआवजा भी दे दिया गया। 30 अप्रैल से पुराना सचिवालय के कमरा नम्बर 56 में एक समिति बनाकर दिल्ली प्रशासन ने जांच भी शुरू कर दी। गांधी गली जैसा छोटा अग्निकांड दुबारा न हो सके इसके लिए सरकार ने पूरी-पूरी कोशिश की लेकिन एक तरफ तो झुग्गी-झोंपड़ियों में आग लगती है और उस पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है, लेकिन दूसरी तरफ सदर बाजार में गांधी गली में जहां उच्च वर्ग के लोग अपना धंधा करते हैं, वहां सरकार तुरन्त कार्यवाही करती है। जिन झुग्गी-झोंपड़ियों में वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं वहां सरकार ने उचित कार्यवाही नहीं की। इस दोहरी नीति के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की ओर से पुराना सचिवालय के कमरा नम्बर 56 के बाहर धरना शुरू कर दिया है। मैं राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को बताना चाहती हू कि झुग्गी-झोंपड़ियों में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा और जिनकी झुग्गियों में आग लगी यदि सरकार ने आग लगाने वाले लोगों को नहीं पकड़ा और उन गरीबों को मदद नहीं पहुंचायी तो दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोग सरकार के खिलाफ उठकर खड़े हो जायेंगे। फिर स्थिति को संभालना कठिन हो जायेगा। इसके अलावा ये सब लोग बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में 9 मई को उपराज्यपाल के निवास स्थान पर हजारों की तादाद में इस बात को कहने के लिए पहुंच रहे हैं कि एक तरफ तो गांधी गली सदर बाजार के लोगों को आप उचित मुआवजा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वीकर सेक्शन के लोग हैं जिनकी झुग्गी-झोंपड़ियां जलाकर राख कर दीं, उसके बारे में आपका क्या रवैया है?

अन्त में मैं आपको फिर बताना चाहती हूं कि दिल्ली के अन्दर जो आग लग रही है, वह आग लग नहीं रही है बल्कि लगायी जा रही है। ब्राह्मणवादी लोग नहीं चाहते हैं कि देश के कोने-कोने से सामंतवादी व्यवस्था से आतंकित होकर जो वीकर सेक्शन के लोग दिल्ली के अन्दर झुग्गी-झोंपड़ी में बसे हैं, वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकें। अमन-चैन के साथ रह सके। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करती हूं कि वह इसकी जांच कराए और दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। अग्निकांड में जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और वीकर सेक्शन के लोगों को दोबारा बसाने के लिए सरकार उनकी पूरी सहायता करे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया।

श्री युवराज (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर आग लगने की कई घटनायें घटी हैं, यह एक चिन्ता का विषय है। विज्ञान भवन में जो आग लगी है और यू० एन० आई० को जो खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स ने बताया कि यदि पंजाब की समस्या नहीं सुलझेगी तो इस तरह की घटनायें घटती रहेंगी। केन्द्रीय लोक निर्माण भवन के जो महानिदेशक हैं, उन्होंने जो समिति बनाई उसकी रिपोर्ट आई है। उसमें बताया गया है कि शार्ट-सर्किट की वजह से आग नहीं लगी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो लगी है आग, कुछ तो यह सेबोटाज की वजह से और कुछ हमारी इन एफिशियेंसी की वजह से लगी है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह 88-90 लाख का शहर है, आप सफदरजंग से ले लीजिए, पालम और मथुरा रोड़ तक, यहां कहीं भी ऐसा कोई फायर स्टेशन नहीं है और पूरे शहर में 23 फायर स्टेशन हैं, जहां 1300 कर्मचारी काम करते हैं। इतने बड़े शहर में हम ज्यादा फायर स्टेशन स्थापित कर सकते थे, प्रिकाशन ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिए। यह बतलाया गया कि पिछले वर्ष चार करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन हमको 2001 तक 43 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। जब कुमारमंगलम जी की हवाई जहाज से दुर्घटना हुई थी, उस समय जो विशेषज्ञ समिति बनी थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया था कि जहां हवाई जहाज उतरने की स्थान है, वहां पर दो-तीन फायर स्टेशन होने चाहिए, लेकिन वहां एक भी फायद स्टेशन नहीं बना। जो समिति की रिकमेंडेशन हुई, समिति ने जो अपनी राय दी, उसके मुताबिक अमल नहीं हुआ। और सुविधायें तो विकसित हुई लेकिन दमकल ही एक ऐसी सुविधा है, जो अछूती रह गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो आग लगी है, उसमें 58 प्रतिशत आग शार्ट सर्किट की वजह से लगी। इसमें एक बात यह भी है कि इसमें जो बिजली का तार लगा होता है, उसको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोड लेना पड़ता है। अब घटिया किस्म का तार तांबे की जगह एल्यूमिनियम का तार लगाया जाता है, जिसकी वजन से शार्ट सर्किट होता है। यह जो विद्युत प्रदाय की तरफ से गड़बड़ी हुई है, उसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में जो क्लेम हुआ है, उसको रिटेबिलिटेट करने के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि केवल पंजाब पंजाब की बात ही नहीं कि पंजाब के उग्रवादी या जो अलगाववादी तत्व हैं, वे तोड़फोड़ करना चाहते हैं, यह कहकर अपने कर्तव्य की इति श्री नहीं समझ लेनी चाहिए, बल्कि यह जो दमकल सेवा की खामी है, हम उसको स्ट्रेंथन करें। हम ज्यादा से ज्यादा केन्द्र स्थापित करें, ताकि हमको उसकी सुविधा ऐसे मौके पर मिले। यह विज्ञान भवन जो जला, यह निश्चित रूप से अपने देश का ही नहीं, बल्कि एशिया महाद्वीप की एक ऐसी जगह थी जो कि बहुत अच्छी जगह थी। इसके जो आर्किटेक्ट थे उनको पद्मश्री से विभूषित किया गया था। उनकी देखरेख में यह बना था।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली में यह घटना घटी इसलिए इसकी लोक सभा में चर्चा हो रही है। लेकिन पूरे देश में आग फूस की झोंपड़ियों को देख लीजिए और दूसरी झोंपड़ियों को देख लीजिए। आज वहां क्या स्थिति है, ऐसी झोंपड़ियों के क्षेत्र 4400-4500 हैं। वहां पानी का इन्तजाम नहीं है। अगर वहां दमकल जाना चाहे तो कितनी देर में वह पहुंचती है। इन्टरनेशनल स्टैंडर्ड से चार-पांच मिनट में दमकल को पहुंच जाना चाहिए लेकिन यहां तो पांच मिनट टेलीफोन करने में लग जाते हैं। फिर दमकल को वहां तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है कि वह वहां आसानी से चली जाए। जब तक दमकल की गाड़ी वहां जाएगी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। हमारी जो सोच का स्टैंडर्ड है इसको भी हमें दुरुस्त करना चाहिए और हमको चाहिए कि हम इस सेवा को मजबूत करें।

दमकल भाइयों ने इस काम में जो सेवा की और इनका जो स्टेटमेंट आया उसके लिए मैं इनको दाद देता हूं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें कही जा चुकी हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। केवल दो-एक बातों का उल्लेख कर रहा हूं।

सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए जो इंक्वायरी हो रही है वह तो हो रही है परन्तु अगले तीन-चार महीनों में सारे देश में काफी खतरा है। वह खतरा इस बात का है कि जो पाकिस्तानी तत्व हैं, जो कश्मीर के आतंकवादी हैं या खालिस्तान के समर्थक हैं, उनके अतिरिक्त बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि साम्प्रदायिक दृष्टि से सोचता है। वह देश भर में इस तरह की घटनाएं करने की तैयारी कर रहा है। सरकार के पास इसकी सूचना पहुंची हुई है कि अगले तीन चार महीने काफी खतरनाक हैं। उनमें इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति बहुत अधिक हो सकती है। तो सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि अपनी इंटेलीजेंस को मजबूत किया जाए जिससे कि इस तरह के लोग मौके पर आ कर के इस तरह की घटनाएं न कर सकें और उनको पहले से ही रोका जा सके। हमारी इंटेलीजेंस अभी घटिया स्थिति में है। इसलिए उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि क्या राजधानी दिल्ली में हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर वहां दो जगहों पर एक साथ आग लग जाए तो उसके रोकने के उपाय किए जा सकें? उस दिन दिल्ली में सदर बाजार मे आग लगी और विज्ञान भवन में भी आग लगी। सबके हाथ पांव फूले हुए थे और स्थिति बहुत विकट हो गयी थी। बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से यदि वहां पर समाज विरोधी तत्व तीन-चार जगह ऐसा करने में सफल हो जाएं तो उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है। उसके लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, फायर फाइटिंग एप्रेटस की बात हुई। परन्तु दिल्ली मे जो हमारा वायरिंग सिस्टम है वह बहुत ही आऊट मोडेड और प्रिमिटिव है। उसकी वजह से भी आग लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हम फायर फाइटिंग का सामान खरीदने के साथ-साथ जो वायरिंग का दिल्ली में इन्तजाम है उसको भी दुबारा करने की जरूरत है अंडरग्राऊंड करने की जरूरत है। अगर आप दिल्ली शहर में जाकर देखें तो पायेंगे कि मामूली-सी आग से भी सारी दिल्ली में आग फैल सकती है। इसलिए सारी वायरिंग को दुबारा करने की जरूरत है। इसको भी आपको देखना चाहिए।

इस समय दिल्ली में 15 लाख लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं और 6 सौ जगहों पर झुग्गी-झोंपड़ियां हैं। वे सबकी सब आग लगने के खतरे के जोन में आती हैं क्योंकि वे सीधे बिजली लेते हैं, उनको अथोराइज्ड तरीके से बिजली मुहैया नहीं है। जब आप उनको बिजली नहीं देंगे, पांच सितारा होटलों के पास झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों को, आदमियों को पढ़ने के लिए भी बिजली न दी जाए और वे अनअथोराइज्ड तरीके से बिजली लें तो इससे आग लगती है और वे झोंपड़ियां बिल्कुल तबाह हो जाती हैं। गृह राज्य मन्त्री यहां पर इस बात को कहें कि झोंपड़ी में रहने वालों को बिजली दी जाएगी और उनको अनअथोराइज्ड तरीके से बिजली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजाय इसके कि हर आदमी घर में पढ़ने के लिए, टेलीविजन देखने के लिए या अन्य किसी चीज के लिए अनथोराइज तरीके से बिजली ले आखिर उनको बिजली क्यों न दी जावे, इसलिए उनको बिजली देने का इन्तजाम पूरे तौर पर करना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अग्निशमन में जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी स्थिति कैसी है? उनकी हालत बन्धुआ मजदूरों से भी खराब है। 24-24 घण्टे तक उनकी

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

लगातार ड्यूटी रहती है, कोई उसमें रिलीफ नहीं होता। काम करने के दौरान वह अपनी जिन्दगी के खतरे से खेलते हैं, इसके लिए जो उनकी मांगें रही हैं कि उनको ठीक से वेतन दिया जाये—वह वेतनमान उनको अभी तक नहीं दिये गये और न ही उनको ठीक से सुविधायें ही दी गई। उनको रहने के लिये क्वार्टर तक की भी व्यवस्था नहीं है। उनके वहां पर काम करने की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है जिस तरह से एक बन्धुआ मजदूर की होती है बल्कि उनसे भी ज्यादा खराब है। हमारे फायर फाइटिंग के जो कर्मचारी उनको भी सारी सुविधायें प्रदान की जायें।

तीसरी बात यह भी ठीक कही गई कि झुग्गी-झोंपड़ियां जलने के बाद या उसमें जो मर जाते हैं उनको पूरा मुआवजा कितना कम मिलता है वह भी उनको ठीक तरह से नहीं मिला। सदर बाजार में जो आग लगी थी उसके बारे में यह बात गलत है कि उनको कोई मुआवजा दिया गया एक पैसे का भी उनको मुआवजा नहीं दिया गया। अभी तक तो इन्श्योरेंस वालों ने, उनकी जिनकी इंश्योरेंस हुई है हर आदमी जानता है कि उनको इंश्योरेंस का पैसा दिया ही नहीं गया और कुल मिलाकर 1 करोड़ रु० की, सवा करोड़ रुपए के इन्श्योरेंस के क्लेम हैं जबकि नुकसान वहां पर पचास करोड़ रुपए और सौ करोड़ रुपए के बीच में हुआ होगा। अब वहां पर आप उनको मुआवजा भी नहीं दे सकते हैं। आप कहेंगे कि हम उनको क्या मुआवजा दें ? कम से कम सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध किया जाये, इसके लिये|भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई झुग्गी-झोंपड़ियों में पूरी धनराशि दी जाये ताकि वे रिडेवलप कर सकें। सदर बाजार वालों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाये, यह भी बहुत जरूरी है। झुग्गी-झोंपड़ियों के बारे में यह भी कहना चाहता हूं कि उन सबको रिसेटल करने के लिए कोई उचित व्यवस्था की जाये। उनको रिसेटल के लिए कुछ खुली जगह और इनमें छोड़ी जाये ताकि एक जगह से आग लग करके दूसरी जगह तक लगातार न चली जाये उसके बीच-बीच में जगह छोड़ी जाये। उनके बीच में छोटे-छोटे फायर टेंडर रखे जायें ताकि मौके पर एकदम वे आ सकें, यह भी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि आने वाले 3-4 महीनों में इन खतरों को ध्यान में रखते हुए उसमें आवश्यक कार्यवाही करेंगे, इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : बहुत कुछ बातें तो यहां झुग्गी झोंपड़ियों के बारे में हो चुकी हैं। मेरा अपना मत है कि इस हाउस में उनके राशन कार्ड बात आई थी और जैसे ही उनके राशन कार्ड की प्रक्रिया चालू हुई, मैं सोचता हूं कि जो लोग उनसे धन्धा करते हैं उनके प्लाटों के आधार पर लेन-देन की बात करते हैं, उन्हें शायद यह लगा हो कि उनका अधिकार इस पर स्थापित हो जायेगा और वह यहां के मालिक बन जायेंगे। उनका जो चौथ वसूल करने का धन्धा है वह बन्द हो जाने के कारण से, शायद इस षडयन्त्र के कारण से झुग्गी झोंपड़ियां जलीं।

मैं मन्त्री महोदय जी से इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में हम सब लोग बैठते हैं। हमारी नाक के नीचे जो घटनायें हो जायें, उनके बारे में उन लोगों को नहीं पकड़ सकें, उनको सजा नहीं दे सकें तो फिर कैसे सारा देश आश्वस्त होगा ? इस सारी व्यवस्था से करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हो गया अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति आगे बढ़ती ही गई तो शायद किसी भी शहर में, किसी भी गांव में एक सिर-फिरा आदमी कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर जायेगा और सारी की सारी बस्ती तबाह हो जायेगी : कम से कम यह जो मेनटेलिटी है इस मेनटेलिटी ने इस प्रकार का अनर्थ करने के लिए उत्तेजित किया, विशेष करके शास्त्री भवन में, कृषि संस्थान में जो आग लगी जो बात बताई गई—यह तो रात्रि से चल रहा था कि कोई चीज थी जिसमें से धूंआ निकल

रहा था। श्री आर० सी० शर्मा जो वहां गये थे उन्होंने अपने बयान में इस बात को कहा था कि यह आग तुरंत नहीं लगी है यह धूंआ काफी देर से फैल रहा था। इसके बाद वहां रहने वाले व्यक्ति ने हो किसी प्रकार के षडयन्त्र करे और वहां जो डाकूमेंट थे, जिनके बारे में शायद उनको किसी प्रकार का संदेह लगता था या उनको वे डिसट्राय करना चाहते थे। ये तीनों घटनायें एक अलग प्रकार की घटनायें हैं।

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इन घटनाओं को केवल यह कहने से नहीं, जो आर्किटेक्चर हमने बनाया – यह उस समय तो पदमश्री प्राप्त करने के लिये उपयुक्त था लेकिन आज हमको फिर से इस पर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के आर्किटेक्चर को इन बड़ी बिल्डिंगों में रखें या न रखें जिस तरह से चारों तरफ लकड़ी लगाई जाती है, जिससे अधिक घटनायें घटती हैं इसके आर्कीटेक्चर पर विचार होना चाहिए इन चीजों पर रोक लगाने के बारे में किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनायें न हों। इसी तरह के सजावट के जो सामान लगाए जाते हैं, जिनकी वजह से ज्यादा बरबादी होती है, इसके बारे में भी मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो सुझाव इस सदन में या उस सदन में दिए जाते हैं, उन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। सदर बाजार और अन्य जगहों पर जो अग्निकांड हुए हैं, उनकी पूरी जांच की जानी चाहिए, किन कारणों से आग लगी, कितना नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ, सारी बातों की जांच चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि यहां पर चर्चा हो गई, सबने अपने भाषण दे दिए, कल अखबार में छप गया और बात समाप्त हो गई। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। यह वास्तव में सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि सरकार इन घटनाओं के कारणों को उजागर करे, दोषी व्यक्तियों को पकड़ कर दंडित करे। जैसा कि बताया गया कि झुग्गी-झोपड़ियों में लगी आग के बारे में 5 लोगों को पकड़ा गया, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई बात नहीं पता लगी है कि किसने आग लगाई, कैसे आग लगाई, कौन दोषी व्यक्ति हैं, इन चीजों का जब पता लगेगा तब लोगों को विश्वास होगा कि सरकार इस बारे में कारगर कदम उठा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली जो हमारी राजधानी है, वहां पर इस तरह की घटनायें हो रही हैं, अगर यही प्रवृत्ति देश के चारों तरफ फैल गई तो देश का क्या होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कठोरता से कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री एस० एस० पाल (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से दिल्ली में आग लगने की घटनायें हुईं, खासकर हजारों झुग्गियां जल गईं, करीब 7 बार झुग्गियों में आग लगी और जोशियाबाजार वाली घटना सबसे ज्यादा दर्दनाक थी जिसमें काफी बच्चे और मातायें-बहनें जलीं। इसके अलावा विज्ञान भवन में, निर्माण भवन में शास्त्री भवन में जो कि राष्ट्र की सम्पत्ति है, आग लगी, इन सब घटनाओं का हम सबको बड़ा दुख है।

मान्यवर, मैं आग लगने की इन घटनाओं को दो नजरिए से देखता हूं, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। आंतरिक नजरिए में कर्मचारी की गलती हो सकती है, कोई तार खराब हो सकता है या अग्नि सुरक्षा का उचित इन्तजाम न होने की वजह से, जैसाकि अखबारों में पढ़ने को मिलता है और कई माननीय सदस्यों ने भी इस बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया है और जैसा कि बताया गया कि दो मजदूरों को भी पकड़ा गया है, जिन पर आग लगाने का संदेह है, ऐसे मिसचीवियस लोग भी हो सकते हैं।

[श्री एम० एस० पाल]

दूसरा कारण बाहरी हो सकता है, जैसे पाकिस्तान की प्रधानमन्त्री श्रीमती भुट्टो ने 10 करोड़ रुपये की राशि का ऐलान किया, जिसके बारे में समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला, सिख सरकार ने 6 करोड़ रुपए का ऐलान किया, ताकि इस पैसे से भारत में घटनाचक्र पैदा किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों में ज्यादा न जाकर मैं गृह राज्य मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय जी को बधाई देना चाहूंगा, जिस तत्परता से वे अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ शास्त्री भवन पर पहुंचे, सुबह जैसे ही उनको खबर मिली, यह उनकी और सरकार की जागरूकता का प्रमाण है, सरकार की अच्छी नीयत, जिस अच्छी नीयत से सरकार काम कर रही है, उसका द्योतक है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लिए एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, जो विस्तार से सारी घटनाओं की सारी बातें सामने लाए, सारी बातों को खुले रूप से सामने लाए, जिस तरह से सिस्टेमेटिक ढंग से यहां पर आग लगने की घटनायें हो रही हैं, उनके कारणों की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति को व सारे देश को मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

— — — —

5.45 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरीक्षा

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : स्वतन्त्रता के 43 वर्ष के बाद भी हमारे अधिकांश लोग भोजन घर, कपड़े और शिक्षा की न्यूनतम आवश्यकता से वंचित हैं। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है कि विश्व के निरक्षरों में से 50 प्रतिशत हमारे लोग हैं और अनेक बच्चे प्राथमिक शिक्षा के स्वीकार्य स्तर से वंचित रह जाते हैं। सरकार शिक्षा को एक मानव अधिकार और अधिक मानवीय तथा सजग समाज की ओर अग्रसर होने में सहायक साधनों के रूप में उच्चतम प्राथमिकता देती है। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम शिक्षा को महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित लोगों और अल्पसंख्यकों को समानता का स्तर प्राप्त करने का एक प्रभावी साधन बनायें। इसके अतिरिक्त, शिक्षा को कार्य और रोजगारोन्मुख बनाना आवश्यक है और इसे आभिजात्य वर्ग की विसंगतियों से मुक्त करना आवश्यक है, जो कि शैक्षिक जगत की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है। शैक्षिक संस्थाओं पर जातिवाद, सांप्रदायिकता तथा रूढ़िवाद का लगातार प्रभाव बढ़ रहा है और इसके विरुद्ध संघर्ष करने पर विशेष बल देना और निष्ठापूर्ण समतावादी तथा धर्म निरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में ऐसा ढांचा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे देश शिक्षा के इस परिप्रेक्ष्य की ओर बढ़ सके।

2. अत: सरकार ने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति गठित करने का निर्णय किया है। समिति की सदस्यता निम्नलिखित होगी :

1. प्रो० सी० एन० आर० राव
   निदेशक,
   भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

2. डा० सुखदेव सिंह
भूतपूर्व कुलपति,
पंजाब तथा मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय।

3. डा० एम० संतप्पा
भूतपूर्व कुलपति,
मद्रास विश्वविद्यालय।

4. डा० ओबायद सिद्धकी, एफ० आर० एस०
टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, बम्बई।

5. डा० भास्कर राय चौधरी
कुलपति
कलकत्ता विश्वविद्यालय,
कलकत्ता।

6. श्री एम० जी० भाटी वाडेकर
भूतपूर्व प्रधानाचार्य
महाराजा कालेज
जयपुर।

7. प्रोफेसर उषा मेहता
राजनैतिक वैज्ञानिक और शिक्षक, बम्बई।

8. प्रोफेसर सच्चिदानन्द मूर्ति
एशियाई दर्शन शास्त्र तथा संस्कृति
विभाग के प्रमुख तथा प्रधानाचार्य,
विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर केन्द्र, गुंटूर।

9. डा० अनिल सदगोपाल
किशोर भारती, होशंगाबाद।

10. फादर टी० वी० कुन्नुनकल
अध्यक्ष,
नेशनल ओपन स्कूल, नई दिल्ली।

11. प्रोफेसर मृणाल मिरि,
दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर
पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय,
शिलांग।

12. डा० विदिनिवास मिश्रा
कुलपति
काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

13. डा० एस० जैड कासिम
कुलपति
जामिया मिलिया इस्लामिया
नई दिल्ली

14. श्री वेद व्यास
अध्यक्ष
डी० ए० वी० कालेज प्रबंध समिति,
नई दिल्ली।

15. श्री मनुभाई पंचोली
लोक भारती, सनोसरा
जिला भावनगर।

16. श्री एस० गोपालन — सदस्य सचिव
अपर सचिव
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा और इसका कार्यान्वयन।

(ख) नीति के संशोधन के सम्बन्ध में सिफारिशें करना; और

(ग) सीमित समय के अन्दर संशोधित नीति के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कार्यवाही की सिफारिश करना।

4. समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र परन्तु आदेश के जारी होने की तारीख से छः महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगा। यह, जैसा भी उपयुक्त समझे, अन्तरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है।

———

5.50 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

दिल्ली में हाल ही में हुई आग लगने की घटनाएं — [जारी]

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, अप्रैल में निरन्तर आग लगने की घटनाओं से हमारे मन में यह शंका उत्पन्न हो रही है कि जनता की नजरों में वर्तमान केन्द्रीय सरकार को नीचा गिराया जा रहा है। अत: सरकार को उचित उपाय करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

महोदय, जनवरी में आग लगने दो घटनायें हुई। मार्च में एक बार आग लगी। दिल्ली में अप्रैल में आग लगने की सात घटनाएं हुई और मई में आज तक एक बार आग लगी है। जहां तक समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों का का सम्बन्ध है, हमें मालूम हुआ है कि 11300 झुग्गी-झोंपड़ियां

और दुकान जल गई हैं, 16 व्यक्तियों की जानें गई और 45 हजार लोग बेघर हो गए हैं। जिस प्रकार के भारी तनाव और तकलीफ में से यह बेघर लोग गुजर रहे हैं। इसको महसूस किया जाना चाहिए और इन्हें उचित राहत दी जानी चाहिए।

आग लगने के कारणों का विश्लेषण करते हुए यह जानकारी दी गई है कि शार्ट सर्किट अथवा स्टोव के कारण आग लगी गई। कुछ घटनाओं के वास्तविक कारणों का पता नहीं चला है। हमारा यह विचार है कि जिन कारणों का अभी पता नहीं चला है उनके पीछे कुछ षडयन्त्रकारियों का हाथ है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि निर्माण भवन में जब आग लगी। उस समय बिजली के सभी स्विच बन्द थे। अतः शार्ट सर्किट की कोई सम्भावना नहीं है। निश्चय ही निर्माण भवन में आग लगने के पीछे कोई षडयन्त्र था। वहां केवल उपयोगी पत्रादि नष्ट हुए हैं। शास्त्री भवन में भी लेखाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पत्रादि नष्ट हुए हैं। इन बातों से पता चल रहा है कि निश्चय ही आग लगने की इन घटनाओं के पीछे कुछ निहित स्वार्थों का हाथ है। महोदय, विज्ञान भवन की प्रतिष्ठित इमारत में आग लगने की घटना से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसमें किसी विदेशी एजन्सी का हाथ हो सकता है क्योंकि वहां पर पुलिस के उच्च अधिकारी मौजूद थे और सम्मेलन भी हो रहा था। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पूरी पूछताछ की जाए और वास्तविक दोषी का पता लगाया जाए।

हाल ही में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि एक व्यक्ति को उस समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया जब वह गंदी बस्तियों में आग लगा रहा था। उन्होंने पुलिस के सामने यह स्वीकार किया कि कुछ निहित स्वार्थियों ने यह आग लगवाई थी और जब आग से झुग्गी-झोंपड़ियां नष्ट होंगी उस समय लोग वहां नहीं होंगे और कुछ निहित स्वार्थी तत्व जमीन को हथिया लेंगे और वे असहाय लोगों के आगे उनके नेता बनकर उनके आगे आयेंगे। यदि यह बात है और कोई व्यक्ति पकड़ा गया है तो सरकार को उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार करना चाहिए। यदि वर्तमान कानून काफी नहीं है तो उन अपराधियों को छोड़ देने के लिए विशेष कानून बनाए जाने चाहिए जिन्होंने बहुत से लोगों को बेघर कर दिया है। महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव देता हूं कि जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है उन्हें मकान निर्माण भत्ता दिया जाना चाहिए। जिस स्थान पर उन्होंने अपनी झुग्गी-झोंपड़ियां बनाई हैं वह भूमि उन्हें पट्टे पर दी जानी चाहिए और उनके नाम रिकार्ड में दर्ज किए जाने चाहिएं। जब उनके नाम रिकार्ड में लिखे जायेंगे तो निहित स्वार्थी तत्व इस प्रकार आग नहीं लगायेंगे और उन लोगों को उस स्थान से नहीं हटा सकेंगे।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि मृतकों के करीबी रिश्तेदारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। बेघर हुए लोगों की ओर से किसी को भी उनका मध्यस्थ बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जब आग बुझाने वाले आग बुझाने आए तो उन्होंने देखा कि पानी का दबाव कम था। अतः मेरा सुझाव यह है कि जहां कहीं भी झुग्गी-झोंपड़ियां हैं उन इलाकों के आस-पास पानी भारी मात्रा में इकट्ठा किया जाना चाहिए ताकि आग बुझाने वाले आवश्यकता के समय उस पानी का उपयोग कर सकें। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो आग बुझाने वाले अन्दर भी नहीं जा सके। अतः झुग्गी-झोंपड़ियों के आस-पास आग बुझाने वालों तथा अग्नि शमन उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए काफी जगह होनी चाहिए।

आग शार्ट-सर्किट के कारण लगी। अतः इस प्रकार आग लगने की घटनाओं को रोकने की ओर

[श्री सुधीर गिरि]

व्यापक ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी उपाय किए जाने चाहिए। भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा विद्युत संयंत्र की जांच की जानी चाहिए ताकि घटिया बिजली सामान के कारण शार्ट सर्किट न हो।

यदि तोड़-फोड़ के कारण आग लगती है तो सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए और तोड़-फोड़ करने वालों का पता लगाने के लिए अपनी गुप्तचर सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरी पार्टी के कुछ लोग पहले ही बोल चुके हैं, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और झुग्गी झोंपड़ियों के सम्बन्ध में छोटा-सा सजेस्शन देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैंने देखा है कि जितनी झुग्गी-झोंपड़ियां बनी होती हैं, उनमें अंदर 80 प्रतिशत झुग्गी-झोंपड़ियों में पौलिथीन शीट्स लगी होती है। यदि उनमें किसी तरह से आग लग जाये तो फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में भारी परेशानी और दिक्कत आती है। जहां कहीं आग लग जाती है, सरकार प्रभावित लोगों या परिवारों को मुआवजे के तौर पर या राहत के तौर पर कुछ राशि या सहायता देती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि आग लगने से पहले ही वह ऐसी व्यवस्था करे कि हर झुग्गी-झोंपड़ी वाले को 300 या 400 रुपये अनुदान या किसी और रूप में दे दिए जायें तो उनसे वह पौलिथीन शीट के स्थान पर खपरैल या अन्य ऐसी सामग्री का उपयोग कर सकता है, जो आग न पकड़े। इससे प्रतिदिन होने वाली भयंकर अग्निकांड की घटनाओं से बचा जा सकता है। इतना ही सजेस्शन देकर, मैं समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों ने पिछले दिनों दिल्ली में हुई विभिन्न आग की घटनाओं को जिस गम्भीरता से लिया है, वह सरकार के लिये भी गम्भीर विषय हैं, चिन्ता का विषय है और साथ-साथ चुनौती भी है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के आम लोगों के दिमाग में यह भावना बैठायी जा सके कि अब दिल्ली आग की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित है। पिछले दिनों यहां जितनी आग की घटनाए हुई, वे विभिन्न दिशाओं में लोगों के शक को मोड़ने की तरफ इंगित करती हैं और सरकार का प्रयास रहेगा कि उस तरफ से लोगों को पूरी तरफ निश्चिन्त किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन का सदस्य चुने जाने के बाद, जिस दिन से मैंने जिम्मेदारी सम्भाली है, उसके बाद जितनी इस तरह की घटनाएं यहां हुई हैं, मैंने भरसक कोशिश की है कि स्वयं जाकर घटनास्थल का निरीक्षण करूं। इसलिये नहीं कि आग कैसे लगी, बल्कि इसलिए कि आग से जिनका नुकसान हुआ, जो आग से प्रभावित हुए, खासकर झुग्गी-झोंपड़ी वालों को, अविलम्ब सहायता, प्रशासनिक पदाधिकारियों की जो मशीनरी है, उसे तेज करके, तुरन्त सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

6.00 म० प०

क्योंकि यह कहना कि हमारी सोच में और सरकार की सोच में दो दृष्टियां हैं, तो मैं इसे

गलत मानता हूं क्योंकि इतने दिनों से दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी में लोग रह रहे हैं। 670 झुग्गी-झोंपड़ियों के क्लस्टर हैं जो डी० डी० ए० ने अपने तरीके से सर्वे किया है उसके अनुसार और उनमें रहने वाले लोगों को पहली बार राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने, सत्ता में आने के बाद, प्रधान मन्त्री महोदय ने इतना आश्वासन दिया है कि जितनी भी झुग्गी-झोंपड़ियां हैं वे हटाई नहीं जाएंगी। यही नहीं, बल्कि यह भी कहा है कि हरेक के नम्बर होंगे और उनको राशन-कार्ड दिया जाएगा जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा हो और कहीं न कहीं उनको मैंनटेन किया जा सके। यह हमारी दृष्टि रही है। जो दबे-कुचले लोग हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान गया है। इसीलिए जहां ऐसी घटनाएं घटी हैं, मैं स्वयं पहुंचा हूं और राहत-कार्य ठीक से किया जा रहा है या नहीं, मैंने निरीक्षण किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां झोंपड़ियों का इतना बड़ा क्लस्टर है वहां दूसरी तरफ कंक्रीट का इतना बड़ा जंगल है। दिल्ली में ऐसे बड़े-बड़े 220 भवन हैं जिनमे अरबों-करोड़ों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 10-15 सालों से बिल्डिंगें बनती चली आ रही हैं, इनको रोका क्यों नहीं गया है। इस पर भी हम अपनी ओर से पूरी जांच करवा रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने वाले लोग क्यों नहीं फायर प्रोटैक्शन के इक्विपमेंट लगाते हैं ?

श्री जे० पी० अग्रवाल : इसमें कानून की कमी है।

श्री सुबोध कान्त सहाय : नहीं। अब कानून भी बनाए हैं उनके तहत 12 तरह के इक्विपमेंट उनमें लगने हैं। अगर फायर प्रोटैक्शन के प्रति थोड़ी-सी भी दृष्टि अपनाई जाए, तो 6-7 ऐसे तरीके हैं, जो अपनाए जा सकते हैं और इक्विपमेंट भवनों में लगाए जा सकते है लेकिन कहीं-न-कहीं सरकारी महकमों का फेल्योर है और साथ ही साथ जो अपनाने वाले लोग हैं, उनमें फायर प्रोटैक्शन के प्रति दृष्टि का अभाव है। जिसके कारण ये घटनाएं घटती हैं और मासूम आदमी मारे जाते हैं।

श्री जे० पी० अग्रवाल : अगर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को जहां फायर प्रोटैक्शन के मैंजर्स नहीं अपनाए गए हैं, उन भवनों को सील करने की इजाजत दे दी जाए तो अपने आप सब इन उपकरणों को लगायेंगे।

श्री सुबोध कान्त सहाय : हमने जैसे ही आग लगी, उसी वक्त कहा, जितने भी दिल्ली में इस तरह के भवन हैं, जिनमें, आपकी जानकारी होगी 158 भवन ऐसे है, जो सरकारी हैं, उनके लिए हमने कहा है कि चाहे हमें बोट क्लब पर दफ्तर लगाना पड़े, उनको सभी उपकरणों से लैस किया जाए। क्योंकि यह एक-दो महीने या इस राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के आने के बाद ये अग्निकांड नहीं हो रहे हैं, ये तो पहले से ही होते रहे हैं, फिर भी हमने युद्धस्तर पर यह काम कराया है। फायर ब्रिगेड के लोगों को आग बुझाने में जितनी भी आब्सट्रकल होती हैं, उनको रिमूव कराया जा रहा है। सारे भवनों में कम से कम समय में अधिक से अधिक इन्तजाम जो किए जा सकते हैं, वे कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ सी० पी० डब्ल्यू० डी० के लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो 12 इक्विप्मेंट फायरप्रोटैक्शन के लिए नए एक्ट के मुताबिक बताए गए हैं उनको पूरी तरह से लागू किया जाए। जनता में जो आतंक का वातावरण बन रहा है, उसको देखते हुए ये काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने प्राइवेट लोगों को भी चेतावनी दी है और जो विज्ञानभवन में घटना घटी है, उसको सरकार ने गम्भीरता से लिया है।

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : जो फाइल और रिकार्ड जला है, इसको लोग शंका से देख रहे हैं ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : उसके बारे में भी, श्री मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में जो कमेटी

[श्री सुबोध कान्त सहाय]

बनी है वह देखेगी। वह केवल विज्ञान भवन की घटना के सम्बन्ध में ही अपनी रिपोर्ट नहीं देगी, बल्कि दिल्ली में फायर ब्रिगेड में क्या कमियां हैं, इक्विपमेंट में क्या कमियां हैं, यह सब देखेगी। उनके 23 स्टेशन हैं। नौ स्टेशन और बन रहे हैं। साथ-साथ और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनका 1225 लोगों का स्टाफ है, यह सही है कि दिल्ली की जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए बहुत कम है। इसको किस तरह से इन्विक्ड किया जाए, इसके बारे में कमेटी अभी रिपोर्ट देगी। मैं यह भी मानता हूँ कि कमेटी एक तरफ शार्ट सर्कट की तरफ इंगित करती है तो उस पर कार्यवाही होगी, अगर कमेटी की रिपोर्ट किसी तरह से मिसचीवियस लगती है, जैसा माननीय सदस्यों ने इन्क्वारी कमीशन के लिए कहा, इस तरह की कोई बात होती है तो सी० बी० आई० को हैंडओवर करके पूरी निष्ठा के साथ कलप्रिट को सजा देने तक जांच कराने का काम करेंगे, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जैसा कि हमने कहा कि इनटेलीजेंस डिपार्टमेंट को भी हम लोगों ने ऐक्टीवाईज किया है जिसका नतीजा यह हुआ है कि चार लोग पकड़े गए। दिल्ली की आगे क्या रूपरेखा बनेगी, उसके बारे में प्रपोजल है, उस दृष्टिकोण से देखेंगे। जमीन की दलाली में जो लोग लगे हुए हैं, जो झुग्गी बसाने का काम करते हैं और उसके बाद उजाड़ने का भी काम करते हैं, ऐसे लोगों पर इन्टेलीजेंस डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने सख्ती करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि इसका रिजल्ट जल्दी सामने आएगा। इतना ही नहीं, लोगों को बड़े पैमाने पर ऐजूकेट करने के लिए लीफलेट्स झुग्गी-झोंपड़ी में बांटे जा रहे है। मई, जून और जुलाई के महीने में अक्सर आग लगती है लेकिन उस अक्सर लगने वाली आग से अलग हटकर हम इसकी जांच कराने का काम कर रहे हैं, इतना मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। टी० वी० और रेडियो के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो जिस स्तर की बिल्डिंग है, उसमें क्या-क्या कमियां हैं, उस स्तर पर भी लोगों को बताया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या आपको पहले से कोई गुप्तचर रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ?

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : इनटेलीजेंस रिपोर्ट मिली है इसलिए 3-4 लोग पकड़े गए। इस तरह से वाच किया जा रहा है और मुझे लगता है कि इसके अच्छे रिजल्ट निकले हैं। माननीय सदस्यों का जो शक रहा है कि अगल-बगल से जो आतंकवाद और इस तरह की घटनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जहां दूसरी तरफ दबाव पड़ता है तो दिल्ली की तरफ भागकर यहां की भीड़ में शामिल होने की कोशिश करते हैं, दिल्ली की पुलिस और इनटेलीजेंस डिपार्टमेंट और यहां का प्रशासन भी उस दृष्टिकोण से सख्त कार्यवाही कर रहे हैं। चाहे बम की घटना हो चाहे आग की घटना हो, हम समझते हैं कि सदन की गम्भीरता और दिल्ली में रहने वाले तमाम लोग इस चुनौती को समझें क्योंकि दिल्ली सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है और देश की 80 करोड़ जनता की भावनाओं में विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी इस सरकार की है, वह हम पूरा करने का काम कर रहे हैं।

श्री जे० पी० अग्रवाल : फायर सर्विसेज का जो सामान इम्पोर्ट होता है उस पर 40 प्रतिशत ड्यूटी लेते हैं। यह भी एक तरह से लाइफ सेविंग ड्रग्स है, इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए।

श्री सुबोध कान्त सहाय : आपकी राय सही है कि अगर कोई रिलैक्सेशन सरकार के द्वारा दी जाए, आपकी राय को भी कमेटी के सामने रखेंगे।

श्री जे० पी० अग्रवाल : सदर बाजार और झुग्गियों में आग लगती है, फायर ब्रिगेड का एक सैल स्टेशन में बना दें जो उसमें सहायता करे और सारा डिपार्टमैंट एक साथ उस जगह आ जाए।

श्री सुबोध कान्त सहाय : जब से हमने इसको मोनीटर किया है, दिल्ली के ऐडमिनिस्ट्रेशन ने इसको प्रमुखता के आधार पर लिया है। बीमा कर्मचारियों के द्वारा भी अविलम्ब इस काम को पूरा करने के लिए माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है, इसको भी हम गम्भीरता से लेंगे। माननीय सदस्य ने कहा कि 200-400 रुपये पहले दिए जाएं। झुग्गी-झोंपड़ी जिस तरह से बनती है, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा है या नहीं लेकिन जिस मैटिरियल से बनती है वह ऐसा होता है कि रुपये देने से काम नहीं चलेगा। बल्कि कहीं झोंपड़ियां बनती हों तो उस इलाके मे फायर ब्रिगेड की गाड़ी घुसने के लायक जगह कम से कम बन जाये। मोतिया खान मे इसलिए भी कुछ बचाव हो पाया कि हम वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी को घुसा पाए। इतना ही नहीं फायर ब्रिगेड के लोगों ने शास्त्री भवन की आग को एक घंटे में काबू पा लिया; वहां पर नीचे टेलीफोन एक्सचेंज था, वहां एकाउन्ट से संबंधित कोई डिपार्टमेंट नहीं था। वहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वाटर डेवलपमेंट और मा डिवीजन हैं व कमीशन आफ एग्रीकल्चर है। वहां मानिग आवर मे शार्ट सर्किट के तहत ये सब हुआ, इस दृष्टिकोण को पूरी तरह मानकर नहीं चलना होगा। हमारे डी० सी० पी० इसकी इनक्वायरी कर रहे हैं। अभी उस स्थान को सील कर दिया गया है। इसलिए कितना घाटा व कितनी क्षति हुई इसका हमारे पास ब्योरा नहीं आया है। विज्ञान भवन की आग के सम्बन्ध में कहीं यह इन्डीकेशन आया कि वहां सेबोटाज हुआ या मिसीवियस हुआ तो हम सी० बी० आई० के द्वारा इनक्वायरी कराने से बाज नहीं आयेंगे।

श्री कालका दास (करोलबाग) : मोतिया खान में आग लगी तो इस सदन में उस पर गंभीरता से चर्चा हुई, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आग लगाये जाने के क्या कारण थे? सरकार ने उस समय भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे आगे आने वाले समय में इनको रोका जा सके। यह बड़ा संतोष का विषय रहा है कि इस सारे अग्निकांड के कारण दोष फायर ब्रिगेड का नहीं निकला। मोतिया खान में एक तरफ जब आग लगी तो सारी झुग्गियां फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से बुझा ली गई। वहां जंगल की आग की तरह से आग सब जगह फैल रही थी। जो आग लगाने वाले थे वे चार लोग गिरफ्तार हुए। ...(व्यवधान) ...क्या यह सरकार यह आश्वासन देगी कि यह आग आगे नहीं लगेगी। पहले जब वहां आग लगी तो सरकार ने क्या कदम उठाये। मैं इस बात से बिल्कुल सममत नहीं हूं कि जून-जुलाई मे ही यह आग ज्यादातर लगती है। यह आग बड़े तरीके से, प्लानिंग से और षड्यन्त्र से लगाई गई है। दिल्ली का इतिहास है कि ऐसी जबर्दस्त आग कभी नहीं लगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल क्लेरिफिकेशन ही पूछें आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री कालका दास : महोदय, मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। आप क्यों नहीं संसद सदस्यों की एक कमेटी बनाते हैं...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या इस प्रकार की कोई गुप्तचर रिपोर्ट है कि भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की गतिविधियां होने के प्रयास जारी हैं?

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : जैसा कि हमने कहा कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इस दिशा में पूरी तरह से तत्पर हो गया है। पहले की आग के बाद हो सकता है कि उसको गम्भीरता से नहीं लिया हो लेकिन 2-3 घटनाओं के बाद तत्पर हुए। चार लोगों को जहां आग लगी वहां पकड़ा गया।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्त चटर्जी : क्या आपको यह जानकारी प्राप्त हुई है कि और भी कहीं पर इस प्रकार की योजनाएं हैं ? क्या गुप्तचरों ने इस प्रकार की जानकारी इकट्ठी की है ? मैं उनसे विशेष क्षेत्रों की जानकारी देने के लिए नहीं कहता हूं। किन्तु क्या इस प्रकार की कोई सूचना गुप्तचर विभाग ने दी है कि इस प्रकार की गतिविधियां दिल्ली में जारी हैं ?

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : दिल्ली के लेवल पर है, मैं समझता हूं कि वहां को-आर्डिनेट करके कर रहे हैं। वह जानकारी तो हमारे पास नहीं है।

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है और महत्वपूर्ण सवाल है। आग की कोई इन्टेलिजेंस की रिपोर्ट है। पहले ध्यान नहीं दिया गया और अब इन्टेलिजेंस सक्रिय हो गई है, उसकी कोई रिपोर्ट है कि दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में आग लगाने की क्या प्लानिंग हो रही है, इस बारे में मंत्री महोदय बतायें ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा है कि अप्रैल में नहीं लगती है। लेकिन पिछले तीन सालों में अप्रैल महीने में···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, जो भी जानकारी आप दे सकते हैं आप यहां दीजिए। अन्यथा, आप कह सकते हैं कि वे आपसे आपके कक्ष में मिलें, क्योंकि कुछ बातें यहां नहीं दी गई हैं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर आप उन्हें विवश नहीं करें।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : मैंने यह नहीं कहा है कि नहीं लगती है। लगती रहती है।···(**व्यवधान**)

श्री जे० पी० अग्रवाल : यह कोई एक्सक्यूज नहीं है।···(**व्यवधान**)···

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि हमने पहले कहा कि दिल्ली प्रशासन में पुलिस, इंटेलिजेंस और जितने दूसरे लोग हैं, वे मिलकर इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को भी एप्रिशिएट करेंगे कि कोई भी इस तरह की इन्फार्मेशन हम नहीं दे सकते है, जिससे अगर कोई घटना होने की संभावना हो और वह साजिश कर ले तथा रास्ता बदल ले। जितना आप सीरियसली कंसर्न हैं, मैं समझता हूं कि सरकार उस दृष्टिकोण को नजर में रखे हुए है।

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष महोदय, आप जगह के नाम न बतायें। क्या आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है कि दिल्ली के अन्दर तो कोई प्लानिंग नहीं हो रही है ? अगर हो रही है तो उसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : चर्चा में भाग लेते समय मैंने इस संबंध में मंत्री महोदय से विशेष रूप से पूछा था। पिछले चार महीने में 30 जनवरी से अब तक अनेक बार आग लगने की घटनाएं हुई हैं।

हम पूछना चाहते हैं कि क्या वह सभा को यह आश्वासन देंगे कि पूछताछ पूरी होने के तुरन्त पश्चात वह इस घटना के संबंध में वक्तव्य देंगे अथवा तथ्यों को सभा पटल पर रखेंगे।

श्री सुबोध कान्त सहाय : वह तो हम कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.18 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 8 मई, 1990/18 वैशाख, 1912 (शक)
के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

————

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6